(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 32 वां दिवस [संख्या 15

सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रेवतराम !

कातरा के प्रकोप की रोकथाम

286. **श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़):** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के कौन कौन से जिलों में कातरा के प्रकोप से खरीफ की फसल को हानि पहुंची है अथवा पहुंचने की संभावना है ?

(2) सरकार ने कातरा की रोकथाम के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(3) कातरा को नष्ट करने वाली दवाइयों की उपलब्धि किसानों को आसानी से हो सके, इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) इस वर्ष राज्य के 14 कृषि जिलों से खरीफ की फसलों में कातरे के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें से 11 जिले सीकर, झुन्झुनूं, नागौर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, सिरोही, पाली, जालौर एवं टौंक में कातरा महामारी के रूप में फैला है। शेष तीन कृषि जिलों हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर एवं सवाई माधोपुर में कातरा महामारी के रूप में नहीं फैला है। जिन जिलों में कातरा का महामारी के रूप में प्रकोप हुआ वहां फसल को हानि पहुंची है जिसका जायजा जिलाधीशों से प्राप्त किया जा रहा है।

(2) कातरे के सम्भावित प्रकोप को मद्दे नजर रखते हुए विभाग द्वारा माह अप्रेल से ही कातरे की उत्पत्ति को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से कातरा उत्पादक तितली को प्रकाशपाश क्रिया द्वारा नष्ट करने के लिये परिपत्र जारी कर संबंधित जिले के अधिकारियों को इसके जीवन चक्र पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए विस्तृत निदेश दिये गये। जिले में विभिन्न स्तरों पर आयोजित की गई समस्त बैठकों में इस बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया ताकि काश्तकार तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके। ग्राम काश्तकार के स्तर तक इस जानकारी को पहुंचाने में रेडियो, स्थानीय समाचार पत्रों व बुलेटिन आदि का भी प्रयोग किया

(श्रीमती कमला)

गया। कातरे के सम्भावित प्रकोप को दृष्टिगत करते हुए काश्तकार को कातरे की घोषित महामारी में पौध संरक्षण उपचार के लिये राहत देने हेतु दवाई की कीमत पर 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त महामारी में सरकारी भूमि पर प्रकाशपाश क्रिया द्वारा कातरा तितली एवं रसायन द्वारा लट नियन्त्रण हेतु इन पर हुए खर्चे को पूर्ण रूप से वहन करने का प्रावधान किया है। समय रहते सरकारी जमीन पर कार्य अपनाने हेतु कुछ जिलाधीशों को राशि का आवन्टन किया गया। कातरे से सघन रूप से सम्भावित प्रकोप वाले जिले के जिलाधीशों को राज्य सरकार की ओर से कातरा महामारी घोषित करने की शक्तियां प्रदान कर दीं। जिन जिलाधीशों को महामारी घोषित करने की शक्तियां प्रदान नहीं थीं उनके द्वारा सिफारिश करने पर विभाग ने राज्य सरकार की स्वीकृति के पूर्वानुमान में तत्काल महामारी घोषित करवा दी। कातरा महामारी घोषित होने पर काश्तकारों को अपने खेतों पर कातरा नियन्त्रण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर दवा उपलब्ध कराई है।

(3) संबंधित जिलों में कातरा नियंत्रण हेतु किसानों को अनुदान पर दवाइयां राजस्थान क्रय विक्रय संघ एवं उनके द्वारा मनोनीत सहकारी समितियों, राजस्थान कृषि उद्योग निगम एवं उनसे संचालित डिपो, ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं विभागीय पौध संरक्षण इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री रेवतराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि चूरू जिले को महामारी का प्रकोप होने वाला जिला घोषित अभी तक क्यों नहीं किया जब कि पूरे चूरू जिले में भयंकर रूप में महामारी फैली हुई है और सारी फसल नष्ट हो गई है और किसान फसल नष्ट होने से बरबाद हो गये हैं ? मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कि चूरू जिले को महामारी का प्रकोप होने वाला जिला तुरन्त घोषित किया जाना चाहिये। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, वहां पर सरकार ने कातरे को मारने की कौन-कौनसी दवाई और किसको भेजी है ? अध्यक्ष महोदय, वहां पर न तो पंचायत समिति में और न ही ग्राम सेवकों के पास कोई दवाई पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, कौनसी दवा है वह ? जो दवा आजकल कृषि विभाग के द्वारा भेजी जाती है उससे तो कातरा मरता ही नहीं है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदया से यह निवेदन है कि ऐसी दवाइयां काश्तकारों को उपलब्ध कराई जाएं जिनसे कातरा मर सके।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, डी. डी. टी. डस्ट और पार्थियन डस्ट के भरने से कातरे की लटें मर जाती हैं। अब कहां कहां पर अलग अलग कितनी दवाई भेजी, कितने टन भेजी, यह सूचना मेरे पास अभी नहीं है।

श्री रेवत राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा कि पंचायत समिति डूंगरगढ़ में तो कातरे को मारने की दवाई अभी तक नहीं पहुंची है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो जिले महामारी के घोषित किये गये हैं वहां

(श्रीमती कमला)

ही दवाइयाँ भेजी गई हैं। अगर माननीय सदस्य के जिले में कातरे की महामारी फैलने की घोषणा होगी तो वहां दवाइयाँ भेजी जायेंगी।

श्री रामधन : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो दवाइयां कातरे को मारने के लिए दी जाती हैं उनसे कातरा मरता नहीं है। पहले पहले जब कातरे की छोटी छोटी लट होती है तब तो वह दवाइयां डालने से मर जाता है लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उस पर यह दवाइयां कुछ भी असर नहीं करती हैं। इसलिये मेरा सरकार से यह निवेदन है कि ऐसी दवाइयां दिलाने की व्यवस्था करायें जिनसे कि कातरा मर सके और फसल बरबाद नहीं हो।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने अभी जैसा कहा कि कातरा उन दवाइयों से मरता नहीं है तो इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ जगहों से ऐसी सूचना मिली है कि कातरा शायद ड्रग रेसिस्टेन्ट हो गया है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है, आपने यह कहा कि इसकी सूचना काश्तकारों को दी गयी है। नागौर में काश्तकारों को इसकी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है। कोई भी प्रचार नागौर जिले में नहीं किया गया और न ही काश्तकारों को कोई सूचना इसके बारे में मिली। यह दवाई काश्तकारों को मिलती है, किस प्रकार मिलती है, इसकी कोई सूचना नागौर जिले में अभी तक काश्तकारों को नहीं मिली है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने इस प्रश्न के भाग (2) का उत्तर सदन में डेढ़ मिनट तक पढ़ा वह शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं है, ऐसा मालूम होता है। उसमें मैंने सारी जानकारी दी है और सारी व्यवस्था का व्यापक रूप से विवरण दिया है। इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं मिली तो मैं समझती हूं कि इसमें राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी है जिसने जानकारी नहीं ली।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के किन्हीं कर्मचारियों ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नागौर जिले के काश्तकारों को कातरे को मारने की दवाइयों, दवाइयों में जो दी गई है, के बारे में नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जिस जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठकें इस संबंध में नहीं की गईं वहां पर अखबारों, रेडियो और बुलेटिन द्वारा इसका प्रचार किया गया है। और····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह दवाइयां पंचायत समितियों द्वारा वितरित नहीं की जा रही हैं। जिन खास जिलों में कातरे का प्रकोप अधिक था वहां पर पूरे व्यापक रूप से इसका प्रचार किया गया जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

(५)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले को कातरे के प्रकोप से ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है जब कि वहां पर कातरा बुरी तरह से फैला हुआ है और उसने रुई की फसल को नष्ट कर दिया है। वहां पर किसी भी प्रकार ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां कृषि विभाग के कर्मचारियों ने अभी तक कोई कदम इसके बारे में नहीं उठाये हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले के अन्दर कातरे के प्रकोप को रोकने हेतु कदम उठाने की व्यवस्था कराई जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में भी कातरे का बहुत प्रकोप है पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। फसल बरबाद हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदया का उत्तर आने दीजिए।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राज्य के 14 कृषि जिलों में खरीफ की फसलों पर कातरे का प्रकोप होने की सूचना प्राप्त हुई है उसके अन्दर तो राज्य सरकार ने कार्यवाही कर दी। अब भी रोजाना कुछ न कुछ सूचना आती है, फलां फलां जगह पर कातरे का प्रकोप और बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए वहां के जिलाधीशों को कहा गया है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो वहां पर व्यवस्था की जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसी सूचनायें कृषि विभाग के अधिकारियों की इन्सपेक्शन रिपोर्ट द्वारा आयी है कि यह दवाइयां इफेक्टिव नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं है कि इन दवाइयों में मिलावट की जा रही है जिससे यह इफेक्टिव नहीं हो रही है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी की तरफ से यह रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यह जानकारी मिली है कि यह दवाइयां इफेक्टिव नहीं हो रही हैं लेकिन अधिकृत रूप से सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधीशों को इस संबंध में तकाजा किया है कि यह दवाइयां इफेक्टिव हैं या नहीं, इस संबंध में स्थिति की जांच पड़ताल करके तुरन्त राज्य सरकार को रिपोर्ट करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कृषि अधिकारी मौन बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

(अध्यक्ष)

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

एक प्रश्न पूछेंगे, बाद में समाप्त होगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमरराम : और कातरे की दवाई···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री अमरा राम।

श्री अमरराम : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे इनको मालूम हो गया है वैसे ही विभाग को भी खबर मिली है कि मेडिसन जो भेजी गई है वह कातरे पर असर नहीं कर रही है तो उसके लिए आल्टरनेटिव दवाई ढूंढी है, या ढूंढ रहे हैं ? ढूंढ रहे हैं तो कब ढूंढी जायेगी ? क्या जब फसल हो जायेगी ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर यह दवाई उपलब्ध है लेकिन कुछ लोग, जो इन दिनों में मिले, के जरिये कहा गया कि हमारे इलाके में दवाई डालने से भी कातरा नहीं मरा। इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो जैसे पार्थियन डस्ट होती है वह कातरा बड़ा होने के पहले ही डालते या डाली तो या तो उसके डालने में कमी रही है या जो लट है वह ड्रग रेसिस्टेन्ट हो गयी है। खराब है या गया है, पता नहीं किस कारण से इफेक्टिव नहीं है। उसकी तुरत-फुरत जांच कराने और उसके बदले में दूसरी ड्रग मालूम कर लेने में समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 287

श्री सी. पी. जोशी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नन्दलाल मीणा !

प्रतापगढ़ तहसील में प्रस्तावित सिंचाई बांध

288. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील प्रतापगढ़ में कितने सिंचाई बांध बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास कब से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) बांधों के निर्माण कार्य को कब तक शुरू करने का विचार है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) तहसील प्रतापगढ़ में 6 सिंचाई बांध बनाने के प्रस्ताव वर्ष 1977-78 से विचाराधीन हैं। सूची इस प्रकार है:–

1. तलैवा
2. बोरिया
3. हमजियाखेड़ी
4. भंवर सेमलिया
5. चाचाहोड़ी
6. पाड़ोला

(6)

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

(2) सर्वे एवं तखमीनों का कार्य पूरा होने के पश्चात् यदि यह तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाए गए तो राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी तथा जन-जाति क्षेत्रीय विकास के मद में बजट प्रावधान होने पर इन कार्यों को शुरू किया जा सकेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि जो उत्तर की प्रति मुझे मिलनी चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली।

मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि प्रतापगढ़ तहसील के 6 सिंचाई बांधों का प्रस्ताव इनके पास विचाराधीन है। उसके साथ ही मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि तकनीकी दृष्टि से उपयोगिता का फैसला किया जायेगा। तो क्या यह प्रस्ताव आपको विभाग द्वारा मिले हैं या गांव के किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत किये हैं ?

नम्बर 2, जो सूचना आपने दी है कि बांधों के प्रस्ताव हैं यह बिलकुल गलत हैं। आपके पास क्या सूचना है ? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के अधिशासी अभियन्ता ने राजस्थान पत्रिका में एक समाचार दिया था जिसमें लिखा है कि 7 करोड़ से अधिक की लागत वाली 10 लघु सिंचाई योजना जनजाति क्षेत्रीय विकास को सिंचाई विभाग ने प्रस्तावित की हैं जब कि मंत्री महोदय बता रहे हैं कि छः हैं।

तीसरा मेरा एक और निवेदन है। 5।। हजार हैक्टेयर भूमि जिस आदिवासी इलाके में सिंचित होने की संभावना इस सिंचाई बांधों से है तो क्या राज्य सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कब काम शुरू हो जायेगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में और आगे जानकारी देना चाहूंगा आपकी आज्ञा से कि तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रीय ट्राइबल एरिया डवलपमेंट जोन था इसमें निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं पर बांध बनाने हेतु वर्ष 1977–78 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सिंचाई विभाग ने चित्तौड़ सिंचाई खण्ड द्वारा 4 योजनाओं के तखमीने सर्वे करके बनवाये हैं जिसकी सूचना निम्न प्रकार है। स्वीकृति जन जाति क्षेत्रीय विकास शासन सचिव द्वारा प्राप्त होने पर एवं बजट का प्रावधान होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। सूची इस प्रकार है····

श्री नन्दलाल मीणा : आपके पास 10 के प्रस्ताव आये हैं या 6 के आये हैं ? एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर कहता है कि प्रस्ताव 10 के हैं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : हमारे पास 6 के ही प्रस्ताव हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : इसका मतलब वह झूठ कह रहा है। और झूठ है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : हमारे पास विभाग की सूचना है वह दी जा रही है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर दिलायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि 6 योजनायें विचाराधीन है।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही है कि जो 6 स्कीम आपके पास आई हैं उनके बी.सी. रेश्यो विभाग के पास है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट प्रश्न है आप देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रतापगढ़ तहसील के रहने वालों का सिंचाई का मसला है...

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर पूछिये।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इनके पास दस स्कीम नहीं और भी हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : 6 आई हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : तो छओं में किस किस का क्या क्या बी.सी. रेश्यो है यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष : हम भी नहीं समझे कि बी.सी. रेश्यो क्या है ? आप समझा दीजिए कि इससे क्या मतलब है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : दस स्कीम अधिशासी अभियन्ता ने भिजवाई' और 6 पास कीं तो 4 का क्या हुआ, इसके बारे में बतायें ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, बेनिफिट कास्ट रेश्यो के आधार पर ही प्रशासनिक और तकनीकी सैंक्शन दी जाती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 6 स्कीम हैं उनमें से सर्वे कितनों का हो गया है और प्रशासनिक स्वीकृति कितनों की हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक स्वीकृति का उत्तर दे दिया है कि किसी की नहीं हुई।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जब पूरी डिटेल आ जायेगी तो दे देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बी. सी. रेश्यो कितनों का दे दिया है।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : 6 स्कीमों का सर्वे हो चुका है। 6 योजनाओं में से 4 का हो गया है और दो का अगली साल पूरा होगा सर्वे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 4 का बी. सी. रेश्यो आ चुका है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, किसी बांध को बनाने के लिए पहले उसका बी. सी. रेश्यो निकाला जाता है, फिर डिटेल्ड सर्वे होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होती है, फिर टैक्निकल सैंक्शन होती है। सबसे पहले उसका बी.सी. रेश्यो मालूम होना आवश्यक है। इस नाते से सिंचाई मंत्री कुछ बतायें तो सही।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जिन चार योजनाओं का बी. सी. रेश्यो निकाला जा

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

चुका है वह इस प्रकार हैं :–

बोरिया	–	1.09:1
बाड़लिया	–	1.03:1
हमजियाखेड़ी	–	1.02:1
भंवरसेमलिया	–	1.08:1

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बी. सी. रेश्यो मालूम होने के बाद ही स्वीकृति दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! 20 मिनट का समय हो चुका है····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया सहयोग करें। आर्डर प्लीज !

अगला प्रश्न। श्री समरथ लाल !

श्री नंदलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया सदन के समय का सदुपयोग करें।

श्री समरथ लाल।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन के समय का सदुपयोग करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जा सकें। जो प्रश्न है उसकी परिधि में ही पूरक प्रश्न पूछें, यह माननीय सदस्यों से निवेदन है।

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 289

श्री समरथ लाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गोविन्द सिंह !

अजमेर जिले के कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय

290. **श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर जिले में कितने कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रियाशील हैं तथा उनमें छात्राओं की संख्या कितनी है ?

(2) उन विद्यालयों की छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कितने छात्रा महाविद्यालय हैं और उनमें से सरकारी कितने हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर) : (1) अजमेर जिले में **10** कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रियाशील हैं। उनमें पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या 6998 है।

(2) अजमेर जिले में 3 छात्रा महाविद्यालय हैं। ये तीनों ही सहायता प्राप्त हैं।

श्री गोविन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिला शिक्षा की दृष्टि से सारे राजस्थान में अगुआ है वहां 6998 छात्रायें हैं। जो छात्रायें सह शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहती हैं उनके लिये कुल तीन महाविद्यालय हैं और वे भी प्राइवेट सैक्टर में। उनमें फीस इतनी भारी है कि गरीब मां बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकते हैं। उनके लिये

(श्री गोविन्द सिंह)
क्या सरकार अपने विभाग द्वारा कोई महा-विद्यालय खोलने का विचार रखती है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक कक्षा 11 का सवाल है 1266 छात्रायें हैं। महाविद्यालय की जो संस्था है उसके अनुपात की दृष्टि से विद्यालय पर्याप्त हैं···

श्री अध्यक्ष : सरकारी महाविद्यालय के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह : जो सोफिया में नहीं पढ़ा सकते, सावित्री में नहीं पढ़ा सकते उनके लिये सरकार क्या विचार कर रही है कल्याणकारी राज्य होने के नाते ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह बात सही है कि उस तरह का महाविद्यालय नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से कालेज चल रहे हैं उनके अन्तर्गत 3018 कुल छात्रायें हैं, 1048 छात्रायें आज की तारीख में जो राजकीय महाविद्यालय है उसमें अध्ययन कर रही हैं। मैं समझता हूं, कक्षा 11 में 1041 छात्रायें हैं। जो आज की तारीख में महाविद्यालय हैं, तीनों प्राइवेट कालेज हैं, जिनको 90 प्रतिशत ग्रांट देते हैं। संख्या पर्याप्त है। छात्राओं की संख्या को देखते हुए या तो प्राइवेट कालेजेज की कमी की जाये या नये कालेज खोले जायें । 1 कालेज की संख्या बताई, हायर सैकण्डरी की छात्राओं की कुल संख्या बताई इसको देखते हुए मैं नहीं समझता कोई अलग से कन्या महाविद्यालय होना चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिन महा-विद्यालयों को 90 प्रतिशत ग्रांट दी जाती है उनमें काफी मात्रा में फीस ली जाती है। 90 प्रतिशत ग्रांट देकर भी सरकार फीसों पर नियंत्रण नहीं रखती ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अभी कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले, निजी शिक्षण संस्थाओं के व्यवस्थापकों से मेरी बातचीत हुई है, मैंने उनसे चर्चा की है । आज तो यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि इस सारे प्रश्न पर क्या निर्णय होगा लेकिन निर्धारित शिक्षा शुल्क की नीति अपनायी जायेगी । अलग-अलग शुल्क लेने की स्वतंत्रता है उसके बजाय शुल्क निर्धारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह!

बीकानेर जिले के राजस्व गांवों में पुनः कृषि भूमि का आवंटन

291. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले के राजस्व गांवों में कृषि भूमि आवंटन कब से बन्द किया गया और क्यों ?

(2) जिन उद्देश्यों से आवंटन बन्द किया गया है उसकी गत वर्षों में कितनी उपलब्धि रही है ?

(3) क्या सरकार भूमि आवंटन वापस खोलने पर विचार कर रही है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री रामपाल उपाध्याय): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थगित करने के लिये अनुरोध किया गया था।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा पहला ही प्रश्न है इसको भी स्थगित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद !

टौंक क्षेत्रान्तर्गत बनास नदी पर बांध

292. **श्री महावीर प्रसाद (टौंक)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या टौंक जिले में बनास नदी को बांधने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है एवं आगे की क्या योजना है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) टौंक जिले में बनास नदी पर बीसलपुर नामक मध्यम सिंचाई योजना प्रस्तावित है। यह योजना सर्वप्रथम 1962 में सिंचाई के लिए बनायी गई थी। इसके पश्चात् यह विचार हुआ कि इस योजना से जयपुर और अजमेर में पेयजल हेतु पानी भी दिया जाये। 1969–70 में इस योजना में संशोधन करके एक योजना पेयजल व सिंचाई दोनों के लिए बनाई गई किन्तु बाद में 1970–71 में यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को केवल पेयजल हेतु ही लिया जाय। ऐसी योजना भी बना ली गई परन्तु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। अब फिर यह विचार किया जा रहा है कि पेयजल की आवश्यकता के अतिरिक्त जो पानी जहां उपलब्ध है उससे सिंचाई की जाये व सिंचाई और पेयजल दोनों की आवश्यकता की योजना बनायी जावे। इस स्थान पर जल की कुल आवक का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। जल की आवक एवं डूब में आने वाले क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की जायेगी। विस्तृत सर्वेक्षण के बाद यह बताना संभव होगा कि इस योजना से कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि इसकी जानकारी की जा रही है। प्रश्न संख्या 182 का यह जवाब दिया जा चुका है कि सर्वे का कार्य हो चुका है और बीसलपुर बांध उपयुक्त है। यह पहले जवाब दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : कब ?

श्री महावीर प्रसाद : इसी सदन में। 2–6 को।

श्री अध्यक्ष : 2–6 को ?

श्री महावीर प्रसाद : 3–7 को।

श्री अध्यक्ष : यह सत्र 4–7 से शुरू हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद : यह मेरे पास लिखित में जवाब है। यह सदन की मेज पर रखने के लिए भेज रहा हूं। बीसलपुर बांध से जहां टौंक जिले का विकास होगा, वहां जो हर साल फ्लड आता है वह रुकेगा। सारे राजस्थान को ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान को खरबूजे, काकड़ी और टमाटर टौंक सप्लाई करता है। वर्षा आती है, वर्षा के कारण नुकसान हो जाता है। वह नुकसान भी इससे रुकेगा। मेरा निवेदन यह है कि पहले यह सूचना दी गई है, बांध उपयुक्त भी है। यह भी कहा गया है कि छठी

(श्री महावीर प्रसाद)
पंचवर्षीय योजना में प्रावधान रखा जा रहा है। आज मंत्री महोदय इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं। मैं समझता हूं यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। और भी कई प्रश्न हैं। राजस्थान स्टेट रोडवेज टौंक···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री महावीर प्रसाद : मेरा निवेदन यही है कि सदन को गुमराह किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। कौन सी बात सही है पहले जो कही है, वह सही है या जो अब कही है, वह सही है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शब्द ××× सोच समझ कर कहें। माननीय मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्रीमन्, बातें दोनों सही हैं। आपको मालूम होना चाहिये, पहली योजना जल प्रदाय के बारे में थी और आज जो जवाब दिया जा रहा है वह सिंचाई के बारे में जवाब दिया जा रहा है। जहां तक सवाल है, अजमेर, टौंक और जयपुर को जल प्रदाय करने का इसका सर्वे कराया जा रहा है। जब सर्वे होकर आ जायगा तब इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री महावीर प्रसाद : यह पेयजल की नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज !

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय योजना की बात मंत्री महोदय ने बताई, यह बहुत पहले सिंचाई की योजना थी। सन् 62 में 72 हजार एकड़ सिंचाई की योजना थी। इस योजना से एक तरफ अजमेर को पानी दिया जाना था और दूसरी ओर जयपुर व टौंक को पानी दिया जाना था। अब मंत्री महोदय वहां की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं ? जो सिंचाई की योजना बनी थी उसमें 60 लाख रुपये की राशि भी खर्च हो चुकी है। आज वहां की जनता उत्सुक हो रही है। अजमेर को आज जो पानी दिया जा रहा है वह भी पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री चतुर्भुज : मंत्री महोदय, क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है।

सन् 1970-71 में बीसलपुर की योजना पेय जल और सिंचाई की योजना बनी थी। इस योजना से जयपुर, टौंक और अजमेर इन तीन जिलों में पीने का पानी और सिंचाई के लिये पानी देने की बात थी और उस समय 24 करोड़ का एस्टीमेट था। सर्वे वगैरह हो चुका है। इस पेयजल और सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब कब कदम उठाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी इस योजना को

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
मदद दिये जाने की बात थी। बनास का पानी जो बिलकुल बेकार जाता है उसको पेय जल और सिंचाई-दोनों के काम में लिये जाने की बात थी···

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने की बात है ?

श्री रामकुवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध की योजना सिंचाई और पेय जल की समस्या को लेकर बनाई गई थी और इसका काफी सर्वे भी हो चुका था···

श्री **अध्यक्ष** : भाषण नहीं दें, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लें।

श्री **रामकुमार बैरवा** : **आपके** माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा आश्वासन देंगे कि इसका शीघ्र ही फाइनल स्टेज पर निर्णय करेंगे ताकि वहां के लोग जो आशा लगाये बैठे हैं, उनको इस बात का विश्वास हो कि यह पहाड़िया जी की सरकार आने के बाद शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो जायगा और लोगों की आशायें पूरी होंगी ? यही मेरा निवेदन है।

श्री **जगन्नाथ पहाड़िया** : इस पर विचार हो चुका है, सन् 1969-70, 70-71 में अलग-अलग तरीके से इसको आंका गया है, पेय जल के लिये कितना खर्च होगा और सिंचाई के लिये कितना खर्च होगा–दोनों के लिये ही था। पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं हुआ है, कभी सिंचाई के लिये सर्वे हुआ है तो कभी पेय जल के लिये सर्वे हुआ है। अब हम पूरा सर्वेक्षण करा कर बहुत जल्दी इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर ! अलग प्रश्न।

श्री **महावीर प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, इस पेय जल की समस्या का हल कब तक हो जायेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अब मैं प्रश्न अलाउ नहीं करूंगा। काफी अवसर दे दिया है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, दो लाइन का सुझाव दे रहा हूं जिससे फायदा होगा।

सिंचाई के लिये अगर इस बांध को लिया जायगा तो यह बांध किसी कीमत पर नहीं बनेगा। यदि पेयजल के लिये बनाया गया तो बन जायेगा। मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, केवल पेयजल की समस्या को लेकर ही विचार करें तो यह बांध बन जायगा। जयपुर, अजमेर और टौंक की सिंचाई का यदि इसमें सवाल आ गया तो इसका बनना कभी सम्भव नहीं होगा···

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इसे विवाद का विषय नहीं बनायें।

अगला प्रश्न। श्री अमरा राम !

बाड़मेर जिले के ग्रामों को पेयजल का प्रदाय

293. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बाड़मेर तहसील के ग्राम हीरा की ढाणी, खोखसर, परेऊ, समरथिया और खारड़ा में पानी की पाइप लाइन उंडू कामर से लगी हुई है ? यदि हां, तो कब से लगी हुई है तथा इन ग्रामों में निरन्तर पानी पहुंचता है ?

(2) क्या पचपदरा तहसील के ग्राम पाटोदी और डोली में ट्यूब वैल्स खुदे हुए हैं ? यदि हां, तो कितने वर्ष पूर्व खुदे हुए थे ? क्या वहां पानी के होद व नौकरों के रहने के लिये मकान भी बने हुए हैं ? क्या इन ट्यूब वैल्स से जल प्रदाय किया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ?

(3) क्या जोधपुर तहसील के ग्राम कविराजजी की डोली में पचपदरा तहसील की जनता हेतु दो ट्यूब वैल्स खुदे हुए हैं ? यदि हां, तो ये कितने वर्ष पूर्व खोदे गये थे ? क्या इन ट्यूब वैल्स से पानी की पाइप लाइन पचपदरा तहसील में लगा दी गई है ?

उप मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां। उक्त गांवों में वर्ष 1972–73 एवं 1973–74 से क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उन्डू कम्पालिया से जल वितरण आरम्भ किया गया था। वर्तमान में ग्राम परेऊ व खारड़ा चारण को नियमित रूप से जल वितरण नहीं होने की शिकायत है।

(2) जी हां, तहसील पचपदरा के ग्राम पटौदी में विभाग के एक कुए में बोरिंग है तथा ग्राम डोली में विभाग का एक कुआ व भू-जल विभाग का एक ट्यूब वैल है। पाटौदी गांव के कुए में वर्ष 1968-69 में बोरिंग कराया गया था। भू-जल विभाग का ट्यूब वैल ग्राम डोली में वर्ष 1967-68 के अकाल के समय खुदा था। इसी ग्राम में जलदाय विभाग की योजना पर एक होद व कर्मचारियों के मकान बने हुए हैं। ग्राम पाटौदी में विभागीय कुए की क्षमता अत्यन्त कम होने के कारण उससे जल वितरण नहीं होता। परन्तु ग्राम डोली में भू-जल विभाग के ट्यूब वैल के खराब हो जाने से जलदाय विभाग के कुए से ही जल योजना निरन्तर कार्य कर रही है।

(3) जी नहीं। जोधपुर तहसील के ग्राम कविराज जी की डोली में पचपदरा तहसील की किसी योजना हेतु नलकूप नहीं बने हैं। अतः इन ट्यूब वैलों से पाइप लाइन लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न!

तहसील नागौर के ग्रामों का विद्युतीकरण

294. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नागौर के कुल कितने गांव विद्युतीकृत हैं तथा कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य चालू है ? कितने ग्रामों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया गया ?

(श्री महाराम चौधरी)

(2) तहसील नागौर के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) तहसील नागौर के अभी 20 ग्राम विद्युतीकृत हैं तथा 15 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य चालू है। 88 ग्रामों का सर्वेक्षण के पश्चात् विद्युतीकरण योजना का प्रारूप ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को विचारार्थ प्रेषित कर दिया गया है।

(2) तहसील नागौर के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में योजना की स्वीकृति के पूर्व अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा, नागौर के सभी 25 ग्राम विद्युतीकृत हैं तो क्या नागौर में 25 ही ग्राम हैं ?

एक माननीय सदस्य : नागौर तहसील में।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभी नहीं कहा है, अभी कहा है। कान साफ कीजिये।

प्रश्न संख्या 295

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री तेज पाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जीतमल जैन !

अलवर स्थित भारत फाउन्ड्री वर्क्स की भूमि

296. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर स्थित भारत फाउन्ड्री वर्क्स जिस भूमि पर चलाया जा रहा है, उस भूमि को उद्योगपति द्वारा राजकीय शुल्क दिया जाकर कृषि भूमि से उद्योग भूमि में परिवर्तित नहीं कराया गया है ?

(2) यदि हां, तो कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त उद्योग वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अब खेती की जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि उद्योगपति ने उक्त भू-खण्ड का सब-डिवीजन करके बेचने की अनुमति चाही है ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) भागीदारों के आपसी झगड़े के कारण इकाई सन् 1975 से जुलाई 1979 तक बन्द रही और उसके उपरान्त कार्यरत है। जी नहीं।

(4) जी नहीं।

श्री जीतमल जैन : भाग (5) का क्या हुआ ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : नम्बर गलत बोल गये। जीत मलजी समझ गये उसको।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, भाग (5) का उत्तर नहीं आया।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : भाग (5) का उत्तर 'जी नहीं' है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बोल गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग (1) के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि राजकीय शुल्क दे दिया गया है। यह बात उनकी जानकारी में सही नहीं है। मैं समझता हूं सदन को गुमराह किया जा रहा है। अगर शुल्क दे दिया गया है तो कब दिया गया है और कब परिवर्तन किया गया है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अलाटमेन्ट के रूल्स के तहत जो राशि है, वह जमा हो चुकी है।

श्री जीतमल जैन : किस तारीख तक जमा हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष : तारीख यदि कोई हो तो बता दें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : तारीख बताना सम्भव नहीं है, राशि जमा हो चुकी है। अब प्रश्न यह है कि कौनसी तारीख को जमा हुई और कितनी राशि जमा हुई, इसकी जानकारी तो नहीं है।

श्री जीतमल जैन : माननीय महोदय जानकारी बतायें कि कौन सी तारीख को जमा हुई है व कितनी हुई है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन को गलत सूचना दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। इसका उत्तर आ गया कि राशि जमा हो चुकी है और उनके पास कौन सी तारीख को कितनी राशि जमा हुई है, उसकी जानकारी नहीं है।

श्री जीत मल जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, यह बताया जाय कि कौन सी तारीख को कितनी राशि जमा हुई है ? मेरा कहना है कि राशि जमा नहीं हुई है। मैं चलेन्ज करता हूं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : यह तो मैं कह चुका हूं कि जमा हो चुकी है। यह मुझे मालूम नहीं है कि किस तारीख को कितनी राशि जमा हुई।

श्री अध्यक्ष : सभी सूचनाएं किसी मंत्री के पास होना जरूरी नहीं है। यथा-सम्भव जानकारी होनी चाहिए लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी जानकारी दी ही जाय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिए कृपया।

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, फिर सप्लीमेंट्री करने का क्या अर्थ है ?

श्री जीत मल जैन : मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय के पास सूचना नहीं है तो क्वेश्चन को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप चैलेन्ज कर दीजिए।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जाने के बाद यह कहा गया है।

मुख्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं है। इसकी जानकारी प्राप्त करके पूरी जानकारी देंगे।

श्री देवी सिंह भाटी : हर प्रश्न को स्थगित किया जा रहा है, इस मंत्रिमण्डल को बरखास्त कर दिया जाय।

प्रश्न संख्या 297

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री लच्छू राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 298

श्री हरीश शर्मा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा !

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सड़क एवं पुलियाओं का निर्माण

299. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सड़क एवं पुलिया बनाने की योजना है ? क्या यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में सम्पन्न कराने का विचार है ?

(2) यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिशत बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) इस प्रश्न के दो भाग हैं, पहले भाग का सम्बन्ध तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से है।

(2) राष्ट्रीयकरण जनहित के लिये किया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या कहा, मैं सुन नहीं पायी। दूसरे खण्ड का उत्तर फिर से बोल दें।

श्री अध्यक्ष : राष्ट्रीयकरण जनहित के लिये किया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो ठीक है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि मन्त्री महोदय यह उत्तर दे रहे हैं कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग से, पी. डब्ल्यू. डी. से सम्बन्धित है। यह दोनों विभाग सरकार के अन्दर आते हैं। क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकार का नहीं है, इसका उत्तर दें ?

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, यदि सरकार को एतराज है कि इस विभाग से सम्बन्धित नहीं और अन्य विभाग से है तो मुझे पूर्व में सूचना मिल जानी चाहिए ताकि प्रश्न को दूसरे विभाग को स्थानान्तरित कर दें। ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्थगित कर दें यदि सरकार का उत्तर अभी तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

अगला प्रश्न। श्री भंवर सिंह।

स्थानीय निकाय निदेशालय को पुनः सचिवालय प्रांगण में स्थापित करना

300. श्री भंवर सिह (नवलगढ़): क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या गत सरकार ने स्थानीय निकाय के कार्यालय को सचिवालय से हटवा कर बहुत दूर सेठी कालोनी में स्थानान्तरित कर दिया था ? यदि हां, तो क्या अब सरकार यह उचित समझती है कि ऐसे विभाग, जिनसे हर समय जनता का कार्य पड़ता है, पुनः सचिवालय प्रांगण में ही रखे जायें ?

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां।

(2) सचिवालय प्रांगण में स्थानाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है।

श्री भंवर सिंह : क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि यह विभाग ऐसी जगह स्थापित किया जाय कि जिससे आम आदमी के काम आसानी से सम्पादित हो सकें ?

श्री रामपाल उपाध्याय : सरकार तो यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों की निकटता से काम सम्पादित हो सके, इसका प्रयत्न करती है लेकिन व्यवहार में काफी प्रयत्न करने के बाद भी ऐसा कोई भवन नहीं मिल पा रहा है। यदि ऐसा भवन उपलब्ध हो सका तो कर दिया जायेगा।

श्री भंवर सिंह : कब तक।

श्री रामपाल उपाध्याय : निकट भविष्य में अच्छा भवन मिलेगा तो कर लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। इसमें अब क्या सप्लीमेंट्री हो सकता है।

अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा।

सवाई माधोपुर में स्नातकोत्तर कक्षाएं एवं विधि महाविद्यालय खोलना

301. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का इस वर्ष सवाई-माधोपुर में विधि महाविद्यालय व एम.ए. क्लासेस खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष सरकार द्वारा विधि महाविद्यालय तथा एम.ए. की कक्षाएं खोलने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार उसको कब तक पूरा कर देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बहादुर सिंह।

माही बांध के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

302. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या माही बांध से विस्थापित होने वाले सभी परिवारों को मुग्रावजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो कितने परिवारों का मुग्रावजा बकाया है ?

(2) क्या यह सही है कि विस्थापित परिवारों में ऐसे भी परिवार हैं जिनकी भूमि तो काफी समय पहले अधिग्रहीत कर ली गई किन्तु आज तक उन परिवारों को कोई मुग्रावजा नहीं मिला है और न ही बदले में भूमि ही अलाट की गयी है ?

(3) क्या अधिग्रहीत की गई भूमि का पूरा रिकार्ड रखा गया है ? मुग्रावजा तय करने में फलदार व अन्य वृक्षों के लिए किस दर से मुग्रावजा तय किया गया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी):--(1) जी नहीं। माही बजाज सागर बांध के कुल विस्थापित परिवारों में से 231 को छोड़कर अन्य को मुग्रावजा भुगतान कर दिया गया है। भूमि, मकान व वृक्षों की मुग्रावजा दरों को संलग्न परिशिष्ट 'अ,' 'ब' तथा 'स' में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। माही बजाज सागर डूब क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व ही मुग्रावजा भुगतान किया जा रहा है तथा पुनर्वास नोर्म्स के अनुसार कृषि भूमि का आवंटन भी किया जा रहा है ।

(3) जी हां। फलदार व अन्य वृक्षों का मुग्रावजा दर को संलग्न तालिका 'स' में दर्शाया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 231 परिवारों को मुग्रावजा नहीं मिला, उसका कारण क्या है ? विस्थापितों को अभी तक पूरी जमीन काश्त की अलाट नहीं हुई है, इसका क्या कारण है ? यह बता दीजिये ।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मैं इसके साथ आपको और सूचना दे देता हूं, इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

माही बजाज सागर बांध के डूब जलस्तर 921 से बांसवाड़ा जिले के 98 ग्राम-प्रभावित होते हैं। डूब से प्रभावित 6,975 परिवारों में से 231 को छोड़कर अन्य सभी को उनकी निजी सम्पत्ति का मुग्रावजा भुगतान किया जा चुका है। शेष कार्य भी मार्च, 81 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। मुग्रावजा भुगतान हेतु निर्धारित राशि 555 लाख में से अब तक 522 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

श्री बहादुर सिंह : 231 परिवारों को मुग्रावजा नहीं दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मुग्रावजा दिया जा रहा है। पहले भी दे चुके हैं, बाकी को दिया जा रहा है। रोका नहीं गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, मुख्य मंत्रीजी।

मुख्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मुआवजा देने में देरी होने के अनेक कारण होते हैं। कई मामलों के अन्दर एक ही जमीन के टुकड़े के अनेक दावेदार हो जाते हैं, कई मामलों में आपस में झगड़े चल रहे हैं, कई मामलों में खसरा नम्बर नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार के कई कारण हैं। कई मामले हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जल्दी ही कार्यवाही पूरी करेंगे।

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षों से ये मामले चल रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नन्दलाल मीणा : जिन आदमियों को मुआवजे का एक पैसा नहीं मिला है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अगला प्रश्न।

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों को मुआवजे का एक पैसा नहीं मिला है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार का ध्यान इस ओर है। मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कार्यवाही कर रहे हैं।

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हजारों परिवारों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : आश्वासन मिल जाये कि कब तक मुआवजा मिल जाएगा। नहीं तो प्रश्न स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 303।

आंगूचा, जिला भीलवाड़ा में मिले खनिज भण्डार का दोहन एवं स्मेल्टिंग प्लांट की योजना

303. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आंगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में जस्ता, चांदी व शीशा के भण्डारों का पता लगा है? यदि हां, तो उनकी अनुमानित क्षमता कितनी है व प्रत्येक का प्रतिशत कितना है?

(2) सरकार उक्त खनिज क्षेत्र में स्वयं कार्य करवायेगी या अन्य पार्टीज को लीज पर देगी?

(3) क्या माइनिंग के साथ-साथ स्मेल्टिंग प्लान्ट भी आंगूचा में लगाने की योजना है? यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उप मंत्री, खनिज (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, राज्य सरकार के खान एवं भू-विभाग ने आंगूचा, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के पास जस्ते एवं सीसे के भंडारों का पता लगाया है। अभी तक के प्राथमिक अनुमान के अनुसार इन भंडारों में करीब 3 करोड़ टन अयस्क होने की संभावना है जिसमें जस्ते की मात्रा 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत एवं सीसे की मात्रा 1 से 1.5 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है। कुछ अंशों में चांदी भी है जिसकी मात्रा 0.005 प्रतिशत है।

(2) खनन हेतु भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को खनन् पट्टा स्वीकृत किया जा चुका है।

(3) स्मेल्टिंग प्लांट के आगूचा में लगाये जाने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या निर्णय लेने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी सारी परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। सारी सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। पानी की कितनी उपलब्धि होगी, कितना खर्चा होगा, सारी सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। यहां तक कि प्लाण्ट लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। मैं सम्माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो योजना है उसको प्रस्तावित करके सभी सम्भावनाओं का पता लगा कर कार्यवाही की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। 304।

जिला दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबन्धकों का स्थानान्तरण

304. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर व पश्चिमी राजस्थान के जिला दुग्ध उत्पादक संघ अलग-अलग बने हुए हैं व उनके अलग-अलग ही संचालक मंडल व नियम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि हर जिले का संचालक मण्डल ही प्रबन्धक, प्रोजेक्ट आफिसर्स व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तथा वह मंडल ही उनका स्थानान्तरण आदि उसी क्षेत्र में कर सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ प्रबन्धकों का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों व किन-किन प्रबन्धकों का किन नियमों के अन्तर्गत ?

पशुपालन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(श्रीमती कमला)

(2) यह सही है कि हर जिले का संचालक मण्डल, प्रवन्धक, प्रोजेक्ट आफिसर्स व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, परन्तु प्रवन्धक की नियुक्ति उप-नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही की जाती है। प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों व कर्मचारियों के वावत कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित विभाग को है।

(3) कुछ प्रवन्धकों के स्थानान्तरण प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, जैसा उन्होंने प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में बताया है कि प्रबन्धक, प्रोजेक्ट आफिसर और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति वहां का संचालक मण्डल करता है तो उनकी ट्रांसफरिंग आथोरिटी कौन है ? क्या उनके ट्रांसफर करने के लिए संचालक मण्डल की सहमति जरूरी नहीं है ? अगर सहमति की जरूरत नहीं है तो स्थानान्तरण किसके और किस मीडियम के द्वारा किये जा रहे हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि एक तो संघ के खुद के रिक्रूटीज हैं, दूसरे प्रति नियुक्ति पर हैं। जो डायरेक्ट रिक्रूटीज हैं उनके लिए तो संचालक मण्डल को अधिकार है लेकिन जो प्रबन्धक प्रति नियुक्ति पर हैं उनके स्थानान्तरण राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किए जाते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्थानान्तरण को इनीशियेट कौन करता है ? ट्रांसफर को इनीशियेट कौन करता है ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर गये हुए हैं उनके स्थानान्तरण राज्य सरकार ही करती है और राज्य सरकार की तरफ से ही इनीशियेट होते हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रतिनियुक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जिनके अपाइन्टमेंट्स संचालक मण्डल करता है, राज्य सरकार की सहमति से करता है, क्या राज्य सरकार उनके भी ट्रांसफर इनीशियेट करती है ? इसका स्पष्टीकरण करें।

श्रीमती कमला : राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के अलावा दूसरे जो डायरेक्ट रिक्रूटीज हैं, उनके भी समय-समय पर स्थानान्तरण किये जा सकते हैं अगर उसमें प्रबन्ध समिति को कोई ऐतराज नहीं हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किन नियमों के अन्तर्गत ?

श्रीमती कमला : जो नियम-उपनियम बने हुए, तमाम प्रक्रिया उसी से निर्धारित होती है और उनके तहत ही रेगुलेट करते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप नियम कोट करिये। मैं नियम संख्या पूछना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : नियम भी आपको बता देती हूं। राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के नम्बर 4.25 हैं :

"To make recruitment.."

ये सारे प्रावधान हैं उसके लिए...

(व्यवधान)

आप सुनिये । हंसना ही हो तो हंस लीजिए।

यह रिक्रूटमेंट के लिए हैं। मैं आपको पढ़ कर सुना देती हूं। यह प्रबन्धक रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे उप नियम हैं उसके तहत में 26 (बी) है। जो अपोइन्टमेंट किये जाते हैं वे राज्य सरकार की पूर्व सहमति से और प्रति नियुक्ति पर भी किये जाते हैं। प्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से की जाएगी। यह उप-नियम की धारा 26 (बी) है उसको पढ़ कर सुना देती हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक रूप से इस प्रकार के स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किन्तु इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है कि राजनैतिक आधार पर उनके स्थानान्तरण किये जा रहे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटीज में सरकार की अनुमति का प्रश्न ही नहीं है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है स्थानान्तरण करने का। यह सारा मेंडेटरी है...

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : इन्होंने राजनैतिक आधार पर किये थे। उनको अब सरकार वापस ला रही है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं नियम पूछ रहा हूं कि किस नियम के तहत सरकार को अधिकार है लेकिन यह बताने की हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहती हूं। राजनैतिक विद्वेष का जो आरोप लगाया गया है उसका मैं जवाब देना चाहती हूं।

जो अधिकारी राज्य सरकार से प्रति नियुक्ति पर गए हुए हैं, उन अधिकारियों को वापस बुलाने का सरकार को अधिकार है...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रति नियुक्ति का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्रीमती कमला : जिस अधिकार के बारे में आपको दर्द हो रहा है, मैं सारे प्रश्न का जवाब दे रही हूं। जब आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा।

जिस अधिकारी के स्थानान्तरण के कारण इतनी खलबली मच रही है वह अधिकारी राज्य सरकार से प्रति नियुक्ति पर गया हुआ है, उसको विथड्रा करना, उसका ट्रांसफर करना सरकार के अधिकारों के अन्तर्गत है। फिर भी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। उत्तर आने दीजिए पहले।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण बताऊं, इनके शासन काल में चार ऐसे स्थानान्तरण किये गये हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सूरजपाल सिंह : शासन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा स्थानान्तरण, जिसके बारे में इनको बहुत ज्यादा चिन्ता है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। शासन अपने पैरों पर है। नियमों का पालन करें।...

(व्यवधान)

इस विवाद को नहीं बढ़ायें। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। शासन अपने पैरों पर है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, एक-एक करके बोलें तो समझ में भी आये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर। माननीय सदस्य। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

हल्दी घाटी योजना का क्रियान्वयन

287. **श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पर्यटन विकास हेतु हल्दी घाटी योजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान था ? अब सरकार

(श्री सी. पी. जोशी)
इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, "हल्दीघाटी योजना" के नाम से कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। अपितु "मेवाड़ काम्पलेक्स" की एक विस्तृत योजना भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें हल्दी घाटी के अतिरिक्त "बादशाह बाग", रक्त तलाई, गोगुन्दा, चावंड व कुम्भलगढ़ के स्थल भी शामिल हैं। इस योजना पर कितना व्यय किया जायेगा, इसका कोई अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। भारत सरकार ने इस योजना की क्रियान्विति की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई है।

राजगढ़ (अलवर) में उद्योगों की स्थापना

289. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (अलवर) में पंचायत समिति राजगढ़ की भूमि उद्योग विभाग को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सौंप दी गई है और उद्योग विभाग ने उक्त भूमि को राजस्थान औद्योगिक विकास एवं पूंजी विनियोजन निगम को औद्योगिक विकास हेतु सौंप दी है ? यदि हां, तो विकास का अन्तिम चरण कब पूरा होगा ?

(2) राजगढ़ में किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। विकास का अन्तिम चरण 1982-83 में पूर्ण होने की संभावना है।

(2) इस क्षेत्र में खनिज पर आधारित उद्योग लगने की संभावना अधिक है। दूसरे कृषि उपज पर आधारित उद्योग भी लग सकते हैं। सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र में यहां कोई उद्योग लगाने की योजना नहीं है।

ग्राम सामोद (चौमू) में पर्यटन केन्द्र की स्थापना करना

295. श्री तेजपाल (चौमू) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर जिले के चौमू क्षेत्र में सामोद के महल इतिहास व पुरातत्व की दृष्टि से सर्वत्र प्रसिद्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सामोद में पर्यटकों की सुविधार्थ पर्यटन केन्द्र स्थापित करना चाहती है ?

उत्तर

जी हां।

जी नहीं, सरकार द्वारा सामोद में कोई पर्यटक सूचना केन्द्र अथवा पर्यटक आवास-गृह कायम करने की योजना नहीं है।

प्रस्तावित ग्यांग्यासर जल प्रदाय योजना

297. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्यांग्यासर जल प्रदाय योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या इसकी स्वीकृति हो चुकी है ?

(2) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना से किन-किन ग्रामों को जल प्रदाय किया जा सकेगा ?

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, ग्यांग्यासर जल योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है, जिसे केन्द्र सरकार ने त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में अनुमोदित किया है। केन्द्र सरकार द्वारा धन प्राप्त होने पर इस योजना को क्रियान्वित किया जायेगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम 1) ग्यांग्यासर 2) कोदेसर 3) बाथासर 4) बीदासर 5) चंडवा 6) खिजरसर 7) पिलानी खुर्द व 8) दुतवास को जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

भंडाना और चेचट (कोटा) में नायब तहसीलों की स्थापना

298. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा जिले में भंडाना और चेचट में नायब तहसील स्थापित करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो यह नायब तहसील कब तक स्थापित हो जायेगी?

उत्तर

जी हां, कोटा जिले में भंडाना व चेचट में नायब तहसील स्थापित करने का मामला विचाराधीन है। सभी पहलुओं पर विचार कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मूण्डवा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

266. श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मूण्डवा निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे मे क्या विचार है?

(2) उपरोक्त क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में किसानों ने कुओं के लिये विद्युत देने की मांग की है? इन कुओं के लिये कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित 36 ग्राम विद्युतीकृत हैं। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में स्वीकृत योजना के अभाव में कुछ कहना अभी संभव नहीं है :—

1. हरसोलाव
2. रोलचन्दावता
3. सिरावना
4. शिव
5. धधवाड़ा
6. गागुडा
7. ओलाडन
8. देशवाल
9. डोवा
10. वासनीनेता
11. छापरी कला
12. मेड़ता रोड़
13. गोटन
14. सिरसला
15. नोखा चन्दावता
16. अठियालन
17. कुमारी
18. खारड़ा
19. चेजार

(विद्युत् मंत्री)

20. फिरोजपुर
21. भडाणा
22. हूसियास
23. मोटूस
24. छापरी खुर्द
25. कुपड़ावास
26. रिया श्यामदास
27. बिलावास
28. घघवाड़ी
29. इनाणा
30. कुचेरा
31. गाज
32. ताउसर
33. बासनी
34. मूण्डवा
35. वामन वास
36. जराडा चारण

(2) निम्नलिखित 19 ग्रामों के किसानों से कुओं के कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनको औपचारिकताओं की पूर्ति पर नियमानुसार कनेक्शन दिये जा सकेंगे :—

1. हरसोलाव
2. रोलचन्दावसा
3. नोखा चन्दावसा
4. छापड़ा कलां
5. छापड़ा खुर्द
6. मेड़ता रोड़
7. कूपड़ावास
8. सोटन
9. रिया श्यामदास
10. हूसियास
11. अथियासन
12. इनाना
13. कुमारी
14. कुचेरा
15. खारड़ा
16. गाजू
17. चेनार
18. ताऊसर
19. फिरोजपुर

नवलगढ़-उदयपुरवाटी-बसावा सड़क का निर्माण

267. श्री भवरसिंह (नवलगढ़):—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नवलगढ़ से उदयपुरवाटी वाया बसावा सड़क का कार्य कितने चरणों में कब तक पूरा हो जायेगा ?

(2) बसावा से गोल्याण व गोल्याण से लोहागर सड़क मार्ग का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) इस सड़क मार्ग के निर्माण की कुल लागत कितनी है ?

उत्तर

(1) नवलगढ़ से उदयपुरवाटी वाया बसावा गोल्याना की कुल दूरी 32.6 कि. मी. है जिसमें नवलगढ़ से बसावा 10.6 कि.मी. व गोल्याना से उदयपुरवाटी 10 कि. मी. डामर सड़क बनी हुई है। इसके बीच में बसवा गोल्याना के 12 कि. मी. हिस्से में कोई पक्की सड़क नहीं है और न ही इसके लिये प्रशासनिक स्वीकृति है।

(2) बसावा से गोल्याना और गोल्याना से लोहागढ़ मार्ग की सड़क के निर्माण के लिए कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) बसावा से गोल्याना-मार्ग की सड़क निर्माण हेतु 18 लाख रुपये और गोल्याना से लोहागढ़ मार्ग में सड़क निर्माण हेतु 10 लाख रुपयों की अनुमानित लागत आयेगी।

पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

271. श्री भैरूलाल (जमवारामगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र शोरती, चन्दीपुर, बनेठ, समरोल, ठीकरिया, देवरीकलां, चूरेलिया, लसोड़िया शाह, बड़बद एवं मनपसर के किसी भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतों के क्षेत्र के किसान सिंचाई कार्य हेतु बिजली की बराबर मांग करते आ रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में विद्युत लाइन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों के किसानों की माली हालत सुधारने हेतु कब तक पंचायत क्षेत्रों के उपरोक्त गांवों में विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, इन गांवों के विद्युतीकरण हेतु प्रत्येक के लिये तीन चार किलोमीटर की 11 के.वी. लाइनें खेंचनी पड़ेगी। इनके विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

सांचोर से झाब व सांचोर से भीनमाल मार्गों पर पक्की सड़कों का निर्माण

272. श्री कनकराज मेहता (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर तहसील में सबसे पुराने रास्ते सांचोर से झाब व सांचोर से भीनमाल पर वर्षों से बसें चलती हैं ? यदि हां, तो क्या इन रास्तों को सुधारने पर गत तीन वर्षों में कोई धन राशि खर्च हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या सरकार इन दोनों मुख्य रास्तों पर डामर सड़क बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील के बस स्टेशन वावलिया से पांचला सड़क स्वीकृत हो चुकी थी व उस पर मिट्टी का कार्य भी हो चुका है ? यदि हां, तो उस सड़क के पूर्ण न होने का क्या कारण है ? अब यह सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इन रास्तों पर गत तीन वर्षों में निम्नलिखित राशि खर्च की गई है:—

(अ) सांचोर से झाब वाया करडा ग्रेवल सड़क

अ. 1977-78 शून्य

ब. 1978-79 रु. 4579 (मरम्मत मद)

(28)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स. 1979-80 शून्य

(ब) सांचोर भीनमाल वाया करड़ा ग्रेवल सड़क

अ. 1977-78 शून्य

ब. 1978-79 शून्य

स. 1979-80 रु. 25,037.00 (मरम्मत मद)

(2) सांचोर से झाब वाया करड़ा सड़क को डामर की सड़क बनाने की अभी योजना नहीं है। किन्तु झाब को राष्ट्रीय मार्ग–15 पर स्थित रनोदर से जोड़ने का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। सांचोर तहसील के बस स्टेण्ड बावलिया से पाचला सड़क छठी पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है।

बदरासर-लाखासर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

273. **श्री मालूराम लेघा** (लूणकरणसर): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले की बदरासर-लाखासर क्षेत्रीय नल जल योजना के अन्तर्गत कौन कौन से गांव आते हैं ? इस योजना की स्वीकृति कब हुई तथा इसका कार्य सम्पूर्ण कब हुआ ?

(2) इस योजना से सम्बन्धित ग्रामों को जल प्रदाय सर्वप्रथम कब प्रारम्भ हुआ ?

(3) क्या इस योजना से सम्बन्धित ग्रामों को नियमित रूप से पानी मिल रहा है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित ग्रामों की जनता की सुविधा को दृष्टिगत रख क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्बाध जल प्रदाय होता रहे ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की बदरासर-लाखूसर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत निम्न गांव आते हैं :–

1. बदरासर 2. लाखूसर
3. जाल वाली 4. नूरसर
5. कालासर

इस योजना की स्वीकृति वर्ष 1972-73 में हुई थी, तथा मई 1977 में योजना का कार्य पूर्ण हुआ था।

(2) इस योजना के अन्तर्गत ग्रामों को वर्ष 1977 में प्रथम बार जल वितरित किया गया।

(3) इस योजना के ग्रामों में नियमित रूप से पानी का वितरण नहीं हो पाता है जिसका कारण इस योजना के जल स्रोत नहर (जामसर डिस्ट्रीब्यूटरी) में पानी की कमी व नियमित सप्लाई नहीं होना है। नियमित मात्रा में जल उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग को लिखा जा रहा है।

अलवर-राजगढ़ सड़क पर सोनपुर नदी पर पुल का निर्माण

274. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़):

(श्री समर्थ लाल)
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अलवर-राजगढ़ सड़क पर बरसात के दिनों में सोनपुर नदी के पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया को कब तक बनाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

जी हां, अलवर-राजगढ सड़क पर सोनपुर नदी पर पुल का निर्माण छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में विचाराधीन है।

गबन में लिप्त भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

275. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत भादलिया के भूतपूर्व सरपंच श्री लक्ष्मीनारायण, पंचायत समिति चेचट को ग्राम पंचायत खैराबाद के भूतपूर्व सरपंच श्री मदनसिंह तथा पचायत समिति अन्ता की पंचायत पचेल के भूतपूर्व सरपंच श्री कृष्णचन्द्र बोहरा के विरुद्ध गबन के मामले हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा एफ. आई. आर. आदि क्यों नहीं दर्ज करवाई गई ?

उत्तर

जिलाधीश, कोटा ने श्री लक्ष्मीनारायण सरपंच, ग्राम पंचायत भादलिया के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट दि. 24-4-76 को भेजी थी जिसमें सरपंच के विरुद्ध धारा 17 (4) पंचायत एक्ट एवं निलंबित करने हेतु प्रस्तावित किया । सरपंच को निलंबित किया जाकर आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा गया । अब इस मामले में विस्तृत जांच हेतु अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, कोटा को दि. 30-8-79 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम पंचायत खैराबाद के सरपंच श्री मदनसिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जिलाधीश, कोटा से दि. 10-1-79 को प्राप्त हुई। सरपंच को धारा 17(4) के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया तथा इनके द्वारा आरोपों का खंडन करने पर दि. 2-5-79 को उप खण्ड अधिकारी, रामगंज मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

ग्राम पंचायत फतेहकलां के पूर्व सरपंच श्री कृष्णचंद बोहरा के विरुद्ध दिनांक 3-4-78 को शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच जिलाधीश, कोटा से कराई गई। सरपंच के विरुद्ध पंचायत क्षेत्र में डोलिया की भूमि मुनाफे से जुतवाने संबंधी शिकायतों में कोई तथ्य नहीं पाया गया। श्री कृष्णचंद बोहरा के विरुद्ध एक अन्य शिकायत की जांच संबंधित पत्रावली अभी जिला स्तर पर चल रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी । जहां तक पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का

(श्री हरीश शर्मा)

प्रश्न है विभागीय जांच में स्पष्ट गबन इत्यादि के आरोप पाये जाने पर यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

नाथद्वारा स्थित धर्मशालाओं का अधिग्रहण

276. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि नाथद्वारा की अधिकांश धर्मशालाओं का निर्माण टेम्पल बोर्ड की जमीन पर हुआ तथा इन्हें टेम्पल बोर्ड को भेंट किया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इन धर्मशालाओं को अधिग्रहीत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिकांश धर्मशालायें मन्दिर मण्डल की भूमि पर बनी हुई हैं। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मन्दिर तथा उसकी सम्पत्तियों का स्वामित्व श्री नाथ जी में निहित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

पंचायत समिति चाकसू की पंचायतों में सड़कों की व्यवस्था

278. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायत समिति, चाकसू की चार पंचायतें-हरिपुरा, कुम्हारियावास, आकोडिया व करेडा में सड़कों का पूर्णतया अभाव है ?

(2) क्या सरकार इस अभाव को दूर करने हेतु योजना बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

जिला जयपुर में चाकसू की चार पंचायतों हरिपुरा (355), कुम्हारियावास (558), आकोडिया (623) एवं करेडा (476) की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कोई सड़क छठी पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस योजना में उन्हीं गांवों की सड़क निर्माण योजना सम्मिलित की गई है जिन ग्रामों की जनसंख्या 1500 से अधिक है। इन समस्त गांवों की जनसंख्या 1500 से कम है।

(2) छठवीं पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन नहीं है।

कंवर शोलालजी के बाग का भवन

279. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केशवरायपाटन के पास कंवर शोलालजी के बाग नाम से एक भवन है ? यदि हां, तो इस भवन में कितने कमरे हैं तथा इस नाम से भूमि कितनी है तथा इसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या उक्त भवन को सुरक्षित रखने की भावना से मरम्मत आदि कराकर विभाग द्वारा भवन का उपयोग करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस बाग में स्थित भवन में 17 कमरे हैं। यह भवन करीब 1-1/2 बीघा भूमि पर बना हुआ है तथा इसके आस पास लगी हुई लगभग 2-1/2 बीघा भूमि और है। इस प्रकार इस बाग का कुल रकबा 4-0 बीघा है। इसका उपयोग परियोजना कार्य हेतु समय-समय पर अस्थाई नर्सरी व स्टोर का सामान रखने के लिए किया जाता रहा है।

(2) जी हां।

जनजाति क्षेत्रीय विकासान्तर्गत संचालित राजकीय कन्या छात्रावास

280. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत कितने राजकीय कन्या छात्रावास वर्तमान में चल रहे हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें ?

(2) क्या कोई ऐसा छात्रावास है जिसके भवन की चहारदीवारी नहीं है ? यदि हां, तो कहां और उसकी चहारदीवारी कब तक बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में 6 राजकीय कन्या छात्रावास वर्तमान में चल रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। राजकीय कन्या छात्रावास प्रतापगढ़ के चार दीवारी नहीं है, जिसके प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त उदयपुर कन्या छात्रावास भवन की भी चार दीवारी कहीं कहीं वर्षा के कारण गिर गई है उसका भी एस्टीमेट प्राप्त हो गया है। स्वीकृति के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बालोतरा सब-डिवीजन में कुओं का निर्माण

282. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 17 जुलाई, 1979 को बालोतरा सब-डिवीजन में भयंकर बाढ़ आई ? यदि हां, तो काश्तकारों के कुल कितने कुए नष्ट हुए ?

(2) क्या उक्त कुओं के पुनः निर्माण हेतु अनुदान और ऋण दिया गया ? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों को कुल कितनी राशि ?

(3) क्या ऐसे काश्तकार, जिन्होंने निरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार अपने कुओं का निर्माण 31 मार्च, 1980 से पूर्व कर दिया था, को भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब इनका भुगतान कब तक होगा ?

(4) क्या बाढ़ से खराब हुई खेती की जमीन को समतल करने हेतु भी सरकार

(श्री अमरा राम चौधरी)

काश्तकारों को अनुदान और ऋण देगी ? यदि हां, तो कब और प्रति बीघा कितना ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 17-7-1979 को बालोतरा उप सम्भाग में बाढ़ आई थी जिससे कुल 1282 कुए नष्ट हुए।

(2) जी हां। बालोतरा उप सम्भाग में कुल 1155 काश्तकारों के 32,72,315 रुपये ऋण एवं अनुदान के रूप में भुगतान किये गये।

(3) जिन काश्तकारों ने अपने कुओं का 31 मार्च, 1980 तक निर्माण करा लिया था, उनको भुगतान कर दिया गया है।

(4) बाढ़ से खराब हुई खेती की जमीन को समतल करने हेतु सरकार का काश्तकारों को अनुदान और ऋण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तहसील प्रतापगढ़ के आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति

283. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1979-80 में तहसील प्रतापगढ़ में कितने आदिवासी छात्रों ने विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक अध्ययन किया है ? कृपया सूची पृथक् पृथक् विद्यालयवार प्रस्तुत करें।

(2) आदिवासी छात्रों में से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी और कितने छात्रों के छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में तहसील प्रतापगढ़ में 482 आदिवासी छात्रों ने विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक में अध्ययन किया। सूची विद्यालय वार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1979-80 में कक्षा 6 से 9 के 339 आदिवासी छात्रों से छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उन सभी 339 आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा की भूमि पर अतिक्रमण

284. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

कागदीवाड़ा छीपीवाड़ा में अतिक्रमणों के सम्बन्ध में वहां के ग्रामवासियों की कितनी शिकायतें अब तक नगर विकास न्यास जयपुर में प्राप्त हुई हैं, तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? नगर विकास न्यास द्वारा कितने अतिक्रमण हटाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें। भविष्य में अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

ग्रामवासियों की ओर से देवस्थान (देव महाराज) व आम रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। जांच करवाई जाकर

(नगर आयोजना मंत्री)
अतिक्रमण दिनांक 8-4-80 को हटाया जा चुका है।

एक अतिक्रमण आम रास्ते में से हटवाया गया। यह भूमि वन विभाग के अधीन है अतः अतिक्रमण सम्बन्धी सूचना भी वन विभाग को समय-समय पर भेजी जाती रही है।

नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

डूंगरपुर-आसपुर-निठाउवा मार्ग पर बस सेवा की समुचित व्यवस्था

285. श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर, आसपुर एवम् निठाउवा मार्ग पर राष्ट्रीयकरण के पश्चात् निजी वाहनों से कम सेवा उपलब्ध हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप मार्ग से न तो निगम द्वारा बसें लगायी गई हैं और न निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा बसों के आने जाने का समय बिना किसी सूचना के बदल दिया जाता है और समय की कोई पाबन्दी नहीं है ? यदि हां, तो किस कारण ?

(4) क्या वाहन मार्गों पर छोटे स्टेण्ड्स, नियत स्टेण्ड तथा जिन स्टेण्ड्स से अत्यधिक यात्री बैठने वाले होते हैं, पर वाहन ही नहीं रोके जाते एवम् सवारियां नहीं उठायी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। डूंगरपुर-आसपुर मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना में डूंगरपुर-आसपुर वाया गणेशपुर, डूंगरपुर–आसपुर वाया बनकोड़ा तथा डूंगरपुर-निठाउवा मार्ग सम्मिलित हैं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व उक्त मार्गों पर क्रमशः 20, 18 एवं 10 सेवायें स्वीकृत थीं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उक्त मार्गों पर निम्न प्रकार सेवायें स्वीकृत की गई हैं :—

1. डूंगरपुर-आसपुर वाया गणेशपुर	22
2. डूंगरपुर-आसपुर वाया बनकोड़ा	18
3. डूंगरपुर-निठाउवा	10
	50

(2) जी नहीं। निगम द्वारा योजना में स्वीकृत सेवाओं के अनुसार ही वाहन सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं न कि उससे कम। अतः निजी वाहनों को चलाने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। उक्त मार्गों पर वाहनों के निर्धारित समयानुसार ही संचालित करने हेतु निर्देश दिये हुए हैं। यह संभव है कि कभी कोई वाहन यांत्रिक खराबी या मार्ग से विलम्ब से आने पर कुछ समय देर से प्रस्थान करे। इस हेतु यात्रियों को जानकारी देने हेतु पूछताछ लिपिक, बुकिंग क्लर्क की नियुक्तियां की गई हैं।

(यातायात मंत्री)

(4) प्रत्येक मार्ग के निर्धारित बस स्टेण्डों से यात्री उठाने हेतु निदेश जारी किये हुये हैं। तत्संबंधी निदेशों की प्रति संलग्न है। छोटे स्टेण्डों तथा अन्य प्रकार के निवेदित स्टेण्डों से सवारियां उठायी जाती हैं। अगर कहीं से सवारियां न उठाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उचित कार्यवाही की जाती है।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बाड़मेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

287. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में इस वक्त कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं ? कितनी सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं और कितनी डिफाल्टर हैं ? कृपया संख्या बताने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर जिले की कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनके खिलाफ जांच व ऑडिट से भारी घोटाले पाये गये हैं ? पंचायत समिति वार संख्या बताने की कृपा करें।

(3) सहकारी समिति के भ्रष्ट पदाधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कितने केस दर्ज हुए हैं ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 221 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिसमें 177 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। 221 ग्राम सहकारी समितियों में से 44 समितियां डिफंक्ट (Defunct) हैं। 130 सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं। पंचायत समितिवार सूची संलग्न है। परिशिष्ट 'क'।

(2) कुल 54 सहकारी समितियों में जांच व ऑडिट में गबन आदि के मामले पाये गये हैं। सूचना परिशिष्ट 'ख' में संलग्न है।

(3) कुल 53 सहकारी समितियों के 81 पदाधिकारियों के खिलाफ व एक सहकारी समिति के विभागीय कर्मचारी के खिलाफ सहकारी अधिनियम की धारा 74 के तहत मामले दर्ज किये जाकर आवश्यक कार्यवाही जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत शाला, पटवार व पंचायत घरों का निर्माण

288. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कुल कितने शाला भवन, पटवार घर, पंचायत घर व अन्य निर्माण हुए ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने किलो मीटर ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हुआ था ?

(3) क्या सरकार का इन सड़कों को पूरा करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(अकाल राहत मंत्री)

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राज्य के 22 जिलों में कुल 8408 शाला भवन, 71 पटवार घर, 2369 पंचायत घर व 46487 अन्य निर्माण कार्य पूर्ण हुए एवं इस योजना में 2489 शाला भवन, 156 पटवार घर व 654 पंचायत घर व 5570 अन्य निर्माण कार्य निर्माणाधीन हैं। शेष जिला बीकानेर, चूरू, गंगानगर व टोंक से सूचना अपेक्षित है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत कुल 12217 किलो मीटर ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हुआ है एवं 283 कि.मी. सड़कें निर्माणाधीन हैं।

(3) ऐसे अधूरे कार्य, जिन्हें काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधनों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा, अवश्य पूरे किए जा सकेंगे। शेष कार्यों को सेफ-लेवल तक छोड़ा जाना आवश्यक होगा। जहां तक सम्भव हो सकेगा ऐसे कार्यों को अन्य विभाग की योजना के अन्तर्गत लेने का भी प्रयत्न किया जावेगा।

नाथद्वारा क्षेत्र के ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ना

289 **श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव कच्ची सड़क से जुड़े हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो सरकार किन-किन सड़कों को कब से पक्का करने का विचार रखती है ? कृपया प्रस्तावित सड़कों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, चूंकि इनकी आबादी 1500 से अधिक है :—

1. एप्रोच रोड, नौडच
2. एप्रोच रोड, घोड़च
3. एप्रोच रोड, कदमाल
4. एप्रोच रोड, घाटी
5. एप्रोच रोड, खमनौर
6. एप्रोच रोड, कुन्थवा
7. एप्रोच रोड, मोलेला
8. एप्रोच रोड, सेमा
9. एप्रोच रोड, सलोदा
10. एप्रोच रोड, झालों की मदार

चित्तौडगढ़ जिले के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

290. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौडगढ़ जिले के कितने सरपंचों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के मामले सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए विचाराधीन हैं ?

(2) ऐसे मामलों में अपेक्षित कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जावेगी ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1] चित्तौड़गढ़ जिले के कुल 86 मामले सरपंचों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतों के राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। इसमें से 20 मामलों में प्रारंभिक जांच जिला स्तर पर करवाई जा रही है। तथा 60 मामले विस्तृत जांच में चल रहे हैं एवं 3 मामले राज्य स्तर पर सुनवाई में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 3 मामले न्यायालय में चल रहे हैं।

(2) ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ है। नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

नागौर जिले में संचालित अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को भुगतान

291. श्री **महाराम चौधरी** (नागौर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) नागौर तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से अकाल राहत कार्य कहां-कहां चलाये जा रहे हैं और कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन मजदूरों के लिए पीने का पानी, छांह और समय पर मजदूरी का उचित प्रबन्ध नहीं है?

(3) मजदूरों को कार्यवार कब-कब मजदूरी दी गई है? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

(1) नागौर तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 42 कार्य चलाये जा रहे हैं जिन पर फिलहाल 806 मजदूर कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मजदूरों के पीने के पानी के उचित प्रबन्ध हेतु उसी गांव या कस्बे को ऊंट टंकी लगाई हुई है व ठण्डे पानी हेतु मटकों का प्रबन्ध किया गया है एवं प्रत्येक कैम्प पर छाया हेतु सिरकियां, बांस इत्यादि का प्रबन्ध किया गया है एवं उनको नियमानुसार उचित मजदूरी दी जाती है।

(3) श्रमिकों को भुगतान करने की तिथि दर्शाते हुए कार्यवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सोजत तहसील के ग्रामों में परीक्षण कूप खोदना

292. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत)- **श्री मानसिंह देवडा** (सरदारपुरा): क्या भू-जल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगहों पर भू-जल भारी मात्रा में उपलब्ध है? यदि हां, तो जोधपुर में स्थित मुख्य कार्यालय में कितनी रिगें उपलब्ध हैं? इनमें से कितनी कार्यरत हैं व कितनी रिगें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग

(श्री माधवसिंह दीवान)

को दी गई ? ये रिगें देने का क्या कारण है ?

(2) सोजत तहसील के ग्राम मालपुरिया, कानावास, सुरायता, रूपावास, चौपड़ा, राजोला, भैरूंणा में परीक्षण कूप खोदने बाबत विभाग का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ क्षेत्रों में जैसे जैसलमेर के लाठी क्षेत्र, जोधपुर के बोरूंदा, व मथानियां क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में भू-जल उपलब्ध हैं। जोधपुर कार्यालय में 42 रिगें उपलब्ध हैं। इनमें से 34 कार्यरत हैं एवं 16 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को दी गई हैं।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जलदाय योजनाओं के लिए हैण्डपम्प तथा नलकूप निर्माण का कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग करेगा। अतः यह रिगें जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को दी गई हैं।

(2) सोजत तहसील के ग्राम मालपुरिया, कानावास, सुरायता, रूपावास, चौपड़ा, राजोला, भैरूंणा में परीक्षण नलकूप नहीं खोदे जा सकते हैं क्योंकि:--

मालपुरिया, कानावास, रूपावास और राजोला में खारा पानी है, सुरायता में पानी सिंचाई योग्य है, पीने योग्य नहीं है, चौपड़ा में भू-जल की मात्रा बहुत कम है। भैरूंणा में परीक्षण नलकूप के लिए सरकारी जमीन प्राप्त नहीं हुई है। जो विचाराधीन है।

सांचौर तहसील के ग्रामों में गोचर भूमि पर काबिज व्यक्ति

293. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांचौर तहसील के कई ग्रामों में लोग गोचर भूमि में लम्बे अर्से से बसे हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से गांव हैं तथा वहां कितने कितने घर हैं। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे काबिज व्यक्तियों को भूमि का नियमन कर कब तक पट्टे दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसील सांचौर के निम्न ग्रामों में लोग गोचर भूमि में बसे हुए हैं:-सांचौर, मण्डल, सरवाना, हेमागुडा विजरोल, तेतरोल, रूपडी, बांक, डबाल, हाडेचा नलधरा, मेरीया, होतीगांव, आकनोली चीतलवाना, रसोडा, शिवपुरा। कुल घरों की संख्या 194 हैं जिनकी ग्राम वार सूची संलग्न है।

(2) ऐसे काबिज व्यक्तियों के घरों की भूमि जो नियमानुसार नियमन योग्य होगी, उन्हें नियमन कर पट्टे देने की कार्यवाही अतिशीघ्र कर दी जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

उप-जिलाधिकारी आमेर का कार्यालय चौमूं में स्थानान्तरित करना

294. **श्री तेजपाल (चौमूं)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आमेर उप-जिलाधिकारी का कार्यालय अभी कहां स्थित है ? मुख्यालय आमेर में कब तक रहा तथा कब स्थानान्तरित हुआ ?

(2) आमेर उप-जिलाधिकारी के अधीन कितनी तहसीलें एवं कितने ग्राम हैं तथा चौमूं, गोविन्दगढ़, आमेर, चन्दवाजी, जमवारामगढ़ पुलिस स्टेशनों के कितने मुकदमे (फौजदारी एवं राजस्व) विचाराधीन हैं?

(3) क्या सरकार जनहित में उप-जिलाधिकारी आमेर का कार्यालय चौमूं में स्थानान्तरित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उप-जिलाधिकारी आमेर का कार्यालय इस समय जयपुर जिलाधीश कार्यालय में स्थित है। नाजिम का कार्यालय आमेर से जयपुर में स्थानान्तरित होने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है क्योंकि स्टेट के समय का रेकार्ड अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(2) आमेर उप-जिलाधिकारी के अधीन 2 तहसीलें हैं। तहसील आमेर में 220 ग्राम हैं और तहसील जमवारामगढ़ में 259 ग्राम हैं । उप-जिलाधीश आमेर के न्यायालय में फौजदारी के पुलिस थाना गोविन्दगढ़ के 47, चौमू के 86, आमेर के 65 चन्दवाजी के 31 तथा जमवारामगढ़ के 48 कुल 277 मुकदमे तथा राजस्व के तहसील आमेर के 571 तथा तहसील जमवारामगढ़ के 297 कुल 868 मुकदमे विचाराधीन हैं। राजस्व मुकदमों का दायरा तहसीलवार होता है। पुलिस स्टेशनवाइज नहीं है। इस कारण तहसीलवाइज सूचना दी गई है।

(3) उप-जिलाधिकारी आमेर का कार्यालय चौमू में स्थानान्तरित करने का कोई मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

सांगानेर स्थित सांगा बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार

295. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार के पास सांगानेर स्थित सांगा बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार की क्या योजना है ?

उत्तर

मंदिर श्री सांगा बाबा राजकीय मंदिर नहीं है। इसलिये मंदिर के जीर्णोद्धार की कोई योजना सरकार के पास नहीं है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : एक पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में।

श्री राजबहादुर : नियमों के अन्तर्गत यह प्रश्न है। हमें आपको सम्बोधित करना है। अभी अभी मंत्री महोदया ने कहा कि आपको तिलमिली हो रही है। मैं समझा वह प्रश्न आपसे किया था या आपसे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आसन अपने पैरों पर है। कृपया शांत रहिये।

राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को गृहवास सुविधा

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कहां से है।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ अधिनियम, 1956 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके अन्दर पेज 57 पर राजस्थान विधान सभा अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ अधिनियम, 1956 के सम्बन्ध में यह लिखा है, "राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को गृहवास सुविधाओं, जिसके लिये वे हकदार होंगे, को विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है।" उस नियम 3 के अन्दर निवासीय सुविधा के आवंटन की प्रक्रिया दी गई है···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

इस प्रश्न को यदि आप उठाना चाहते हैं तो यह पाइन्ट आफ आर्डर के माध्यम से नहीं उठता है। इसके लिये कोई समुचित व्यवस्था है, उसको अपनायें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, उसमें आपने व्यवस्था दी है कि इस–इस तरीके का यह आवंटन होगा, उसमें आपकी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न तो है ही।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि मैं यहां व्यवस्था के माध्यम से जो निवास है, उसका आवंटन करूं।

(व्यवधान)

उसमें अपील होती है। यदि नियमों की अवहेलना···

(व्यवधान)

नियमों में इसका प्रावधान है। गृह समिति का कोई निर्णय होता है, तो अध्यक्ष के पास उसकी अपील होती है। नियमानुसार आप अपील करिये, उस पर निर्णय दिया जायेगा। लेकिन एक व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इन बातों का यहां पर निर्णय नहीं हो सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, नियमों का पालन नहीं होता है, उस सम्बन्ध में आप व्यवस्था तो दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : नियमों का पालन तो, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अजी नियमों का पालन तो, खेतसिंह जी, आप ही नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी आपकी बात नहीं मान रही है, इसलिए नियमों का अपने आप उल्लंघन हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

निर्णय मैंने दे दिया था, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न क्यों नहीं है। नियमों के तहत आवंटन किया जाना चाहिए। जब नियमों की अवहेलना होती है तो उस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दीजिए। आप सुन लीजिए और उसके बाद व्यवस्था दीजिए। नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है तो रद्द कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न यहां उठाने की इजाजत माननीय सदस्य नहीं दूंगा। कमेटी बैठती है, कमेटी रिपोर्ट देती है, उस पर फैसला दिया जाता है। उसके बाद भी यदि माननीय सदस्य असन्तुष्ट हों तो नियमों के अन्दर प्रावधान है, उसके अनुसार अपील की जा सकती है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, नियम की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सामान्यतया आवंटन राजस्थान विधान सभा की विभिन्न पार्टियों एवं दलों की शक्ति के अनुसार · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : तथा आवेदनों की प्राप्ति की पूर्ववर्तिता के आधार पर किया जायेगा।

आवंटन में किसी प्रकार का नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है, न पार्टियों की स्ट्रेन्थ देखी है, न किसी की एप्लीकेशन की प्राथमिकता देखी गई है और मनमाने तरीके से आवंटन किया गया है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

इसकी व्यवस्था के लिए मैंने निवेदन कर दिया है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसलिए मैं इसके लिए इजाजत नहीं दूंगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, या वह असन्तुष्ट हों किसी निर्णय से तो इसके लिए वह उचित माध्यम, जो नियमों में दिया है, अपनावें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य; विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में

(श्री अध्यक्ष)

निकाली जा रही नालियों पर पुलिया नहीं बनाने से गांव के रास्ते रुक जाने के विषय में,

(2) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 31 जुलाई को भारी वर्षा के कारण बगरू के पास छीतरोली बांध के टूट जाने से गांव में जन धन की भारी क्षति होने के विषय में,

(3) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती फूला धर्मपत्नी शिवकरण जोगी, निवासी फागी की गत 3 जुलाई को जबरदस्ती की गई नसबन्दी व आपरेशन बिगड़ जाने से 4 जुलाई को हाथ काट देने के विषय में,

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों में छात्रों द्वारा परीक्षाओं के बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति के विषय में;

इस विषय में पूर्व में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। मैं चाहूंगा कि इस विषय में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावे। मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करने में असमर्थ हूं।

(5) श्री समर्थलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर से मंडावर व रेणी रोड पर रोडवेज की अव्यवस्था के विषय में,

(6) सर्वश्री बालचन्द आर्यवीर व अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से हायर सैकेण्डरी स्कूल, गंगधार, जिला झालावाड़ में एक अध्यापक के अभाव में छात्रों द्वारा कक्षाओं से बहिष्कार व व हड़ताल के विषय में,

(7) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पंचायत समिति छीपाबड़ौद के ग्राम सारथल में खेत में काम कर रही एक युवती की हत्या के विषय में,

(8) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट में कालेज खोलने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा गत पांच दिनों से की जा रही हड़ताल के विषय में,

यह प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इन्हें राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:–

(1) सर्वश्री नन्दलाल मीणा व हीरा लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील प्रतापगढ़, पीपलदा ग्राम सेवना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को भुगतान न होने के विषय में,

सरकार से प्राप्त सूचना से स्पष्ट है कि मजदूरी का भुगतान करना प्रारंभ कर दिया गया है और शीघ्र ही पूर्ण भुगतान हो जावेगा। अतः मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(2) सर्व श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भारत एलम्स (Alums) एण्ड केमिकल्स, अलवर द्वारा विषैली गैस छोड़ देने के विषय में,

(3) श्री मोहनलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, सरदार शहर, जिला चूरू के गांवों में सहकारी समितियों द्वारा ऋण न वितरण करने के विषय में,

(4) सर्वश्री रघुवीर सिंह कौशल व दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में एक बीमारी से पशुओं की मृत्यु के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से एक एक वक्तव्य दिया जायगा। मैं इनको स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को सरकार के पास भेजा है उसके पश्चात् अथवा पहले ही मैंने अस्वीकृत कर दिया है उनको अधिक से अधिक 2–3 मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

माननीय सदस्य सर्वश्री समर्थलाल, बालचन्द आर्यवीर, अनंगकुमार जैन, दाऊदयाल जोशी, नाथूसिंह, नन्दलाल मीणा, हीरालाल आर्य।

सबसे पहले श्री समर्थलाल, अलवर से मण्डावर व रेणी रोड पर रोडवेज की अव्यवस्था के विषय में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रोडवेज बसों की जो अव्यवस्था पिछले दो तीन महीनों में देखी गई ऐसी अव्यवस्था पहले कभी नहीं देखी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में रोडवेज में भारी अव्यवस्था है। जैसे कहा जाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान न हो। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर ऐसी कोई जगह नहीं जहां रोडवेज की बसों की शिकायत न हो।

अलवर से मण्डावर और अलवर से रेणी रोड पर बसें निर्धारित हैं लेकिन उस निर्धारित संख्या के अन्दर बसें जाती नहीं हैं। जितनी बसें उस मार्ग पर रोज जानी चाहिए, महीने में 4 या 5 दिन तो ऐसे आते हैं कि एक भी बस उस रूट पर नहीं जाती। अगर रूट्स पर चलती हैं तो जो निर्धारित बस स्टेण्ड हैं या बस स्टॉप्स हैं वहां पर नहीं रुकती। अगर रुकती भी है तो, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये या आधा मिनट के लिए रुकती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अलवर से पिलाणा बस स्टेण्ड है। इस स्टेण्ड पर बस को पांच मिनट रुकना चाहिए लेकिन वहां पर एक दिन आधा मिनट बस रुकी। एक परिवार को वहां उतरना था, वह आधा ही उतर सका। उनका एक बच्चा बस में ही रह गया और बस रवाना हो गई। उस बच्चे को 25 किलोमीटर आगे ले जाकर मण्डावर में छोड़ा। बच्चे के माता-पिता चिल्लाते रहे। उसके बाद बच्चे का बाप स्टेण्ड से सवारी का इन्तजाम करके बच्चे को लेने गया।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, अलवर

(श्री समर्थ लाल)

जिले के रूट्स का नेशनलाइजेशन किया उसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन बसों की जैसी अव्यवस्था है जिले में, ऐसी अव्यवस्था अलवर जिले में कभी देखी नहीं गई । प्राइवेट बसें जिन जिन जगहों पर, रूटों पर चलती हैं वहां लोगों को संतोष है । सवारियों को ठीक ढंग से ले जाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं । रोडवेज की बसों की शिकायत करने हैं रोडवेज के अधिकारियों के पास तो अधिकारी उन शिकायत का निराकरण नहीं करते, दूर नहीं करते बल्कि शिकायत करने के बाद वह समस्या और बढ़ जाती है । तो इस प्रकार की वहां परंपरा बन गई है । इस प्रकार की अव्यवस्था अलवर जिले में फैल गई है । तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जिनके नियंत्रण में बसें चल रही हैं, जो कंडक्टर है, बस ड्राइवर है उन सब को ताकीद की जाय । उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और बसें सुचारु रूप से चलायी जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के हायर सैकण्डरी स्कूल, गंगधार में तारीख 29 से विद्यार्थियों ने कामर्स का टीचर न होने के कारण कक्षाओं का बहिष्कार किया । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस स्कूल, जो मेरे क्षेत्र में है, में और कई स्कूलों में अध्यापकों की जो कमी है, इसके सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब अधूरा आया है । मैंने क्वेश्चन किया था कि किन-किन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है । लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने उसका पूरा जवाब नहीं दिया । मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई स्कूल हैं, जिनमें अध्यापकों की कमी है । अभी वर्तमान गंगधार स्कूल में 9वीं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कामर्स विषय पढ़ाने के लिए कोई भी अध्यापक उपलब्ध नहीं है । दिनांक 29 से वहां पर लगातार कमी चल रही है । अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के नन्दपुर, कुण्डला · ·

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य, गंगधार के बारे में कहें ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : गंगधार स्कूल में 9वीं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया । वहां पर कामर्स विषय का अध्यापक नहीं है जिससे कामर्स विषय की पढ़ाई मारी जा रही है। इसकी व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार ।

श्री अनंगकुमार (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं आपके मार्फत मुख्य मन्त्री महोदय से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि कामर्स का टीचर किसी स्कूल में होना या न होना अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है लेकिन यह प्रश्न जरूरी इसलिये हो जाता है कि जहां सरकार की टीचर लगाने की जिम्मेदारी है वहां सरकार गलतबयानी करती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम बार-बार निवेदन करते हैं, जानकारी चाहते हैं । यह

(श्री अनंगकुमार)
ठीक है कि मंत्री महोदय बहुत व्यस्त हैं। रात भर तबादले के आदेश देने में गुजर जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं–

(व्यवधान)

कई बार बहुत उत्तेजित होकर मंत्री महोदय जवाब देते हैं। प्रश्न संख्या 181 के जवाब में सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि एक भी विधान सभा क्षेत्र में अध्यापक की कमी नहीं है जब कि झालावाड़ में 29 जुलाई से हड़ताल चल रही है, विद्यार्थी स्कूल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अध्यापक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर अध्यापक की व्यवस्था की जाय। बहुत जल्दी ही वहां अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ ही साथ मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रकार की गलतबयानी न करे।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, वे मेरे कोटा जिले में नहीं हो रही हैं। कोटा में हत्याएं कम से कम हुई हैं। चोरियां भी कम हो रही हैं। इस बात का श्रेय वहां के लोकप्रिय कलेक्टर और एस.पी. को है जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था सुन्दर ढंग से कर रखी है उसकी वजह से यह घटनाएं कम हो रही हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि मेरे जिले में भी ऐसी एक पहली घटना घटी है। निर्दयतापूर्वक एक महिला पर अत्याचार किया गया है। एक महिला खेत में काम कर रही थी। काम करते करते उसको नींद आ गई। कुछ असामाजिक व्यक्तियों ने उस महिला के गले पर कुल्हाड़ी से वार किया। जैसे ही वार किया उस महिला की नींद खुल गई। उसने वह वार अपने हाथ पर झेला जिससे उस महिला के हाथ कट गये परन्तु फिर भी उस महिला की आधी गर्दन कट गयी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। मुझे दुःख है कि हमारे भारत का नेतृत्व करने वाली एक महिला प्रधान मंत्री हैं। उनके होते हुए महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज इस बात का है कि मैं ऐसी महत्वपूर्ण घटना को सदन में रख रहा हूं और हमारे मुख्य मंत्री, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, यहां पर नहीं हैं। कम से कम दो घन्टे तो उनको इस सदन में उपस्थित रहना चाहिए, एक तो प्रश्न काल में और दूसरे काम रोको प्रस्तावों की जब चर्चा यहां उठायी जाए। हम इतनी तैयारी करके आते हैं। इस सदन पर सरकार का काफी व्यय होता है। पार्लियामेन्ट के एक मिनट पर दस हजार रुपया व्यय होता है तो विधान सभा के एक मिनट पर भी साढ़े हजार रुपया व्यय होता है। इसके बावजूद मंत्रीगण यहां पर नहीं बैठते हैं, मंत्री महोदय उपस्थित नहीं रहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय का निवेदन करूंगा कि वे हमारी बात पर ध्यान दें और स्थगन

(श्री दाऊदयाल जोशी)
प्रस्ताव के द्वारा चर्चा उठायी है उस पर मुख्य मंत्री से कार्यवाही कराने का कष्ट करें...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बैठे हैं। वे नोट कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्रिमण्डल की सामुहिक साझेदारी है। वे नोट कर रहे हैं तो ठीक है। यह सौभाग्य है कि मेरी बात को एक महिला मंत्री नोट कर रही हैं तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी और आज ही सारे मामले पर कार्यवाही कर अपराधियों का पता लगायेगी। अभी तक किसी अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। मैं आशा करता हूं कि अपराधी को पकड़ कर समुचित सजा दिलाने की राज्य सरकार भरसक कोशिश करेगी। महिला मंत्री ने इसको नोट किया है इसलिए इस पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, लालसोट में पिछले कई दिनों से छात्रों ने हड़ताल कर रखी है। बाजार भी बंद है। नागरिकों ने भी इस हड़ताल का स्वागत किया है और वे छात्रों का सहयोग कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार वहां पर कालेज खोले। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि लालसोट, दौसा, सिकराय, बस्सी का कुछ हिस्सा, जमुवा रामगढ़, इतनी आबादी के बीच में एक कालेज दौसा में है। दुःख इस बात का है कि पिछले 30–33 साल पहले हम आजाद हो गये इसके पश्चात् भी आज तक वहां पर 4–5 लाख की आबादी पर एक कालेज है, यह कितनी शर्म की बात है। अब भी सरकार इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ऐसा नहीं लगता है। पिछले एक सप्ताह से वहां पर आन्दोलन चल रहा है परन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। यह हमारे शैक्षणिक चरित्र का दर्पण है कि 5–6 लाख की आबादी पर एक कालेज है जब कि काफी सैकण्डरी स्कूल आसपास में हैं। विद्यार्थियों की संख्या भी काफी है। वहां के छात्रों को पढ़ने के लिये दौसा या जयपुर आना पड़ता है। वहां सड़कें नहीं हैं। पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं यह शिक्षा की शोचनीय, दयनीय स्थिति है कि इतनी आबादी के ऊपर भी एक कालेज नहीं है। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। पूरे इलाके में केवल एक कालेज दौसा में है उसमें सभी छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाता है इस कारण छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है क्योंकि वह पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं निवेदन करूंगा कि आज कई जगह आप देखेंगे कि...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : छोटी छोटी जगह पर खोल दिये गये हैं। लालसोट एक कोने में है। वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां की जनता ने दबाव नहीं डाला इसलिये उनके साथ न्याय नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखेंगे और वहां पर

(श्री नाथूसिंह)
इसी वर्ष कालेज खोलेंगे ताकि छात्रों को, जनता को राहत मिल सके और वे आपको धन्यवाद दे सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया हैं उनका एक वक्तव्य समाचार पत्रों के माध्यम में मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने यह कहा था कि "काम के बदले अनाज योजना" के अन्तर्गत जो राहत कार्य चालू हैं, उनका भुगतान 30 जून, 1980 तक कर दिया जाएगा। जब समाचार पत्र में मैंने यह समाचार पढ़ा तो मुझे लगा कि नव निर्वाचित मुख्य मंत्री वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। सम्भव है कि उन्होंने जिलाधिकारियों से विवरण मांगा हो। 3-5-80 को यह वक्तव्य छपा था जिसको, अध्यक्ष महोदय, तीन महीने हो गये। कोई भी सम्पन्न व्यक्ति नहीं होगा जो सड़क पर जाकर मजदूरी का कार्य करेगा। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इन लोगों से काम कराया गया है। श्रीमन्, 3-5-80 की घोषणा के पश्चात् भी भुगतान नहीं हुआ है। आदिवासी लोग हैं: जो मजदूरी के सहारे जीवन यापन करते हैं ··

श्री अध्यक्ष : भुगतान हो रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार उनका 30 जून के पहले-पहले भुगतान हो जाना चाहिए था परन्तु अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया है। सरकार सक्षम है। उनका भुगतान शीघ्र कराया जाए। मुख्य-मंत्री की घोषणा के बावजूद यह स्थिति है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आदिवासी गरीब लोग हैं उन्होंने अपना पसीना बहाया है। सड़कों का विकास किया है। उनको कम से कम यह सरकार भुगतान करे। इनको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना में काम हुआ है। गांवों में जो काम नहीं होने वाले थे वे भी निश्चित रूप से हुए। पर जो मजदूर थे उनको अभी तक उनके काम की मजदूरी नहीं मिली है। कारण क्या है? काम तो हो गये। सरपंचों ने उसकी रिपोर्ट की कि हमारे यहां पर यह-यह काम हो गये। इनका मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा करा लिया जाए ताकि जो मजदूर हैं उनको उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए। कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति से आते हैं। उन्होंने ब्लाक आफिसर से भी निवेदन किया कि काम का मूल्यांकन किया जाए ताकि मजदूरों को मजदूरी समय पर दी जा सके। बार-बार सरपंच पंचायत समिति के दफ्तर का चक्कर काटते हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरी पचायत समिति में नोटेरी बलिका, बोरादा, बावलिया, चक.दास, दुर्जनपुर इन गांवों में सरपंचों ने काम कराया है। आज भी सैकड़ों मजदूर ऐसे हैं जिनको कि मजदूरी नहीं मिली है। सरपंच आते हैं लेकिन कनिष्ठ अभियन्ता काम का मूल्यांकन नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरपंच ने काम कराये हैं। सरपंच जो जानते नहीं हैं, जिन्हें टेक्नि-

(श्री हीरालाल आर्य)
कल ज्ञान नहीं है, उन्होंने गांवों में काम कराये हैं, उन्होंने मजदूरों से काम कराये हैं, अध्यक्ष महोदय, गांवों में लेकिन कनिष्ठ अभियन्ता उनका सही मूल्यांकन नहीं करता है, इसलिये मजदूरी नहीं मिलती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह के आदेश दें कि कनिष्ठ अभियन्ता गांवों में जायें और जो काम हुए हैं, उनका सही मूल्यांकन करें और जो व्यक्ति काम पर थे उनका भुगतान कराया जाये ताकि जो स्थिति मजदूरी नहीं मिलने से मजदूरों की हो रही है उससे राहत मिले। उनकी स्थिति यह हो रही है कि जिनको मजदूरी मिली थी उनको अब गांव में मजदूरी नहीं मिल रही है और ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। आपने फर्मा दिया है। अब समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : उनका भुगतान कराया जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस तरह का ...

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री रामकंवार बैरवा : 4 लड़के व एक लड़की अस्पताल में तड़प रहे हैं...

श्री जीतमल जैन : आपने चैम्बर में फर्माया था कि सरकार वक्तव्य आज देगी। सरकार कब वक्तव्य दे रही है?

श्री अध्यक्ष : आज एक वक्तव्य आ रहा है। चैम्बर में मिले थे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा।

श्री जीतमल जैन : बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप मिल लीजिये। एक दिन में एक ही आ सकता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले और उसके चारों ओर की नहर (खाई) की दुर्दशा

श्री राजबहादुर : भरतपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले और उसके चारों ओर की नहर (खाई) की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज जवाब देंगे, आपने कहा था कि...

श्री अध्यक्ष : आज कहा होगा, इस पर सरकार का वक्तव्य दिलायेंगे। पर उसको एडजस्ट करना होगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे रिमार्क्स पास न करें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : श्रीमान, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कुछ दिन पहले भारी वर्षा और किले की आवश्यक रख-रखाव न होने के कारण जनाना अस्पताल मोहल्ला गोपालगढ़ की ओर स्थित किला लगभग 150–150 फीट नहर में गिर जाने और बची हुयी दीवार और घाटी को आगे नुकसान से बचाने हेतु राज्य सरकार और

(श्री राजबहादुर)
केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने संबंधी है।

श्रीमान्, काश! इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी होते और जो कुछ मैं इस किले, इस किले के निर्माताओं और इसके इतिहास के बारे में कहना चाहता हूं, वर्तमान पीड़ित नागरिकों की ओर से कहना चाहता हूं कुछ थोड़ा बहुत उनके कानों तक पहुंच जाता और खुद इसमें दिलचस्पी लेते इसमें तो एक सन्तोष की बात होती....

(दर्शक दीर्घा से दो दर्शकों द्वारा सदन की अवमानना)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया प्रारम्भ कीजिए। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर विराजिये।

श्री राजबहादुर : श्रीमान, भरतपुर जिले की गौरवमय गाथा का यदि मैं वर्णन करने लगूं तो काफी समय लगेगा । उससे सभी सदस्य राजस्थानी परिचित हैं इस दुर्ग ने अंग्रेजों को छका दिया और उनको भगाया। यह उक्ति भरतपुर के जाटों के लिए मशहूर है, "सो फिरंगी दो गोला लड़े जाट का दो छोरा।" इस किले के निर्माताओं की जिन-भावनाओं के साथ इसका निर्माण हुआ था, योजनाओं के साथ निर्माण हुआ था। महान गौरव इसका है, महान मर्यादा इसकी है। मैं यह विश्वास करता हूं कि राजस्थान के इतिहास और भारत के इतिहास की स्मृतियां हैं, इतिहास के प्रतीक स्वरूप यह किला है, हमारा यह किला है। यह असम्भव है कि अभी 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दि के पूर्वार्द्ध में बिना भरतपुर के किले का वर्णन किये इतिहास पढ़ सकें। यह कितना महत्वपूर्ण है, इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर इतना कहना चाहूंगा कि बहुत प्रयत्न के बाद पण्डित जवाहर लाल नेहरू से सन् 64 में किले की दीवार, किले के दोनों दरवाजे आर्क्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित घोषित किया गया। संरक्षण का मतलब होता है, जहां तक मैं उस एक्ट को समझता हूं उसका रख-रखाव, आगे गिरने से बचाया जाये, जितना रेस्टोर कर सकते हैं, इस आजादी के जमाने के बाद उसका रेस्टोर किया जाये, और ऐसा हुआ भी है हमारे आगरा के दिल्ली और मथुरा के किलों के लिए। पर दुर्भाग्य था कि भरतपुर, रणथम्भौर और राजस्थान के दूसरे किले इससे वंचित रह गये। कारण क्या था? राजस्थान की इस पीढ़ी को अभी यह समझना है कि उनका गौरवपूर्ण अतीत रहा है। आने वाली संतति के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। वह उत्तरदायित्व क्या है? वह यह है कि हमारे जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर तक के किले और भरतपुर, धौलपुर तक के जो हमारे किले हैं, मंदिर है, विशाल महल हैं, वह पुरातत्व सामग्री में दुनिया भर में, विश्व भर में सबसे उच्चत्तम सामग्री हैं। इस सम्पदा और सामग्री को हमें रखना है। मैं इस प्रश्न पर स्पष्टीकरण में यह जानना चाहूंगा इस सरकार से कि क्या नीति है उनके बारे में? भरतपुर का सवाल आ गया लेकिन मैं तो आपसे जानकारी करना चाहूंगा। यह तो प्रतीक स्वरूप है, यह तो खण्डहर बन रहा है। आपने कदम नहीं उठाये तो खण्हर बन कर रहेगा क्योंकि बिना प्रभावशाली कदम उठाये हुये और बिना त्याग और तपस्या के इसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। ऐसा किला दुबारा, फिर सोच लीजिए, नहीं बनेगा।

(श्री राज बहादुर)

मैंने दुनिया घूमी है लेकिन जितना रोमान्टिक और रोमांचक, रोमाण्टिक हिन्दी में और रोमांचक दूसरे जिनके हैं, हमारा किला है, दुनिया में दूसरा नहीं है। भरतपुर का किला अपनी मिसाल रखता है। किले के दरवाजे, नहर, उसका भाग, उसकी दीवार वह एक सौंदर्य का पुंज है। लेकिन खेद है, बहुत कोशिश की मैंने, लिखा पढ़ी की, गवर्नमेंट में मेरा थोड़ा बहुत स्थान था, प्रभाव था। वहां से पत्र आया। 28 जून, 1975 को दिया आर्क्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने जो हमारे चीफ सेक्रेटरीआफ गवर्नमेंट राजस्थान के तत्कालीन थे उनको। उसमें उन्होंने यह प्रार्थना की कि हम इस मोट, मोट का मतलब नहर से था, की भी रक्षा करना चाहते हैं: यह दुर्भाग्य था कि किले के दरवाजे तथा दीवार को तो उन्होंने कहा "Since the Moat is not under the Archaeological Survey of India but only the fort walls, action for draining of stagnating and stinking water contained therein, may kindly be directed to be taken up by the appropriate department of the State Government. This as well as the desilting of the Moat might have to be done before monsoon. After this is over, the Survey will have to take up the conservation of Fort walls and other allied special repair works."

वह नहर भर चुकी है। जब तक उसका पानी नहीं निकाला जाएगा तब तक किले की बुनियाद की मरम्मत नहीं हो सकेगी। घाटों की मरम्मत नहीं हो सकेगी। मैंने जिस समय लिखा था उस समय देवपुरा जी सिंचाई मन्त्री थे लेकिन मैंने सिंचाई मन्त्री की हैसियत से नहीं लिखा था। मैंने मुख्य मन्त्री को भी लिखा था और सिंचाई मन्त्री को भी लिखा था। जवाब मिला कि किले की दीवारों का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध न सार्वजनिक निर्माण विभाग से है और न सिंचाई विभाग से सम्बन्ध है। मैंने निवेदन किया कि म्यूनिसिपेलिटी के पास इतने साधन नहीं है कि वह मरम्मत करा सके। फिर जवाब आया, मुख्य मन्त्री का जवाब आया। भरतपुर पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केन्द्र रहा है। पर्यटन विभाग आपके ही पास है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आप इसका सुधार करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं आज भी अपना जुर्म कबूल करता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : हां मैं भरतपुर का हूं इसलिए आज मैं यह जानना चाहता हूं। अगर ऐसा ही है तो आपको भरतपुर को राजस्थान में शामिल नहीं करना चाहिए। हम लोगों को यू.पी. में जाना चाहिए था। इसमें कोई अन्तर नहीं आता है कि आप भरतपुर के रहने वाले नहीं हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय यह जवाब दिया था क्योंकि टूरिस्ट डिपार्टमेंट है और टूरिस्ट के पाइन्ट आफ व्यू से हम डवलप करना चाहते हैं इसलिए आप भी उसमें योग दिलाइये। मैंने यह कभी नहीं कहा कि भरतपुर में हमारा इन्ट्रेस्ट नहीं है।

श्री राजबहादुर : यह लिखें या नहीं। आर्कयोलोजिकल सर्वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी। मैं कोई आपके ही जवाब की बात नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं मैंने मुख्य मन्त्री जी को भी लिखा है। उस समय श्री हरिदेव जोशी मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार वित्तीय संकट में है। यह होते हुए भी यथासम्भव व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी किन्तु आप केन्द्रीय सरकार से भी सहायता प्रदान कराने की कोशिश करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे एक भी पत्र इस किले या राजस्थान के किसी भी किले के लिए लिखा गया हो। मुझे तो इस बारे में कम से कम कोई सूचना भी नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको भी किसी ओर की चिन्ता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजबहादर : मुझे चिन्ता थी। अब भी आप सम्भाल लीजिए। मुझे क्षमा कीजिए मैंने आपको सम्बोधित किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं। अन्त में जब मेरा कहीं बस नहीं चला तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा। स्टेट गवर्नमेंट डील नहीं करती है। कोई डिपार्टमेंट डील नहीं करता है। यह जान कर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय जो एक मन्त्री थे, प्रोफेसर नरूल हसन उनको कहा, उनसे काफी चर्चा चली। 31 जनवरी, 1976 को उन्होंने यह लिखा––

"We have decided to extend protection to the Moat surrounding Bharatpur Fort. For purposes of repairs to the breached portion of the embankment a sum of Rs. 1,79, 390/- has already been sanctioned. Further amount will be sanctioned as and when necessary."

जब तक पानी नहीं निकले:–

"Archaeological survey is not equipped to dewatering operations of the Moat which is a necessary pre-requisite for undertaking repairs and for ensuring protection because having once protected the Moat we would become responsible for an operation for which we are not equipped.'j

उन्होंने यह कहा कि एक अध्ययन सोसाइटी बनायें। इसके बारे में उस समय से लेकर जब तक मैं मन्त्री के पद पर रहा उनका जवाब यह है।

इन तीन चार वर्षों में यह हुआ कि नये-नये मकान बन गये है मोरिया बन गई हैं। शहर के मध्य से सारी मोरिया इकट्ठी होकर नगर में आती हैं। यह स्थिति है। उन्होंने लिखा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने लिखा–"शायद बहुत दिन से आपका आना भरतपुर नहीं हुआ है। नहर बुरी तरह से सड़ रही है। सारी गन्दगी सड़क पर आ गई है। नहर में रहने वालों का गन्दगी में जीना दूभर हो गया है। कोई इसकी सफाई कराने वाला नहीं है। जनता की ओर से नगर परिषद् के प्रशासक और जिलाधीश को लिखकर भेजा जा चुका है। कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। आप भरतपुर की जनता के प्रतिनिधि

(श्री राज बहादुर)

हैं। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मैं आपको बड़ी उम्मीद से पत्र लिख रहा हूं आप गन्दगी की सफाई कराने में मदद करेंगे। आप स्वयं जानते हैं कि शहर में किस प्रकार की स्थिति है। नहर में लोग स्नान करते थे बच्चे तैरना सीखते थे। वहीं अब बदबू के कारण उसके पास में ठहरना कठिन हो गया है। आप इस विषय को लेकर काम रोको प्रस्ताव रख सकते हैं।"

अगर यही स्थिति रही तो भयंकर बीमारी फैल सकती है। इस सरकार का गठन हुए दो महीने हो चुके हैं। अगर राष्ट्रपति शासन को लें तो छह महीने हो गये हैं। क्या कार्यवाही हुई है? मैंने निवेदन किया कि हम यह जानना चाहते हैं कि आपकी नीति क्या है? आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं? और जितने भी शासन चले, लेकिन आज आप क्या धनराशि रख पायेंगे दीवारों और घाटों की मरम्मत के लिए, इसके पहले तो यही प्रश्न है कि क्या आप इसका उत्तर-दायित्व लेने को तैयार हैं? पानी निकलवायेंगे? पानी निकलवायें उससे पहले तो नहर में फिनायल डालकर बीमारी को रोकना है। दूसरा कारण यह है कि जितनी नालियां पड़ती हैं, उनको रोका जाएगा। वह लोग सैप्टिक टैंक बनायें।

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति नहीं हो, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : मैं पुनरावृत्ति नहीं लाऊंगा। उतना ही कहूंगा जितना दुबारा कहने की आवश्यकता है।

मैंने इस शृंखला में यही निवेदन किया है कि नालियों को बन्द करायेंगे या नहीं? पानी को निकालने का इन्तजाम करेंगे? अक्टूबर के महीने तक जो समय बीच में आया है, इस बीच में आवश्यक धनराशि व्यय करेंगे? इस समय यह नहीं है कि हमारे पास व्यय करने को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, अध्यक्ष महोदय।

एक और बात यह है, शायद आपके पास खतो किताबत नहीं हो। इसकी जांच करा लीजिए, एक जगह दो जगह। नहीं मिले तो मैं पत्र-व्यवहार की नकलें भी देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (पुरातत्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं वक्तव्य पढ़ देता हूं—

"10-11 जुलाई, 1980 को अधिक वर्षा के कारण भरतपुर किले की बाहर पक्की दीवार टूट गई और भरतपुर के शहर की तरफ अन्दर की खाई में गिर गई। इस दीवार के टूटने का कारण मूलत अतिवृष्टि है।

भरतपुर जिले का पक्का परकोटा (दीवार) और चौबुरजा दरवाजे और अष्ट-धातु दरवाजे को जोड़ने वाला पुल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के द्वारा संरक्षित होकर भारत सरकार के अधीन है। इस परकोटे में मरम्मत, रख-रखाव की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की है। दीवार को हाल ही हुई वर्षा से

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

हुई क्षति के बारे में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को राज्य सरकार द्वारा शीघ्र यथोचित कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया है। उनको तार भी भेज दिया गया है और दूरभाष पर भी तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आग्रह कर दिया गया है।

श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा ने मुख्य मन्त्री महोदय को एक अलग से पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1976 में राज्य सरकार ने निम्नलिखित दो शर्तें मानी थीं :--

(1) बरसात के बाद, किले की नहर में जो थोड़ा बहुत पानी है उसको राज्य सरकार द्वारा खाली करवाया जाय तथा जो मलवा नहर में जमा हो गया है उसे निकलवाया जाये।

(2) शहर के समस्त गन्दे एवं दूषित पानी को नहर में गिरने से रोका जाये। इस सम्बन्ध में श्री राजबहादुर तत्कालीन केन्द्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को अपने पत्र क्रमांक 1838-टी.सी.ए.एम/76 दिनांक 25/26-7-76 के द्वारा यह सूचित किया था कि भरतपुर किले की खाई को संरक्षण प्रदान करने के लिये शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार ने कुछ शर्तें बताई थीं, वह शर्तें ये थीं कि जिला प्रशासन, भरतपुर खाई में गिरने वाले शहर के गन्दे पानी को नहर में गिरने से रोक कर और जगह निकास करने की व्यवस्था करे ताकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खाई की देखभाल कर सके, यह कि राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खाई से पानी खाली करवाने तथा मलवा निकालने में सहायता करे तथा खाई में लोगों को कपड़े धोने व नहाने से रोके और खाई के चारों ओर की सड़क को अच्छी हालत में रखे। इस पत्र के उत्तर में तत्कालीन मुख्य सचिव ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 8/22/सामान्य प्रशासन/ग्रुप-1/74 दिनांक 17-3-76 द्वारा सूचित किया कि राज्य सरकार व नगर परिषद्, भरतपुर किले के अन्दर की खाई के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रखी गई शर्तों को मानने का आश्वासन देती है। तत्पश्चात् इन शर्तों पर अमल करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा। उपर्युक्त शर्तों को अमल में करने में कुछ व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयां महसूस की गईं। मुख्य सचिव ने दिनांक 26-4-1977 को एक बैठक रखी, उक्त बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई तथा उसमें राज्य के मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य विभाग, जिलाधीश, भरतपुर, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग एवं अतिरिक्त निदेशक पर्यटन भी उपस्थित थे। इस बैठक में नहर के पानी को खाली करने और गन्दे पानी को रोकने तथा अन्य स्थान पर निकास करने के बारे में प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया और बैठक में तकनीकी अधिकारियों की सर्वसम्मत निम्न राय थी:-

1. चूंकि भरतपुर के जनरल हास्पिटल के गन्दे पानी के निकास के लिये अलग से

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

योजना बन चुकी है इसलिए खाई में गिरने वाला गन्दा पानी नाम मात्र का रह जायेगा। इसकी मात्रा कुल गन्दे पानी की 1/2 प्रतिशत आंकी गई। यह भी समझा गया कि खाई स्वयं भी गन्दे पानी को ठीक करने के लिये एक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य करती है।

(2) कि खाई की मरम्मत तब ही उपयुक्त है जब कि एक साथ बरसात के बाद एक ही ऋतु में की जा सके।

खाई से पानी निकालने के बारे में भी यह राय थी कि खाई के पास वाले शहर के कुओं का भराव खाई के पानी से ही होता है। यदि खाई का सारा पानी निकाल लिया गया तो इन कुंओं का जल स्तर कम होकर सूख जायेगा। पानी निकालने के बाद जो मलवा खाई में रह जायेगा उससे निकलने वाली दुर्गन्ध असहनीय होगी और उससे बीमारी फैलने की भी आशंका होगी। इसके अलावा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई ने यह भी बताया कि खाई के पानी को निकालने से हाइड्रोलिक दबाव के कारण किले की दीवार के टूटने की आशंका अधिक बढ़ जायेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा खाई के सम्बन्ध में रखी गई शर्तों को पूरा करने में तकनीकी एवं व्यवहारिक कठिनाइयां थीं। इस बारे में इन कठिनाइयों का ब्यौरा देते हुए भारत सरकार, पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक को सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 8 (22) जी ए डी/ग्रुप–1/74 दिनांक 30-4-77 के द्वारा सूचित किया।

हाल ही में जो दीवार के टूटने से क्षति हुई है उसके बारे में जिलाधीश, भरतपुर से जो पत्र प्राप्त हुआ है उस पत्र में जिलाधीश, ने टूटी हुई दीवार को फिर से ठीक करने में 11 लाख 25 हजार का खर्चा बताया है जो कि सिंचाई विभाग के बाढ़ नियन्त्रण सर्विस के अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा वर्षा से दीवार को नुकसान से बचाने के लिये 80 हजार का अनुमान बताया है। जिलाधीश का उक्त पत्र दिनांक 1-8-80 को प्राप्त हुआ है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। यहां यह कहना भी आवश्यक है कि किले की पक्की दीवार एवं खाई की मरम्मत व रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की है। खाई के पानी को कम करने एवं सफाई आदि की आवश्यकता पर अब तो वर्षा ऋतु समाप्त होने पर ही तकनीकी दृष्टि से पूरा विचार कर आगे कदम उठाना सम्भव होगा। इस किले के बाहर बनी हुई सड़क व नालियां आदि, जो वर्षा के कारण टूट-फूट गई थीं, की मरम्मत नगर परिषद् द्वारा करवाई जा रही है। शहर की ड्रेनेज और सीवरेज के प्लान के लिये नगर परिषद् को लिखा जा रहा है कि वे इसके लिये अविलम्ब कार्यवाही करें ताकि शहर की गन्दगी एवं गन्दे पानी को नहर में जाने से रोका जा सके।

दीवार के टूटने से विद्याकौर कालोनी, भरतपुर के रिहायशी मकानों को नुकसान होने की आशंका बन गई है। इस खतरे से निपटने के लिये जिलाधीश, भरतपुर को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए तार द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं।"

(54)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

यह तो मैंने आपसे निवेदन किया, बाकी जहां तक माननीय सदस्य ने ऐतिहासिक और राजस्थान के गौरवशाली किले की ऐतिहासिकता की बात कही, मैं समझता हूं कि कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इस महत्व को स्वीकार करके नहीं चलता हो। यह भी सही है कि माननीय सदस्य ने राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में सम्पर्क स्थापित किया, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं, वे जागरूक हैं। परन्तु राज्य सरकार जागरूक नहीं है, यह बात।

श्री राजबहादुर : यह आक्षेप गलत है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मुझे सुन लीजिये पहले।

गन्दे नाले और हॉस्पिटल की योजना पूरी हो चुकी है, जो कुछ बाकी बची है उसको पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा। इसी प्रकार से बीमारी फैलने की आशंका है तो उसको रोकने का प्रयत्न किया जायेगा, उसको रोकने के लिये राज्य सरकार सतर्कता बरतेगी, इसमें ढिलाई का प्रश्न ही नहीं है। रहा सवाल किले की दीवार की मरम्मत और रख रखाव का, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, यह केन्द्रीय सरकार का विषय है, इस बारे में केन्द्रीय सरकार से बात करके यथाशीघ्र जो भी कार्यवाही की जा सकती है, उसको करने का प्रयत्न किया जायगा। मेरे से वर्षों ज्यादा अनुभव आपका है, केन्द्र सरकार से हम निवेदन ही कर सकते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, विद्याकौर कालोनी के 20-25 मकान खतरे में आ गये हैं। आगे थोड़ी भी जोरदार वर्षा हुई तो वे मकान गिर जायेंगे। जिलाधीश महोदय इस विषय में क्या कार्यवाही कर पायेंगे? किले की दीवार की मरम्मत का कार्य किया जा सकता है इसको जिलाधीश करवा सकता है या सिंचाई विभाग कर सकता है। मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग को निर्देश दिये जायें, वह आवश्यक कार्यवाही करे जिससे किले की दीवार में पानी आने से रुके। किले की दीवार की मरम्मत शीघ्र की जानी चाहिये और मकानों की सुरक्षा के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। इसके लिये जिलाधीश अथवा सिंचाई विभाग को तुरन्त आदेश देना जरूरी है।

श्री राजबहादुर : मैंने जानबूझ कर मुख्य मंत्री जी को जो पत्र लिखा है उसका हवाला नहीं दिया है। मैं यह चाहता हूं कि इसमें कार्यवाही की जाय, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मुझे खेद है कि उस पत्र के बावजूद, जो पत्र में लिखा था, उसकी भावना को मुख्य मन्त्री जी ने नहीं समझा। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले-पहल किस चीज पर ध्यान दिया जायगा? जो गन्दगी है क्या उसको आप निकलवायेंगे, क्या आप डिसइन्फेक्शन के लिए उसमें दवाई डलवायेंगे, क्या आप नाले को रोकेंगे? ये तीन आश्वासन इमीजियेटली चाहिये। माननीय सदस्य हरिसिंहजी ने चौथी बात कही वह भी महत्वपूर्ण है। किले की दीवार, नहर और उसके चारों तरफ की जिम्मेदारी तो केन्द्रीय सरकार की है लेकिन विद्याकौर

(श्री राज बहादुर)

कालोनी की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। उसको खतरा पैदा हो गया है। मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है तो उनको अवगत कराया जावे। हाइड्रोलिक प्रेसर की जो बात कही गई है वह निकम्मी बात है। डीग में भी इसी तरह से पानी निकाला गया था वहां पर किला नहीं गिरा। किले की मरम्मत नितान्त आवश्यक है। अभी आपने नहीं रोका तो बाद में इससे दस गुना खर्च होगा। पहली चीज तो यह है कि उसे साफ करिये, नाले को रोकिये जिससे किले को गिरने से बचाया जा सके, उसकी आप मरम्मत करवायें उसकी मरम्मत करा लीजिये तो उससे कोई खतरा नहीं होगा। हमने नागरिकों को तैयार कर लिया है। आज वहां जल व्यवस्था ठीक है। वह कुएं से पानी नहीं लेते, नल से पानी लेते हैं, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है इस सम्बन्ध में। आप पानी खाली कराइये। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप इस बात का आश्वासन दें कि केन्द्र सरकार से मिल कर या दूसरी तरह से आप पूरी व्यवस्था करेंगे। एक साथ आप पानी सुखायें। पानी सुखाने के लिए जो मशीनरी मौजूद है, वह आप इस्तेमाल में लें।....

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सदस्य, सदन में सो रहे हैं।

श्री राज बहादुर : मैं तो नहीं सो रहा हूं......

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो सो ही नहीं सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चश्मा लगवायें। वह सोये नहीं हैं।

श्री राज बहादुर : मैं आपसे विनती कर रहा था कि एक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इमर्जेन्सी में जागते रहे। आपको जनता ने....

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं संरक्षण चाहता हूँ दोनों से, माननीय विरोधी दल के नेता से और मुख्य सचेतक से भी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर !

श्री राज बहादुर : मैं तो विनती करके एक बात कहता हूं केवल भैरोंसिंह से ही क्योंकि बुराई जो दे सकते हैं, जयपुर के नागरिक सोच सकते हैं। मैंने जोधपुर के मैटर भी डिस्कस किये हैं।

(व्यवधान)

कौन ? मैं। मैं तो मानता हूं, आप न मानो, मैंने तो जनसंघ को लेने का सजेशन दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर !

श्री राज बहादुर : ....अपने बारे में कुछ कहूं तो बहुत बदतमीजी होगी। सदन में कहूं कि राजस्थान के लिए यह किया, वह किया। मैं कुछ नहीं कहता। मैं कुछ नहीं कर पाया। जो मेरी कल्पना थी, जो मेरी आकांक्षायें थीं, वह मैं नहीं कर पाया।

आपने बात कही कि जो पानी गिरता है, उसमें उसका ट्रीटमेन्ट हो गया। आपको पढ़ना नहीं चाहिए था। अगर आपको लिख

(श्री राज बहादुर)
कर के दे दिया तो भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि उसका ट्रीटमेन्ट नहीं होता। इसका सारे लोग मखौल उड़ायेंगे। अगर अखबार में आ गया तो सब लोग कहेंगे कि मंत्री महोदय ने क्या कह दिया। पानी मैला गिर रहा है, पानी में संडाद आ रही है, और आपने कह दिया कि ट्रीटमेन्ट हो रहा है।

एक आपने कहा कि 80 हजार रुपये मरम्मत के लिए खर्च हुआ। 11 लाख 25 हजार जो आपने कहा कि खर्चा हुआ तो यह बहुत बड़ी रकम नहीं है ऐतिहासिक किले को बचाने के लिए। मैंने कहा कि बचाने की नीति तो है। यह एक सैशन में काम नहीं होगा, दो-तीन सैशन में काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रेन इमीजियेटली लगाई जानी चाहिए।

आपका जो कहना है कि आधा पर्सेन्ट रह गया, वह नितान्त गलत है यह मेरा ख्याल है। हरिसिंहजी ने भी यही बात कही कि 90 पर्सेन्ट नहीं हुआ है। हो सकता है 2 लाख रुपये खर्च करके पानी निकाल दिया हो।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कहने की नीति के हिसाब से और इमीजियेटली इफेक्ट के साथ कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने अपनी बात में साफ करने का प्रयत्न किया है। मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि जहां तक कुओं का प्रश्न है, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर पायेगी। यह भारत सरकार और पुरातत्व विभाग का प्रश्न है। उसकी मरम्मत या उसके पुर्ननिर्माण का जहां तक सवाल है, राज्य सरकार केन्द्र सरकार का....

श्री राज बहादुर : यह बात दोहराये नहीं। Why the State Government cannot have any responsibility ? They will have to accept their responsibility. Why they should shirk ? इन बातों को नहीं दोहरायें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपने इन बातों का दोहराया, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। अगर आप नही दोहराते तो मैं भी नहीं दोहराता।

उसका जहां तक प्रश्न है वह भारत सरकार से निवेदन करेंगे, भारत सरकार को लिखेंगे।

जहां तक पानी निकालने का प्रश्न है, मैंने निवेदन किया कि वर्षा ऋतु के बाद इस सम्बन्ध में सरकार अपना उतरदायित्व पूरा करेंगी।

हॉस्पिटल के मामले में मैंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि 2 लाख रुपये, एक्चुअल अमाउंट तो मुझे याद नहीं, लगा कर के गन्दे पानी को जाने से रोकने का प्रयत्न किया गया है। और भी यदि कोई ऐसी बात है, जिससे गन्दगी आती है, उसके लिए हमने इन्कार नहीं किया। हमने उसमें कहा है कि हम करेंगे। अब आप यह चाहते हो निश्चित अवधि दे दी जाय जिसके अन्तर्गत यह काम पूरा हो जाये। आप तो सर-

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कार में रहे हैं। निश्चित अवधि किस समय तक दी जा सकेगी ? मेरा खयाल है कि मैं इस मामले में कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक बात कह सकता हूं कि दीवार को ठीक करने के लिए भारत सरकार को लिखा जायेगा, पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि भारत सरकार इसमें जल्दी व्यवस्था करे।

दूसरे मैंने कहा कि वर्षा के बाद पानी निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, जिससे भारत सरकार को निर्माण में कठिनाई नहीं हो। उसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

श्री हरिसिंह : What protection the Government is taking, please ? विद्या कौर कालोनी में जो 20–25 मकान गिरने जा रहे हैं, उसमें सरकार क्या करने जा रही है ?

शासकीय वक्तव्य

कस्बा बोंली, जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग के कर्मचारियों की अवैध रूप से वन काटने के लिये गये हुए व्यक्तियों द्वारा पिटाई

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मंत्री जी द्वारा कस्बा बोंली, जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग के कर्मचारियों की अवैध रूप से वन काटने के लिए गये हुए व्यक्तियों द्वारा पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य। मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, गृह): जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग के कर्मचारियों को अवैध रूप से वन काटने के लिए गये हुये व्यक्तियों द्वारा पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है : "दिनांक 24-7-80 को प्रात: करीब नौ बजे कस्बा बोंली के 15 व्यक्ति कस्बे के पास ही स्थित जंगलात से चोरी से लकड़ियां काट रहे थे। वन विभाग के रेन्जर एवं अन्य कर्मचारियों ने इस चोरी से लकड़ी काट रहे व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को पकड़ लिया एवं कागजात तैयार किये। बाकी अभियुक्त भाग कर कस्बा बोंली में पहुंचे। थोड़ी देर बाद कस्बे के करीब 100–150 व्यक्ति लाठियों एवं कुल्हाड़ियों से लैस होकर जंगल में पहुंचे और वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं तथा पकड़े हुए चारों व्यक्तियों को जबरदस्ती उनसे छुड़ा लिया। फोरेस्टर वृजपालसिंह से उसकी सरकारी बंदूक एवं रेन्जर द्वारा तैयार किये हुए कागजात छीन लिये और भाग गये।

इस घटना के बारे में थाना बोंली पर अभियोग संख्या 50/80 धारा 147, 148, 149, 352, 332, 379, 326, 325, 34 भा. द. सं. (आई. पी. सी.) के अन्तर्गत दिनांक 24-7-80 को पंजीबद्ध किया गया। घायल वन विभाग के कर्मचारियों को उपचार हेतु पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया जिसमें से दो को गंभीर चोटें होने के कारण अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद जाने की स्वीकृति दे दी।

अब तक 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं उनसे सारी बन्दूक, कागजात आदि बरामद कर लिये गये हैं।"

58

श्री अध्यक्ष : श्री हंस राज ।

श्री हंस राज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आया है, उसमें वास्तविकता को छुपाया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां की स्थिति आज भी गंभीर है । तारीख 24 को जो घटना घटी उसके संदर्भ में जो सरकार का वक्तव्य आया है वह किसी हद तक ठीक है किन्तु उसमें यह नहीं बताया गया कि उस फोरेस्टर को एक वृक्ष से बांधा गया था, उसका दायां हाथ तोड़ दिया गया था, उसके बावजूद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई । एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर से कहा गया किन्तु उन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो वास्तव में मुलजिम थे । 39 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी किन्तु उनमें से जिन 13 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 7 आदमी तो ऐसे हैं जो वास्तव में मुलजिम नहीं हैं और गांव में केवल टुकड़े मांग कर या भीख मांग कर खाते हैं वह फकीर जाति के हैं, वास्तव में मुलजिम नहीं हैं । उसका कारण क्या है? जब 24 तारीख को सारी घटना घटी तो वे सारे मुलजिम वहां से सवाई माधोपुर आ गए । जब इसकी सिम्पेथी में गांव बोंली के नागरिकों ने यह कहा कि इस प्रकार से अप्रिय घटना घटी है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिये थी और उनकी सिम्पेथी में सरकार से मांग की कि उनको अरेस्ट करना चाहिए तब भी अरेस्ट नहीं किया गया । जब अरेस्ट नहीं किया तो वहां के आम बाजारों में हड़ताल की गई, दो दिन स्ट्राइक रही । वहां के विद्यार्थियों ने भी सारी शिक्षण संस्थाओं को बंद करा दिया । उसके पश्चात् वे सब लोग वहां से सवाई माधोपुर पहुंचे । कुछ विद्यार्थी तारीख 28 को वहां पर जब मोटर से उतरे तो कुछ असामाजिक तत्वों, जो गुण्डा तत्व थे, ने उन्हें मोटर से उतरते ही घेर लिया और चाकू से आक्रमण कर दिया । किन्तु सवाई माधोपुर में खड़े लोगों ने किसी प्रकार से उनको बचा लिया और बचा कर एक तरफ कर दिया । उसकी तुरन्त रिपोर्ट एस. एच. ओ. सवाई माधोपुर के यहां की गई । रिपोर्ट में कहा गया था कि मौके पर मुलजिम मौजूद हैं । जिन मुलजिमों ने इस प्रकार की घटना की है वे आज भी यहां के महा मंत्री श्री फारुख हुसैन की देख-रेख में, छत्रछाया में उनके चेम्बर में बैठे हुए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए । जब चाकू से वार हुआ पुलिस उस समय भी देखती रही । संरक्षण के कारण किसी प्रकार से अरेस्ट नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में इस प्रकार से जब घटना घटी तो वहां के असामाजिक तत्वों ने वहां के प्रतिष्ठित नागरिकों, जो करीबन 40 हैं, के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है । उसमें यह कहा गया है कि उस केस को दबाने के लिए, उन मुलजिमों को बचाने के लिए कि यहां हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ । बोंली के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । सारी पुलिस है, एस.डी.ओ. है, कलेक्टर है, उनको इस कार्यवाही के लिए महामन्त्री कांग्रेस, जो वहां बैठे हुए हैं, ने दबोच रखा है और मुलजिमों के खिलाफ कार्यवाही करने नहीं दी जा रही है । वहां के 40 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ

(श्री हंसराज शर्मा)
जबरदस्ती इल्जाम हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों के नाम से लगा कर पुलिस केस को दबाया जा रहा है उल्टे ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : इसी सन्दर्भ में वहां के तहसीलदार ने असामाजिक तत्वों की कुछ बंदूक जब्त की हैं, थानेदार ने जब्त नहीं कीं, उसने कोई सहयोग नहीं दिया। वहां के एस. पी. और कलेक्टर प्रतिष्ठित नागरिकों को दबाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां इस प्रकार की स्थिति है जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार की अप्रिय घटना घटवाई है, जिन्होंने उनको मारा, बुरी तरह से मारा है, बंदूकें छीनी हैं, हथकड़ियां छीन ली हैं, अगर सरकार के अधिकारियों की सरकार रक्षा नहीं कर सकती तो आम जनता की रक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरी पहली मांग है कि तुरन्त इन 39 मुलजिमों को अरेस्ट किया जाय।

वहां जो वातावरण चल रहा है, इसके लिए आपके माध्यम से मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने साम्प्रदायिकता का नाम लेकर सम्पूर्ण बौंली तहसील में भयानक स्थिति पैदा कर दी है। वहां के असामाजिक तत्वों का इतना जोर बढ़ने का कारण एक है कि तारीख 24 को इसी सरकार के नुमाइंदे माननीय चौधरीजी वहां पधारे थे और उन्होंने एक आम सभा में वक्तव्य दिया था कि सवाई माधोपुर में अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का जो काम होगा, जब तक यहां के नेता फारूख हसन किसी बात की हां या ना नहीं कह देगा तब तक राज्य सरकार एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। इससे वहां के असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ा और इस प्रकार आए दिन ऐसी घटनायें घटती जा रही हैं।

इस संदर्भ में दैनिक नवज्योति ने भी काफी विस्तार से प्रकाश डाला है और वहां के लोकल पेपर्स ने भी लिखा है। नागरिकों ने सारे विधायकों को लिख कर दिया है, एफ. आई. आर. दर्ज कराई है प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ, उसकी जांच कराई जाए। उसकी मेरे पास कापी है। उसी के साथ-साथ वहां के वन विभाग कर्मचारी जो हैं, उन्होंने भी सरकार को नोटिस दिया है कि यदि तुरन्त मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया गया तो वे स्ट्राइक पर जायेंगे। यदि वे स्ट्राइक पर जायेंगे तो वहां के क्षेत्र के वन विभाग की बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर राज्य सरकार मानती है कि स्थिति वास्तव में तनावपूर्ण है जबकि एस. पी. सवाई माधोपुर ने कहा है कि हिंदु या मुसलमान साम्प्रदायिकता के नाम पर कोई बात नहीं है किंतु धीरे धीरे इन बातों को बहुत बड़ा करके रख दिया गया है ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, शीघ्र समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : यदि सरकार ने तुरंत कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो उस क्षेत्र में बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है; चारों तरफ से असामाजिक तत्व वहां इकट्टे होते जा रहे हैं और वातावरण दूषित होता

(श्री हंसराज शर्मा)

जा रहा है। सारा वातावरण वहां के नेताओं ने बनाया है। मैं मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी फिर से संपूर्ण जांच कराई जाय। यदि वह मानते हैं कि हम विरोध में हैं साम्प्रदायिकता का नारा देते हैं तो हमारे शासन काल में साम्प्रदायिकता का एक केस भी नहीं हुआ। और आपकी सरकार आई तो साम्प्रदायिकता के नाम पर इस प्रकार की घटनायें होती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो जिला सवाई माधोपुर की इनकी पार्टी के जीते हुए विधायकों, वहां की डी. पी. सी. के सदस्यों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमेटी नियुक्त की जाय और जांच कराई जायं। यदि वह न्यायसंगत बात है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय अन्यथा जिन लोगों ने इस प्रकार की गलत रिपोर्ट दी है जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। यदि समय रहते इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई और कहीं सांप्रदायिक झगड़े हो गये तो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सम्पूर्ण झगड़े की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसमें ठीक कार्यवाही नहीं की गई तो बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री कुंजीलाल।

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय स्पष्टीकरण के तौर पर यदि कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभावों ने जो अपनी बात कही है उसके बारे में मैंने संक्षेप में अनेक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए निवेदन किया है। मैं विस्तार में जाना आज के दिन उचित नहीं समझूंगा कि साम्प्रदायिक सद्भाव बना नहीं रहे, मैं समझता हूं इस सदन के समस्त सदस्य महानुभावों का यह सुप्रयत्न है कि साम्प्रदायिक सद्भाव रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिक सद्भाव या असद्भाव के बारे में मैंने अपनी बात निवेदन नहीं की।

जो कुछ माननीय सदस्य महानुभाव ने बताया है उसके सम्बन्ध में मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 38 आदमियों के जो एफ. आई. आर. में नाम थे उन्हीं में से 13 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, 8 को 25 तारीख को पकड़ा गया है और 5 को एक तारीख को पकड़ा गया है, 8 जुडिशियल लोक अप में हैं और 5 अभी पुलिस कस्टडी में हैं। वहां एस. डी. एम. और पुलिस द्वारा सारी जांच की जा रही है, कार्यवाही की जा रही है।

सम्माननीय सदस्य ने यह फर्माया कि उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाए तो किसी दूसरे को भेज दिया जाए। मैं आपके जरिए सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर प्रत्येक सदस्य सम्माननीय है। उनकी बात पर पूरा विश्वास करना हम सबका कर्तव्य है, सरकार इसको बहुत ही औचित्य में लेती है। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि मामले की तेजी से हम जांच कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं मिलेगा, जांच आप कृपया करके पूरी करने दें। इसके लिए तेजी करने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है।

(श्री रामपाल उपाध्याय)
इसके लिये तो मुझे इतना ही निवेदन करना है।

दूसरी जो माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि वन विभाग के फोरेस्टर के साथ मार पिटाई की और उसका हाथ तोड़ दिया गया है। तो इसके लिये तो मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जब मार पीट होती है तो लड़ाई में तो सभी बातें होती हैं। अब माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल वगैरह की धमकी दी है क्योंकि उनकी कोई सुरक्षा नहीं है तो इसके लिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे वन विभाग का कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार के किसी भी विभाग का कर्मचारी हो हर राज्य कर्मचारी सरकार का अंग होता है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की वहां पर असामाजिक तत्वों से रक्षा की जावेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ में एक्शन लेने में नहीं हिचकिचायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सूचना माननीय सदस्य ने दी कि प्रदेश कांग्रेस आई का महामन्त्री हो या और कोई मेहरबान हो किसी का भी इस मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है और नहीं कभी किसी का इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में तत्काल कार्यवाही होगी। अब मैं समझता हूं कि इतना निवेदन करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। और मेरी बात माननीय सदस्य को ठीक लगी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 38 व्यक्तियों के खिलाफ में एफ. आई. आर. दर्ज की गई जिनमें से सिर्फ 11 व्यक्ति ही पकड़े गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। स्पष्टीकरण आ चुका है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 38 में से सिर्फ 13 मुलजिम ही पकड़े गये हैं। बाकी लोग पकड़े नहीं जाने का कारण यह है कि वहां पर असामाजिक तत्वों को राजनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है। अगर इस तरह असामाजिक तत्वों को नहीं रोका गया तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति खराब हो जावेगी। आज, अध्यक्ष महोदय, 11-12 दिन हो गये हैं मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

आय-व्ययक बजट पर सामान्य वाद-विवाद

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, कल मेरा भाषण अधूरा रह गया था इसलिये मुझे बोलने का समय दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण अधूरा रह गया था मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण अधूरा नहीं रहा। मैंने आपको बार बार वार्निंग दी थी पर आप बोलते ही रहे।

श्री देवीसिंह भाटी : पांच मिनट का समय दे दें, अध्यक्ष महोदय। सिर्फ पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ पांच मिनट ही। हमारे दल जनता जे. पी. को तीस मिनट देने का तय किया गया था। हमारा समय बाकी है।

श्री अध्यक्ष : आपके दल का कोई समय नहीं बचा। दुबारा बोलने की इजाजत आपको नहीं दी जा सकती है। आपका भाषण कल ही समाप्त हो गया था।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जनता जे. पी. पार्टी का 30 मिनट का समय आपने निर्धारित किया था उसमें से 15 मिनट मैं बोला बाकी 15 मिनट और हैं। उसमें से आप मुझे बोलने का समय दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप का भाषण समाप्त हो चुका है। मैं दुबारा बोलने की आपको इजाजत नहीं दूंगा। किसी को भी दुबारा बोलने की इजाजत नहीं दी गयी है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि जिस किसी का भाषण अधूरा रह जाता है वह दूसरे दिन वापस सदन में अपना भाषण पूरा करता है। पहले भी दो दफा ऐसा हुआ है। मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। इस बात पर अब कोई वाद विवाद नहीं होगा। मैं दुबारा बोलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं खुद कल बैठा था, आपको बार बार वार्निंग दे रहा था कि आप जल्दी समाप्त करें। उसके बाद में आपका भाषण समाप्त हुआ समझा गया है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्यकुमार।

श्री सूर्यकुमार (तिनवां) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद हो रहा है। दोनों ही पक्षों द्वारा सदन में इस बजट पर पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने विचारों के अनुसार जो भी मैं इस बजट के बारे में समझ सका हूं वह निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को यह है कि चूंकि यह मेरी मैडन स्पीच है इसलिये मैं यह चाहूंगा कि सदन के दोनों पक्ष के सदस्य मेहरबानी करके मुझे शान्तिपूर्वक बोलने दें और शान्तिपूर्वक सुनने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय को इस बात के लिये हार्दिक बधाई अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने राज-

(63)

(श्री सूर्यकुमार)

स्थान का बजट विषम परिस्थितियों में इतना अच्छा प्रस्तुत किया कि विरोध पक्ष वालों के पास सिवाय डिफेन्सिव साइड लेने के कुछ नहीं रहा। उन्होंने विरोध पक्ष वालों को डिफेन्सिव साइड लेने को विवश कर दिया। विरोधी पक्ष जो जोर से विरोध करने के लिए तैयारियां कर रहा था, वह यह सोच रहे थे कि हम इस इस प्रकार की आलोचना करेंगे वह सभी तैयारियां विरोधी पक्ष की, अध्यक्ष महोदय, ताक में रखी रह गई और विरोधी पक्ष के पास डिफेन्सिव साइड लेने के सिवाय कोई आल्टरनेटिव नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बजट रखा उस बजट में राजस्थान की गरीब जनता पर किसी प्रकार के नये टैक्स नहीं लगाये और राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्स का भार भी नहीं बढ़ाया।

अध्यक्ष महोदय, सदन में या बाहर विरोधी पक्ष के लिए विरोधी तर्क प्रस्तुत करना कोई नयी बात नहीं है।

(1.26 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, जब से हमारा देश हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तभी से विरोधी पक्ष समय-समय पर अपने विचार विरोध में व्यक्त करता आ रहे हैं। विपक्ष का पक्ष ना पक्ष होता है, उसका हमेशा से ही निगेटिव एटीट्यूड रहता आया है। विरोधी पक्ष हमेशा से ही निगेटिव आस्पेक्ट से ही सोचता आया है। उसका विश्वास निगेटिव बात करने में ही होता आया है। इसीलिए हमेशा की तरह विपक्ष ने अपना विचार इसी दृष्टिकोण से सदन में रखा है। उसका काम है विरोध करना।

सभापति महोदया, जब विरोधी पक्ष सत्ता में था, तब उसने सत्ता हथियाई थी वह समग्र क्रांति के नाम पर हथियाई थी। सभापति महोदया, समग्र क्रान्ति का पांचजन्य पटना से शुरू हुआ था। वह पटना से हिन्दुस्तान के गांव-गांव में अनेकों शंखों से घोषित हुआ। उसकी जगह-जगह हमें चर्चायें सुनने को मिलीं। लेकिन जब हमने समग्र क्रांति के सदस्यों को, उनके समर्थकों को काम करते देखा, उनके कार्यकलापों को देखा, बाद में उसका अन्त यह हुआ कि वह समग्र क्रांति एक अन्त्योदय योजना में सिमट गई। अन्त्योदय योजना, सभापति महोदया, क्या थी? अन्त्योदय योजना का, सभापति महोदया, राजस्थान के भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने आविष्कार किया था। पर, सभापति महोदया, अन्त्योदय योजना मेरी समझ में बिलकुल नहीं आई। सभापति महोदया, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो अन्त्योदय परिवारों को ऋण दिया गया था उसकी वसूली का क्या होगा? बैंकों से अन्त्योदय परिवारों को ऋण की सुविधा तो आपने दिला दी पर यह स्थिति स्पष्ट नहीं की कि अन्त्योदय परिवारों को जो ऋण दिया गया उस ऋण की वसूली किससे की जायेगी। उसकी गारन्टी सरकार देगी या अन्त्योदय परिवार वाले देंगे। मेरा निवेदन यह है कि अन्त्योदय योजना का जो प्लान था, उसका कन्सेप्शन था वह बिलकुल क्लीयर नहीं था। विरोधी पक्ष वाले हर वक्त अन्त्योदय योजना की तारीफ करके

(श्री सूर्यकुमार)

अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनते रहे। सिर्फ अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनने से क्या होता है, वह योजना तो असफल ही रही।

सभापति महोदया, अन्त्योदय योजना के अलावा जिसके लिये भूतपूर्व जनता सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती थी और अपने पक्ष में राग अलापती थी वह योजना थी राज्य सरकार द्वारा चलाया गया राजस्व अभियान और तीसरी बात थी काम के बदले अनाज। सभापति महोदया, राजस्व अभियान की भूतपूर्व सरकार डींग हांकती थी, राजस्व अभियान के अन्तर्गत हमने इतने इतने काम कर दिये, उसके आंकड़ों का ढेर कर दिया, हमने इतने काश्तकारों को नामान्तरण पत्र दिया, इतने खातेदारों को खातेदारी राइट दिया। सभापति महोदया, जो काम एक पंचायत कर सकती थी, जो काम एक तहसीलदार कर सकता है उसको जनता सरकार ने एस.डी.ओ, एम.एल.ए., तहसीलदार, बी.डी.ओ. को जगह जगह भेज कर करवाया। सभापति महोदया, जहां एक तहसीलदार के तसदीक करने से काम हो सकता था उसके लिये इतने व्यक्तियों के खर्च का भार राज्य कोष पर जनता सरकार ने डाला। अगर विरोधी पक्ष वाले राजस्व अभियान के विरोध में राजस्व अभियान के दौरान किये गये काम देखना चाहते हैं तो वह जाकर बून्दी जिला के हिन्डोली तहसील में देखें, वहां पर नामान्तरण के मामले में किस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां के भूतपूर्व सरपंच ने किया है। वहां के रिकार्ड की हालत देखें कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां पर राजस्व अभियान के दौरान किया गया।

सभापति महोदया, इसी तरह काम के बदले अनाज योजना, जो जनता सरकार की थी, के बारे में भी जनता सरकार बहुत बड़ी बड़ी डींगें हांकती थीं। मैं इसकी सफलता के बारे में ज्यादा नहीं कह कर सिर्फ इतना ही विरोधी पक्ष के सदस्यों को कहना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज के अन्तर्गत बून्दी जिला की नैनवा तहसील में जो काम हुए हैं उनको वहां जाकर देख लें। मुझे तो काम के बदले अनाज योजना पर तरस आता है। सभापति महोदया, नैनवा तहसील की पंचायत फुलेरा और अदनावर में अगर वह जाकर देखेंगे तो उन्हें पता पड़ेगा कि कितना भ्रष्टाचार वहां काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत हुए कामों में हुआ है। वहां पर काम के बदले अनाज योजना की धज्जियां उड़ गई हैं। सभापति महोदया, वहां बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जो सरकार समग्र क्रांति की दुहाई देती थी, जो समग्र क्रांति की डींगें मारती थी उस सरकार ने क्या क्या काम किए। सभापति महोदया, जनता पार्टी की सरकार तीन मुख्य काम की डींग मारती थी, अन्त्योदय योजना, राजस्व अभियान और काम के बदले अनाज योजना-यह तीनों ही असफल रहीं। सर्वोदय नेता ने जो समग्र क्रांति चलाई थी वह अगर उस समग्र क्रांति की हालत देखता तो बिलख बिलख कर रोता। समग्र क्रांति न जाने कहां चली गयी। जब मुख्यमंत्री जी ने सर्वोदय की बात कह कर अन्त्योदय को उसमें शामिल करने की बात कही है, समग्र क्रांति के प्रणेता को यह जनता सरकार के लोग इज्जत की दृष्टि से देखते हैं

(श्री सूर्य कुमार)

बस सर्वोदय की बात अगर बजट भाषण में कही गयी है, आज के बजट के द्वारा पूरी की जाने वाली है तो विपक्ष के लोगों को क्या हो गया है कि वह धन्यवाद का शब्द भी वित्त मंत्री जी के लिये नहीं कह सकते।

सभापति महोदया, मैं केवल विरोधी पक्ष के तर्कों तक ही अपने आपको सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि मैं उन कन्सेप्शन्स की ओर भी इस सदन का आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ मूलभूत नीतियां हैं जिनकी ओर माननीय वित्त मंत्री जो ने और आज की सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं उदाहरण के रूप में निवेदन करूंगा, पृष्ठ 9 पर कृषि की चर्चा की गयी है तथा कृषि के संबंध में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, मैं उन लक्ष्यों का स्वागत करता हूं लेकिन केवल लक्ष्य निर्धारित कर देना हमारी कृषि नीति का परिचायक नहीं है, हमारी कृषि नीति का द्योतक नहीं है। कृषि हमारे देश की वह चीज है जिसके ऊपर हमारे देश की अर्थ व्यवस्था निर्भर है, जिसके ऊपर हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता निर्भर है लेकिन मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम कृषि की मूलभूत नीति को तय नहीं कर पाये हैं। मैं चाहूंगा कि हम कृषि नीति के बारे में कुछ मूल रूप से सोचें। कृषि नीति के बारे में मूल-रूप से सोचने की बात जब मैं कहता हूं तो मेरा निवेदन यह है कि जहां हम राजस्थान सरकार के टिनेन्सी एक्ट के माध्यम से टिनेन्सी होल्डर कहते हैं तो क्या कारण है कि हम कृषकों को कृषि संबंधी कोई योजना नहीं दे सकते। केवल एक सलाहकार के रूप में ही राजस्थान सरकार कुछ कर पाती है। सरकार एक लक्ष्य बांध देती है। गांधी जी का यह सपना था कि हर गांव को आत्म-निर्भर होना है। गांधी जी ने यह बात इसलिए कही थी कि गांव की आवश्यकताओं को वह स्वयं पूरा कर ले, चाहे फिर वह प्रशासन से संबंधित बात हो, चाहे आर्थिक पहलू से संबंधित बात हो। मेरे कहने का आशय यह है कि कृषकों के लिए राजस्थान सरकार यह क्यों नहीं नीति के रूप में अंगीकार करना चाहती कि जो खेती है गांव में, तहसील में जितनी जमीन है, और जितनी आबादी है उस आबादी के लिए जितनी आवश्यकतायें हैं वह खेती के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। अगर सारे के सारे आंकडे राजस्थान सरकार के पास में हैं तो एक मूल नीति के रूप में तय क्यों नहीं किया जा सकता कि जमीन पर आवश्यकता के अनुसार ही पैदावार हो। तो हमें कृषि की मूल नीति के रूप के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हमें डिस्ट्रिब्यूशन स्कीम चाहे को-आपरेटिव सैक्टर से पूरी करनी हो या प्राइवेट सैक्टर से पूरी करनी हो, चाहे हम स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल की बात करें, चाहे आई.ए.एस. आफिसर्स के माध्यम से उसको पूरी करने की बात करें या आर.ए.एस. आफिसर्स के माध्यम से उसको पूरी करने की बात करें वह थोथी बातें रह जायेंगी। जब तक हम उत्पादन पर कन्ट्रोल करेंगे तब तक हम वितरण किस को करना चाहते हैं—यह बात मेरी समझ से परे है। मैं चाहूंगा कि मूल नीति कृषि के बारे में तय हो।

इसी प्रकार से शिक्षा के बारे से तो कहा गया है लेकिन एजूकेशन पालिसी के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

(66)

(श्री सूर्य कुमार)
शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि यह बजट के मौके पर कहा जायेगा कि आप हम कुछ नये स्कूल खोल सकेंगे, या नहीं खोल सकेंगे। हाई स्कूल, खुशी की बात है कि 200 हाई स्कूल खोलने की घोषणा बजट भाषण में की गई है लेकिन, सभापति महोदया, मैं यह पूछना चाहूंगा। कि आखिर हमारी एजूकेशन पालिसी क्या है? हम आया 8 प्लस की स्कीम पर चलना चाहते हैं। हम किस प्रकार की एजूकेशन इस देश को देना चाहते हैं। क्या हम कहीं चलते-चलते रुक-रुक कर सोच पायेंगे, तय कर पायेंगे कि हम मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते हैं ?

ठीक इसी प्रकार से मैं को-आपरेटिव मूवमेन्ट की बात करना चाहता हूं। को-आपरेटिव मूवमेन्ट की बात बहुत की जाती है। को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 का है उनमें 46 सैक्शन हैं। आपको और हमको सबको पता है कि एक धारा 46 रखी गयी है उसमें यह प्रोवीजन रखा गया है कि राजस्थान गवर्नमेंट ड्यूटी बाउन्ड होगी कि को-आपरेटिव मूवमेन्ट को प्रगति दे, ऐसे सब कार्य करे जिससे को-आपरेटिव मूवमेन्ट प्रगतिशील हो लेकिन हम भूल नहीं जावें केवल हम जयपुर में ही रहें और जयपुर तक ही सीमित रहें...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सूर्यकुमार : मैं केवल दो मिनट चाहूंगा।

हम हाउसिंग को-आपरेटिव मूवमेन्ट की हालत देखें। हाउसिंग को-आपरेटिव मूवमेंट का कितना मजाक जयपुर में बनाया गया है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूं। बूंदी जिले में एक को-आपरेटिव शूगर मिल है केशोरायपाटन में, उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसकी आज क्या हालत है। उसकी जर्जर हालत है। अगर कोई को-आपरेटिव मूवमेंट में विश्वास करने वाला व्यक्ति है चाहे वह कांग्रेसी मंत्री हों या माननीय सदस्य हों, और उसकी हालत को देखने जायं तो मैं समझता हूं कि उनका को-आपरेटिव मूवमेन्ट में विश्वास होगा तो वह जरूर वहां आंसू बहायेंगे कि उसकी क्या हालत है। ठीक इसी प्रकार से मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे बजट पर बहुत बड़ा भार सर्विस क्लास का है। सर्विस क्लास क्या है। हम प्रजातंत्र की बात करते हैं और प्रजातंत्र की बात करके हम सर्विस क्लास को उन्मुक्त छोड़ देना चाहते हैं, स्वच्छंद छोड़ देना चाहते हैं। हम सिद्धान्त के रूप में कहना चाहते हैं कि हमें कमिटेड सर्विस नहीं चाहिये। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक हम इस पहलू पर नहीं सोचेंगे तब तक हम यह तय नहीं करेंगे कि जिन नीतियों को हमें लागू करना है और जिन नीतियों के लागू करने की जिम्मेदारी हम सर्विस क्लास पर छोड़ना चाहते हैं, जब तक वह हमारे प्रति कमिटेड नहीं होगी जब तक वह हमारी आइडोलोजी के प्रति कमिटेड नहीं होगी- जब तक हमारे सिद्धांतों के प्रति कमिटेड नहीं होगी, तब तक हम नीतियों को क्रियान्वित नहीं कर सकते। हम इकानामी कट की बात करते है, हम यह सारी बातें

(श्री सूर्य कुमार)

करते हैं यह सारी बातें तब तक थोथी रहेंगी जब तक हम सर्विस क्लास को कमिटेड होने के लिये बाध्य नहीं करेंगे। इस बारे में हम जब तक मूल रूप से सोच नहीं लेंगे तब तक हमारी सारी नीतियां बेकार जायेंगी ।

मैं इरिगेशन के बारे में अर्ज करूंगा इरिगेशन के बारे में प्रावधान रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस सदन में चर्चा चली थी बनास योजना के बारे में । वर्षों से धरती के सीने पर गहरे गड्ढे हो रहे हैं, वह धरती कराह रही है…

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सूर्यकुमार : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदया, मुख्य मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में ही मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्हें अपनी सरकार का प्रथम बजट इस सदन में प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। सभापति महोदया, अगर इस बजट को बारीकी से देखा जाये तो यह बात स्पष्ट लगेगी कि यह

(1.38 म.प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

बजट कोई सरकार का बजट नहीं है। यदि सरकार का बजट है तो यह कोई बजट नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई थी उस चर्चा का सारांश यही था कि यह सरकार दिशाहीन है क्योंकि अभिभाषण में किसी प्रकार का नीति निर्देश नहीं था, न किसी प्रकार की दिशा थी। उसी आधार पर यदि इस बजट का अध्ययन किया जाये तो, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह बजट बिल्कुल लक्ष्यविहीन है। दिशाहीन सरकार का लक्ष्यविहीन बजट राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन को अच्छी तरह से जानकारी है कि पिछले आम-चुनावों में मुख्य रूप से दो मुद्दे बनाये गये थे-एक तो मंहगाई का और दूसरा था लॉ एण्ड आर्डर का। इन दोनों प्रश्नों को लेकर जनता पार्टी की सरकार की आलोचना हुई। जनता ने उस आलोचना के आधार पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत देकर शासन करने का अधिकार दिया। इन दोनों प्रश्नों का कितना समाधान हुआ है, मैं तत्काल इस विषय पर नहीं आना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो आम जनता में एक भावना है वह कोई विरोधी पक्ष ने उत्पन्न की हो यह मैं नहीं मानता। उसका क्रेडिट कोई विरोधी पक्ष ले इस बात के लिए मैं विरोधी पक्ष को अधिकारी नहीं मानता। लेकिन सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने खास तौर से इस प्रकार का प्रचार कर दिया है कि राजस्थान में आज किसी प्रकार का कोई शासन नहीं है। माननीय सदस्यों ने इस बात को माना है कि विधान सभा है और विधान सभा में बहुमत पार्टी का शासन है और बहुमत पार्टी की बनी हुई सरकार है यह औपचारिकतायें

(68)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सब पूरी हो गयीं लेकिन प्रशासन का प्रभाव जो जनमानस पर आना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति जो जनमानस पर होनी चाहिए उस प्रकार की स्थिति नहीं है। अभी सरकार बनी नहीं है। हो सकता है दिल्ली में अभी तक केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का गठन पूरा नहीं हुआ, अभी वहां कोई रक्षा मंत्री नहीं, वहां कोई श्रम मंत्री नहीं, न वहां कोई उद्योग मंत्री, न वहां अभी खान और इस्पात मंत्री है। लोकसभा भी चल रही है, शासन भी चल रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी शायद प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नकल कर रहे हैं कि वहां मंत्रिमण्डल का पूरा गठन नहीं हुआ तो राजस्थान में छोटे से मंत्रिमण्डल से काम चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, उनके मंत्रियों की योग्यता पर इस समय मुझे कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं लेकिन जनता में इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि आज के दिन किसी प्रकार का कोई शासन नहीं है, मैं माननीय सदस्यों के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। जिस वक्त स्वर्गीय श्री संजय गांधी की अस्थियां लेकर हमारे मुख्य मंत्री जी अजमेर गये, अजमेर में एस. पी. के साथ किस प्रकार दुर्घटना हुई। एस पी. के बटन तोड़ दिये गये, एस. पी. के थोल तोड़ लिए गए, मुख्य मंत्री जी वहां उपस्थित थे। वहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उपस्थित थे। आज तक उस सम्बन्ध में पुलिस कोई कार्यवाही करे यह सम्भव नहीं हुआ है। इतना भी नहीं हो सका कि उस एस. पी. को थोल और बिल्ला यह सरकार वापस करा दे। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। लोगों में इस प्रकार की धारणा बनती जा रही है कि सरकार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है और नहीं करती तो उसका परिणाम चाहे शासन पर हो, चाहे जनता पर हो, उसका असर सरकार के लिये उल्टा है जनता के लिए भी उल्टा होता जा रहा है।

जहां तक इस बजट का सवाल है, सरकार की उपलब्धियों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में कोरसपोंडेन्स कोर्स चलता है। उस कोरसपोंडेंस कोर्स के आधार पर यूनिवर्सिटी में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी ने कोई कोरसपोंडेन्स कोर्स किया है और प्रशासन कोरसपोंडेन्स के आधार पर चलाना चाहते हैं। रोज सीमेंट के लिये पत्र लिख देते हैं। कभी अलकोहल के लिये लिख देते हैं। कभी फूड फार वर्क में अनाज के लिये पत्र लिख देते हैं। जो पत्र पिछली सरकार ने लिखे हैं उनके रिमाइंडर इश्यू करने का काम मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात की तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे महत्वपूर्ण पत्र हैं उनको स्वीकार किया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पत्राचार से शासन का काम नहीं चल सकता है। कोरसपोंडेंस कोर्स से पढ़ाई हो सकती है, कोरसपोंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासन नहीं चल सकता जिसकी राजस्थान में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालत यह है, इस सदन में पहले भी कहा गया कि मंत्रिमण्डल का विस्तार इसलिये नहीं किया जा रहा है कि मैं परफार्मेंस देख रहा हूं। विधान सभा की कार्यवाही देखने के बाद मैं यह समझा हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि कहीं परफार्मेंस के धोखे में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आकर कोई अपनी योग्यता प्रदर्शित न कर दें। आज परफार्मेंस इस रूप में देखा जा रहा है कि मेरे से ज्यादा अयोग्य कौन है। अगर आपने योग्यता प्रदर्शित कर दी तो आपका नाम मंत्रिमण्डल से कट गया, यह निश्चित रूप से आप मान कर चलें। यदि आपको परफार्मेंस दिखानी है तो मुख्य मंत्री जी का परफार्मेन्स देख लीजिये, उनसे आगे बढ़ गये तो मंत्रिमण्डल में नहीं गये और अगर पीछे रह गये तो गारन्टी मैं लेता हूं, निश्चित रूप से आप मानकर चलें। यदि आपको परफार्मेंस दिखानी है तो मुख्य मंत्री जी का परफार्मेंस देख लीजिये, उनसे आगे बढ़ गये तो गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित रूप से आप... लेंगे। यह सारी स्थिति इस प्रकार की है जिसका प्रशासन के ऊपर अपने आप ही असर होता है। अध्यक्ष महोदय, आपने भी आज तक बजट देखे हैं। आप भी आज तक सरकार में रहे हैं मैं भी सरकार में रहा हूं लेकिन इस प्रकार का बजट नहीं देखा। जिसमें बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि इस साल हम वांछित प्रभावशील लक्ष्य इंगित नहीं कर पा रहे हैं। यह बजट किस बात का है ? क्या कोई दुकानदार का बही खाता है या किसी ब्याज वोहरगत का हिसाब-किताब है। जिस बजट में किसी प्रकार के लक्ष्य नहीं, वह किस बात का बजट है ? लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, हां इस बात का संकेत है कि इस बजट के ऊपर आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है। यह बजट आंकड़े इधर-उधर जोड़ कर, घटा कर सरकारी अधिकारियों, जिनकी ड्यूटी आपके सामने थीं, ने प्रस्तुत कर दिया। मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बजट की जो सामान्य मर्यादायें हैं, उनका भी उल्लंघन किया है। आज तक जितने भी बजट प्रस्तुत होते हैं, उनमें चाहे रियायत देने का प्रश्न आता हो, चाहे टैक्स लगाने का प्रश्न आता हो, वह प्रस्ताव के रूप में आता है। इस बजट में लिखा है, "लेकिन माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं के विपरीत में निम्न रियायतें दे रहा हूं" की इस प्रकार के भाषा का प्रयोग बजट प्रस्तुति के समय नहीं किया जाता, केवल यही लिखा जाता है कि इस प्रकार की रियायतें देने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के विचारार्थ कर रहा हूं। लेकिन वह शिष्टाचार भी नहीं निभाया गया। आगे लिखा है 'अब इस पांच वर्षीय रियायत को 1 अप्रेल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक लगने वाले कारखानों पर भी लागू किया जाता है।" यह आदेश है। "विकलांगों तथा अंधों की मदद के लिए निम्नलिखित वस्तुओं को कर से मुक्त किया जाता है," चौथा फर्मान। "गोबर गैस की मशीनरी को कर मुक्त किया जाता है," पांचवा फर्मान। "अब यह कर मुक्ति अन्य गर्भ-निरोधों को भी दी जा रही है," छठा फर्मान हो गया। विधान सभा मुख्य मंत्री का फर्मान सुनने के लिये नहीं है, चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे विरोधी दल के हों। विधान सभा के सामने प्रस्ताव के रूप में सब बातें रखी जाती हैं फर्मान के रूप में नहीं रखी जातीं। यह पहला बजट भाषण है जिसमें प्रस्ताव के रूप में बातें न रखी जाकर फर्मान के रूप में रखी गयीं। अध्यक्ष महोदय, यदि इसी प्रकार का बजट प्रस्तुत करना था तो वोट आन अकाउंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मैं तो यह समझता था कि हमारे मुख्य मंत्री जी भारत सरकार के मंत्रालय में राज्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्री रह चुके हैं, इनको अनुभव होगा बजट पेश करने का, इनको अनुभव होगा दिशाएं देने का, इनको अनुभव होगा लक्ष्य निर्धारित करने का और इस कारण से कुछ समय ले रहे हैं लेकिन इस बजट को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह बजट बिना समय लिये ही पेश किया जा सकता था। किसी प्रकार का श्रम करने की आवश्यकता नहीं पाई गई। इस आधार पर यह बजट किसी भी प्रकार से ऐसा बजट कहा जाए कि समाज में कोई परिवर्तन लाने वाला, रिवोल्यूशन लाने वाला हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी को खुद में भी विश्वास नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सरकार में अपना विश्वास खो दिया हो। ऐसा लगता है उनका स्वयं का विश्वास अपने दल में भी नहीं है। उस स्थिति में प्रस्तुत किया हुआ यह बजट है।

समाचार पत्र पढ़ा, माननीय सदस्य इस के लिये नाराज नहीं होंगे, एक अखबार में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की प्रोसीडिंग्स छपी, अधिकृत रूप से छपी या अनधिकृत रूप से, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें लिखा था कि विधान सभा माननीय सदस्य चाहते हैं कि शराब पिलाओ, विकास करो। नारा बहुत सुन्दर है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं होगी। शराब पिलाओ अगर आपको शराब को रखना है। प्रॉहिबिशन को आप स्क्रेप करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं बैक डोर से करने की आवश्यकता नहीं है आपको मैदान में आकर बात करनी चाहिये। जो विरोध करेंगे वह विरोध करेंगे। लेकिन बजट में यह न रख कर पिछले 6 महीने में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, कोई गरीबी दूर करने का अचीवमेंट नहीं, कोई महंगाई को हटाने का अचीवमेंट नहीं, कोई ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन को ठीक करने का अचीवमेंट नहीं है, सबसे बड़ा अचीवमेंट यदि राजस्थान की वर्तमान सरकार का है तो केवल मात्र एक है कि इनके शासन-काल में 95 हजार लोगों को शराब पीने के परमिट दिये गये...

एक माननीय सदस्य : 97 हजार।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सब आपके वक्त के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न तो आपके वक्त के हैं ना मेरे वक्त के हैं लेकिन मेरे जाने के बाद के हैं। मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे...

श्री हरिसिंह : आप ईमानदारी से शराबबन्दी करना चाहते थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ईमानदारी का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने राजस्थान में शराबबन्दी करके बता दी.....

(व्यवधान)

This is the only action.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आज पता लगा है, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य जिस समय हमारे साथ थे, और हमने शराब-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
बन्दी की उस वक्त जोर-शोर से बोलते थे कि शराबबन्दी की जाये लेकिन उनके मन में कुछ और बात थी। इसका पता आज ही लगा है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मैं कहता था शराबबन्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिये। आप फर्जी बोलते थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बजट के मामले में। बजट में शुद्ध घाटा 42 करोड़ का बताया। 16 करोड़ की वृद्धि और कुछ रियायतें, इनको मिलाकर 16 करोड़ रुपये बताया गया। 27 करोड़ ओवर ड्राफ्ट के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का यह मानना है कि लांग टर्म लोन में कनवर्ट करा लिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज बहादुर जी जानते हैं और मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से जानते होंगे कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने ओवर ड्राफ्ट के बारे में दिशायें दी हैं और उनमें कभी भी ओवर ड्राफ्ट को लांग टर्म लोन में कनवर्ट नहीं है। आज तक लांग टर्म लोन में कनवर्ट हुआ नहीं। अध्यक्ष, महोदय, मैंने पूरा तलाश किया तो केवल 1959 में आन्ध्र के राज्य का ऐसा किस्सा आता है जिसमें ओवर ड्राफ्ट को लांग टर्म में कनवर्ट किया है बाकी आज तक कहीं कनवर्ट ही नहीं हुआ, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस पर भरोसा किया है, किस हालत में किया है। केन्द्रीय सरकार का बजट पेश हुआ उस बजट में 27 करोड़ का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं केन्द्रीय सरकार के बजट में 1417 करोड़ का डेफिसिट है, यह डेफिसिट भी 2000 करोड़ का होता लेकिन 500 करोड़ रु. का इंटरनेशनल मानीटेरी फण्ड से लोन दिखाकर इस घाटे को केवल 1477 करोड़ रुपये बताया है। केन्द्रीय सरकार की भी आज यह स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद के 30 वर्षों के इतिहास में रेवेन्यू अकाउन्ट्स में कभी इतना बड़ा डेफिसिट, जो इस बार बजट में रखा है, 954 करोड़ का डेफिसिट पहले कभी नहीं रखा गया है। आज केन्द्रीय सरकार की स्थिति है, उस स्थिति में हम यह समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार 27 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट को लांग टर्म लोन में कनवर्ट करने की बात स्वीकार कर लेगी ? मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी जानते होंगे, मैं मानता हूं कि यह बात सही नहीं है, ऐसी बात पर सदन विश्वास नहीं कर सकता है स्वयं मुख्य मंत्री जी को विश्वास नहीं है। तो इसलिए मैं 27 करोड़ रुपये को घाटे की मद में मान कर चलता हूं। टोटल डेफिसिट तो 85 करोड़ का है जिसको उन्होंने भी स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसी बजट भाषण में लिखा है फरवरी और मई की दो किश्तों के डी.ए. को सरकारी कर्मचारियों को चुकाने का फैसला किया है। आप जानते हैं यह किस तरह इनफ्लेशन बढ़ता जा रहा है। जनता पार्टी ने 27 महीने राज किया। एक पर्सेन्ट इनफ्लेशन बढ़ा। कांग्रेस पार्टी ने 7 महीने राज किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हर महीने चार पर्सेन्ट इन्फ्लेशन बढ़ा है हमारे 27 महीने का राज में 27 पाइन्ट बढ़ी आपके सात माह के शासन में 28 पर्सेन्ट इनफ्लेशन बढ़ा है—इसमें सन्देह नहीं है। इस आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि 368 पाइन्ट को ज्यों ही क्रास करेंगे, एक डी.ए. और ड्यू हो जाएगा। आज एक जुलाई से फिर एक डी.ए. ड्यू हो गया है। इस तरह महंगाई बढ़ती रही, इसी तरह इन्फ्लेशन होता रहा तो दूसरी किश्त अक्टूबर के महीने में फिर देनी पड़ेगी। निश्चित रूप से भारत सरकार अपने कर्मचारियों को देगी और उसी के अनुसार राजस्थान सरकार को अपने कर्मचारियों को भी देनी पड़ेगी इस आधार पर 14 करोड़ की और देनदारी राजस्थान सरकार पर आने वाली है जिसको इस बजट में जान-बूझकर छिपाया गया है। मैं इस रूप में कहना चाहूंगा यह तीसरी किश्त जनवरी के पहले और ड्यू होगी। भगवान ही सरकार की मदद कर दें तो मैं कह नहीं सकता हूं वरना तीन किश्तें निश्चित रूप से ड्यू होंगी, 21–22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान अपने कर्मचारियों को राजस्थान सरकार को और करना पड़ेगा जिसका इस बजट में कहीं प्रावधान है?

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बजट के आंकड़े देखे होंगे इसमें जो रेवेन्यू अकाउन्ट्स में एक्सपेन्डिचर दिखाया, गये साल में 646 करोड़ और इस साल 669 करोड़ केवल 23 करोड़ की वृद्धि होगी यानि तीन पर्सेन्ट की वृद्धि और होगी। इसके पहले 79–80 को देखें, 78–79 को देखें, 77–78 को देखें, 76–77 को देखें, तो रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर में जो वृद्धि हुई है उसका एवरेज आता है 16 पर्सेन्ट। आज कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि इस महंगाई के जमाने में जो पिछले वर्ष 646 करोड़ बजट रेवेन्यू अकाउन्ट में गया था यह 669 तक सीमित रह जायगा। यह जाकर आगे बढ़ने वाला है। तीन पर्सेन्ट का अमाउन्ट दिखाया है और यदि पुराने एवरेज को निकालें, केवल राजस्थान का ही एवरेज नहीं भारत सरकार का रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर का एवरेज निकाल लें तो भी कहीं हिन्दुस्तान में 16 पर्सेन्ट से कम आया हो, मुझे एक भी दृष्टांत नहीं मिलता है। 16 पर्सेन्ट के आधार पर वृद्धि होगी तो 81 करोड़ का और अतिरिक्त खर्च होगा जिसको इस बजट में कम दिखाया गया है।

मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं पुलिस में गये साल 33 करोड़ का बजट था आज वह बढ़ाकर 35 करोड़ का किया गया है। कोई विश्वास कर सकता है जहां 20–22 प्रतिशत महंगाई बढ़ गई है, जहां फ्यूअल चार्जेज के बढ़ गए, जहां ऑपरेशन के मैथड्स बदल गए, जहां इक्विपमेंट की कास्ट बढ़ गई वहां इस खर्च से पुलिस डिपार्टमेंट काम कर सकेगा? यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं पेंशन का खाता हमेशा बढ़ता जाता है—पेंशन में कोई कमी नहीं है, यह नहीं है कि इस सरकार के आते ही पेंशन होल्डर्स मर गये या भविष्य में पेंशन के ऊपर नहीं जायेंगे। 79–80 में 18 करोड़ का पेंशन का बजट रखा गया था और 80–81 में भी 18 करोड़ का फिर बजट रखा गया है। 52 से लेकर 1980 तक आ जायें तो पेंशन का खाता हमेशा बढ़ता जाता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, इसको स्टेटिक रखा है, केवल इसलिए कि खर्चा हमको ज्यादा नहीं बताना पड़े।

रि-पेमेन्ट ऑफ लोन यह बहुत इम्पोर्टेन्ट आइटम है। इसमें हमेशा बढ़ोतरी होती है, हमेशा भारत सरकार से कर्ज लेते है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते है, इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स हमें मिलता रहता है। रिपेमेंट कर्ज का चलता है, तो हमेशा बढ़ता है। लेकिन शायद इस वर्ष आप देखेंगे पहले साल 74 करोड़ इस वर्ष है 76 करोड़ केवल दो करोड़ की वृद्धि की है। यदि रिपेमेन्ट आफ लोन के मामले में दिखावे के रूप में 10–12 करोड़ रखते तो, माननीय मुख्य सचेतक जी राजस्थान सरकार को लोग उधार देते, भारत सरकार से पैसा मिलता, इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स से पैसा मिलता, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता लेकिन बजट में केवल दो करोड़ का प्रावधान रख कर चलते हैं तो उधार देने वालों के मन में यह शंका रहती है कि राजस्थान की सरकार चुकारा नहीं करना चाहती और इसलिए उन्होंने केवल 2 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिलीफ का सवाल है, माननीय सदस्य चाहे मेरी बात पर किसी प्रकार की आपत्ति रखें लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बजट में जो अकाल का मद रखा गया हैं उसमें केवल मार्जिनल मनी का 7.74 करोड़ का उल्लेख किय है। आप जानते हैं कि अप्रेल के बाद में मई, जून, जुलाई चार महीने अकाल का काम चलता रहा और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि सूखे की विषम परिस्थिति से निपटने के लिये राज्य में लगभग 18,750 राहत कार्य विभिन्न पंचायतों एवं विभागीय अभिकरणों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं जिन पर 9.31 लाख श्रमिक काम पर लगाये हुए हैं। 9 लाख श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। अप्रेल, मई, जून, और जुलाई–ये चार महीने निकले हैं और केवल बजट में प्रावधान रखा है 7 करोड़ 74 लाख। क्या आप जानते हैं कि 7 करोड़ 74 लाख खर्च होंगे ? मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं पिछले वर्ष आपका कुल खर्चा हुआ था 31.86 करोड़ और इस बार आपके खर्च के जो अलग-अलग ढंग से मद दिखाये हैं उनमें होगा 24.24 करोड़। यह खर्च तो होगा सो तो होगा ही लेकिन एक प्रश्न सदन में बार-बार पूछा गया उसका हमारे मुख्य मंत्री जी ने और दूसरे मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हम लोगों की बकाया का भुगतान कर रहे हैं ? मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 10 करोड़ की बकाया का भुगतान करना है, जिसका भी उल्लेख इस बजट में नहीं है। यह राशि कहां से लायेंगे आप ? अब यह भी मान लें कि 10 करोड़ में 7 करोड़ का अनाज मिलेगा किन्तु तीन करोड़ का जो लेबर का पेमेंट चुकाना है, उसका प्रावधान क्यों नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि जनता सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था की थी यह उसका परिणाम है, पिछले साल आपने किसी अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि कोई आदमी भूख से मर गया। इस प्रकार का कोई समाचार आपको अखबारों में पढ़ने को नहीं मिला होगा कि भूख से इतने आदमी मर गये। एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया गया। अगर कोई शिकायत मिली है तो वह पिछले तीन महीनों की मिली होगी जिसमें कहीं पेमेंट नहीं किया गया, कहीं चारा नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहुंचाया गया, कई और प्रकार की बातें नहीं हुई। यह सब कुछ नहीं हुआ। इस कारण यदि अकाल की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही करके चलते हैं तो 7 लाख का मेटीरियल कम्पोनेन्ट का पेमेन्ट करना है, तीन करोड़ का स्किल्ड लेबर का पेमेन्ट करना है तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार को अपने बजट के आंकड़े इस सदन में छिपाने नहीं चाहिये थे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पिछले साल जिस प्रकार की अकाल की व्यवस्था रही है उस व्यवस्था के आधार पर राजस्थान में परमानेन्ट असेट्स का निर्माण हुआ है। ऐसे असेट्स निर्माण हुए हैं, उनका मूल कारण यह था कि हमने अकाल और फूड फार वर्क का डोवटेलिंग किया और बाकी के डिपार्टमेंट के डवलपमेन्ट वर्क्स का डोवउटेलिंग किया उसके कारण सरकार का खर्चा भी बचा और खर्चा बचने के साथ-साथ गांवों में विकास के काम भी हुए।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक मद को और छिपाया गया है, माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में इस समय पे-कमीशन वर्क कर रहा है, पे-कमीशन की रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। मैंने मेरे समय में पे-कमीशन नियुक्त किया था, उस समय मैंने यह अपने आंकड़े उपलब्ध किये थे कि कितनी लायबिलिटी राजस्थान सरकार पर आ सकती है। मेरा अनुमान था कि 10 करोड़ की, 10-12 करोड़ रुपये की लायबिलिटी आयेगी। पे-कमीशन की रिपोर्ट इसी वर्ष आने वाली है। इन्हीं कुछ महीनों में आने वाली है, सरकार ने उस इवेन्च्युलिटी का ध्यान नहीं रखा। हो सकता है सरकार अपने कन्टीन्जेन्सी बजट से उसका पेमेन्ट करे, सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आ जाय, लेकिन यह बजट के लिए कोई शोभा की बात नहीं है कि जिन चीजों का अनुमान आज लगाया जा सकता है उसके लिए हम कन्टीन्जेन्सी फण्ड का उपयोग करें या उसके लिए सप्लीमेंट्री एप्रोप्रिएशन बिल लाकर या डिमाण्ड लाकर सदन में प्रस्तुत करें।

मैं ऐसी स्थिति में कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यदि इस सारी छिपायी हुई आमदनी को, इस सारे छिपाये हुए खर्चे को शामिल किया जाय तो 85 करोड़ का डेफिसिट नहीं रहता और 200 करोड़ का डेफिसिट रहता है। उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जो 348 करोड़ रुपये की योजना की डींग माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में हांक रहे थे, वह योजना 348 करोड़ की योजना नहीं रहने वाली है। 30 पर्सेन्ट की महंगाई को निकाल दें, और इनमें से 68 करोड़ रुपये महंगाई का कान्सीक्वेनशल मद बढ़ा है, उसको माइनस कर दें तो सारी स्थिति अपने आप ही सामने आ जाती है। मुख्य मंत्री जी कहेंगे, विकास के नाम पर 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय कर रहे हैं। 16 करोड़ रुपये में साढ़े 10 करोड़ रुपये तो महंगाई भत्ते के रूप में दे रहे हैं। साढ़े 10 करोड़ में से बाकी बचे साढ़े 5 करोड़, एक वर्ष में साढ़े 5 करोड़ के नये काम कर रहे हैं जिसमें प्राइमरी स्कूल भी खोलेंगे, जिसमें दवाखाने भी खोलेंगे, जिसमें परिवार कल्याण पर भी खर्चा होगा, एलोपैथिक डिस्पेन्सरी भी आप खोलना चाहते हैं, यह सब चीजें खोलेंगे और खोलने में, अध्यक्ष महोदय, सबसे ताज्जुब की बात तो यह है, मैंने पहली बार ही देखी, इस बजट में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिखा है, "सामान्य कार्यक्रम में 30 पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे" बात बहुत अच्छी है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता लेकिन 30 पशु चिकित्सालय पर खर्च कितना होगा, 30 लाख; यह भी समझ में आया? लेकिन इसी में लिखा है 100 एलोपैथिक डिस्पेन्सरी भी खोली जायेंगी और उन पर खर्चा होगा 15 लाख, जानवरों का अस्पताल खुलेगा, उस पर खर्चा आयेगा एक लाख रुपया और आदमियों के लिए अस्पताल खुलेगा तो 100 डिस्पेन्सरियों के लिए खर्चा होगा 15 लाख रुपये। बजट बनाने वाले को अक्ल के लिये मैं बधाई देना चाहूंगा। यह 30 लाख रुपये का जो खर्चा किया गया है इस खर्चे से जो महंगाई बढ़ेगी उसका कोई उपाय नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं की तरफ देखकर कहा कि महिला सदस्य भी अपेक्षा कर रही हैं कि उनको किसी प्रकार की रियायत दी जाय।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अस्पताल और डिस्पेन्सरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सर्जन और फिजिशियन में जितना अन्तर है, उतना ही है, आपको तो समझना क्या है सर्जन और फिजिशियन में।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 15 करोड़ 71 लाख रुपये, ये तो सारे खर्च में चले गये और मुख्य मंत्री ने रियायतों की घोषणा की कि मैं रियायत दे रहा हूं, वे रियायतें केवल मात्र 29 लाख की हैं। उन रियायतों के लिए 25 पेज के बजट भाषण में औरतों के लिए 2 पेज कवर किये हैं लेकिन इन 2 पेज में सबको जोड़कर आप केवल 29 लाख रुपये की रियायतें दे रहे हैं। अब आप इस बात के लिए हमें सभी लोगों को कहें कि महिलाओं को हमने कई प्रकार की सुविधायें दीं, सिन्दूर टैक्स फ्री कर दिया, मेंहदी टैक्स फ्री कर दी, कुमकुम हमने टैक्स फ्री कर दिया। मैं मुख्य मंत्री जी से और माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि चुनाव कुमकुम के आधार पर नहीं लड़ा, चुनाव आपने सिन्दूर के आधार पर नहीं लड़ा, चुनाव आपने मेंहदी हाथ पर रंग कर नहीं लड़ा था। आपने जनता में भाषण दिया था कि हमारा राज्य आयेगा तो मंगलसूत्र सस्ता हो जायेगा। खेतसिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि सोने के भाव क्या हैं; कहां गया मंगलसूत्र? मंगलसूत्र तो···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया भाषण में बाधा उपस्थित न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सही बात कहने पर चिढ़ लग रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय सदस्य, जो कोई भी विरोध करना चाहें, उन्हें अवसर मिलेगा, बीच में इन्टरफियरेन्स न पहुंचायें तो अच्छा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने और किसी से मंगलसूत्र के बारे में नहीं पूछा, मैंने खेतसिंह जी से पूछा कि आपका मंगलसूत्र कहां गया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी को तो मंगलसूत्र खरीदना ही नहीं पड़ेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़: पहले इन्होंने ही महंगा किया। आप भी आज जितनी बात कह रहे हैं, हमारा इसमें क्या है, हमारी गवर्नमेंट तो दो महीने की है, आप महंगाई तो खुद करके गये हैं, महंगाई तो आपने बढ़ाई, दिवाला तो आपने निकाला है और आज हमसे खुद लड़ रहे हैं। यह कमाल की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर खेतसिंह जी तैयार हों तो उनके लिये मंगलसूत्र मैं तैयार करवा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आपने जो रियायतें दी हैं उन रियायतों के लिए किस प्रकार प्रचार किया गया है मैं केवल इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार से हमें किस प्रकार पैसा मिलता है, सदन जानता है। कान्सटीट्यूशन के आर्टीकल 375 के अन्तर्गत हमें कुछ सहायता मिलती है, अनुदान मिलता है। उसका तरीका यह है कि फाइनेन्स कमीशन के जो निर्धारित तरीकें है, उस कन्डीशन में हमको पैसा मिलता है कुछ वेज एण्ड मीन्स के आधार पर, प्लानिंग कमीशन के नाम पर हमको पैसा मिलता है। हम भारत सरकार से क्या लेने वाले हैं, यदि इस सारी स्थिति पर इस बजट को ले जाना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है बल्कि हमें इस आधार पर ले जाना पड़ेगा कि भारत सरकार ने जनता पर जो बर्डन डाला है, उसका राजस्थान की जनता पर और भारत की जनता पर क्या असर हुआ है। यह सदन जानता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 2100 करोड़ रुपये की कीमतें 7 जून को बढ़ायी हैं। यह सदन जानता है कि फर्टीलाइजर की महंगाई करके 600 करोड़ रुपये की एकसाइज ड्यूटी बढ़ायी। 2700 करोड़ रुपये का भार तो 6 जून को भारत सरकार ने डाला जिससे हिन्दुस्तान की जनता और राजस्थान के किसान कोई बचा हुआ नहीं है। उसके बाद रेलवे बजट पेश हुआ 16 जून को उस रेलवे बजट के अन्दर 300 करोड़ रुपये का किराया बढ़ा कर जितने भी पेसेन्जर हैं और गुड्स हैं, उनको टैक्स किया इस प्रकार से फिर बजट तीसरा पेश हुआ, जो सरकारी बजट है, उस बजट में 476 करोड़ रुपये के टैक्सेज लगाकर 300 करोड़ रुपये के टैक्सेज लगाये, कुल मिलाकर ये जो सारे टैक्सेज का भार 3 हजार करोड़ रुपये का बढ़ा, 35 सौ करोड़ रुपये का भार बढ़ा उसका नतीजा यह हुआ कि लोग गये थे महंगाई से मुक्ति पाने के लिए, लोग गये थे टैक्स के बर्डन से मुक्ति पाने के लिए और कांग्रेस पार्टी का राज आया तो उसने राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता पर प्रति व्यक्ति 54 रुपये का भार डाल दिया। 54 रुपये का भार डालने के बाद मुख्य मंत्री जी ये कहें कि मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कोई अतिरिक्त कर नहीं लगा रहा हूं, कर लगाने की किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं, न भारत सरकार ने छोड़ी और न किसी प्रकार राजस्थान में आपको दिखी, इस कारण से आपने टैक्स नहीं लगाकर हमारे ऊपर कोई दया नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, चीनी के भाव क्या हैं। जनता पार्टी के शासन की बहुत बुराई करते हैं। मैंने जैसा कहा इन्फ्लेशन की देन, प्राइस राइज की देन है। 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलो चीनी मिलती थी, आज, खेतसिंह जी, साढ़े आठ रुपये किलो बिक रही है। आप उसका इन्तजाम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: एक रुपये किलो गुड़ मिलता था वह आज चार रुपये किलो मिल रहा है। जो तेल सात रुपये किलो मिलता था····

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। ये माननीय भैरोंसिंह जी साहब खेतसिंह जी का ही नाम बार बार लेकर क्यों एड्रेस कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी गलती है कि मैं बार-बार खेतसिंहजी का नाम ले रहा हूं और बृजसुन्दरजी का नाम नहीं ले रहा हूं। अब आप इन्तजार करें।

बृजसुन्दर जी, आज आपको पता है कि बून्दी में पहले खाद्य तेल 7 रु. किलो मिलता था, अब बून्दी में वहां खाद्य तेल 14 रु., 15 रु. और 16 रु. किलो बिक रहा है। आपकी हिम्मत नहीं है कि बून्दी के बाजारों में और गरीबों के मोहल्लों में जाकर कह दें कि हम चीजों के भाव सस्ते करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ रह गया। इसमें कोई संदेह नहीं। इसका पिछड़ापन किस प्रकार से दूर किया जावे इसकी चिन्ता जितनी पहाड़ियाजी को है उतनी ही चिन्ता विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी है। लेकिन पिछड़ापन तब तक रहेगा जब तक कि परकेपिटा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में नहीं बढ़ेगा। कोई जादू दूसरा हो नहीं सकता। आपको राजस्थान में विकास का व्यय बढ़ाना पड़ेगा। राजस्थान में विकास पर व्यय प्रति व्यक्ति नहीं बढ़ा तो आप मान कर चलें कि आप चाहे कितने ही नारे लगा लें, चाहे कितना ही इन्दिराजी का आशीर्वाद लेकर यहां आ जायं, राजस्थान का विकास नहीं होगा, राजस्थान पीछे रहेगा। यहां साहस की कमी है। आखिर पर-केपिटा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको अपनी रेवेन्यू, आय बढ़ानी पड़ेगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी, टैक्स रेवेन्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो कुछ भी अपनी आय के स्रोत हैं उसमें जितने भी लीकेज हैं उनको रोकना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किया है। 1975-76 से लेकर 76-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

77 तक 58 करोड़ का राजस्व बड़ा, रिसोर्सेज को हमने बढाया रेवेन्यू रिसीप्ट के खाते में, माननीय शिवचरणजी नोट कर लें, 78-79 में 34 करोड़ बढ़ाए 78-79 में 109 करोड़ बढ़ाए, 79-80 में हमने 79 करोड़ बढ़ाये और 80-81 में आपने रिसोर्सेज के नाते 42 करोड़ की वृद्धि दिखाई है। आप अन्दाजा लगाइये यदि रेवेन्यू रिसोर्सेज नये साल के एक साल पहले 109 करोड़ रुपये थे उस 109 करोड़ रुपये की तुलना में यदि 42 करोड़ के रेवेन्यू रिसोर्सेज का एडीशन होता है तो राजस्थान की डवलपमेंट नहीं होगा। यहां साहस की कमी है। यह रेवेन्यू रिसोर्सेज कैसे बढ़े? हमने भी मामूली टैक्स लगाये थे, मामूली टैक्सों से आय कुछ हुई या नहीं हुई लेकिन लीकेज को रोका। जिसका नतीजा यह हुआ कि 77-78 में जहां 34 करोड़ रुपयों के रेवेन्यू रिसोर्सेज थे, 78-79 में हमने 109 करोड़ रुपये तक के रेवेन्यू रिसोर्सेज पैदा किए। इसी के कारण पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर के आधार पर, आल इंडिया एवरेज में जहां नीचे रहते थे वहां आल इंडिया एवरेज में ऊपर चले गये। उस समय अध्यक्ष महोदय शराबबन्दी के कारण भी हमें घाटा हुआ था। हमने शराबबन्दी की। पहले वर्ष में 27 करोड़ का घाटा हुआ। दूसरे वर्ष में 18 करोड़ का घाटा हुआ और इस वर्ष 8 करोड़ का घाटा है। 27 करोड़ रुपयों का घाटा भोग कर हमने 109 करोड़ के रेवेन्यू रिसोर्सेज रेवेन्यू खाते में जोड़े, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा कोई अपेक्षा हमसे नहीं कर सकते थे। इसी का नतीजा था कि हमारा बजट आगे बढ़ता गया। नोन टैक्स रेवेन्यू को देखें। 76-77 में 103 करोड़ नोन टैक्स रेवेन्यू थी। 77-78 में 106 करोड़ थी। 78-79 में 124 करोड़ रुपये थी। 79-80 में 157 करोड़ रुपये थी और अब 80-81 में 157 करोड़ से आगे बढ़नी चाहिए थी। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है, खेतसिंहजी और बृजसुन्दरजी, आप दोनों सुन लें कि नोन टैक्स रेवेन्यू जो 157 करोड़ रुपये थी उससे घटाकर आपने 155 करोड़ रुपये कर दी है, इससे ज्यादा राजस्थान के लिए कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप यह कह दें, अध्यक्ष महोदय...

श्री खेतसिंह राठौड़: क्या है, वह तुम्हारी समझ में आई ही नहीं। यों ही पीछे बैठे बैठे शेम शेम कर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेज 25 पर सरकार ने लिखा है....

श्री शिवचरण माथुर : ये नोन टैक्स रेवेन्यू के फिगर आपके पास कहां से आए?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सरकार के दिये हुए नहीं हैं, मेरी सरकार के समय के दिए हुए हैं; उसमें मिल जायेंगे। यहां तो बहुत सी चीजें छुपाई हैं। मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चहाता हूं....

(व्यवधान)

श्री दिनेशराय डांगी : सब गलत फिगर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिनेशरायजी, यह सच्चाई है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : आप तो आंकड़े पढ़ते जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, भगवान जाने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं हुजूर आपको भी जानता हूं। आप तो कागज पढ़ते हो मैं आपका दिमाग पढ़ता हूं। बड़ा अन्तर है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पेज 25 पर कर रहित राजस्व में वृद्धि करके आय बढ़ाने की बात कही गई है। उसी प्रकार से आपने आयोजना भिन्न व्यय में कटौती करके आय बढ़ाने की बात लिखी है। ये दो बातें लिख कर यह जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर हो रहा है, उसको किस प्रकार से मीट किया जावेगा, इसकी व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है, बृजसुन्दर जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं इसलिए उनको फाइनेन्सेज की जानकारी होगी। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या इन दो बातों से तसल्ली हो जाएगी। कर रहित राजस्व में वृद्धि करके इस घाटे को पूरा किया जा सकता है। यदि घाटा पूरा करने के कोई साधन थे तो उसका रिफ्लेक्शन बजट में होना चाहिए था। उसी प्रकार से आयोजना भिन्न व्यय में कटौती करते। आयोजना भिन्न व्यय क्या होता है? जो भी प्लान के अन्दर खर्चा करते जाते हैं, पांच वर्ष की कमिटेड लायबिलिटी आगे जाकर नोन-प्लान में ट्रांसफर होती है। प्लान बनता जाएगा और नोन कमिटेड लायबिलिटी आती जाएगी। कमिटेड लायबिलिटी को कितनी कम कर सकेंगे? मेरी समझ में नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते है, खींचतान करके खूब से खूब बचत की जा सकती है तो दो तीन करोड़ से ज्यादा की बचत नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, नोन प्लान एक्सपेंडीचर है यह भी पहले से कम करके दिखाया है। नोन प्लान एक्सपेंडीचर 78-79 में था 426 करोड़ रुपया, 79-80 मे था 512 करोड़ और 80-81 में 521 करोड़ रुपया है। इसको भी उन्होंने कम कर के दिखाया है। सैल्स टैक्स में 137 करोड़ दिखाया गया था गये साल और इस साल प्रावधान कर दिया है 157 करोड़ का। मेरी समझ में नहीं आता कि सैल्स टैक्स आएगा कहां से। लोगों की जितनी पर्चेजिंग पावर होगी, पर्चेजिंग पावर के साथ ही सैल्स टैक्स में वृद्धि होगी। हमने इतना टैक्स लगा दिया . . .

श्री शिवचरण माथुर : वह लीकेज को रोक कर किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका यह रिफ्लेक्शन चन्दनमल जी पर है। वे पहले यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत कण्ट्रोल किया लेकिन बढ़ा नहीं सके। आप जानते हैं कि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जितनी इकोनोमिक कण्डीशन लोगों की अच्छी होगी, उतनी ही पर्चेजिंग पावर ज्यादा होगी। तब सैल्स ज्यादा होगी। सेल जितनी ज्यादा होगी उतना ही सैल्स टैक्स ज्यादा मिलेगा। राजस्थान में अकाल है यह बच्चा-बच्चा जानता है। काश्तकारों की पर्चेजिंग पावर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। महंगाई के कारण मिडिल क्लास की पर्चेजिंग पावर नहीं है। जहां पर्चेजिंग पावर ही नहीं है तो वहां 20 करोड़ की सैल्स टैक्स की वृद्धि हो जाय, इस बात पर विश्वास कौन करेगा। आप लोग भले ही विश्वास कर लें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।···

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अकाल की देन तो आपके साथ ही चली गई। इस साल तो जमाना आएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खेतसिंहजी धोखे में नहीं रहें। मैं बताता हूं उनके जमाने में कैसे अकाल पड़ते थे, वह भी सुन लें। अगर आप यही चाहते हैं तो सुन लें। 63-64 में अकाल पड़ा। 64-65 में अकाल पड़ा, 65-66 में अकाल पड़ा। 66-67 में अकाल पड़ा और 67-68 में अकाल पड़ा। अध्यक्ष महोदय, जब तक कांग्रेस का राज राजस्थान में रहा तब तक अकाल पड़ा और जब जनता पार्टी का राज आया सन् 77-78 में तो 77-78 और 78-79 में कोई अकाल नहीं था। यह अकाल की देन कांग्रेस की है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द सैनी: आपके शासन में भी अकाल पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इस वर्ष में अकाल पड़ा है, अध्यक्ष महोदय। जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि······

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया): इनके टाइम में किसानों को जितनी परेशानी हुई, मैं समझता हूं कि पिछले पचास सालों में भी उतनी परेशानी नहीं हुई थी। गन्ना चार रुपये क्विटल नहीं लिया किसी ने। गन्ने को लकड़ी के भाव बिकाया था जनता पार्टी की सरकार ने। जब तक हमारा शासन था···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि अकाल का युग तो गया। लेकिन ज्योंही आप आने लगे, जैसे बरसात आती है उससे पहले आंधी आती है, हमें तो पता नहीं था कि आप आने वाले हो लेकिन प्रकृति को पता था कि आप लोग तशरीफ लाने वाले हो। आपके आने से पहले ही राजस्थान में अकाल की स्थिति पैदा हो गई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने तो राज ले लिया लेकिन उसके कारण जनता दुखी है, उसके साथ मेरी सहानुभूति है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिसोर्सेज के मुद्दे पर यह हमारी सरकार बिल्कुल पीछे रही। इसने कोई साहस का परिचय नहीं दिया। साहस का परिचय नहीं देकर रिसोर्सेज को बढ़ाने की या तो इनमें हिम्मत नहीं है या रिसोर्सेज बढ़ाना इनके काबू की बात नहीं रही। इसका बुरा परिणाम राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना के ऊपर पड़ेगा और उससे आगे की बात की चिन्ता करनी पड़ेगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लान के विषय में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 348 करोड़ की योजना हमने बनाई है। मैंने पहले संकेत दिया था कि 20 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। उस महंगाई के आधार पर आप 68 करोड़ रुपया कम करोगे तो 280 करोड़ का बजट रहता है। टोटल डेफिसिट को भी यदि शामिल किया जाय तो मैं मुख्य मंत्रीजी और बाकी मंत्रियों से पूछना चाहूंगा कि आपके प्लान के लिये रिसोर्सेज कहां से आयेंगे। कौन रिसोर्सेज आपको देने वाला है। भारत सरकार देने वाली नहीं है। भारत सरकार ने पिछले दो महीनों में राजस्थान के साथ क्या किया है यह भी मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको कम से कम यह अन्दाजा हो जाएगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि इन्दिराजी की मेरे ऊपर कृपा है, केवल एक बात पर इन्दिराजी की कृपा है। कांग्रेस पार्टी का बहुमत हो या नहीं हो, मुख्य मंत्री बने रहो, बोलो मत, राजस्थान को जितना मिलता है, उसे लेकर सन्तोष करो, ज्यादा मांग करने की चिन्ता मत करो, उसके लिये संघर्ष मत करो, ज्यादा लम्बी चौड़ी कृपा नहीं है। इस योजना में आप देख लीजिये, सरकार ने कह दिया, बहुत अच्छा है। राजस्थान के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये मैं उदाहरण दे रहा हूं, 79-80 में 15.40 करोड़ का प्रावधान था, 80-81 में 16.32 करोड़ का प्रावधान था। केवल 92 लाख रुपये की वृद्धि की गई है, मेटिरियल कास्ट में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और 20 प्रतिशत की जब बढ़ोतरी हुई है तो मुख्य मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से लिखा है. बजट में बजट ईयर के आंकड़े दिये जाते हैं कि इस वर्ष हम क्या करने वाले हैं लेकिन मुख्य मंत्री कहते हैं कि आज से लगने वाले एक वर्ष में इतने गांवों मे बिजली पहुंचेगी, आज से लगने वाले 12 महीनों में इतने कुओं पर बिजली पहुंचेगी। "आज से लगने वाले 12 महीनों मे" यह फ्रेज आज तक किसी बजट भाषण में नहीं है। यह फ्रेज पहली बार इनवेन्ट किया गया है। इनवेन्ट किया गया सारे रिसोर्सेज के कारण, प्लान में रुपयों की कमी के कारण, राजस्थान में जो विकास की गति आगे बढ़ रही थी, उसको मुख्य मंत्री ने पीछे लाकर छोड़ा है। उस चीज को किस प्रकार छुपाया जाये, यह सारा प्रयत्न इसलिये किया जा रहा है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, 79-80 में 28828 कुओं को बिजली दी गई, नोट करलें आप इस वर्ष कितने कुओं को बिजली देना चाहते हैं, 20,000 कुओं को।

अब गांवों में आइये, 7-8-79 में 2319 गांवों में बिजली दी गई। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं, इस वर्ष हम 1800 गांवों को बिजली देंगे। एक बात यहां प्रभाकर जी स्पष्ट रूप से कह दें। हमने एवरेज 1000 प्राइमरी स्कूल खोले। हमारे शिक्षा मंत्रीजी कहें कि इस बार हम 600 खोलेंगे उससे आप अंदाजा लगायें कि कितनी बिजली मिल रही है, कितने गांवों में बिजली पहुंचेगी, कितने कुओं पर बिजली पहुंचेगी, यह सब आप हिसाब लगा लें।

इसी तरह से वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में अन्दाज लगा लें, 30 वर्ष में किसी ने नहीं सोचा कि वर्ल्ड बैंक से पैसे लिये जा सकते हैं। राजस्थान की जनता पार्टी की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
सरकार थी जिसने राजस्थान में अर्बन और रूरल दोनों के लिये वर्ल्ड बैंक के सामने प्रोजेक्ट तैयार··

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): आपके जमाने के पहले की योजना है। मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में क्वेश्चन आवर में निवेदन किया था, बीसलपुर बांध और इन सब बातों के बारे में······

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य सदन को भूंठे आंकड़ों से गुमराह जरूर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला: खुद ही भूल जाते हैं कि कौनसी बात कब कहनी है और कब नहीं कहनी है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर-आर्डर!

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इनको राजस्थान याद नहीं है, बीसलपुर का बांध याद है। बीसलपुर की जैसी चिन्ता आपको है, वैसी मुझे भी है। लेकिन चिन्ता करने से काम नहीं चलेगा। पैसे का प्रावधान करने से काम चलेगा। आपने बीसलपुर की चिन्ता की है, मैंने बीसलपुर के निर्माण की चिन्ता की है, दोनों में बड़ा अन्तर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर!

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था 120 करोड़ का, जो वर्ल्ड बैंक से मिले हैं, उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है, उसका उल्लेख बजट भाषण में है, उसको बहुत बड़ा अचीवमेन्ट बता रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि जो कुछ हमने किया, उसका क्रेडिट आपकी सरकार ले रही है, कोई आपत्ति नहीं है लें। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमने पहली बार इन रिसोर्सेज को टेप किया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी अपने कन्ट्री के बाहर एजेन्सी हो सकती हैं, जो कन्ट्री के अन्दर इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स मिल सकता है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चिन्ता करनी चाहिये। किस इन्स्टीट्यूशन से हमें कितना रुपया मिल सकता है, एल. आई. सी. से कितना मिल सकता है, आई.डी.बी.आई. से कितना मिल सकता है, आई. सी. आई. से कितना मिल सकता है आई. एस. सी. से कितना मिल सकता है, जितनी भी इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उनको टेप करना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कांग्रेस की पार्टी के कोई इनटेलीजेन्ट आदमी हों, यदि इनटेलीजेन्ट आदमी से उनको नफरत नहीं है, तो ऐसे लोगों को पिक-अप कर लें जो इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स के लिये प्रोजेक्ट तैयार करें। इसके अलावा एक एक्सपर्ट का सेल तैयार कर लें। जिस प्रकार की योजना बनती हो, उस योजना को लेकर भारत सरकार के पास या जो भी लोनिंग इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उन सारे इन्स्टीट्यूशन्स के पास से फाइनेन्स लाकर अपने काम को ठीक प्रकार से कर सकें, मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जहां तक पीने के पानी का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, वर्ल्ड बैंक की टीम ने कहा, केवल शहरी पानी की व्यवस्था करेंगे। कई दिनों तक यह स्कीम पड़ी रही, मैंने भी जिद कर ली, मैं आपको डिक्टेशन नहीं दे रहा हूं, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट के द्वारा अभिव्यक्त होंगी, उन पर आप किसी तरह से डिक्टेशन नहीं दे सकते हैं। छः महीनों तक विवाद चलता रहा, अन्त में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि रूरल एरिया में और अर्बन में भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से काम किये जायेंगे। पहले अगर आपको याद है, जैसा आप कह रहे हैं, हमने बनायी थी, उसमें केवल वर्ल्ड बैंक शहरों को सहायता देना चाहता था, जो 25 हजार क्यूमुलेटिव विलेजेज हैं, उनमें किसी प्रकार सहायता नहीं देना चाहता था। यह बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। मैं समझता हूं, गांव से आने वाले माननीय सदस्य, निश्चित इसकी सराहना करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बाधा उपस्थित · ·

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अर्बन की बात तो कही है · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बाधा उपस्थित न करें यह कोई डिबेट का तरीका नहीं है कि आपस में वाद-विवाद चलता रहे। आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये जानबूझ कर करवाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बीच में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। सदन में परिपाटी रही है जब प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं तो बाधा नहीं डाली जाती।

वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट के लिये पैसा दिया। आपने इनस्टीट्यूशनल फाइनेन्स का काम प्रारम्भ किया। उसके अन्दर आप पायोनियर हैं, यह बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक से दूसरे लोन भी लेते हैं। सी. ए. डी. का लोन वर्ल्ड बैंक से मिला है। वर्ल्ड बैंक का डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम था। कांग्रेस के शासन में वर्ल्ड बैंक और जो इन्टरनेशनल फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन है, उनसे लोन नहीं लेते रहे हैं, यह बात नहीं है। यह हमको देते रहे हैं। अर्बन और रूरल का जरूर उसमें डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट को आप कितना सोल्व कर सके हैं, यह मैं नहीं कहता, मैंने नहीं पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक और जितनी फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन इंडिया में हैं, उनसे लोन लेने के लिये स्पेशल सैल व स्कीम बनायी है, 1972 में बनी है। कई स्कीमें ऐसी बनी हैं, जिनके लिये फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन से पिछले 8-10 साल हम बराबर लोन लेते रहे हैं, यह बात ठीक है, आप यह कह रहे हैं कि सैल स्थापित किया है, जितना ज्यादा ले सकें वह राजस्थान के हित में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड बैंक को आप ही फतह कर आये हो, यह बात नहीं है।

(श्री परसराम मदेरणा)
कांग्रेस सरकार ने पहले वर्ल्ड बैंक से विकास की योजनाओं पर लोन लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट में केवल एक बात कही है, जो मैं कहना चाहता था। मैंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक से पानी के लिये पैसा पहली बार लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कारसपोन्डेंस हमारे वक्त में शुरू हो गई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने केवल एक बात कही है उसके बारे में उनको भी आपत्ति नहीं हुई, दूसरी बात उन्होंने यह स्वीकार कर ली कि पहले अर्बन की स्कीम थी, बाद में रूरल की भी हुई। कितनी सफलता मिली है, कितनी नहीं मिली, यदि आप बजट देखने का प्रयास करते तो पता लगता 130 करोड़ रुपए का वेरीफिकेशन किस प्रकार हुआ है। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, प्लान का मेरा अपना दो वर्ष का अनुभव है। मैं, हो सकता है, कोई सही नतीजे पर नहीं पहुंचा होऊं। मेरी एक धारणा बनी, जो आज प्लानिंग कमीशन बना हुआ है, वह न राज्य की आवश्यकताओं को अनुभव करता है, न राज्य की जनता की आवश्यकता की चीजों को अनुभव करता है, न स्टेट के रिसोर्सेज किस प्रकार डवलप हो सकते हैं इस बात को मानता है, न इसमें विश्वास रखता है कि रिसोर्सेज को किस प्रकार से मोबिलाइज किया जा सकता है, वह कुछ तय करके चलता है, टोटल बजट का 60 पर्सेन्ट इरिगेशन पर और पावर पर खर्च किया जाये। 10 पर्सेन्ट अमुक मद में किया जाये, 5 पर्सेन्ट अमुक मद में किया जाये उसके कारण हर राज्य के सामने यह समस्या पैदा होती है, जब उन डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं तो प्लानिंग कमीशन बाधा बन कर खड़ा होता है। मैंने इसका पहली बार मुकाबला किया। मैं नहीं कहता कि शत प्रतिशत सफलता मुझे मिली। लेकिन चेष्टा जरूर की है। तो इस प्रकार से उन्होंने बाटल नेक्स क्रियेट कर दिये, टाइट कार्नर्स बना दिये, उन टाइट कार्नर्स को तोड़ा जाये उनको यूज किया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज राजस्थान के इरिगेशन, और पावर सैक्टर में काफी प्रावधान, शायद 191 करोड़ का हमने प्रावधान किया है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके साथ इंडस्ट्रीज है, माइन्स है। उसके बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान की इकानामिक पोजीशन को साउन्ड करने के लिये लीडिंग फक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। मुझे विश्वास है, माथुर साहब, इस प्रश्न पर आज नहीं तो कल विचार करेंगे कि राजस्थान की इकानामी को सुधारने के लिये लीडिंग फैक्टर्स क्या हैं। मेरा अन्दाज है कि यदि एक करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो इसमें मेरे ख्याल से 40 लाख की रायल्टी मिलेगी। 50 लाख सैल्स टैक्स के रूप में मिलेंगे। एक साल में फैक्ट्री खडी हो जायेगी। एक करोड़ रु. की स्टेट की इन्कम शुरू होगी। हमें इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। इसी आधार पर आर. एफ. सी. ने लोनिंग किया है। पहली बार राजस्थान में आर. एफ. सी. ने, आपको जान कर खुशी होगी, पिछले 18 वर्षों में केवल 53 करोड़ का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर्जा दिया और हमने पिछले दो वर्षों में इतना ही कर्जा आर. एफ. सी. के मार्फत उद्यमियों को दिया है। इसी का नतीजा यह निकला कि हिन्दुस्तान में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स का पर्सेन्टेज इन्क्रीज हुआ है उसमें राजस्थान देश में सबसे आगे है। जो लोन हमने लिया उसमें भारत में टोप पर राजस्थान का नाम आ रहा है।

इसी प्रकार रीको के माध्यम से 11 करोड़ का कर्जा पहली बार दिया गया। जैसा कि उल्लेख किया गया है बजट भाषण में, 34 प्रोजेक्ट जोइन्ट सैक्टर्स में, 150 करोड़ का नियोजन होगा। कन्ट्री के अन्दर ये IInd हाईहेस्ट स्टेट है रीको के माध्यम से हमने इन्डस्ट्रियलिस्ट को इन्डस्ट्री लगाने को तैयार किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इसमें और विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। जो राजस्थान के उद्यमी राजस्थान से बाहर हैं वे आज राजस्थान में आना चाहते हैं। वे वहां दुखी हैं और दुःख के कारण यहां आना चाहते हैं। स्थिति ऐसी बन रही है, मुख्य मंत्री जी, लोग राजस्थान में उद्योग लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा सके इसके बारे में हमें धनराशि का विशेष प्रावधान करना चाहिये। मैं समझता हूं श्रीराम जी गोटेवाला से पूछ कर कुछ आदमियों की ऐसी समिति बना दें जो कलकत्ता और बम्बई से राजस्थान के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिये ला सकें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। विपक्ष के माननीय नेता हमें देखकर कह रहे हैं या आपके माध्यम से हमें कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अबके आपका नाम लूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : किसी की तरफ भी देख सकते हैं। अब आप मुख्य मंत्रीजी को सम्बोधित करें और उनको सम्बोधित करना छोड़ दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी राय से सहमत हूं। मैं श्रीरामजी गोटेवाला का नाम नहीं लेता तो यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता। कई व्यक्तियों का नाम लेते ही आपत्ति होती है। यह मुझे पता नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माइन्स और इण्डस्ट्रीज में 1954 से 74 तक 22 वर्षों में 17 करोड़ रुपये दिये गये वहां 78-79 में 12 करोड़ और 79-80 में 8 करोड़ दिये गये। कहां 22 वर्षों में 17 करोड़ दिये गये और कहां इन दो वर्षों में 20 करोड़ दिये। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इण्डस्ट्रियल सैक्टर को हम किस प्रकार बढ़ावा देना चाहते थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नये कितने सीमेंट के कारखाने चालू हुए और जोइन्ट सैक्टर क्या कांग्रेस के जमाने में चालू नहीं हो गये थे? दूसरी बात, आप और आपके उद्योग मंत्री महोदय कलकत्ता और बम्बई पधारे थे, कितने बड़े उद्योगपतियों को आपने प्रोत्साहन दिया? उद्योगपतियों का सम्मेलन भी बुलाया था, उसके अन्तर्गत क्या-क्या प्रगति हुई, मेहरबानी करके सदन को क्या आप बतायेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी धारणा थी कि श्रीराम जी गोटेवाला बहुत विद्वान हैं पर वह क्या हैं यह तो उन्होंने यह कह कर साबित कर दिया। मैंने जब आर. एफ. सी. और रीको के आंकड़े दिये हैं उनका रिफलेक्शन बजट भाषण में आपने दिया उससे क्या आप अन्दाजा नहीं लगा सकते कि कितने उद्योगपति आये।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि आज यूनिट कोस्ट बढ़ गई है जो हमने प्रावधान किया था वह भी काफी कम है। यह प्रावधान बढ़ना चाहिये जिससे कि राजस्थान में लोग आ सकें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय बड़ी होशियारी से मेरी बात को टाल रहे हैं। आपने सीमेंट फैक्ट्री की बात की। मैं पूछता हूं जोइन्ट सैक्टर में उनके एग्रीमेंट हुए। क्या केवल कागजों में ही वे एग्रीमेंट रखकर राजस्थान में इंडस्ट्री का विकास करना चाहते हैं? मैंने आपसे चुनौती देकर पूछा, कलकत्ता और बम्बई से कितने उद्योगपतियों को लाये और कहां उन्होंने उद्योग लगाये यह तो बता दें?

श्री अध्यक्ष : यह होशियारी का ही काम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीराम जी को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जाय, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी जवाब देने की हैसियत तो समाप्त हो गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब दूंगा। रूल्स को पढ़ लें, इसका भी प्रावधान है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के लिये कहते हैं हमने यह कर दिया, वह कर दिया। 1979–80 में 15.59 करोड़ का प्रावधान था। बजट में जनरल राइज 8 प्रतिशत का है लेकिन ट्राइबल एरिया में 1.26 करोड़ ही ज्यादा रखे हैं जिससे जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं पर 1980–81 में 16.95 करोड़ व्यय होगा जब कि बजट में जनरल इंक्रीज 8 प्रतिशत है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा फिर इन आदिवासियों ने क्या अन्याय किया था कि ट्राइबल्स के मद में इस प्रकार की कमी की गयी। मैं समझता हूं कि आप उत्तर देते समय इसका ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में कई बार नेशनलाइजेशन की बात कहते रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के मद में पिछले वर्ष 8.10 करोड़ का प्रावधान था। 80–81 में इनक्लूडिंग लोन्स 6 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जब कि एक गाड़ी जो पहले डेढ़ लाख में आती थी वह अब 2.30 लाख में आती है। टायर महंगे, स्पेयर पार्ट्स महंगे, स्टील महंगा और लेबर महंगी हो गई। फिर ये किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर पायेंगे यह मुख्य मन्त्री जी ही जान सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात निवेदन करूंगा। अभी माननीय सदस्यों में

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

अन्त्योदय और सर्वोदय का विवाद उठा था मैं सर्वोदय का विरोधी नहीं हूं कोई इस भूल में न रहे। मैं इस थीसिस में भी नहीं पड़ना चाहता कि अन्त्योदय सर्वोदय का अंग है या नहीं। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि सर्वोदय में सब का उदय और अन्त्योदय में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उसका उदय है। अब आप फैसला कर लीजिये कि सर्वोदय करना है या अन्त्योदय, मुझे इस में आपत्ति नहीं होगी। मुख्य मंत्री जी ने जो बजट में 3 करोड़ का अन्त्योदय के लिये प्रावधान रखा है उसके लिये मैं समझता हूं कि कहीं मुख्य मंत्री जी कहें, बधाई नहीं दी जा रही है, तो उनकी इच्छा-पूर्ति के लिए मैं बधाई मुख्य मंत्री जी को दे रहा हूं। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सर्वोदय और अन्त्योदय में जो अन्तर है उसको देखना पड़ेगा। मेरे पास भी है लिस्ट, 1952 में टाटा, बिरला, डालमिया और साहू जैन के पास क्या सम्पत्ति थी और आज 1980 में क्या सम्पत्ति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आप अपशब्दों का प्रयोग न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूंजीपतियों के पास पैसा बढ़ा है। गरीबों की गरीबी बढ़ी है। इस बात को सब मानकर चलते हैं। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि देश में एक तरफ गरीबी बढ़ी है और दूसरी तरफ पूंजी का कंसन्ट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जिन अन्त्योदयी परिवारों को 26 करोड़ का कर्जा दिया है, मैंने मालूम करने की कोशिश की है, 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं चाहे अन्त्योदयी हों या सर्वोदयी जिन्हें 30 वर्षों में एक पैसा कर्ज का नहीं मिला। उनको यदि कर्जा दे दिया तो लोगों को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि गरीबों को पहली बार कर्जा मिला। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज गरीब की रक्षा कौन करता है, सहायता कौन देता है? एल.आई. जी. एच. के माध्यम से जिन गरीब लोगों को पैसा दिया है, उनमें 70 प्रतिशत गरीब लोगों को पैसा मिला है उनमें 1 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अन्त्योदय परिवार की श्रेणी में आ सकते हैं। एक प्रतिशत लोगों को कर्जा मिला है, उन गरीबों में से जो 70 प्र. श. एल. आई. जी. एच. स्कीम में आ सकते हैं। जिनके पास कोई साधन नहीं है उनको 1 प्र. श. कर्जा मिलता है। एम. आई. जी एच. के अन्दर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और ऊपर वालों को 20 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक पैसा मिलता है तो पचास और उनचास यह तो मिल गया उन लोगों को और 70 प्रतिशत लोगों को मिलता है 10 प्रतिशत, उसमें एक प्रतिशत मिलता है गरीबों को और किसी को नहीं मिलता है। इसलिए यह जो ऊपर के लोगों को पैसा मिलता रहा है वह उनको न मिल कर गरीबों को मिल जाए, यह हमने प्रावधान किया था।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, भूमि आवंटन के प्रश्न को लेना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि गरीबों को जमीन मिली है। जिस समय मुख्य मन्त्री महोदय बेरी कमी-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शन की रिपोर्ट पर यहां पर चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सरकार ने भूमि का आवंटन किन गरीबों को किया है ? आज गरीबों के लिए प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है किन्तु जितनी मात्रा में प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं खुल रहे हैं। आज मांग आती है यूनिवर्सिटी और कालेज की, हो सकता है कि यह मांग वाजिब हो। परन्तु यदि गरीबों को बराबर लाना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खुलें। इसी आधार पर मैं रूरल क्रेडिट का प्रश्न लेता हूं। मुख्य मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि रूरल क्रेडिट में गरीबों को काफी पैसा मिलता है। पहले एस. एफ. डी. की स्कीम चली। इसमें पहली बार गरीबों को पैसा दिया गया। इसी प्रकार से डी. पी. ए. पी. की स्कीम चली। इसमें भी गरीबों को पैसा मिला। इस स्कीम में तो गरीबों को कुछ मिला है। जनता पार्टी के शासन ने इसके अन्दर आर्टिजन को शामिल किया। उनको ऋण देने का प्रावधान रखा। ड्रिंकिंग वाटर का प्रावधान भी इसमें रखा गया। इसका नतीजा यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, एस. एफ. डी. और डी. पी. ए. पी. की स्कीम्स आज पापूलर होती जा रही हैं। भुतपूर्व राजस्व मंत्री जी जानते हैं कि एस. एफ. डी. स्कीम्स के अन्तर्गत पहले राजस्थान के 6 जिले ही आते थे। इस प्रकार गरीब और गरीब के बीच भेद किया गया। 6 जिलों को पैसा मिलता था और 20 जिलों को नहीं मिलता था। गरीबों को रियायत देने में भेदभाव कर रहे थे। यह जनता पार्टी का शासन था बाकी 20 जिलों में भी यह स्कीम चालू की। उनको भी रियायतें दीं। इस प्रकार जनता पार्टी के शासन ने गरीब-गरीब के बीच का भेद मिटाया है। हमने एस. एफ. डी. योजना के मातहत सभी को बराबर रियायतें दी हैं। इसी आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :···कि वे इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करें···

श्री परसराम मदेरणा : स्माल फार्मर का नाम तो हट गया है। अब तो मार्जिनल फार्मर नाम रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था इस बजट भाषण में पहली बार एक नया शब्द सुना है। दो-दो चुनाव हो गये। भाषण भी हो गये। सत्ता पक्ष के हुए और हमारे भी हुए परन्तु इस दौरान हमारे को किसी ने तानाशाह नहीं कहा। हां कई और शब्दों से हमको लांछित किया गया परन्तु तानाशाह नहीं कहा गया। हम फासिस्ट हो सकते हैं। कई बार भाषणों के अन्दर हमको साम्प्रदायिक तत्व कहा गया है···

श्री अहमद बख्श सिंधी : सोशलिस्ट तो आप हो ही नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनको बैठे-बैठे सपना आ रहा है। ऐसा लगता है आप अपनी परफार्मेन्स दिखा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि जनता शासन के दौरान सब कुछ घोटाला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुआ है। फूड फार वर्क के बारे में यहां पर कई प्रकार की चर्चाएं की गई हैं, और की जा रही हैं। यह कहा गया कि कई सरपंच फूड फार वर्क का अनाज खा गये। मैं ऐसा समझता हूं, मुख्य मंत्री जी राजनीति से परे रह कर इस पर विचार करें तो अच्छा होगा। मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि जिस सरपंच ने घोटाला किया है उसको छोड़ दो, उसको बख्श दो। जिस सरपंच ने अनाज का घोटाला किया है अगर इन्डियन पेनल कोड के अन्दर उसको कम सजा मिलती है तो कानून में संशोधन कर के उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का प्रावधान किया जाए। परन्तु राजनैतिक आधार पर इसको डील नहीं किया जाए, इस सरपंच ने हमारे लिये चुनाव में काम नहीं किया, चुनाव में साथ हमारा नहीं दिया इसलिए इसको सस्पेन्ड किया जाए। मतलब यह निकालें कि कम्यूनिटी डवलपमेन्ट के बारे में हम ने जो चिन्तन किया है कि ग्रास रूट पर प्लानिंग होना चाहिए, उसमें पब्लिक का इन्वाल्वमेंट होना चाहिए– इसी ग्रास रूट प्लानिंग के आधार पर हमने पंचायतों को अधिकार दिए और सब से पहले पंचायतों के लिए फाइनेन्स की व्यवस्था की, उसमें ग्रास रूट प्लानिंग के आधार पर कम्पोनेन्ट मैटीरियल की व्यवस्था की है। यह पहला वर्ष है। राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ का प्रावधान किया है मैटीरियल कम्पोनेन्ट के लिये। हमारी इस स्कीम को भारत सरकार ने मन्जूर किया है। इसके लिए 55 करोड़ का प्रावधान नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट स्कीम के नाम पर किया है। इस प्रकार उन्होंने 55 करोड़ का प्रावधान किया है इसमें से ज्यादा से ज्यादा डेढ़ करोड़ रुपया राजस्थान को मिलेगा। लेकिन सिद्धांत: भारत सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया है। यह हमारे लिए खुशी की बात है··

श्री अहमद बख्श सिन्धी : ···· वह तो आपकी ही सरकार थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अच्छी परफार्मेन्स बता रहे हैं। जो मंजूर किया वह गलती की।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : आप जो शिकायत कर रहे हैं यह सब आपकी गलत पालिसी का नतीजा है। उस गलत पालिसी का नतीजा हम को भुगतान पड़ रहा है। आपने भाव को सस्ता करने के लिए अनाज के भण्डारों को लुटा दिया। सारा पैसा खर्च कर दिया। उससे पैदा हुई मुसीबत से हम को निपटना है। हम इन से निपटेंगे और इन मुसीबतों में कामयाब होकर निकलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि हमने भण्डार को लुटा दिया। यह बहुत ही गंभीर बात है। यह सही है या गलत, यह तो अलग बात है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन मैट्रिक टन अनाज पैदा हुआ, इतना अनाज आज तक हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुआ। आज तक खाद्यान्न उत्पादन का जो रिकार्ड है, वह जनता पार्टी के शासन काल में ही हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय जिन उपलब्धियों को यहां पर गिना रहे हैं, उसका कारण यह है कि उस साल बरसात अच्छी हुई। हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
बरसात पर निर्भर करता है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि इमर्जेन्सी के तत्काल बाद इनका शासन आया। इमर्जेन्सी के दौरान जो ढंग से काम किया गया था उसके अन्तर्गत फर्टिलाइजर का इन्तजाम था। इन सारी उपलब्धियों को ये यहां पर गिना रहे हैं जिनके पीछे कांग्रेस शासन की सही नीतियां थी। 1979-80 में जनता पार्टी ने किस प्रकार की हालत इस मुल्क के अन्दर छोड़ी है, उस के बारे में यह नहीं कह रहे हैं। इसमें आपका योग दान कितना है, यह बता दें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, उनके आने के बाद सब गायब हो गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी हम तो आपको भी गायब करने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह तो स्वीकार किया है कि 1978–79 में हम आये तो बरसात हुई और उससे रिकार्ड उत्पादन हुआ। पहले आप विराजे थे तो बरसात नहीं हुई। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। इस बात की मुझे खुशी है।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय जनता पार्टी का शासन आया उस समय हमारे पास 18 मिलियन मैट्रिक टन अनाज का भडार था। जिस समय जनता पार्टी ने शासन छोड़ा उस समय देश के पास 22 मिलियन मैट्रिक टन का भण्डार था। उस समय 22 करोड़ · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वे उनको कहां से मिले हैं ? यह बताने का कष्ट करें। आप तो इस मामले में मास्टर हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को इतना ही कहना चाहूंगा कि जब देश में अकाल पड़ रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, उस समय 15 लाख टन अनाज जो रूस से उधार लिया था वह उधार हमने चुकाया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने क्या चुकाया। इरिगेशन की सारी व्यवस्था हम ने कर रखी थी। राजस्थान कैनाल की योजना हमारी बनायी हुई थी। उसके बाद ही यह उत्पादन हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना इन्ट्रप्शन हो रहा है · · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यहां पर झूठे आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। ये आंकड़े आप किस पुस्तक से दे रहे हैं। कौनसा इकानामिक रिव्यू है · · ·

एक माननीय सदस्य : किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य सीखना चाहते हैं तो इधर आ जावें।

श्री राम गोटेवाला : मैं झूठे आंकड़े देना नहीं सीखना चाहता हूं। मैं झूठ बोलने की आदत नहीं सीखना चाहता हूं। मुझे यह नहीं सीखना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन को यह जानकारी है कि इस वर्ष फूड फार वर्क में केवल 1 लाख 30 हजार टन अनाज मिल रहा है। 1 लाख टन अनाज विशिष्ट कामों के लिये और 30 हजार टन अनाज फूड फोर वर्क के लिये। अब अगर मुख्य मंत्री जी का प्रभाव है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले वर्ष हमको मिला था 3.08 लाख टन और उससे पहले मिला 2 लाख 60 हजार टन। 2 लाख 60 हजार टन मिला और उसके बाद मिला 3 लाख 8 हजार टन जब कि इस साल मिला है 1 लाख और 30 हजार टन। आपको सुन कर दुःख होगा कि 30 हजार टन देने से काम नहीं चलेगा, 10 हजार टन की अभी बकाया है उसका निपटारा करना है। उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अभी लेने गये थे केन्द्र सरकार से। केन्द्र सरकार ने जो सारे देश के लिये प्रावधान किया है उसमें से 30 हजार टन का एक वर्ष के लिये एलोकेशन किया है। कोई धोखे में न रहे जैसा बजट भाषण में लिख दिया कि आवश्यकतानुसार और मिल जायेगा, यह आवश्यकतानुसार मिलने वाला नहीं है, सैंट्रल बजट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जो सैंट्रल ने स्कीम पास की है उससे आपको अपने आप पता चल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज काफी चर्चायें की जा रही हैं, काफी भाषण दिये जा रहे हैं। अकाल और बाढ़ पर कई चर्चायें हो रही हैं। लेकिन जब तक राजस्थान में सिंचाई का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, इरिगेशन पोटेंशियल क्रियेट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये जनता शासन को आज तानाशाह हुकूमत बताते हैं, उस तथाकथित तानाशाह हुकूमत ने 26 लाख हैक्टेयर में, 1 करोड़ 65 लाख एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था की है जो कि एक प्रकार से वर्ल्ड रिकार्ड है। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा के मामले में धोखे में न रहें। 30 वर्ष के कांग्रेस शासन में 2800 करोड़ तक विदेशी मुद्रा का कोष पहुंचा था जबकि 2 वर्ष के जनता शासन में 5300 करोड़ करके दिखाया। यह विदेशी मुद्रा केवल आपने अर्जित नहीं की है।

कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन में एनुअल नेशनल ग्रोथ रेट 3.02 रही। 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था उस वक्त ग्रोथ रेट घट कर 2.8 प्रतिशत हो गयी। जनता पार्टी के शासन में यह नेशनल ग्रोथ रेट बढ़ कर 5.5 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट 8 पर्सेन्ट हो गयी। असेन्शियल कमोडिटी ...

श्री खेतसिंह राठोड़ : आपने सब कुछ कर दिया तो वहां कैसे पहुंच गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी बात मैं बताऊंगा, वहां कैसे पधार गये।

श्री अध्यक्ष : यह बात समझ में नहीं आयी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष जी, अब भैरोंसिह जी को यह कुर्सी मिलने वाली नहीं है, मुख्य मंत्री की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, यह भी मैं स्पष्ट करूंगा कि कैसे आप उधर चले गये। अगर कोई बात चाहते हैं मन में तमन्ना हो और पहाड़िया जी नहीं मान रहे हों तो इधर आ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बैंक शाखाओं की बात कही गयी है बड़ी खुशी की बात है कि बैंक्स की शाखाओं की चिन्ता को गयी। लेकिन जब वित्त मंत्री थे, पहाड़िया जी तो उस समय क्या पहाड़िया जी को इस बात की चिन्ता हुई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री थे तब कभी चिन्ता की थी कि राजस्थान में बैंक्स की ब्रांचेज बहुत कम है, 23 हजार की पापुलेशन के ऊपर एक बैंक की ब्रांच है? आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि नोर्थ जोन स्टेटस में जितने स्टेट्स आते हैं उनमें 23 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे उनमें से राजस्थान में 18 जिले आते हैं। आपने उस स्थिति में हमको छोड़ा था। हमने नोर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में आर बी. आई. पर दबाव डाला और यह तय किया कि राजस्थान बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को 3 वर्ष में पूरा किया जायेगा, तब 193 बैंक्स शाखायें खोलने का प्रावधान किया। मैं मुख्य मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी चले हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम आल इण्डिया एवरेज से नीचे चले जायें। स्टेटिस्टिक्स बेसिस पर बैंक्स ब्रांचेज हमारे यहां नहीं खोलनी चाहिए। आल इण्डिया एवरेज को ही लक्ष्य मान कर काम करना चाहिए। हम उस तक पहुंचें यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस आधार पर यदि हमने काम किया तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कुछ व्यवस्था राजस्थान में होगी। अगर गरीबों का भला करना चाहते हैं तो आल इण्डिया एवरेज से जितनी ब्रांचें राजस्थान में खोलना आवश्यक हो उतनी आवश्यकता की पूर्ति करें।

अध्यक्ष महोदय, गरीबों की, एस. टी. और एस. सी के लोगों, जो रूरल आर्टिजन हैं, को डी. आर. आई. के अन्तर्गत लेकर डिफरेंसिव रेट आफ इन्ट्रेस्ट स्कीम के आधार पर जितना टोटल लोनिंग होता है उसका आधा पर्सेन्ट अमाउन्ट न गरीबों को 4 पर्सेन्ट के हिसाब से दिया जाता है, हमने इस आधा पर्सेन्ट को बढ़ा कर एक पर्सेन्ट कर दिया। इस समय आर बी. आई. और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया दोनों विचार कर रही है। मुख्य मंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करें और इस एक पर्सेन्ट को बढ़ा कर के आप 2 पर्सेन्ट कर देंगे तो राजस्थान के ही नहीं हिन्दुस्तान के गरीबों का ज्यादा से ज्यादा भला होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी का शासन आया उससे पहले टोटल लोनिंग होता था उसमें 26 पर्सेंट रूरल सेक्टर का होता था। भाषण सब देते हैं कि 26 पर्सेन्ट बढ़ाना चाहिये। जनता पार्टी के शासन में इसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

33 पर्सेन्ट बढ़ाया। 33 पर्सेन्ट बढ़ाये जाने के बाद उस समय के प्रधान मंत्री ने कहा, भाषण दिया कि उसको हम केवल 33 पर्सेंट ही बढ़ा सकते हैं। इतना ही आपको सन्तोष करना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन चाहूंगा कि राजस्थान बैकवर्ड स्टेट है। बैकवर्ड स्टेट के नाते राजस्थान में गरीबों का प्रतिशत ज्यादा है। यदि रूरल सैक्टर को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाये तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

राजस्थान में क्रेडिट और डिपोजिट का रेश्यो बहुत कम है। उस कान्फ्रेंस में हमने इस बात का दबाव डाला कि क्रेडिट और डिपोजिट का जो रेश्यो है वह समान रहना चाहिये। और वह आगे बढ़ना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष बैंक्स ने सहायता दी। सहायता देने का नतीजा यह निकला कि हम क्रेडिट और डिपोजिट के पर्सेन्टेज को पूरा तो नहीं कम कर पाये लेकिन यह कुछ आगे बढ़ा। मुख्य मंत्री पर विश्वास है कि मुख्य मन्त्री जी और चेष्टा करेंगे कि यह रेश्यो और बढ़े। इसकी चिन्ता आपको करनी पड़ेगी।

अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन करने की बात बहुत आवश्यक है। तेल शोधक कारखाना लगता है या ताप्ति गैस या बोम्बे हाई के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने कहा लेकिन मुझे एक ऐब मालूम होता है वह कहना चाहूंगा और मुख्य मन्त्री जी और राजस्थान के हित में कहना चाहूंगा कि 17 वर्ष तक राजस्थान में मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे मैं उनकी अनुपस्थिति में कह रहा हूं कि उन्होंने राजस्थान को अजमेर के उरली तरफ नहीं समझा, उनके दिमाग में एक ही चिन्ता थी राजस्थान अजमेर से उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर तक ही हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सारे राजस्थान का विकास हो। इसके कारण राजस्थान का विकास नहीं हो सका। मुख्य मन्त्री जी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सुखाड़िया जी अजमेर से आगे जाते थे और आप भरतपुर से आगे नहीं आना चाहते हैं। भरतपुर से निकलना नहीं चाहते हैं। आप ली लैण्ड के कारखाने को लेकर विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज हो इस तरह का विवाद खड़ा करेंगे आपको राजस्थान में आसानी से कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं होगा। बोम्बे गैस और ताप्ति गैस का कारखाना झालावाड़ में लगे या सवाई माधोपुर में लगे, कहीं भी लगे, राजस्थान के अन्दर दो फर्टीलाईजर्स के कारखाने लगें। आज आवश्यकता इस बात की है कि टेक्निकल सर्वे में जो कुछ निर्णय हुआ है उस व्यवस्था को राज्य सरकार को मान कर चलना चाहिये। पाइराइट के बेस का या रॉक फास्फेट का कारखाना सीकर के पास लगे या उदयपुर के रॉक फास्फेट के कारखाने के पास लगे, यह चिन्ता करने की बात आपको नहीं है लेकिन चिन्ता इस बात की करनी है कि राजस्थान में एक कारखाना लगे। दुर्भाग्य से इस की चिन्ता करके नहीं चल रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो अभी मेरे ध्यान में आयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं उसको कहना चाहता हूं कहीं भूल न जाऊं। भारत सरकार ने फार्मूला बना रखा है शुगर, टुवेको और टेक्सटाइल्स का इन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तीनों के ऊपर जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी मिलती है उसमें टैक्सटाइल्स और टुबेको के ऊपर एक तरीका है और शुगर के ऊपर एक तरीका है। शुगर जितनी कन्ज्यूम होती है, जितनी ज्यादा शुगर कन्जूम होती है उतनी ही ज्यादा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी मिलती है। मेरी जानकारी में शुगर का कन्जम्पशन राजस्थान में गिर रहा है। अगर वह गिर गया तो उधर से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी कम मिलेगी। इसलिये शुगर का कन्जम्पशन गिरे नहीं इसकी भी चिन्ता करके चलना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की जितनी परियोजनायें सैन्ट्रल इन्वेस्टमेंट की हैं मैंने देखा है वह राजस्थान में केवल दो पर्सेन्ट की हैं। पहाड़िया जी का केन्द्र पर प्रभाव है। वह किसी प्रकार राजस्थान में इंन्वेस्टमेंट केन्द्र सरकार का बढ़ायें तो बहुत अच्छा होगा। आज डिफेंस प्रोडक्शन के कारखाने सारे हिन्दुस्तान में लगाने की चिन्ता हो रही है। राजस्थान में लगवाने की व्यवस्था करें, सवाई माधोपुर में या कहीं भी और जहां आप उचित समझें वहां लगवायें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर डालकर पैसा लें। पिछले वर्ष सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के नाम से 7 करोड़ रुपए लिए हैं, इस वर्ष 5.5 करोड़ रखे गये हैं, सहकारिता के लिये 9.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया। इस वर्ष केवल 6.87 करोड़ का प्रावधान रखा है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार का बजट पेश किया गया है वह बजट आप यह मानकर चलें राजस्थान की प्रगति में बाधक होगा, राजस्थान की प्रगति में सहायक बजट सिद्ध नहीं होगा, राजस्थान में विकास की जो घड़ी तेज गति से चल रही थी कांग्रेस की हकूमत आने के बाद उस घड़ी की सुई के आगे केवल अंगुली नहीं लगाई उसको घुमाकर पीछे कर दिया। यदि इसको बदलना है तो इसमें जो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का प्रश्न है, बाकी के प्रश्न पर आपको आधारभूत मान्यताओं की चिन्ता करनी पड़ेगी।

इस आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि बजट जो सरकार ने पेश किया है यह तो न प्रगतिशील बजट है, न समाजवादी बजट है और न विकासमान बजट है यह लक्ष्यहीन सरकार का लक्ष्यविहीन बजट है। इस बजट के द्वारा राजस्थान का विकास हो सकेगा इस बात की सम्भावनायें बिल्कुल नहीं हैं। मुझे दुःख है कि ढाई वर्ष में जिस गति से राजस्थान आगे बढ़ रहा था विकास की दृष्टि से 6 महीने के अन्दर ही इस सरकार ने उसको पीछे धकेल दिया है चाहे गांव की बात हो या शहर की जो विकास के काम होते थे वे ठप्प पड़ गये हैं। जिस स्कूल पर पट्टी नहीं पड़ी थी वह बिना पट्टी के रह गया और जिस सड़क पर कंक्रीट पत्थर पडे थे वे वैसे ही रह गये। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक राजस्थान के विकास का सवाल है है आप चाहे सत्तारूढ़ दल में हों या और किसी भी दल में...

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके टाइम में जो अन्त्योदय के कार्ड दिये गये थे उन कार्डों को कोई पूछता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अन्त्योदय को अभी तक नहीं समझे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं लेकिन जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान के विकास का प्रश्न है मैं, मुख्य मंत्री जी, आपको विरोधी पक्ष की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे दिल्ली जाकर कुछ कहना पड़े, चाहे विधान सभा में कोई प्रस्ताव पास कराना चाहें, चाहे भारत सरकार के सामने कोई डेपूटेशन लेकर जाना पड़े, चाहे राजस्थान में कोई जनमत तैयार करना पड़े, राजस्थान के विकास के प्रश्न पर हम राजनैतिक मतभेद भुलाकर यदि एक साथ खड़े नहीं हुए तो जो कुछ यह जो कमी है यह कमी और बढ़ जायेगी और राजस्थान में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट के बारे में जो कुछ मैंने निवेदन किया मैं इसको विकासमान बजट नहीं मानता हूं, गरीबों के हित वाला बजट नहीं मानता हूं, यह एक लक्ष्यहीन बजट है, इस बजट के बारे में कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, सरकार ने केवल एक औपचारिकता पूरी की है, इस औपचारिकता तक सरकार सीमित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर !

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1980-81 का जो सन्तुलित और दिशा देने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं विरोधी पक्ष के नेता की बात बड़े शान्तिपूर्वक सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आंकड़ों की ऊहापोह में उन्होंने वास्तविकता को एक तरफ रख कर अपने वाक चातुर्य से इस सदन के सामने एक दूसरी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जिसको वे सफलतापूर्वक कह नहीं सके।

बजट सही मायने में एक राज्य की सरकार का साल भर का आय-व्यय का लेखा जोखा रखने वाला होता है। इससे आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। आगे जाने की कितनी मंशा है इस सबका प्रतीक बजट हुआ करता है। जिस आधार को लेकर पार्टी जनता का विश्वास लेकर यहां आती है उस विश्वास का प्रतिपादन करके एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सारी योजनाओं को पूरा करने का प्रतीक भी बजट हुआ करता है। मैं यह मानता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने इतिहास के सुनहरे पृष्ठों को भुला दिया है जब कि आज से 32-33 साल पहले हिन्दुस्तान आजाद हुआ और राजस्थान में भी जिस तरह की गुलामी रहती थी उससे निकल कर जिस प्रकार का भारत हमें विरासत में मिला उसके बावजूद जिस तरह की कल्पना हमारे देश के उस समय के कांग्रेस नेताओं ने की और उसके आधार पर जो देश बना वही विरासत में जनता पार्टी को मिला था। जैसा मैंने कहा कि बजट लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक हुआ करता है, इस बात को हमने न केवल सत्ता में आने के बाद में बल्कि मैं इतिहास के पन्ने उलटते हुए कहना चाहता हूं कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ

(श्री शिवचरण माथुर)

लड़ाई लड़ते थे उस समय भी हमने इस बात को स्वीकार किया था। सन 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में हमारे नेता जवाहर लाल जी नेहरू और आजादी के ठीक बाद बनने वाले इस देश के प्रधान मंत्री उस समय देश के प्लानिंग फोरम के चेयरमैन बने थे और उन्होंने कल्पना की थी कि अंग्रेजों का राज हटने के बाद सत्ता जब हमारे हाथ में आयेगी तब हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं, देश को क्या नक्शा देना चाहते हैं उसी के अनुकूल 1947 में जब सत्ता हमारे हाथ में आयी अंग्रेजों के बाद में हमने कल्पना की इस देश के विकास की एक योजनाबद्ध तरीके से, 2-3 साल तो संविधान के निर्माण में लग गये और फिर हमने सन् 1952 से योजनाबद्ध विकास का काम शुरू किया। हम कह सकते हैं, देश में और राजस्थान में इन पिछली छः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, जिनमें से पांच में तो सीधा हमारा हाथ था, देश की जो कायापलट की गई वह आपके और हमारे सामने है।

(3.05 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

देश के विकास के लिये मूल आधार कांग्रेस की सरकार ने निश्चित किये थे। पर यह दुर्भाग्य रहा कि सन् 77 में देश में जो राजनैतिक परिवर्तन हुआ, राजनैतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जनता पार्टी हिन्दुस्तान में राज्य में आयी और प्रदेशों में सत्ता में आयी पर उसने इन सारे मूल आधारों को एक प्रकार से नष्ट कर दिया। आर्थिक विकास की जो परम्परायें कायम की गई थीं उनको चकनाचूर कर दिया और केवल सस्ती भावुकता के नाम पर और यह समझ कर कि जो कुछ कांग्रेस ने किया है उसको नकारा जाय इन दो आधारों पर ही अपना राज्य चलाने की कल्पना की। इसका अन्जाम यह हुआ कि जनता ने ढाई साल के अन्दर ही जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया। दुर्भाग्य का विषय यह है कि जब जनवरी 81 में देश की हुकूमत वापस हमको जनता पार्टी से मिली और जून में प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता सम्भाली थी उस समय सारे देश की अर्थव्यवस्था को सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। आर्थिक विकास के जो सर्वमान्य आधार थे उनको अस्वीकार कर समाप्त कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में सरकार हमारे हाथ में सौंपी गई थी। जो कुछ मिला है उसकी ओर मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विरोधी दल के नेता महोदय ने जो आंकड़े पेश किये हैं मुझे कम से कम गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसमें तो कहीं नहीं मिले। मैंने बहुत कोशिश की पर इनके आंकड़े मिले नहीं हैं। मैं बाहर के आंकड़ों को आधार नहीं बनाना चाहता पर जो सरकार का पब्लिकेशन है उसके आधार पर मैं केवल दो बात सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि जो अर्थ व्यवस्था हमें मिली है जनता पार्टी की सरकार के बाद में उस अर्थ व्यवस्था के मिलने के बाद में, मैं समझता हूं कि जो बजट पेश किया गया इससे अच्छा बजट नहीं कर सकते थे। आज अगर सारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को देखा जाये, खास तौर से टैक्स की रेवेन्यू को और नॉन टैक्स की रेवेन्यू को जो बात हमारे विरोधी दल के नेता महोदय कह रहे थे, मैं आपका ध्यान दो आंकड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं। पेज 9 पर नान-टैक्स रेवेन्यू का जिक्र किया

(श्री शिवचरण माथुर)

गया है। नान-टैक्स रेवेन्यू में कहा गया है कि जो ग्रान्ट-इन-एड मिलती थी राज्य को, 1978-79 के लेखे के अनुसार 181 करोड़ की ग्रान्ट-इन-एड राजस्थान को मिलती थी वह घट करके 1979-80 में 141.91 लाख रह गई। जब हमने बजट एस्टीमेट बनाये तो हमने 06 78 करोड़ बढ़ाने की कोशिश की। मूल में इस प्रकार से 40 करोड़ की कमी तो राजस्थान के प्लान फार्मेशन के लिये एक ही हैड है, ग्रान्ट-इन-एड में जनता पार्टी के राज से हमको मिली। मेरी समझ में नहीं आता कहां हैं वे भैरोंसिंह जी साहब, यहां पर आंकड़े दे रहे थे लेकिन इन आंकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि 40 करोड़ रुपया तो केवल एक ही मद में, जो कि आपके प्लान पर सीधा इम्पेक्ट डालने वाला है, कम कर दिया।

श्री नाथूसिंह : फिर भी 78 से कम है।

श्री शिवचरण माथुर : 40 करोड़ का घाटा तो हमारे प्लान में अपने आप हो गया।

दूसरा सबसे बड़ा, मैं समझता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण कदम जनता पार्टी के राज में उठाया गया वह शराबबन्दी का कदम था। हम तो इसकी चर्चा किया करते थे हम तो सदन में बैठते नहीं थे बाहर के फोरम से कहा था कि आप शराबबन्दी की कल्पना करते हैं वह देश में तो क्या प्रदेश में भी सम्भव नहीं है। इसको आदर्श के रूप में तो हम स्वीकार करते हैं लेकिन क्या इसको पूर्णतया बन्द करना सम्भव है ? क्या आपने यह भी सोचा कि इसके बाद राजस्थान के विकास पर क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा ? क्या आपने इसका अन्दाज लगा लिया है। लेकिन किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। दस-बारह साल पहले टेकचन्द कमेटी का निर्माण भारत सरकार ने किया था। हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में वह कमेटी गई। वहां उन्होंने बहुत से इन्टरव्यूज किये थे मैं उस समय जिला प्रमुख था, मैंने उस कमेटी के समक्ष गवाही देते हुए एक बात कही कि…

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, एक प्रश्न मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूं, क्या बारह सूत्री कार्यक्रम में शराबबन्दी के बारे में कहा गया है अर्थात् एक सूत्र है ? जानकारी चाहती हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इस पर कह दूंगा।

मैंने टेकचंद कमेटी के सामने कहा था और मैं यह समझता हूं कि दोनों पक्षों के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि शराबबंदी पूर्णतया देश के किसी भी हिस्से में सम्भव नहीं है। यदि सम्भव होती तो हम अच्छी तरह से कर सकते थे, आपकी तरफ बैठने वाले लोग औपचारिकता के रूप में ही इसको पसन्द करते हों लेकिन अन्दर से पसन्द नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक ही प्रश्न चाहती हूं, जिज्ञासा के रूप में पूछना चाहती हूं, 12 सूत्री कार्यक्रम में था ? अगर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

न बताना चाहें तो ठीक है मैं घर आकर मांग लूंगी।

श्री शिवचरण माथुर : कृपया पूरी बात सुनने का कष्ट करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या 12 सूत्री कार्यक्रम में शराबबन्दी के बारे में नहीं था ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने टेकचन्द कमेटी के सामने एक बात कही कि पूर्ण शराबबन्दी आप नहीं कर सकेंगे। हां एक बात सही है कि शराब जैसी बुरी आदत से गरीब की जेब को बचाया जाना चाहिये। अमीर आदमी सैकड़ों हजारों की शराब पीये तो चिन्ता नहीं होनी चाहिए। शराब गरीब की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालती है इसलिए सरकार को चिन्ता गरीब की जेब की होनी चाहिए। हमने कहा था कि गरीब के लिए शराब सस्ती कर दीजिये, जिससे वह अपनी पीने की आदत को सेटिस्फाई कर सके और अच्छी शराब को महंगी कर दीजिये जिससे सरकार को कोई घाटा भी नहीं होवे और पूंजीपति की जेब पर उसका असर पड़े, जिससे कि कम से कम सरकार को घाटा न हो। उन्होंने कहा कि सिद्धान्त के तौर पर यह सुझाव अच्छा है। 12 सूत्री कार्यक्रम जो वर्तमान प्रधान मन्त्री ने दिया है, उसमें कहा गया है कि टोटल प्रोहिबिशन सम्भव नहीं है, लेकिन टेम्परेन्स की, या मोडरेशन की बात कही गई है। इसको मोडरेट करके समाज के जिस हिस्से पर असर पड़ता है उसको बचाया जाना चाहिए। खुले आम शराब की बिक्री पर पाबन्दी होनी चाहिए, रेस्ट्रां में शराब की बिक्री बन्द होनी चाहिये। फैक्ट्री में तनख्वाह के दिन शराब नहीं मिलनी चाहिए जिससे गरीबों को हानि नहीं हो। इस प्रकार की बातें उसमें कही गई हैं। आज हम यह स्वीकार करते हैं, हम इस बात के हक में हैं कि आम तौर पर शराबबन्दी होनी चाहिए। इसको छुड़वा नहीं सके, और स्थिति यह हो गई कि पहले किसी वक्त एक तहसील में तीन दुकानें थीं तो आज 25 और 30, 28 और 50 दुकानें शराब बनाने वाली हो गईं। पहले के जमाने में सर्टिफाइड तरीके से कारखाने में बनी निश्चित भाव पर आम तौर पर पीने वालों को मिल जाया करती थी, आज वह शराब बिना ढंग से तीन और चार गुना कीमत पर मिल रही है उसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है, चांदी जरूर हो गई

(व्यवधान)

शराबबन्दी की बात करते हैं बात समझ में आती है पर उसके लिये आप में साहस होना चाहिए, राजस्थान की रेवेन्यू में जो सर्क होता है उससे। हिम्मत की बात अभी माननीय भैरोंसिंहजी कह रहे थे, हिम्मत होनी चाहिये टैक्स बढ़ाने की और नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर विकास की गति तेज करने की बात दिल में होनी चाहिये। अगर आपने यह बात कही थी तो शराबबन्दी के मुकाबले में उतने ही नये टैक्स लगाने की बात करते या उतनी संख्या में नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कल्पना करते तो बात समझ में आ जाती। लेकिन आपने झूठा प्रचार करने के माध्यम से शराबबन्दी को लागू कर दिया। इसका जो इम्पेक्ट हुआ है और आने वाले वक्त में जो इम्पेक्ट होगा मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री नाथूसिंह : हमने टैक्स बढ़ाया है, यह आपको मालूम होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री समापति : कृपया व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : 1977–78 में राजस्थान की एक्साइज इन्कम थी 27.55 करोड़ रुपये, 78–79 में अगर शराबबन्दी नहीं होती तो वह हो जाती 30 करोड़ रुपये, 79-80 में वह इन्कम हो जाती 33 करोड़ रुपये, 80-81 में हो जाती 36.30 करोड़ रुपये, जब कि इस साल एक्साइज इन्कम के तौर पर हमारे बजट में केवल 8.45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 80–81 के बजट एस्टीमेट में सीधे तौर पर 24 करोड़ का घाटा हुआ। यदि शराबबन्दी नहीं होती तो पांच साल तक हमको सेन्ट्रल गवर्नमेंट से 50 पर्सेन्ट की सब्सिडी मिलती रहती और लॉस को निकाल दिया जाये तो 81–82 में 40 करोड़ 82–83 में 44 करोड़ 83–84 में 48.40 करोड़ की सब्सिडी मिलती। टोटल एक्साइज का हिसाब लगाया जाय तो 83–84 तक जो कि पांच साल की सब्सिडी खतम होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 50% सब्सिडी मिलने की उस समय 180.62 करोड़ का घाटा राजस्थान की एक्साइज का होगा और उसका आप...

श्रीमती उजला अरोडा : माननीय सभापति महोदया, एक बात मुझे कहने की जरूरत पड़ गई, बीच में इसलिये व्यवधान डालना पडा। माननीय श्री चन्दनमलजी बैद जब वित्त मन्त्री थे उन्होंने खनिज पर आधारित बजट बनाया था। खनिज विकास से हम हमारी इन्कम पूरी करें। आप भी कर सकते थे अगर ऐसा कर लेते तो आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री शिवचरण माथुर: सभापति महोदया, हां मैं बात कर रहा था शराब की, कहां खनन की बात लेकर बैठ गयीं। मैं शराबबन्दी की बात कर रहा था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बुरे काम की इन्कम बुरी होती है, और कोई बात नहीं...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया शान्त रहें।

श्री शिववरण माथुर : मेरी समझ में नहीं आता। अगर सरकारी इन्कम शराबबन्दी से ...

श्री नाथूसिंह : एक बात पूछना चाहता हूं, सभापति महोदया

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मैं माननीय माथुर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं...

(व्यवधान)

एक निवेदन करना चाहता हूं माथुर साहब से। मैं स्पष्टीकरण, जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि शराब महंगी होनी चाहिये जिससे धनवान ही खरीद सके तो फिर अगर तीन चार गुनी कीमत पर मिल रही है तो आपको क्या दिक्कत है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह प्रश्न ...

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि पहली बात तो कह रहे हैं कि हम यह नहीं चाहते थे कि शराब बन्द हो। दूसरी बात आप यह कह रहे हैं कि शराबबन्दी से इन्कम में लॉस हो रहा है। शराबबन्दी हटाने की है. आपने तो शराबबन्दी 30 साल से नहीं की ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करने की चेष्टा कर रहा था कि शराबबन्दी आप नहीं कर पाये और राजस्थान के विकास को आपने थाम दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नहीं मानेंगे। बोलते रहो बोलते रहो। मैं शराब के बारे में नहीं सुनना चाहती हूं। जाती हूं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान के विकास को आपने स्थिर कर दिया। विकास की सूई को उल्टा घुमाने की बात आपके दल के नेता ने कही थी। मैं समझता हूं कि हमने नहीं की लेकिन आपकी जनता पार्टी की सरकार थी जिसने ढाई साल में शराबबन्दी का ढोंग कर दिया। राजस्थान को इतना बड़ा घाटा देकर के और एक सस्ती वाह-वाही, कुछ लोगों के फायदे की बात कही। उसका नतीजा यह हुआ कि आज जब आम बजट बनाने की हमारे सामने स्थिति आई तब इतना बड़ा घाटा लेकर के या तो हम यह करते एक बहुत बड़े टैक्स का भार जनता पर सौंप करके, इन्फ्लेशनरी ट्रेण्ड को और अधिक बढ़ाने वाली कल्पना करते, और ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाली बात का सवाल आता और विकास की गति को रोकने वाली बात करते। उसको हमने उचित नहीं समझा। मैं मानता हूं कि हमारा जो केन्द्रीय बजट इस साल पेश किया गया, उसका भी मूल आधार यह है कि जनता पार्टी के राज में जिस प्रकार से अर्थ-व्यवस्था को चकनाचूर करने की कोशिश की गई थी, उससे डिफरेन्ट वातावरण देकर के हमारे देश में उत्पादन का एक एटमोसफियर बनाकर के लोगों में बचत की भावना को प्रोत्साहन दे करके और कोई टैक्स नहीं लगाने के फलस्वरूप महंगाई को स्थिर करने की जिस प्रकार से सैन्ट्रल बजट में भी नये टैक्स का प्रावधान नहीं करने की बात कही गई, वही आधार हमारे बजट में भी रखा गया। इस बात को स्वीकार किया गया कि हम जनता पर सीधा टैक्स का वजन नहीं डालना चाहते क्योंकि वैसे ही कुछ टैक्सेज में एक प्रकार से सेचुरेशन की स्थिति आ चुकी है। उस सेचुरेशन की स्थिति को कहां तक आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हम टैक्स पे करने की बात सोच सकते हैं। इन सारी बातों को सोचकर के यह सोचा गया कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाय राजस्थान में और देश में कि आदमी उत्पादन बढ़ाने वाली बात करे।

अभी माननीय भैरोंसिंह जी ने यहां पर रेट आफ इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की बात कही। यह हकीकत है, अखबारों में रिपोर्टेड फैक्ट हैं कि 1979–80 में जब इनका राज जाने

(श्री शिवचरण माथुर)

व,ला था तो उस समय शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई होगी जब कि इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की रेट जीरो पर्सेन्ट से नीचे चली गई। अभी मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स के एक स्पोक्समैन ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके अनुसार यह कह सकते हैं कि हमारा जो प्रयत्न है, जो हमारा बजट है, उसके आधार पर आज हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि जो कोई भी कारखाने हमारे चल रहे है वह फुल केपेसिटी पर चलने वाली स्थिति में आ जाते हैं, वह ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाते हैं तो जो कुछ भी आज केपेसिटी है हमारे प्रोडक्शन की उसको भी हम मेनटेन कर सके और अच्छी तरह से उत्पादन करने वाली बात हम दिमाग में रख लें तो उसके आधार पर कम से कम 10 पर्सेंट रेट आफ इन्डस्ट्रियल ग्रोथ होगी। इस देश में कहां जीरो से नीचे ले करके चले गये और कहां एक साल में हम कल्पना यह करें कि इन्डस्ट्रियल ग्रोथ की रेट 10 पर्सेंट होने वाली है, मैं कहूंगा कि एक प्रकार से बहुत बड़ी ब्रेकथ्रू है, जिसको हम करना चाहते हैं और खास तौर से ऐसे हालात में जब कि देश की अर्थ-व्यवस्था को ऐसी स्थिति में आपने रखा है, जिसे कि ठीक करना मुश्किल होगा।

मैं तो यह कह रहा था, जब मैं बजट भाषण को सुन रहा था तो मेरे दिमाग में में एक टर्म आई कि यह तो सारी इकानामी को डेमरेज करने का एक बजट हमने आज के हालात में प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि ईश्वर ने हमारा साथ दिया, प्रकृति ने हमारा साथ दिया, तो जो हमारी फिजिकल पालिसीज है, हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, उनका आधार ठोस हो, यही संकल्प के साथ हम चलना चाहते हैं। यदि आगे आने वाले वर्षों में, 4-5 वर्षों में देश को ठोस आधार दें, जो 1977 से पहले और 1947 के बीच दिया था तो वही ठोस आधार हम फिर से लागू कर सकेंगे और उसी प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आधार पर देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि सारी स्थिति का सोल्वेज करने की हमारी आज कल्पना है और उस स्थिति का साल्वेज करने की दृष्टि से जो कुछ भी बजट में हम कर सके, उससे अधिक कुछ भी नहीं किया जा सकता था।

हमारे बजट में मुख्य मंत्री जी ने कोशिश की कि जहां एक प्रकार से हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जाये वहां विकास की गति को भी चालू रखें। मैं यह मानता हूं कि जो विकास के कार्यक्रम यहां प्रस्तुत किये गये हैं वह राजस्थान को आकांक्षाओं और राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए रखे गये हैं। इसमें दो राय हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि वहां प्राइमरी स्कूल होने चाहिये। हमने 6 सौ प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान क्यों किया, यह आप कह सकते हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में 6 सौ स्कूल खोलने की बात कही गई, किन परिस्थितियों में सारे विकास के कार्यक्रमों को स्केल डाउन करने की बात कही गई, इसको सोचना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको इस स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने एक प्रकार से भावावेश में हाई स्कूल एजूकेशन को, उच्च शिक्षा को

(श्री शिवचरण माथुर)

जरूरत से ज्यादा प्राथमिकता देकर के शिक्षा नीति की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं हमारे देश की, प्राइमरी और सैकन्डरी एजूकेशन की उसको एक प्रकार से सेक्रीफाइस किया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज प्राइमरी एजूकेशन की स्थिति यह है कि हर स्टेज पर नये आदमी एक दूसरे की शिकायत करते हैं।

सैकण्डरी एजूकेशन में पढ़ाने वाले कहते हैं कि साहब, प्राइमरी एजूकेशन के जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी नींव कमजोर है इसलिये उनका परिणाम अच्छा नहीं आता। कालेज में पढ़ाने वाला टीचर कहता है कि नीचे वाले हैं वह नींव को पक्का नहीं कर रहा है और यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है।

मैं कहना चाहता हूं कि सही मायनों में, देश में शिक्षा का एक सामान्यीकरण करना है जिसको यूनिवर्सलाइजेशन आफ एजूकेशन कहते हैं तो हमको सबसे पहले कुछ दिनों तक हायर एजूकेशन की अगर होली डे भी करनी पड़े तो मुश्किल बात नहीं है। लेकिन प्राथमिक और सैकन्डरी एजूकेशन को पूरी तरह से प्राथमिकता देने की बात आती है। हमको प्राथमिकता प्राथमिक एजूकेशन और सैकण्डरी एजूकेशन को देनी चाहिये।

आज राजस्थान के अन्दर करीब 32-33 हजार गांव है। मैं तो निवेदन करके चलना चाहता हूं अपनी सरकार से और मुख्य मंत्री जी से कि साहस दिखाइये, उच्च शिक्षा को रख दीजिये किसी स्तर पर और यह तय कीजिये कि समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हम 4-5 साल में राजस्थान के प्रत्येक छोटे गांव में एक शाला खोलेंगे। प्राथमिक शाला में चाहे 10 बच्चे ही पढ़ने वाले हों लेकिन हम पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। यह बहुत बड़ा काम होने वाला है, इसको हमारे मुख्य मंत्री जी करें तो मैं कहूंगा कि वह साधुवाद के पात्र होंगे और एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जनता पार्टी ने क्या किया? एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिया, 275 हाई स्कूल खोल दिये। मैं पिछले दिनों चुनाव के दौरान, लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के दौरान अपने क्षेत्रों में घूमा और आज भी अपने क्षेत्र में जाता हूं तो स्थिति यह है कि स्कूल तो खोल दिये आपने लेकिन स्कूलों में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। दो-दो साल से कहीं पर टीचिंग एड नहीं है, कोर्स नहीं है और कहीं पर आपने कामर्स कालेज खोल दिया, टाइपिंग की मशीनों की व्यवस्था नहीं है। एक प्रकार से हमारे नौजवान होनहार बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 275 स्कूल खोल देना तो आसान बात है। स्कूल आपने साधन नहीं होने के बावजूद खोल दिये उसका विपरीत प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ा। कभी आपने इस ओर ध्यान दिया। आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि नतीजा यह हुआ। मैं तो कहता हूं कि एक साल केवल शालाओं को ठीक करने के लिए पैसा खर्च कीजिये। कोई बात नहीं अगर एक साल स्कूल नहीं खुले, हाई स्कूल नहीं खुले। लेकिन एक साल में टीचिंग एड प्रोवाइड कीजिये, स्कूल का भवन दीजिये और अच्छे अध्यापक दीजिये और टीचर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिये। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में बहुत से एस.टी.सी. स्कूल और बी. एड. कालेजेज खुले हुए हैं। उन स्कूलों की क्षमता मान लीजिए दो हजार

(श्री शिवचरण माथुर)

टीचर्स पैदा करने की है और बी. एड. कालेज की 1½ हजार टीचर्स पैदा करने की क्षमता है। आज टीचर्स ओवर एज हो रहे हैं, उनको अगले साल नौकरी में नहीं लिया जाएगा और एस. टी. सी. और बी. एड. करने के बाद में शायद वे राजस्थान और हिन्दुस्तान में दूसरा काम भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको प्रशिक्षित किया गया है केवल एक काम के लिए····

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मुझे बोलने दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके मुख्य सचेतक महोदय के द्वारा आपको 20 मिनट देने की इच्छा जाहिर की है।

श्री शिवचरण माथुर : आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

श्री शिवचरण माथुर : जितनी बातें आपके नेता कुल 1½ घंटे में बोले उनका यदि खुलासा जवाब न दिया जाए तो क्या उचित होगा?

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री शिवचरण माथुर : ये बातें संक्षेप में नहीं कही जातीं।

तो इन बातों पर सारी प्राथमिकताओं को भुलाया गया है। आज स्थिति यह है कि आंकड़ों के मायाजाल में चाहे कितनी ही बात कही जाए वास्तविक स्थिति में आयेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि राजस्थान की जो स्थिति हमें जनता पार्टी ने दी है, सौंपी है उसको हम ठीक करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प हैं। हम कभी जनता पार्टी की तरह यह बात नहीं कहते कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया उसको ठीक करने के लिये हमें 10 साल लग जायेंगे। 10 साल की आपके द्वारा कल्पना की गई किन्तु 10 साल रहने की हमने कभी कल्पना ही नहीं की, हम कभी भी यह नहीं कहेंगे। हम कहते हैं कि जनता पार्टी ने जो कुछ स्थिति हमें दी है उसको हम अविलंब ठीक करना चाहते हैं, साथ ही देश को सही रास्ते पर लाकर विकास की गति को तेज करना चाहते हैं। यह हमारा दृढ़ संकल्प है और यही हमारी योजनाओं का आधार है। मैं समझता हूं, वह कल्पना हमारी पूरी होगी। आज बहुत बड़ा घाटा राजस्थान के माथे पर थोप दिया गया। मैं मुख्य मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि इसमें न पड़ कर साहस के साथ फैसला करें कि राजस्थान के लिए असंभव बात है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। केवल टेबल डिसीजन के तौर पर लागू करने वाली बात सरकार ने कही उससे परे हट कर साफ बात करें कि हमें प्रोहिबिशन स्क्रेप करना चाहिए। उसको तेजी से स्क्रेप करने की बात करें। यदि प्रोहिबिशन करेंगे तो राजस्थान की इकानामी पर उल्टा असर पड़ेगा। आप स्पष्ट तौर पर कहें। कल ही बिहार सरकार ने बोल्ड डिसीजन लिया है, फैसला किया है और प्रोहिबिशन को स्क्रेप किया है। तमिलनाडु ने स्क्रेप किया। और कई जगह भी स्क्रेप किया है। यह कभी व्यावहारिक नहीं है

(श्री शिवचरण माथुर)

सकता इसलिए अव्यवहारिक बात को लेकर कब तक चलते रहेंगे और राजस्थान के विकास को कब तक इस तरह चलाते रहेंगे? इसलिए यदि राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हिम्मत से कहें कि एक साथ हम इसको करना चाहते हैं। शराब पीने की आदत सामाजिक बुराई के तौर पर समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कुछ करना है उसको करने की हमारी तैयारी है, ऐसा बतायें। यदि यह कर सकें तो बहुत बड़ा मिड-टर्म बजट बनाने की स्थिति में आप होंगे। 348 करोड़ प्लान का बजट है उसको भी आप कहते हैं कि कास्ट एस्कालेशन के आधार पर 398 करोड़ का बजट हो जायगा। हो सकता है सही कहते हो भैरोंसिंहजी लेकिन यह स्थिति आ जाए और हमारी करों की स्थिति ठीक हो जाए; साधन बढ़ाने की स्थिति ठीक हो जाय तो मिड-टर्म फैसला कर सकते हैं, विकास योजनाओं के बारे में दुबारा ऐलान कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि एक बजट पेश कर दिया। बीच में स्थिति ठीक हो जाय तो दूसरा विकास का बजट राजस्थान को दे सकते हैं लेकिन जो जनता पार्टी ने बुराइयां दी हैं, उनसे दूर हट कर नई बातें लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें मुख्य मंत्री साहस दिखायेंगे और जैसे बिहार सरकार ने फैसला लिया है उसके अनुसार आप चलने की कार्यवाही करें।

इस बजट में घाटा पूर्ति के लिए तीन चीजें कहीं गई है--एक तो खर्च में कमी करने वाली बात कही है। मैं मानता हूं कि खर्चे में कमी करना शायद बहुत हद तक संभव नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी कमिटेड खर्चे हो जाते हैं उसमें कहीं कटौती करना बहुत असंभव होता है। प्लान का खर्चा 5 साल बाद नान-प्लान में लाइबिलिटी अपने आप बन जाता है उसको कम करने के लिए कितनी ही मेंटल एक्सर साइज करें, उसमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उसमें जहां कमी कर सकते हैं, उसको आप कीजिए लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारियों को आप पूरी तरह से पैसा दीजिए। महंगाई को कब्जे में नहीं ले सकते तो कास्ट आफ लिविंग का इण्डेक्स बढ़ता है तो आपको निश्चित रूप से महंगाई भत्ते में वृद्धि करनी पड़ेगी, इसको टाल नहीं सकते लेकिन कम से कम एक बात तो की जा सकती है। जब सरकारी कर्मचारियों का ध्यान हम इस प्रकार से रखते हैं, क्योंकि वह आर्गेनाइज्ड सैक्टर है, समाज में बहुत से अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर्स हैं, जिनको महंगाई बढने से कठिनाई होती है। आर्गेनाइज्ड सैक्टरर का सदस्य होने के नाते महंगाई का इन्डेक्स बढ़ने पर हम कम से कम एक आशा उनसे कर सकते हैं कि जितना सरकार उनका ध्यान रखती है, उसी प्रकार से सरकार काम को और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर उत्पादन के काम में ध्यान रखें, देश के उत्पादन में सहयोग दें। इस बात को तो हम कह ही सकते हैं। यदि यह बात संभव हो सकी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सामान्य खर्च के बजट में कमी नहीं करते हुए भी अगर काम की गति को आगे बढा सकें और प्रोडक्शन रेट बढ़ा सके, तो इकानामी पर इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं।

दूसरी बात है नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की। मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं

(श्री शिवचरण माथुर)

कि टैक्स रेवेन्यू चाहे डाइरेक्ट हो, चाहे इन्डाइरेक्ट, एक सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। जितनी मनी इकानामी में ब्लाक करते है, लोगों की क्षमता बढती है उतना ही आप कर्ज ले सकते हैं। लेकिन अधिक से अधिक गुंजाइश हमको बतानी चाहिये। नान-टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने चाहिये। इसके लिए यह आवश्यक है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले कारखाने हैं चाहे दूसरे कारखाने हों रोडवेज, विद्युत मंडल, सब में मेक्सिमम एफिशियेन्सी लाने के लिए एक क्रेश प्रोग्राम बनाने की बात करनी चाहिये। मैं मानता हूं कि सारे का सारा परफार्मेन्स बजट होना चाहिये। कोई भी विकास का काम करने वाले के काम में, बाधा नहीं डाली जाय, उसको स्वतंत्रता दी जाय। अन्त में सरकार केवल एक बात पूछे कि हम आपको यह काम देते हैं, आपकी परफार्मेंस साल भर में देखना चाहते हैं। अगर यह आपने नहीं देखा तो हम आपके बारे में निश्चित राय बनायेंगे यदि परफोर्मेंस ओरिएन्टेड एप्रोच नान-टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज पैदा करने के लिए दें, तो निश्चित है कि आपका काम बढ़ेगा लेकिन होता क्या है। एक तरफ आप आर्गेनाइजेशन कायम करते रहते हैं, लेकिन उनकी डोरी आपने वित्त विभाग को, दे रखी है। डोरी तो विद्युत मंडल के पास ही रहेगी, रोडवेज के पास में रहेगी। अगर वह अपना डवलपमेंट करना चाहते हैं, नई नीतियों को लागू करना चाहते हैं, उसमें वित्त विभाग का पूरा कन्ट्रोल रहेगा, तो वहां के अनुभव के आधार पर जो काम आज करना है राजस्थान में उस काम में 6 महीने लग जायें तो 6 महीने में कितना नुकसान हो जाता है? उसका आप अन्दाजा लगायें। इसलिए आप यदि नान-टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस आदमी के जिम्मे काम देते हैं उसको जिम्मेदारी दें आजादी दी जाए काम करने की और साल के बाद में उनसे पूछा जाए कि हमने तुमको काम दे दिया उसमें क्या किया? बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, उसके आधार पर उसकी सी.आर. लिखी जानी चाहिए। यदि आप यह कर सकें तो हमारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स में भी, गवर्नमेंट आफिशियल्स में भी अच्छे अच्छे टेलेन्ट हैं लेकिन उनका टेलेन्ट नष्ट हो रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे नान-आफिशियल्स में भी टेलेन्ट है, उसका सही उपयोग करें और दोनों का जोड़ा मिलाकर राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ायें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि ऐसा आपने किया, तो साल भर में ऐसा वातावरण बन सकता है, जिसमें नान-टैक्स रेवेन्यू फिनामिनल तरीके से आगे बढ़ सकती है। केवल कहने से और बातें करने से नान-टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज नही बढ़ेंगे। इसलिए मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं नान-टैक्स रेवेन्यू का सोर्स राजस्थान और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सोर्स होना चाहिए।

सभापति महोदया, आज हमारे यहां पर जितने भी बड़े बड़े आर्गेनाइज्ड पब्लिक सैक्टर हैं, उनसे जो आय होनी चाहिये वह आय होती है या नहीं, यह देखने की बात है। हमारे देश में एक रामावतार कमेटी बनी थी, उसने यह कहा कि जो पब्लिक सैक्टर 11 प्रतिशत रिटर्न नहीं देता है, उसको आगे पैसे की मदद राज्य सरकार द्वारा नही दी

(श्री शिवचरण माथुर)

जानी चाहिये। टोटल खर्च का 11 प्रतिशत रिटर्न आता है? या नहीं आता है? पर हमें उसका परफोर्मेन्स देखना चाहिये। सभापति महोदया, आज हमारे यहां पर राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसको आप अगर पहले ही यह कह देते हैं कि तुम्हें इतने रुपये दिये जाते हैं, इसका इतना रिटर्न आना चाहिये। तो, सभापति महोदया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पहले क्या-क्या काम करने हैं, उनको देखना पड़ेगा। जो जरूरी काम हैं चाहे उससे उतना रिटर्न नहीं हो वह तो पहले करना ही होगा। जैसे कि गांवों को बिजली पहुंचानी है, कुओं को बिजली देनी है, यह प्राथमिकतायें हमें पहले देनी होगी। उसके बाद में हम आमदनी के पाइन्ट आफ व्यू से देखेंगे।

सभापति महोदया, तीसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह है लीकेज के बारे में। लीकेज के बारे में मेरा यह निवेदन है कि आज हमारे यहां पर लीकेज बहुत ज्यादा है। आज आप लीकेज एक सैल्स टैक्स का ही देख लीजिये कि कितना लीकेज है? आज आम जनता का आदमी यह चाहेगा, बाजार में सामान खरीदते वक्त वह दुकानदार को यह कहेगा कि आप पैसे ले लो, बिल मत काटना। आज जो व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है उसी की भावना यह है कि चीज पैसे देकर ले लो पर सैल्स टैक्स मत दो। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमें एक भावनात्मक वातावरण बनाने की जरूरत है। आप सजा देने का जो प्रावधान रखते है, वह उचित नहीं है। हमें केवल खरीदने वाले या केवल बेचने वाले के लिये नहीं, हमें दोनों के लिये एक भावनात्मक वातावरण बनाने की जरूरत है। अगर उसमें यह भावना जाग्रित हो जाती है? चाहे वह बेचने वाला हो या चाहे वह खरीदने वाला हो कि जो सैल्स टैक्स का पैसा है, वह राजस्थान में स्कूल बनाने में लगेगा या राजस्थान में अस्पताल बनाने में लगेगा, तो मैं समझता हूं कि वह सैल्स टैक्स की चोरी करने की नहीं सोचेगा। नहीं तो, सभापति महोदया, स्थिति ऐसी है कि आपने टैक्स तो अमीर और गरीब दोनों पर लगाया है पर अमीर आदमी तो टैक्स को इवेड़ करने के लिये अपना कानूनी सामन्जस्य बैठा लेगा पर एक गरीब आदमी, छोटा जो दुकानदार है वह सारे सामन्जस्य नहीं बैठा सकने के कारण पकड़ा जाता है जब कि अमीर आदमी बड़ा व्यापारी पकड़ में नहीं आता है। नतीजा यह होता है कि टैक्स की बड़ी चोरी करने वाले बच जाते हैं और गरीब व्यापारी पकड़ा जाता है। मेरा निवेदन यह है कि आज हमें उन लोगों में एक भावना पैदा करने की जरूरत है कि अगर टैक्स पूरा आयेगा, तो हमारे राजस्थान का विकास ज्यादा हो सकेगा क्योंकि वह सारा पैसा राजस्थान के विकास के लिए खर्च होगा। इसलिये हमें इस लीकेज को रोकने के लिए वातावरण बनाने की जरूरत है। सभापति महोदया, अभी भैरोंसिह जी बता रहे थे सदन में कि अगर लीकेज को बन्द कर दिया जाता है, तो 157 करोड़ की अधिक आय राजस्थान सरकार को हो सकती है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि 157 करोड़ ही क्यों? राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। यह तो बगैर टैक्स लगाये ही प्राप्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सजा देने के प्रावधान ही काफी नहीं है अगर हम भावनात्मक वातावरण पैदा करें, तो उसके

(श्री शिवचरण माथुर)

ज्यादा अच्छे फ्रूट हमें मिल सकते हैं। यह तो मैंने आपको सुझाव के रूप में कहा है।

सभापति महोदया, आज विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, तो हमें पता लगेगा कि हमारा देश दूसरे अन्य विदेशी मुल्कों से 50 साल पीछे है। इसलिये हमें विकास के कार्यक्रम को तेजी से करना चाहिए। आज हमारे देश की आबादी 67 करोड़ है, अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें सिंचाई की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सभापति महोदया, केवल सरकारी मशीनरी से यह पूरा विकास का काम नहीं हो सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा: अभी आपने जो सैल्स टैक्स से लीकेज की बात कही वह कितनी है? कितने करोड़ रुपये हैं?

श्री शिवचरण माथुर: मेरे पास आंकड़े तो हैं नहीं और न ही मैं आंकड़ों के जाल में फंसना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा: आपने जो बात कही है उससे मैं सहमत हूं फिर भी आपका अन्दाज क्या है? अभी आपने आंकड़े दिए हैं।

श्री शिवचरण माथुर: मैंने कहा ना कि मैं आंकड़े के मायाजाल में नहीं फंसना चाहता हूं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, मैं तो मेरी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। मेरा तो सुझाव यह है कि अगर आप भावनात्मक वातावरण बनावें तो हो सकता है लीकेज को बन्द करने में हमें काफी सफलता मिल सकती है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आर्थिक विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदया, राजस्थान का आर्थिक विकास सिर्फ इण्डस्ट्रियलाइजेशन से ही हो जावेगा, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हालांकि आर्थिक विकास का मूल आधार इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है पर हमारे देश की परिस्थिति अलग है।

हमारे यहां अगर विकास करना है तो हमें खेती की उन्नति करना बहुत जरूरी है। सभापति महोदया, खेती का प्रोडेक्शन बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। सभापति महोदया, अभी मैंने सिंचाई विभाग की रिपोर्ट देखी। उसको देखने के बाद मालूम होता है कि हमारे जो सारे प्लान्स और स्कीम्स हैं, हमारे सिंचाई के साधन हों चाहे वह हमारा इन्टरनल वाटर हो चाहे इन्टर स्टेट वाटर हो उस सब पानी का इतने प्लान बनाने के बाद भी सिर्फ पचास प्रतिशत वाटर ही हम सिंचाई के काम में ले पाये हैं। अभी भी जो 50 प्रतिशत वाटर है चाहे इन्टरनल वाटर हो चाहे इन्टर स्टेट वाटर हो, उसको लेने की जरूरत है। सभापति महोदया, 15 साल से अधिक हो गये राजस्थान केनाल को बनते हुए। मैं यह नहीं कहता कि इसको पूरा नहीं किया जाय, इसको तो पूरा किया ही जाय पर इसके साथ-साथ जो सिंचाई के छोटे-छोटे साधन हैं, छोटी-छोटी हमारी जो योजनायें हैं, वह पूरी की जायं। मेरा सुझाव है कि वाटर टेप किया जाय। इसके साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि 40 स्क्वायर यार्ड के छोटे-छोटे केचमेन्ट जगह-जगह बनाये जायं और उनसे खेती की

(श्री शिवचरण माथुर)

जाय। इससे हमारी सिंचाई की पोटेन्शियलिटी बढ़ेगी। वरना ऐसा होता है कि हमारे पानी की पोटेन्शियलिटी खतम हो जाती है। नीचे पानी जो सरफेस में है, वह सूख जाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमारे यह जो छोटी-छोटी और मध्यम सिंचाई योजनायें हैं, वह पूरी की जाकर सिंचाई करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। आज हम इन योजनाओं को शुरू करके अच्छी खाद और अच्छी किस्म के बीज किसानों को देवें, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो प्रोड्क्शन 131 मिलियन टन अनाज का है, वह 200 मिलियन टन अनाज का प्रोडक्शन हो सकता है। यह जो 131 मिलियन अनाज का प्रोडक्शन जनता पार्टी के राज्य में भगवान की कृपा से हो गया था, वह तो अलग बात है, वैसे हमारे यहां तो प्रोडक्शन जनरली इन्द्र भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है। अगर एक साल बरसात अच्छी हो जाती है तो बम्पर क्रोप हो जाती है और अगर बरसात नहीं हो, तो अकाल पड़ जाता है और प्रोडक्शन 13 लाख टन ही रह सकता है। ज्यादा बरसात हो तो 250 लाख टन तक हो सकता है। अकाल हो तो चाहे आप कितनी अच्छी खाद दे दो, चाहे आप कितने ही अच्छे बीज दे दो, प्रोडक्शन नहीं हो सकता।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को मैं बता देना चाहता हूं कि 70-71 में रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ था जब कि पहले तीन साल तक यहीं पर अकाल था। उतना प्रोडक्शन आज तक खरीफ की फसल में कभी भी नहीं हुआ।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज लोग चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं दूसरी ओर हमारे माथुर साहब इन्द्र भगवान की मेहरबानी की बात कर रहे हैं। आपने तीस साल तक इन्द्र भगवान के ऊपर ही रह कर काम किया। आपके तो ऊपर इन्द्र भगवान है नीचे इन्दिरा और बाकी भगवान कृष्ण चन्द्र का नाम है। आपने तीस सालों में क्या विकास का काम किया है?

श्री शिवचरण माथुर : मैं साइन्टिफिक और टेक्निकल बात के साथ-साथ भगवान में विश्वास करता हूं। मैंने भी यूरोपीय देशों का भ्रमण किया है, वहां का हाल भी जानता हूं वह भी नेचर में विश्वास करते हैं।

श्री सभापति : आप संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य। आपने 40 मिनट ले लिये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो

(व्यवधान)

आपको वाटर पोटेंशियलिटी को बढ़ाना होगा। इसके साथ अच्छी फर्टीलाइजर, अच्छे किस्म के बीज आप किसानों को दें और फिर आप अपना प्लान फिक्स कर लें कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है। अगर आप यह करेंगे तो जरूर प्रोडक्शन बढ़ेगा।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं अब थोड़ा खानों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर खनिज की बहुतायत है। अगर हम खनिज का विकास करें तो हमें बहुत लाभ हो सकता है और हमारी इकानामी बहुत सुधर सकती है हमारे पास मैन पावर बहुत

(श्री शिवचरण माथुर)

है और खनिज से हम दूसरे उद्योग ज्यादा शुरू कर सकते हैं। आप सीमेन्ट का उद्योग ही लें। हमारे यहां सीमेन्ट का भारी प्रोडक्शन हो सकता है। मेरे ही क्षेत्र माण्डलगढ़ में सीमेन्ट की फैक्ट्री लग सकती है क्योंकि वहां पर लाइम स्टोन अधिक है। वेगूं में लग सकती है चित्तौड़गढ़ के पास में शम्भूगढ़ में सीमेन्ट का भारी कारखाना लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास ये आप आठ सीमेन्ट फैक्ट्री लगा सकते हैं। उनसे वहुत भारी मात्रा में सीमेन्ट का प्रोडक्शन हो सकता है जिससे हमारे राजस्थान का वहुत भारी मात्रा में आर्थिक विकास हो सकता है तथा हमें रायल्टी भी मिल सकती है। यदि आप प्लास्ट फाइवल की इन्डस्ट्री लगाते हैं तो राजस्थान के लिए उसका कोई सीधा उपयोग नहीं हैं, मैं समझता हूं कि कोई राजस्थान की इकानामी पर असर पड़ने वाला नहीं है। हां, यहां आप केमिकल की इन्डस्ट्री लगायें, खाद की इन्डस्ट्री लगायें मिनरल वेस्ड इन्डस्ट्री लगायें, सीमेन्ट की फैक्ट्री लगायें, तो इसका सीधा असर राजस्थान के विकास पर पड़ने वाला है। यदि इन सारी चीजों को योजनावद्ध तरीके से करने की वात हम करेंगे तो राजस्थान वहुत तेज गति से आगे वढ़ेगा क्योंकि राजस्थान में विकास की क्षमता वहुत अधिक है। हमारे देश के कुछ प्रान्त विकास के अन्दर एक प्रकार से सेचुरेशन पाइन्ट पर आ चुके हैं, जो हमारे से वहुत एडवान्स्ड हैं और हमारा प्रदेश वहुत पीछे है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी विकास की क्षमता वहुत अधिक है। विकास को कायम रखने के लिए, ढूंढ़ने के लिए हमें योजनावद्ध तरीके से और योजनावद्ध कार्यक्रम के आधार पर काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वजट जो अव की वार प्रस्तुत किया गया है, यह एक दिशा में इंगित है। आगे आने वाले वर्ष में स्थिति ठीक रही, तो आगे आने वाले पांच वर्ष राजस्थान के लिए वहुत ही शुभ हैं और विकास की अच्छी स्थिति पैदा करने वाले हैं। जिन आधारों को आपने नष्ट किया उनको वहुत अधिक समय में नहीं लेकिन वहुत ही कम समय में ठीक करके इस देश की और राजस्थान की विकास की गति को आगे वढ़ाने की कल्पना कर सकते हैं।

अन्त में, माननीय सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र की वहुत ही मौलिक समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करके अपनी वात समाप्त करूंगा। वह है हमारे क्षेत्र की भेड़ समस्या। मुझे बड़ा खेद है यह कहते हुए कि इस सदन में वैठने वाले विरोधी पक्ष के नेता उस दिन काल अटेन्शन मोशन का जवाव दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता भेड़ की राजनीति चलाना चाहते हैं। उसी दिन शाम को जव राज्यपाल महोदय के यहां विधायकों की चाय पार्टी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि माथुर साहव मैंने वहां तो कुछ भी कहा हो लेकिन यह सही है कि वहुत भेड़ें आ गयी हैं और वहुत उत्पात मचा रही हैं। आज सरकारी विभाग यह कहता है पर मेरे पास अभी चिट्ठी आयी है। 1 लाख 55 हजार भेड़ें एक छोटे से इलाके में पहुंच गयी हैं। शिव से आने वाले माननीय सदस्य जव तीन चार दिन पहले जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को वसाने वाले हैं उनको

(श्री शिवचरण माथुर)

जमीन के अलाटमेंट की समस्या है, तो मैंने कल्पना की भेड़ों की। वहां जितनी भेड़ें आती हैं वह हमारे जंगल को नष्ट करती हैं, हमारे चरागाहों को नष्ट करती हैं, खेतों में घुस जाती हैं। उस को मैंने स्वयं दिखाया। हमारे डाइरेक्टर शीप एण्ड वूल को मैं स्वयं ले गया और मैंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट को पढ़ कर देखें। मैंने उनको 5 घंटे तक जंगल में पैदल घुमाया और दस मील तक चला कर दिखाया। 3 टोले 20–20 हजार के थे। ये टोलियां तो हैं ही इसके अलावा 13 जगह टोलियां और हैं। सरकारी रिपोर्ट में कहा यह गया है कि 20–25 हजार ही आती हैं जब कि वहां पर 1।। लाख भेड़ें बैठी रहती हैं। सारे जिले में भयंकर असन्तोष का वातावरण बन रहा है। मैं पूर्व और पश्चिम को बांटने वाली बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन स्थिति ऐसी है कि यदि सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया और समय रहते इसका हल नहीं निकाला, तो असन्तोष और बढ़ सकता है। मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए सरकार को इस गम्भीर समस्या की तरफ ध्यान देकर इसके बारे में सोच कर इसे हल करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आज ही सारी भेड़ों को वापस भेज दो। एक फेज प्रोग्राम के आधार पर आपको यह भेड़ें वापस भेजनी पड़ेंगी। यदि नहीं भेजते हैं, तो लोगों में सरकार के प्रति यह बात हो सकती है कि सरकार हमारी वाजिब मांग को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे लोगों में जो भावना पैदा होगी उसको आप जानते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको लाइटली नहीं लिया जाये और विचार करके इस समस्या के हल के लिए कोई उचित समाधान निकालने की कोशिश की जाये, तो मैं मानूंगा कि आप जनता की मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदया, इस बजट का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले साल में जब वापस बजट को आपरेट करेंगे तो जो तीन मुख्य मुद्दे अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इंगित किये हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत सतर्कता बरतें एफीशियेंसी अर्जित करने की दृष्टि से और बढ़िया राजस्थान के विकास के लिए बीच में ही घोषणा की बात कीजिए। इसके अलावा अधिक स्कूल खोलने की बात कर सकें, अधिक मिडिल स्कूल खोलने की बात कर सकें, भैरोंसिंह जी ने 30 पशु चिकित्सालय की बात कही, "सी" क्लास औषधालय कायम किये जायेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें 6 बैडस होते हैं और उसका बजट ज्यादा होता है। पता नहीं वह कहां से 3 पशु चिकित्सालय की बात ले आये।

सभापति महोदया, और भी बहुत सी बातें कही गयीं जिनका मैं तफसील से जवाब दूं तो आध पौन घन्टे में जवाब होगा इसलिए मैं और बातें माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर छोड़ता हूं और यही बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थिति में इससे अच्छा बजट कोई सरकार

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रस्तुत नहीं कर सकती थी जो कि सरकार ने आज पेश किया है । सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि आगे आने वाले वर्षों में लीकेज को रोक कर, खर्च में जहां बचत हो सकती है, वहां बचत करके विकास की गति को और तेज करना चाहिए । यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री कनकराज ।

(अनुपस्थित)

श्री हेमाराम चौधरी आपकी पार्टी ने आपको 7 मिनट दिये हैं । 5 मिनट के बाद घन्टी बजेगी उसके बाद आप समाप्त कर दें ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : माननीय सभापति महोदया, मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 1980-81 का बजट पेश किया है उसके अन्दर मुख्य मंत्री जी ने पेयजल के ऊपर 20 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की है और शिक्षा के क्षेत्र में भी जनता पार्टी का जो बजट था उसके बनिस्पत 13 करोड़ अधिक व्यय करने की बात कही है । परन्तु पिछले समय में जितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये उसके अनुपात में इस साल बजट के अन्दर केवल 600 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं इसके लिए, माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे गांव हैं जिन गांवों के अन्दर कोई भी पाठशाला नहीं है और दस-दस किलोमीटर तक पांच-पांच साल के बच्चों को चल कर जाना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या यही रही तो गांवों में शिक्षा के मामले में कोई प्रगति नहीं आयेगी । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो 600 प्राथमिक विद्यालय खोलने का कहा है, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 3 प्राथमिक विद्यालय खोलने का आश्वासन दिया है, कई क्षेत्रों में पहले से ही बहुत अधिक विद्यालय हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत कम विद्यालय हैं। जहां बहुत कम विद्यालय हैं, वहां प्राथमिकता दी जाये और उनमें ज्यादा विद्यालय खोले जायें। शहरों के अन्दर और घनी आबादी के अन्दर नजदीक-नजदीक स्कूल नहीं खोले जायें तो भी बच्चों को ज्यादा पदल चल कर नहीं जाना पड़ता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक-एक गांव दस-दस मील दूर होने से कोई शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करन चाहता हूं कि और शिक्षा को आगे बढ़ाना है और देश की जो भावी पीढ़ी है उसको शिक्षित करना है, तो गांवों में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा गावों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, प्राथमिक शिक्षा की आवश्कता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की ओर ज्यादा ध्यान दें। राजस्थान में कुल 22484 प्राइमरी स्कूल थे, 50501 अपर प्राइमरी विद्यालय है, 1648 सैकन्डरी स्कूल्स हैं और 481 हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि यदि वे और स्कूल खोलते हैं, तो क्षेत्र के अनुपात के हिसाब से विद्यालय खोलें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह

(श्री हेमाराम चौधरी)

यह देखें कि जो पहले विद्यालय चल रहे हैं उन सबको मिला कर ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत विद्यालय आते हैं। अगर उनका अनुपात ठीक बैठता है तो मैं मानूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ आपने बराबर न्याय किया है नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र पहले से ही शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, अब भी जो विद्यालय खोलने की नीति है उसमें भी वे पीछे रह जायेंगे।

दूसरा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा जनता पार्टी ने चलाई थी उससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो देश की भावी पीढ़ी है, जो देश के निर्माता हैं, जो देश का निर्माण करने वाले हैं उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है। बिना एज्यूकेशन के वे देश के विकास में सहयोग नहीं दे सकते हैं इसलिए उनको शिक्षा दी जाय, जो देश के भावी निर्माता हैं। जनता पार्टी ने प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत कुछ केन्द्र खोले थे वे उन-उन जगहों पर खोले, जहां उनके क्षेत्र थे। गांवों के अन्दर कार्यकर्ताओं को डेप्यूट किया जिससे उनको 50 रुपये प्रति माह मिलते रहें और वे जनता पार्टी का ही प्रचार करते रहे। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्य है, उसको बन्द करके इस पर जो होने वाला व्यय है, वह प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाय।

विधान सभा क्षेत्रों में आनुपातिक तौर पर विद्यालय खोलने की बात कही गई लेकिन मैं बताता हूं मेरे क्षेत्र में 4 सेकेन्डरी स्कूल है। प्रति क्षेत्र में 1648 के हिसाब से स्कूल दिये जायं तो 12 स्कूल आते हैं, इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा अगर समानता की नीति अपनाते हैं तो 8 सेकेन्डरी स्कूल और खोल दें और उनको प्राथमिकता दी जाय, नहीं तो जो पिछड़ रहे हैं, वे और भी अधिक पिछड़ जायेंगे। आज बड़े-बड़े शहरों में कई तरह के स्कूल चलते हैं बी. एस. एफ. के स्कूल हैं, एयर फोर्स के स्कूल हैं, कहीं रेल्वे स्कूल हैं, तो कहीं प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन गांवों में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दे और अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल खोले। 600 स्कूल इस साल खोलने हैं, पिछले साल जनता पार्टी ने 1000 स्कूल खोले थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दो हजार स्कूल खोले। हमारे क्षेत्र में ऐसे दो-दो, तीन-तीन गांव हैं जहां एक भी स्कूल नहीं है। जब मैं मेरे क्षेत्र में गया तो उनकी शिकायत थी कि हमारे यहां स्कूल नहीं हैं। बच्चे 5-5, 7-7 मील तक दूर पढ़ने नहीं जा सकते हैं। उन गरीब बच्चों की ऐसी भी स्थिति नहीं हैं कि वे होस्टल में भर्ती हो सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गांवों की तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान पेय जल की ओर दिलाना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता माननीय भैरोंसिहजी, जब जनता शासन में मुख्य मंत्री बने थे, तब मुख्य मंत्री बनते ही यह कहा था कि एक भी गांव पानी से वंचित नहीं रहेगा। पानी की समस्या खतम हो जायेगी। अभी हमारे

(श्री हेमाराम चौधरी)

मुख्य मंत्रीजी ने भी यह कहा है कि एक भी गांव पानी से वंचित नहीं रहेगा। पैसों का बजट में काफी प्रावधान बताया लेकिन मैं तो तभी मानूंगा जब वास्तव में गांवों में पीने का पानी पहुंच जाएगा। कई गांव ऐसे हैं जहां पानी काफी गहरा है। अभी सिंचाई मंत्री जी ने बताया पोकरण, पडेऊ और खारड़ा में पानी नहीं जा रहा है, यह शिकायत नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि आज तक पानी नहीं दिया। 10 साल हो गये वहां पर पाइप लाइन पहुंचे हुए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा बाड़मेर जिले के अन्दर पानी की भयंकर समस्या है, लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं। एक-एक घड़े के लिए 10-10 मील तक जाना पड़ता है। इस तरह की हमारे बाड़मेर जिले की हालत है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिले में सबसे पहले पानी की व्यवस्था की जाय। वहां के लोग पानी की एक-एक बूंद के लिये तरसते हैं, प्यासे हैं। यदि आपने उनको पानी दे दिया, तो वह यही समझेंगे कि उनके लिये सब कुछ कर दिया। हमारे बाड़मेर जिले में जो छोटे-छोटे कुए खोद कर पानी की योजनायें बनाई, वे सफल नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान नहर से एक छोटी नहर बाड़मेर के लिये केवल पीने के पानी के लिए निकालें जिससे कम से कम मनुष्यों और पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाय। हम नहीं चाहते हैं कि सिंचाई के लिए पानी दें, सिंचाई तो बाद की बात है पहले मूलभूत आवश्यकता तो है पीने के पानी की, इसलिए इस ओर पहले ध्यान दिया जाय।

अब मैं अकाल राहत के बारे में निवेदन करूंगा। बाड़मेर जिले में निरन्तर अकाल पड़ता रहता है, लेकिन आज तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, आज तक इस ओर सोचा तक नहीं गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अकाल के स्थायी हल के लिए कोई उपाय सोचें, जिससे अकाल का हमेशा के लिए समाधान हो सके। बाड़मेर में इस साल भयंकर अकाल है, किन्तु गरीब मजदूरों को और किसानों को कोई मदद नहीं दी जा रही है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां के मजदूरों की मजदूरी की कटौती की गई है, एक-एक किलो अनाज आधा-आधा किलो अनाज, 600–600 ग्राम अनाज का पेमेंट हुआ है। वे लोग हमेशा काम पर आते हैं फिर भी उनको हमेशा एक-एक किलो का पेमेंट किया गया है, यह भी दुख की बात है। आज दो-दो हजार की तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति केवल अटेंडेन्स रजिस्टर पर दस्तखत करते हैं और कहीं साइन नहीं करते हैं, क्या उनकी कभी कोई कटौती की गई है ? कभी कटौती नहीं हुई, लेकिन गरीबों के पेमेन्ट में कटौती हुई, भूखे और प्यासे व्यक्तियों की तनख्वाह में से कटौती की गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको तुरन्त रोकें। अभी वहां बरसात हो गई बताते हैं, इसलिए अकाल राहत काम बन्द कर दिये हैं। मैं निवेदन करूंगा, उनको बन्द न करके चालू रखा

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाय क्योंकि कभी बरसात के साथ अनाज नहीं बरसता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज वहां की यह हालत हो रही है कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे सो रहे हैं और प्यास से तरस रहे हैं। मेरा निवेदन है पानी और रोटी की प्राथमिक आवश्यकता है। जब तक रोटी और पानी नहीं मिलेगा, तब तक मैं समझूंगा जो बजट बनाया है, वह बेकार है, किसी मतलब का नहीं है...

(व्यवधान)

यह अब कोई पहला बजट नहीं है, पहले भी कांग्रेस ने बजट पेश किये हैं, जनता पार्टी ने भी तीन साल बजट पेश किये हैं, लेकिन बाड़मेर जिले में पानी और भूख से आदमी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, अभी भी समस्या वैसी बनी हुई है। उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि आप जाकर देखें कि क्या हालत है ? वहां के लोग प्यास और भूख से किस तरह जीवन से खेल रहे हैं ? इस साल पानी की भयंकर समस्या है। पानी टैंकरों से पहुंचाने की जो व्यवस्था की है, वह कब तक करेंगे ? क्यों नहीं स्थायी हल की व्यवस्था करते हैं, राजस्थान कैनाल से पानी क्यों नहीं पहुंचाते हैं ? मैं तो देश का विकास तभी मानूंगा, जब सर्व प्रथम लोगों को पीने के लिये पानी दिया जायगा और उसके बाद में खाने के लिये रोटी दी जायगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरे क्षेत्र में बहुत कम अस्पताल हैं। गांवों के अन्दर जहां 40-40, 50-50 कोस तक अस्पताल नहीं हैं, वहां मरीज लोग अस्पताल तक ले जाते हुए बीच में ही मर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा चिकित्सा सुविधा पहुंचायें। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कोई बड़े अस्पताल नहीं खोलें, तो छोटे-छोटे औषधालय खोलें, जिनमें एक हकीम हो, एक डाक्टर हो या एक कम्पाउन्डर हो या एक नर्स हो। जब छोटे अस्पताल ही नहीं खोल सकते तो बड़े अस्पताल कैसे खोल सकते हैं ?

ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल खोले हैं, उनमें ज्यादा टीचर की जरूरत नहीं है, केवल एक गांव में एक स्कूल एक टीचर काफी है। आजकल शहरों में दस-दस, सौ-सौ, दो-दो सौ टीचर हैं। हम कहते हैं हमें ज्यादा टीचरों की जरूरत नहीं है। बाड़मेर जिले में कुछ स्कूल तो जनता पार्टी ने खोल दिये हैं, बाड़मेर जिले की तहसील की बात कही है, वहां पर 103 स्कूल हैं, जब कि 97 टीचर हैं। यदि एक स्कूल को एक टीचर भी दिया जाय, तो भी पूरे नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल के लिए एक अध्यापक भी नहीं और शहरी क्षेत्र में एक-एक स्कूल में सौ-सौ अध्यापक हैं। सुविधाओं आदि की बात है, वह अलग है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने काफी समय ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सदस्य ऐसा बढ़िया नहीं बोला। इन्हें समय दिया जाय।

श्री हेमाराम चौधरी : जो सत्य है, उसे छिपाया नहीं जा सकता, सदन में कहा जायेगा, यह कोई ऐसी बात नहीं है। यह मैं सही बात कह रहा हूं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जो पार्टी की बात कही गयी है, वह यह नहीं है। जो बात है, हकीकत है, वही आपके सामने रखी है। जो अभी-अभी नये सदस्य आये हैं, वे यहां आकर×× की तरह बैठ गये हैं और सत्ता पक्ष के साथ हैं।

(व्यवधान)

जनता की बात सदन में कहने के लिए आये हैं, सदन में रखने के लिए आये हैं कि क्या हालत है, किस तरह से लोग रह रहे हैं? उनकी हालत देखने की अगर आप लोगों को आवश्यकता हो, तो मेरे साथ चल कर देख लें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण जनता की प्रगति की बात कही, मैं इसे अत्यन्त आवश्यक मानता हूं।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति के लिए इस बजट में विभिन्न कार्यक्रम हैं–जैसे विद्युतीकरण। विद्युतीकरण की बात कही गयी है, सड़क निर्माण की बात कही गयी है, पेयजल की बात कही गयी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण की सारी बातें इसमें कही गयी हैं। मैं इसको तभी सही मानूंगा जब यह बातें पूरी होंगी। एक साल के बाद ही मालूम होगा कि यह बजट किस तरह का था और गांवों में इसका उपयोग कैसा हुआ? सारे गांव के ग्रामीण लोग इस बजट के आंकड़े नहीं समझते। उनके सामने विकास होता है, उसी को वे बजट मानते हैं। गांवों के अन्दर स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सड़क बनायेंगे, गांवों के अन्दर पानी की सुविधा होगी तो वे समझेंगे कि बहुत अच्छा बजट था, बहुत अच्छी सरकार थी, शासन था। बजट के आंकड़ों को कोई नहीं समझता। हमेशा से सन् 1952 से आज तक इस तरह के बजट पेश हुए हैं। हमेशा प्रावधान रखे गये हैं इस तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। यह पाकिस्तान की सीमा पर है। पाकिस्तान से लड़ाई के समय वहां की जनता मुकाबला करती है हर बात के अन्दर। पानी की दृष्टि से, अकाल की दृष्टि से देख लें बाड़मेर में हमेशा समस्या रहती है। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पूरा का पूरा जोर बाड़मेर जिले पर रहता है, तो भी बाड़मेर को कोई सुविधा नहीं दी जा सकती, उसका ध्यान राजस्थान सरकार द्वारा नहीं रखा जाता। शरणार्थियों का हम स्वागत करते हैं, वे हमारे भाई हैं, उनको बसाना है हमें, लेकिन उनका पूरा बोझ बाड़मेर जिले पर डाला जा रहा है। वे लोग भी वहां बस सकते हैं, लेकिन वहां पीने के पानी की जब हमारे आदमियों के सामने समस्या है, तो उनको बसाने की ओर भी समस्या होगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि

××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेमाराम चौधरी)
वहां पीने के पानी की व्यवस्था करें। यह व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती है, जब तक कि राजस्थान कैनाल से छोटी नहर पानी के लिए नहीं दी जायेगी। वहां पर कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे सभी को पानी दिया जा सके। पाइप लाइन है उससे आधा घण्टा पानी आ जाता है, जिससे 2-4 घड़े भले ही भर जायें, उससे अधिक पानी नहीं मिलता है। उन गांवों को अगर आप पानी उपलब्ध कराने वाले गांवों की श्रेणी में नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। बजट में आपके आंकड़ों की बात चली तो बताया गया कि गांव पानी वाले गांवों की श्रेणी में आ गये हैं, लेकिन गांवों में आज भी पानी नहीं पहुँचता। इस तरह से आंकड़े बता दें, तो उससे वहां की जनता कोई खुश होने वाली नहीं है। हमने जनता से वायदा किया है कि आपके यहां सबसे पहले पानी आयेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें। मुख्य सचेतक ने जो कहा है, उससे दुगना समय ले चुके हैं। अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारी बातों की ओर ध्यान दें। हमने ग्रामों के सर्वांगीण विकास की बात कही है अगर हमारी बातों की ओर ध्यान दें, तो गांवों में ज्यादा विकास होगा; गांवों में विकास अपने आप हो जायेगा।

यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानसिंह।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया जी ने जिन परिस्थितियों में यह बजट रखा है....

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था उस समय मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो बाहर चले गये थे, आपको थोड़ा समय बाद में मिलेगा।

श्री ज्ञानसिंह : जिन परिस्थितियों में यह बजट रखा है, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। एक तरफ राजस्थान अति वर्षा, अकाल की चपेट से गुजर रहा था, दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस की जो 30 साल की सुनियोजित आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक ढांचा था, उसको 3 साल के अन्दर इस तरह से बिखेर दिया गया, इस तरह से उसको धराशायी कर दिया गया कि जिस आधार पर राजस्थान का विकास होने वाला था, हमारे प्रदेश का विकास होने वाला था, वह विकास रुक गया। जहां तक जनता सरकार की उपलब्धियों का प्रश्न है, जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जनता सरकार की उपलब्धियां बतायी गयीं, वास्तव में कुछ उपलब्धियां हुई भी हैं लेकिन किस प्रकार से हुई हैं ? यह आपको बताना चाहता हूं। 76-77 की हिन्दुस्तान और राजस्थान की बात है, उस समय देश की बढ़िया अर्थ व्यवस्था थी, देश में विदेशी पूंजी का भण्डार था, सोने का भण्डार था, देश में अनाप-शनाप अनाज का भण्डार छोड़ कर गये थे। उस परिस्थिति में घाटे को आगे बढ़ाना कोई

(श्री ज्ञानसिंह)

बहुत होशियारी का काम नहीं था। एक दावे के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का जो विकास होने वाला था, जिन प्राथमिकताओं के आधार पर राजस्थान का विकास होने वाला था, उस विकास को जनता पार्टी, आगे नहीं बढ़ा पायी। जहां तक हमारे लक्ष्यों की पूर्ति का सवाल है, हमारे बजट में कहा गया है कि जो लक्ष्य हैं, उनकी वास्तविक पूर्ति हम नहीं कर पायेंगे। इसके मायने यह हैं कि हमारी कोई प्रगति इस बजट के द्वारा नहीं होगी, इसके मायने यह हैं कि अकाल की वजह से और जो धरोहर हमें जनता पार्टी ने दी है, उसकी वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने हमें राज सौंपा है, जो आशा और विश्वास हमारी सरकार में व्यक्त किया है, उस आशा और विश्वास की पूर्ति हम नहीं कर पायेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस साल अच्छी वर्षा हुई और मानसून ने साथ दिया, तो जिस प्रकार का यह बजट है, यह बजट राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला है, राजस्थान के विकास के काम को आगे बढ़ाने वाला है और राजस्थान को पीछे हटाने वाला नहीं है।

जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, राजस्थान के अन्दर मैं भी मानता हूं कि पीने के पानी की व्यवस्था करना सब से जरूरी है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि कम से कम राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया जी ने इस बात को माना है और पाइप लाइन की व्यवस्था करने का राजस्थान के लोगों को आश्वासन दिया है। अगले 5 साल के अन्दर हम गांवों को पीने का पानी देना चाहते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। एक बात आप से कहना चाहता हूं कि जो पीने के पानी की समस्या है, यह काफी जटिल समस्या है। इसके लिए साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे और राजस्थान कैनाल के काम को पूरा करना होगा। अगर हम यह कर पाये, तो यह बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा हमारे मुख्य मंत्री पहाड़िया का और कांग्रेस सरकार का कि लोगों को पीने का पानी दे सकेंगे।

उसके बाद राजस्थान में सिंचाई की बात हमारे सामने है। वैसे इस बात के बजट में सिंचाई के लिये प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। राजस्थान के अन्दर सिंचाई की बहुत बड़ी क्षमता है। आज भी करीब 80 लाख हैक्टेयर की सिंचाई की क्षमता राजस्थान के अन्दर है किन्तु हम सारी की सारी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये, आधे से ज्यादा हमारी सिंचाई की क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यदि आप राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिंचाई को प्रमुखता देनी पड़ेगी। कृषि का सिंचाई आधार है। इसी के आधार पर राजस्थान आगे बढ़ सकेगा।

राजस्थान नहर का जहां तक प्रश्न है, इस साल 31 करोड़ रुपयें का प्रावधान रखा गया है। पिछली बार भी काफी रुपयों का प्रावधान रखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार के सामने आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितने रुपये का प्रावधान रखा गया पिछले वर्ष, उसको खर्च नहीं कर पाये। क्या-क्या इन्होंने नहीं किया ? कई बातें हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद हमें

(118)

(श्री ज्ञानसिंह)

राजस्थान कैनाल के निर्माण को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। राजस्थान के लिए यह दुर्भाग्य-पूर्ण मसला है कि राजस्थान कैनाल के निर्माण का कार्य मंद गति से चलता रहा पिछले चार सालों में। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान नहर के निर्माण के अन्दर जो भी मेटीरियल काम में लिया गया, ईंट सीमेंट आदि मसाला काम में लिया गया है, दुर्भाग्य की बात है कि वहां का सीमेंट भादरा, नोहर आदि में पिछले दो तीन सालों में बेचा गया है, जिससे राजस्थान कैनाल के निर्माण को काफी धक्का लगा है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कहता हूं कि राजस्थान कैनाल का काम तेजी से आगे बढ़े उसके साथ-साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो काम हो, वह स्थायी हो। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह योगदान होने वाला है, इसलिये यह पुख्ता योगदान हो। इसके साथ ही राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिए दस साल का समय रखा गया है, 1990 में यह पूरी होगी, उसके लिए मैं सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसके समय को कम किया जावे। छठी पंचवर्षीय योजना में ही हम अगर राजस्थान नहर को पूरा कर सकें, तो यह हमारे लिए एक कीर्तिमान होगा और इससे हम हमारे प्रदेश की

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

गरीबी और बेरोजगारी को मिटा सकेंगे।

इसके बाद में आज बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने है। इस बजट के अन्दर बेरोजगारों के बारे में कुछ इंगित किया गया है। कुछ इस बारे में भी व्यवस्था की गई है प्रशिक्षण आदि चालू किये जायेंगे और बेरोजगारों को सहायता दी जाएगी, उससे कुछ समस्या शायद हल हो पाएगी। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विकास पर जो व्यय होगा, उससे करीब 3 लाख 59 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे आज की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी मिटाने की, उसमें सहायता मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि 1976 के अन्दर हमारे यहां पर 2 लाख 28 हजार बेरोज-गारों की संख्या दर्ज थी, लेकिन वह 79 में बढ़कर 3 लाख 25 हजार हो गई है। इतने और बेरोजगार दर्ज हो गए। आपको ज्ञात होगा कि जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा की थी कि दस साल के अन्दर बेरोजगारी समाप्त कर देंगे। जब उन्होंने दस साल में सम्पूर्ण बेरोजगारी समाप्त करने की घोषणा की थी और तीन साल तक वे शासन में रहे, तो कम से कम 25 पर्सेन्ट बेरोजगारी तो कम होनी चाहिये थी, लेकिन जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी समाप्त होने की बजाय और बढ़ी है। इस प्रकार से जो बेरोजगारी की समस्या है, हमें उसको दूर करना होगा। आज हमारे यहां पर जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति चल रही है, उससे हमारे राज्य के अन्दर बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। हमें रोजगार से सम्बन्धित जोब ओरियेन्टेड एज्यूकेशन पैदा करनी होगी, इसके लिये कई बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पैसा उठा लिया है, उसके अलावा कई विद्वानों के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शिक्षा के बारे

(श्री ज्ञानसिंह)

में भी जनता पार्टी ने बहुत बातें कही, लेकिन पिछले तीन सालों के अन्दर प्रगति करना तो दूर रहा, जनता पार्टी शिक्षा के काम को भी आगे नहीं बढ़ा पाई। जहां तक राजस्थान के अन्दर शिक्षा के प्रसार का प्रश्न है, जनता पार्टी ने काफी स्कूल खोले, लेकिन मैं एक बात उनसे कहूंगा कि पिछले तीन सालों में जितने स्कूल खोले गये, वे तो ठीक हैं, लेकिन जितनी शिक्षा में गिरावट आई है, विश्व-विद्यालयों में गिरावट आई है, उतनी पहले कभी नहीं आई। हड़तालें, जातिवाद, राज-नैतिक अखाड़ेबाजी जितनी इन तीन सालों में राजस्थान में देखने को मिलती थी, उतनी कभी नहीं थी। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात राजस्थान के लिए यह है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि बड़े कीर्तिमान जनता पार्टी ने कायम किए स्कूलें खोलने के, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इन्होंने तीन चार कीर्तिमान स्थापित किये हैं। एक तो कीर्तिमान इन्होंने यह स्थापित किया कि जो सत्र हमारे जुलाई में शुरू होते थे, उनको बढ़ाकर नवम्बर तक पहुंचा दिया। नवम्बर में सत्र शुरू करवा दिये गये हैं। दूसरा कीर्तिमान उन्होंने यह स्थापित किया कि हमारे राजस्थान के विश्व विद्यालयों में जहां जातिवाद और किसी प्रकार की राजनैतिक अखाड़ेबाजी नहीं थी, वहां पर राजनैतिक अखाड़ेबाजी बना दी। तीसरी बात शिक्षा के बारे में जो इन्होंने की वह की कि स्कूलें तो खोल दी, मगर बगैर भवन और बगैर अध्यापकों के खोले। चौथा कीर्तिमान इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर इस प्रकार का वातावरण कायम किया कि गांवों के अन्दर विषपूर्ण वातावरण बना दिया। इस प्रकार की बीमारी हमारे यहां

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पैदा कर दी इसको मिटाना होगा...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानसिंह: और भी कई बातें सामने हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है। महंगाई पर नियंत्रण करने के लिये यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि खाद्य पदार्थों का वितरण इस तरह से हो कि सब लोगों को आराम से जरूरत की चीजें मिल सकें। जहां तक महंगाई का सम्बन्ध है, इसका सीधा सम्बन्ध देश के उत्पादन से है। जब देश में उत्पादन कम होगा, तो वस्तुओं की देश में कमी होगी और लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मेरा एक सुझाव है कि चीजों की कमी के होते हुए भी जितनी चीजें उपलब्ध हैं, उनके सही वितरण की प्रणाली कायम करदी जाये। सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा, कोआपरेटिव सोसायटीज के द्वारा चीजों का वितरण हो, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही रूप में काम कर सके। तो मैं मानता हूं कि चीजों की काफी कमी महसूस कर रहे हैं, उसको धीरे-धीरे दूर करेंगे...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: अब समाप्त करें कृपया।

श्री ज्ञानसिंह: आज यह बजट जिन परिस्थितियों में रखा गया है, उन परिस्थितियों

(श्री ज्ञानसिंह)
के अन्दर इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था। यह बजट तो आज कांग्रेस सरकार ने तो एक प्रारम्भिक ढांचे को दूर करने के लिये रखा है। इसके ऊपर दो तीन इफेक्ट्स हैं-एक तो अकाल का इफेक्ट है। जनता पार्टी की गलत नीतियों का जो प्रभाव है, वह समाप्त होने पर ही मालूम हो सकेगा। छः महीने के बाद इसका इफेक्ट मालूम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब समाप्त कर दें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानसिंह : पांच साल के अन्दर राजस्थान एक अच्छा विकसित प्रदेश बन सकेगा और हमारा राजस्थान जो भूखा प्यासा है, जो पीड़ित है, उसका विकास हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस 5 साल के अन्दर जनता के विश्वास को पूरा करेगी। जय हिन्द।

श्री सभापति : सी.पी.आई. के कोई माननीय सदस्य हों, तो बोल लें। आपको 12 मिनट का समय है। दस मिनट में मैं घंटी बजाऊंगी और 2 मिनिट बाद आप समाप्त कर देंगे।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मैं तो एक ही सदस्य हूं कम्युनिस्ट पार्टी का....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जितना समय आपको मिला है, उसमें आप कह दें। अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष का उत्तर कब होगा ?

(विराम)

बताओ तो सही आप।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पांच बजे से जवाब होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्सटेन्ड टाइम में जवाब होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पांच बजे से शुरू करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय बढ़ जाय इसकी चिन्ता नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार का उत्तर पूरा नहीं हो जाय, तब तक तो सदन चलेगा ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार का बचाव आप कर रहे हैं, यह तो ठीक है, लेकिन इसकी क्रेडिटिबिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। सरकार अपना उत्तर पांच बजे से पहले क्यों नहीं दे सकती ?

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, राजस्थान के पहाड़ियाजी के बजट पर ...

श्री राजबहादुर : पांच बजे से पहले नहीं दे सकते जवाब, तो उचित तो यह होगा कि कल दे दें। और तैयारी कर लें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड : सभापति महोदय, इस बजट भाषण में सबसे पहले तो पहाड़ियाजी ने जनता पार्टी के ऊपर जो चोट की है, वह चोट इस तरह से की है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अफसोस की बात तो यह है कि उनको तो साम्प्रदायिक कहना चाहिये, फासिस्ट कहना चाहिये और पहाड़ियाजी ने यह बात कही कि ये तानाशाह हैं। सभापति महोदया, इस भाषण में उन्होंने कहा कि संजय गांधी नहीं रहे। संजय गांधी नहीं रहे, इसका इस बजट से क्या वास्ता है ? किस बात का गतिरोध है संजय गांधी के नहीं रहने से ? सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी पर उन्होंने जिस तरह से चोट की है, उसको वे किस तरह से पूरा करना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जनता पार्टी के राज में जिस तरह से घोटाले हुए हैं, वे बताते तो हैं, लेकिन पहाड़ियाजी उनको दूर कर दें तो मैं समझूंगा कि उनकी दलील में कुछ वजन है। जनता पार्टी के राज में शिक्षा के नाम पर दस हजार एकड़ जमीन आदर्श विद्या मंदिर को दी गई और आदर्श विद्या मन्दिर को एक लाख और साठ हजार रुपये दो बार दिए गए। इस तरह के ये जो घोटाले किए गए हैं, उनको पहाड़ियाजी पकड़ लें, तो मैं मानूंगा कि पहाड़ियाजी बड़े दिलेर हैं।

सभापति महोदय, इसके बाद में आगे और कहना चाहता हूं कि 21 जून के "घुमक्कड़" में छपे हैं जो घोटाले हुए हैं। उसमें यह हीराभाई कौन हैं और उनको क्या सजा दी जा सकती है ? पहाड़ियाजी आपने जो कहा है, तो क्या आप यह जो एक-एक लाख के घोटाले हुए हैं, उनको पकड़ सकते हैं ? आदर्श विद्या मंदिर को 15 लाख की जमीन 14 हजार में दे दी गई है। क्या पहाड़ियाजी की दिलेरी है कि इनको पकड़ पायेंगे और ऐसे लोगों को सजा दे पायेंगे ?

जहां तक बजट का घाटा है, 58 करोड़ का तो घाटा है और फिर 27 करोड़ का ऋण है। अब आप पत्नी को चाहे वाइफ कह दीजिए, घर वाली कह दीजिए, पत्नी कह दीजिए, बात तो एक ही है। जितना भी घाटा है, वह तो सारा जनता के सिर पर ही है। कहते हैं कि कर नहीं बढ़ा। जो ऋण है, उसका इन्ट्रेस्ट तो देना पड़ेगा। जनता का विचार कीजिये।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मूल्य वृद्धि के बारे में। आज देश में जिस तरह से तबाही है, आज छोटे-छोटे किसान, और छोटे-छोटे गांवों में जाकर देखिये, हर आदमी की मन्शा को सुनिये, आज वह चीजों के लिये तरस रहा है। जनता की आवाज को आपने भुला दिया। एक मूल्य वृद्धि के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

आपके राज में कानून और व्यवस्था क्या है ? आज हत्याकांड और बलात्कार किये जाते हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं, एक भी विधायक गांवों में चला जाये, इस तरह की चीजें ये करते हैं, इनके ऊपर वह आ जाये, तो इनको पता पड़ जायेगा।

दूसरी बात मैं माननीय सभापति महोदया, कहना चाहता हूं कि हरिजनों

(श्री मेघराज तावड़)

और आदिवासियों के नाम पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग के हैं। हम यह सोच लेते हैं कि मुख्यमंत्रीजी पिछड़े वर्ग के है, पिछड़े वर्ग के लिये ज्यादा बात करेंगे। तीस साल कांग्रेस शासन के और ढाई साल जनता पार्टी के राज में हरिजनों और आदिवासियों का नाम ले लेकर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन उनको दिया क्या? हरिजनों और आदिवासियों की गति क्या है? आप गांवों में जाकर देख लीजिये, आज जो हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के माननीय सदस्य चुन कर आये हैं, उनसे कहलवा लीजिये।

श्री दिनेश राय डांगी (देसूरी): सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री दिनेश राय डांगी: माननीय सदस्य जिस प्रकार से अपने भाषण में कह रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बारे में इधर के माननीय सदस्य बोल नहीं रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है।

श्री सभापति: यह व्यवस्था का प्रश्न कहां है?

एक माननीय सदस्य: 18 महीने के शासनकाल में जितने····

(व्यवधान)

श्री सभापति: आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: माननीय सभापति महोदया, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी बहिनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। क्या वह हमारी बहिने नहीं है? हम उनको अपनी बहिनें मानते हैं। ये ××× बोल रहे हैं। लेकिन मेरा

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ··

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिये। व्यवस्था का प्रश्न है, यह हमारी मां-बहिनों का प्रश्न है, हमारी मर्यादा का प्रश्न है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि देश में औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि क्या वह हमारी बहिन-बेटियां नहीं हैं। हम हिन्दुस्तान में रहने वाले सबको अपनी बहिन बेटी समझते हैं।

श्री मेघराज तावड: सभापति महोदय, जिस समय बलात्कार की बात कही जाती है, बड़े जोश से कहते हैं।

सभापति महोदया, बहुत लम्बे आंकड़े दिये हैं। छात्रावास की बात कही है। सभापति महोदया, मेरा इलाका ऐसा इलाका

××× शब्द मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

है, जहां आदिवासी रहते हैं। सभापति महोदया, उस इलाके में कितने लोग किस तरह से पड़े हुए हैं? आज वहां मुश्किल से कुछ आदमी मिल पायेंगे। आज आंकड़े बताये जा रहे हैं। आज उस इलाके में पढ़ाई की बात करते हैं। हरिजनों और आदिवासियों के छात्रावास की बात करते है। सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्षेत्र है पंचायत समिति के अन्दर, वहां पर 21 स्कूल बन्द हैं। वहां पर मास्टर नहीं हैं। आप अन्दाजा लगायें कि राजस्थान में आदिवासियों के और पिछड़े इलाकों में कितने क्षेत्र होंगे, जहां पर स्कूल बन्द होंगे?

सभापति महोदया, मूल्य वृद्धि की बात कही गई है। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आज मूल्य वृद्धि किस तरह से हो रही है? आज राज्य कर्मचारियों को हम भत्ते की ओर किश्तें दे देंगे, 14 करोड़ रुपया और उनको देना है, यह आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कहता कि कर्मचारियों को भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को कि क्या सरकार ठेले वालों का, तांगे वालों का, और व्यापारियों का और छोटे छोटे किसान हैं, उनका भत्ता बढ़ायेगी? क्या उन्हें महंगाई भत्ता दिया गया है? क्या उनके लिये भता देने की व्यवस्था कर रही है? मैं कहना चाहता हूं सरकार यह सब बन्द करे, यह सब ढकोसला है। आपको करना है, तो महंगाई को रोकिये और काले बाजारियों और मुनाफाखोरियों को जेल में डालिये। प्राइस कन्ट्रोल कीजिये, जब तक प्राइस कन्ट्रोल नहीं की जाती है, तब तक देश का गरीब आदमी आराम से रोटी नहीं खा सकता है।

मैं कहना चाहता हूं, जब कागजी तौर पर हमारे शिक्षा मंत्री ने किताबों की बात कही थी, बड़ी दहाड़ें लेकर कहने लगे कि व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने परमिट किसको दिया? जिन लोगों को कागज का परमिट दिया? कागज का परमिट उन लोगों को दिया गया, कागज का परमिट मिल मालिकों को दिया गया। कापी में पेज नम्बर लिखा है। उसको देखें तो 80 पेज मिलेंगे। यहां पर बड़ी बातें कर रहे हैं। ×××बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, स्कूल नहीं खोलेंगे। 15 दिन पहले शिक्षा मन्त्री ने बयान दिया कि स्कूल खोलेंगे, पर यहां विरोधी पक्ष की बात आई थी स्कूल खोलने की इसलिए इन्होंने मना कर कह दिया स्कूल नहीं खोलेंगे। 600 प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही गयी। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री मण्डल प्रजातांत्रिक तरीका अपनाकर चलना चाहता है या मन्त्री महोदय जो चाहें बयान दे दें? इसका मतलब आपस में कोई इनके विचार विमर्श नहीं होता है। चाहे जो बयान दे दें। आज बजट में स्कूल खोलने की बात कही गयी है, लेकिन मन्त्री महोदय ने कहा कि स्कूल नहीं खोले जायेंगे।

सभापति महोदया मैं पुलिस विभाग की बात कहना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने कानून बना दिया है, लेकिन लागू नहीं करवा सकती है।

आपने कहा कि भूमि सुधार कानून लागू करेंगे। आज जिन लोगों के पास जमीन

×××शब्द मा. अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(124)

(श्री मेघराज तावड़)

है-वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। राजस्थान को वार्षिक परिषद् के ग्यारहवें सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री बी. सी. मेहता ने कहा–राजस्थान में भूमि सुधार कानून केवल मात्र सरकारी समाजवाद की सेवा बनने वाला सिद्ध हुआ है, यह बताया है। उस सर्वेक्षण के अनुसार सभापति महोदया, 25 प्रतिशत लोगों, परिवार के पास 75 प्रतिशत जमीन है और दूसरी तरफ 25 प्रतिशत परिवार के पास 2 प्रतिशत जमीन है। दूसरी तरफ 90 प्रतिशत परिवारों के पास 2 प्रतिशत भूमि है। सभापति महोदया, तहसील गुढा और गढ़ी के बीच जो भू-स्वामी है और जो छोटे काश्तकार, बटाईदार हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू क्या राज्य सरकार और पहाड़ियाजी उनके बीच की असमानता की खाई को पाटने की कोशिश करेंगे? राजा-महाराजाओं के पास, जमींदारों के पास जितनी जमीन पड़ी है, सीलिंग की बात कहते हैं लेकिन उस पर सीलिंग लागू करने की हिम्मत नहीं हो सकती। जैसाकि मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी कहा था जागीरदार, जमींदार, जो कांग्रेस के विपक्ष में है, उन पर तो सीलिंग कानून लागू होगा और कांग्रेस के नेताओं के पास जो जमीन आई है या उनको जमीन दिलाई गई है, उन लोगों का क्या होगा? डूंगरपुर महारावल कई दिन पहले जनता पार्टी में थे, आज इधर आ गये। आज उनके चहेरे कांग्रेस में चले गये।

(व्यवधान)

आज कितने लोगों के पास जमीन है? 5 लाख लोग बटाई पर काश्त करते हैं। सभापति महोदया, 5 लाख बटाईदार बटाई पर खेती करते हैं और गिरदावरी भू-स्वामियों के नाम पर जाती है। क्या पहाड़ियाजी और यह समाजवादी सीलिंग की बात करने वाली सरकार उन कानूनों को लागू करवा कर जो बटाई पर खेत जोतते हैं, उनको खेतों पर हक दिलाने की बात करेगी? मैं चाहूंगा, आप इस प्रकार के कानूनों को लागू करवाने की बात करें।

दूसरी बात, सभापति महोदया, राजस्थान नहर की बात लीजिये। सभापति महोदया, एक बात भूल गया, सेठ बांगड के पास 5 हजार एकड़, चाणक्य सेठ के पास 3 हजार एकड़ जमीन है, क्या पहाड़ियाजी इन पर कानून लागू करके उस जमीन को भूमिहीन लोगों में बंटवाने की बात करेंगे? इतना ही नहीं, सभापति महोदया, राजस्थान नहर के किनारे जितनी जमीन है, भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी के टाइम में भी राजस्थान नहर की जमीनों को नीलामी की जा रही थी। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका विरोध किया कि जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिये। मैं चाहूंगा अभी जो नीलामी की जा रही है, वह नीलामी रोक कर गरीबों को जमीन अलाट की जाय।

सभापति महोदया, दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का अभी एक चरण पूरा हुआ है, दूसरा चरण अभी बाकी है लेकिन अभी से नं. 348 पर नहर टूट गई, जिसमें घास पड़ी है और पानी बाहर की ओर बह रहा है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से कह रहे थे कि पीने के पानी की ही नहीं सिंचाई की समस्या भी हल करेंगे। सभापति

(श्री मेघराज तावड़)

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का एक चरण पूरा हुआ है, दूसरा खतम होते-होते राजस्थान नहर पूरी होगी तब तक उसकी क्या दशा होगी ? जिन अधिकारियों की गलती के कारण नहर टूटी है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, क्यों नहीं उनको जेल में डाल दिया जाय जो इसमें पैसा खाना चाहते हैं।

सभापति महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं जिन लोगों को लोन दिया गया है, वह उन्हें किस तरह से दिया है ? यह कहते हैं कि जनता पार्टी के राज में गरीब लोगों को लोन दिया गया है। मैं कहता हूं जनता पार्टी ने भी वही किया, जो कांग्रेस ने किया। तीन सालों में को-आपरेटिव सोसाइटियों की मार्फत काफी भ्रष्टाचार हुआ है, सभापति महोदया, यदि आप चाहेंगे, तो मैं डाक्यूमेंट पेश करूंगा कि जिन लोगों ने लोन लिया है, उन लोगों ने काश्तकारों के, गरीब लोगों के नाम से ऋण उठा लिया और आज कुर्की और नीलामी उन गरीब लोगों की हो रही है। सभापति महोदया, आज कुर्की और नीलामी द्वारा गरीब लोगों से नादिरशाही तरीके से वसूलियां हो रही हैं। इससे और ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : एक बात नशाबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, कितने ही मिनिस्टर, मंत्री महोदय और कितने पार्टी के नेताओं ने दूसरों के नाम से, अपने लोगों के नाम से शराब के परमिट बना रखे हैं। आज किसी भी मंत्री महोदय के घर-घर चले जाइये, कोई न कोई वहां पीए हुए मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह भूतपूर्व सरकार के मंत्री महोदयों के बारे में कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : क्योंकि इन्होंने मांग की है। आप तो खुद पीते हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नशाबन्दी के नाम पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है हमारे उदयपुर में 60 व्यक्ति मर गये हैं। घर-घर में शराब बनती है, शहर में निकलती है। सभापति महोदया, इसकी वजह से बीमारी हो जाती है और—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, एक निवेदन और करना चाहूंगा, पहाड़िया जी को आपकी मार्फत कि यह घाटा कहां से पूरा करेंगे ? मुझे लगता है, जनता का दिल जीतने के लिये तो बहुत अच्छा बजट पेश किया, जिसमें कोई कर नहीं लगाया। लेकिन मुझे शक है, सभापति महोदया, यह पैसा कहां से वसूल किया जायेगा और घाटा कहां से पूरा किया जायेगा ? बच्चों के स्कूल में पढ़ने की फीस को बढ़ा कर ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं बढ़ाई जायेगी।

(126)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, मैं तो अपनी पार्टी का एक ही सदस्य हूं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : इनको शराब का परमिट दिला दीजिये। ये भाषण बन्द कर देंगे।

श्री मेघराज तावड़ : हमको कोई रोक नहीं सकता। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं। आज आदिवासी शराब के बिना रह नहीं सकता। हम पियेंगे चाहे हमारी जेब में कुछ भी नहीं हो। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं-

श्री दिनेश राय डांगी : पीओ तो जी भर कर पीओ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा: सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य बड़ी गम्भीरता से बात कह रहे थे, तो सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने उन्हें कहा कि "यदि आपको शराब का परमिट दिला देंगे, तो अपना भाषण बन्द कर देंगे"। क्या इस प्रकार या सदस्य की बात कही जा सकती है? कोई भी निर्णय करने से पहले दोनों को सुना जाय। आखिर वह क्या कहते हैं? उन्हें बिना सुने निर्णय देना सामान्य न्याय के नियमों के विपरीत होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री मेघराज : मैं एक मिनट में खतम करता हूं।

यह जो घाटा पूरा करने की बात है, मैं समझता हूं स्कूलों की फीस बढ़ा कर, रेवेन्यू बढ़ा कर इसी तरह से तीसरे दरवाजे से घाटा पूरा होगा। इसलिये जवाब देते समय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें।

यह जो बजट पेश किया है यह पूंजीपतियों के हित का है, हम गरीबों के हित का नहीं है। इसलिये मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। राजस्थान का विकास इस बजट से नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं चार महीने और बाकी रहे हैं, इसके बाद दूसरा बजट जो बनेगा, तब यह जो बजट है इसका घाटा उस बजट में पूरा करेंगे। मैं बजट का विरोध करता हूं। यह जनता के पक्ष का नहीं है। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्यवाही समाप्त न हो, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री का रिप्लाई हमेशा पांच पहले होता रहा है। उनको जवाब पांच पहले देना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आपने स्वयं ने दो घंटे ले लिए । हमारे कई माननीय सदस्यों को बोलना है । इतनी आपको चिन्ता थी, तो आपको इतना समय नहीं लेना चाहिये था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिवचरण जी ने भी तो दो घंटे लिए उनको तो आपने रोका नहीं ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाय ।

(स्वीकृत)

श्री भैरूंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट रिप्लाई होना चाहिए । क्यों टाइम एक्सटेन्ड करवा रहे हैं ? यह समझ में नहीं आता है ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह परम्परा रही है कि विपक्ष के नेता पहले बोलते हैं। आपने इस परम्परा को नहीं निभाया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो परसराम जी से पूछो । मैं तो उन्हीं की परम्परा का अनुसरण कर रहा हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अच्छा तो आप परसराम जी को फालो कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर एक्सटेन्डेड टाइम में कभी नहीं बोले हैं । अभी तक नहीं बोले हैं ।

श्री नाथूसिंह : इससे सदन की परम्परा को आघात पहुंचा है ।

श्री नन्दलाल मीणा : तैयार नहीं है, तो कल जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य विपक्ष के नेता महोदय ने बोलने में थोड़ा समय ज्यादा ले लिया और अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है । ऐसी विशेष परिस्थिति में समय बढ़ाना उचित है । इसको विवाद का विषय न बनावें ।

श्री भैरूंसिंह शेखावत : हम मुख्य मंत्री महोदय का भाषण सुनने के लिए आए हैं । इस विश्वास के साथ आए थे कि आज सदन की कार्यवाही 5 बजे समाप्त हो जाएगी । हमारे भी कार्यक्रम हैं । कई दूसरी पार्टी मीटिंग में जाना है । हम यह जानकारी करते रहे कि मुख्य मंत्री जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ? किस समय बोलेंगे ? परन्तु इसका कोई उत्तर नहीं मिला ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने निवेदन किया है कि साढ़े पांच बजे मुख्य मंत्री रिप्लाई शुरू कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक घंटा पर्याप्त है ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने पर्चे फेंके थे, उनके बारे में भी सदन को विचार करना है । अगर आप को-आपरेट करें तो जल्दी हो जाए या जनार्दनसिंह गहलोत के भाषण हो जाने के बाद इसको लें ।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

ग्राय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने राजस्थान का इस वर्ष का जो बजट पेश किया है, मैं सोचता हूं जिस तरह की परिस्थितियां थी 27 महीने के जनता पार्टी के शासन के अन्दर, भैरोंसिंह जी के मुख्यमंत्री काल में जिस प्रकार का वातावरण था, जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बन गया था, जिस प्रकार की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ गयी थी, जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ गई थी, उससे राज्य की गरीब जनता त्रस्त हो गई थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों के बीच में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है, मैं सोचता हूं कि उसमें उन्होंने कोई कर का भार राजस्थान की जनता पर नहीं डाला है, वह स्वागत योग्य है। परन्तु हमें उन मुद्दों की ओर जाने की आवश्यकता है जो कि पिछले दिनों और पिछले समय के अन्दर रहे हैं। पिछली सरकार ने बड़े-बड़े वायदे किए थे, राजस्थान की जनता और देश की जनता से वायदे किए थे। राजस्थान के अन्दर हम देखते थे कि जो नौजवान बेरोजगार थे, उनको पिछली सरकार ने रोजगार दिया होता, तो समझ में आता कि जनता शासन की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान मे 1977 के अन्दर बेरोजगार कार्यालय के अन्दर 2 लाख 72 हजार नौजवान पंजीकृत थे, लेकिन 1980 के अन्त तक, तीन साल के अन्दर पंजीकृत लोगों की संख्या 3 लाख 38 हजार तक पहुंच गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि 28 महीने के अन्दर नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया गया और 76 हजार पढ़े लिखे नौजवान और बेरोजगार हो गये। रोजगार राजस्थान में उपलब्ध नहीं कराये गये। यह जनता पार्टी की सरकार का नमूना है। उल्टे ऐसी स्थिति मे आर. एस. एस. के लोगों की किस प्रकार नियुक्तियां की गई? इसका मैं यहां पर उदाहरण देना चाहता हूँ

(व्यवधान)

सुनिए।

आर.एस.एस. के लोगों की नियुक्तियां करने के लिए पिछली सरकार ने नियोजन कार्यालय में पंजीकृत होना हटा दिया। यह पावन्दी हटा कर पिछली सरकार ने आर. एस. एस. के लोगों को जिस प्रकार से नियुक्त किया है, यह आप सभी जानते हैं।

इसी प्रकार पिछली सरकार ने रोजगार देने के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम लिया। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हुआ हिन्दुस्तान में, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। पिछले वर्ष 1979-80 में अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने राजस्थान के अन्दर 1 करोड 18 लाख 86 हजार रुपया प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च किया है। शायद बेरोजगार नौजवानों

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

को रोजगार या कमाई का मौका दिया, मैं ऐसा मान कर नहीं चलता। परन्तु इस कार्यक्रम के पीछे आर. एस. एस. के लोगों को रोजगार दिया गया। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर शिक्षा जगत के अन्दर हस्तक्षेप किया गया। इसमें भी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर जो खर्च किया गया है, उसका सही मायने में उपयोग हो, इसके लिये अच्छी एजेन्सी बना कर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से राजस्थान सरकार इस कार्यक्रम को हाथ में लेगी, तो प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होगा और धन का भी उपयोग हो सकेगा। खास तौर से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा हमको शुरू करनी चाहिए। आज रोजगार दिलाने वाली शिक्षा देने की आवश्यकता है। हमारे नौजवानों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार मिले, इसको ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में जिस प्रकार मूल्य वृद्धि हुई, कालाबाजारियों, चोरबाजारियों ने जिस प्रकार सिर उठा रखा था मैं समझता हूं कि उससे ऐसा लगता है कि जैसे इनकी पिछली सरकार से सांठ-गांठ थी और उसके माध्यम से मुनाफाखोरी करने का एक प्रकार का वातावरण पिछली सरकार के समय में बना हुआ था, उस वातावरण का लाभ उठाकर व्यापारियों ने मुनाफा कमाया। इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की अन्य सरकारें जैसे खासतौर से कर्नाटक, गुजरात ने जिस प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, उसी प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान में लेने की आवश्यकता है। राजस्थान के हर जिलों के अन्दर सतर्कता समिति बनायी जानी चाहिये। केवल नाम मात्र को ही सतर्कता समितियां नहीं बनायी जानी चाहिये। इससे काम नहीं चलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को सतर्कता समितियां बनानी पड़ेंगी जिसको कुछ अधिकार दिये जायें। जो नागरिक सही मायने में राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे सेवार्थी लोगों को इसमें लगाया जाना चाहिये। ऐसे लोगों को सतर्कता समिति में रखा जाय। कम से कम उनको यह अधिकार दिया जाय कि वे समय पर लोगों की धरपकड़ कर सकें। राज्य सरकार उनको सहयोग करे। इससे मूल्य वृद्धि में गिरावट आयेगी और कालाबजारी, चोरबाजारी जो पिछली सरकार के समय से चली आ रही है, को रोकने की व्यवस्था हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, सूखा और बाढ़ के लिये पिछली सरकार को 1979–80 में 13.26 करोड़ रुपये का अनुदान मिला था। अकाल के समय में बड़े पैमाने पर पैसा देने की राज्य सरकार की मंशा रही है। मैं सोचता हूं पिछली सरकार ने इस पैसे का सदुपयोग नहीं किया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस वर्ष का बजट लेट आया है, फिर भी इस वर्ष अकाल के काम तेजी से खोले जायं तो आने वाले समय में यह पैसा लैप्स नहीं होगा। गांवों के अन्दर अकाल राहत के काम बंद हो गये हैं। अगर समय रहते जिन गांवों में अकाल है, बरसात नहीं हुई है, वहां पर काम चालू रखे जायें, तो राजस्थान

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

के अन्दर अकाल राहत के कार्य के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सकेगा और राजस्थान का भी विकास हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के नेता, विरोधी दल के नेता माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने अपने भाषण के अन्दर काफी दलीलें दीं। ज्यादा आंकड़ों के अन्दर तो मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि आंकड़ों का जवाब तो मुख्य मंत्री जी को देना है। मैं तो कुछ तथ्य उनके सामने रखना चाहूंगा। पिछली सरकार के द्वारा औद्योगीकरण की बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने कहीं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कम से कम मूल्यांकन तो करे कि कितने नये उद्योग कहां पर लग सके। क्या उन उद्योगों के माध्यम से नयी फैक्ट्रियां लग सकीं वे वास्तव में प्रारम्भ हुयी एवं कितनी फैक्ट्रियां लगीं या केवल मात्र उद्योगों का पंजीकरण ही हो सका है, इसकी जांच करें। आज बहुत से लोग हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों से राजस्थान में आना चाहते हैं। असम में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसके कारण असम से लोग राजस्थान में आना चाहते हैं। कलकत्ता बोम्बे से लोग आना चाहते हैं लेकिन आज हमारी सरकार की नीति जिस प्रकार की है, जिस प्रकार कागजों में फंसी हुई है, जिस तरह से सोचती है उस कारण उन कामों को पूरा नहीं कर पाती है। महाराष्ट्र, हरियाणा में अगर हम देखने जायें तो वहां जो कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है सरकार उसके पीछे भागती है। वह सरकार के पीछे नहीं भागता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो प्रोजेक्ट लगायें उनके लिये राजस्थान के अधिकारियों की एक एजेन्सी बनानी चाहिये। कलकत्ता, दिल्ली, असम में आपको ऐसी एजेन्सी बनानी होंगी ताकि जो कोई भी राजस्थान के अन्दर आना चाहे, आ सके। सरकारी अधिकारी बड़े सुयोग्य ढंग से, बड़े ध्यान से उसकी योजना को सुनें और बतायें। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में कई अधिकारी सक्षम हैं लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो केवल रोड़े अटकाने में ही लगे रहते हैं। उनके कारण कई बार उद्योगपति लौट कर चले जाते हैं। हमारे यहां कई अधिकारी हैं जिनकी इस काम को सुयोग्य ढंग से करने की इच्छा है उनका इसमें उपयोग करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं भारत सरकार द्वारा जो उद्योग हिन्दुस्तान के अन्दर विभिन्न प्रान्तों में लगाये जा रहे हैं राजस्थान के अन्दर रासायनिक खाद के कारखाने लगाये जाने की बात है। अभी वीरेन्द्र पाटिल साहब ने पार्लियामेन्ट के अन्दर जवाब देते हुए कहा है कि वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आयी है, राजस्थान में केवल सवाई माधोपुर ही उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर एकमात्र उचित स्थान है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का भी सवाई-माधोपुर से बड़ा लगाव रहा है और वह उनकी कान्स्टीट्यूएंसी का एक अंग भी रहा है। मैं समझता हूं कि वह इस कारखाने को सवाई माधोपुर में ही लगाने के लिये प्रेशर डालें। इससे वहां करोड़ों रुपये का प्लान्ट आयेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। यह ऐसी फैक्ट्री है जिसका वहां के अलावा और कोई उचित स्थान नहीं है। वहां रेलवे लाइन है और पानी की भी व्यवस्था है। इस कारखाने के लिये उत्तर प्रदेश से लानी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

होगी तो भी सवाई माधोपुर नजदीक पड़ता है। अगर कहीं और लगाने की बात सोची गयी तो यह मानकर चलिये कि कहीं यह रासायनिक खाद का कारखाना ही राजस्थान के हाथ से न निकल जाये। इसलिये सवाई-माधोपुर को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

मैं, माननीय अध्यक्ष-महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की बात आपने बजट में कही है कि संजय गांधी के कार्यक्रम को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जायेगी, मैं सोचता हूं कि राजस्थान में एक करोड़ वृक्ष लगाने की बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की उनकी मंशा है, जैसा करने की उनकी इच्छा है उससे आगामी वर्ष में हम एक करोड़ जीवित वृक्ष लगा पायेंगे। होता यह है कि कागजों में तो वृक्ष लगा दिये जाते हैं, गड्ढे खोदकर उनके अन्दर पौधे भी लगा दिये जाते हैं लेकिन उनके ऊपर न तो कोई पानी डालता है और न वे पेड़ लग पाते हैं। इसलिये, मुख्य मंत्री जी, जीवित पेड़ राजस्थान में एक करोड़ लग सकें इस बात की ओर विशेष ध्यान दें।

संजय गांधी के कार्यक्रम के साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर कच्ची वस्तियों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज बड़े पैमाने पर राजस्थान में कच्ची बस्तियां बन चुकी हैं। राजस्थान में आज काफी बड़े पैमाने पर लोग बेघरबार पड़े हैं। कच्ची बस्तियों को राजस्थान के अन्दर किसी भी यू. आई. टी. ने एक इंच भी भूमि आवंटित नहीं की। मैं चाहूंगा कि संजय गांधी के कार्यक्रम के साथ इन कच्ची बस्तियों के कार्यक्रमों को भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि संजय गांधी ने हिन्दुस्तान में इन कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया था ताकि राजस्थान के जो सबसे गरीब आदमी हैं, जिनको रहने के लिये स्थान नहीं है उनके लिये और व्यवस्था करने से पहले उनके रहने के लिए इन्तजाम करें। मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको बजट के अन्दर जरूर लेंगे। आज राजस्थान के जयपुर शहर को ही ले लीजिये। शहर के अन्दर सहकारी समितियों के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर जमीनें बेची गई हैं कि जो मास्टर प्लान राज्य सरकार ने बनाया था वह ही छिन्न-भिन्न हो गया है। यह मास्टर प्लान टिक नहीं पा रहा है। अब तक सहकारी समितियों के माध्यम से लाखों बीघा जमीन बिक चुकी है। आज हालत यह है कि लोगों ने खरीद-खरीद कर बेचान करना शुरू कर दिया है। जमीन खरीदी कम रेट में जाती है और बाद में रसीद भी कम रेट की दी जाती है और बेचान ज्यादा रेट पर होता है। आज प्लान टिक नहीं पा रहे हैं। इस कारण आगे आने वाले समय में हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम, जो जयपुर में है, पूरा नहीं हो पायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये मैं सोचता हूं कि इसे ज्यादा महत्व देते हुये इस सारी योजना को पूरी करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष तौर से मुख्य मंत्री जी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

से कहना चाहूंगा कि जिस तरह जयपुर शहर में इन्दिरा मार्केट बना था उसके साथ पिछली सरकार की योजना जहां संजय मार्केट बनाने की भी थी वहां के लोगों को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह पर बसा भी दिया था। मैं सोचता हूं कि उनकी याद-दाश्त के लिये, उनकी स्मृति के लिये जो प्लान पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, उस संजय मार्केट को दुबारा शुरू करके क्रियान्वित यह सरकार करेगी।

मुझे ज्यादा सयम नहीं लेना है। लेकिन वृद्धावस्था पेन्शन का जो प्रावधान रखा है, उसमें राजस्थान के अन्दर जो भिन्न-भिन्न जगहों पर विभिन्न तहसीलें हैं, उनमें घोटाले हो रहे हैं। तहसील लेवल पर बाबू से लगा कर तहसीलदार तक जो वृद्ध सहायता पाते हैं, जो सबसे गरीब आदमी हैं जिनके घर में और कोई व्यक्ति भी नहीं है उसमें बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं। उनसे बाबू तक 10-10 रुपये ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको रोका जाना चाहिये जिससे वृद्धा-वस्था पेन्शन का काम ठीक और सही ढंग से चल सके।

करौली की बात कहना चाहता हूं। वहां इसमें बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं। कम से कम 100 पेन्शनधारियों से मैं मिला हूं उनसे मालूम हुआ है, वहां पर भ्रष्टाचार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली क्षेत्र का जिक्र करता हूं तो वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति से नावाफिक नहीं रह सकता। आज वहां पर अगर एक व्यक्ति डकैतों को पकड़वाता है तो डकैतों ने इस प्रकार का वातावरण बना रखा है कि वे उसको तंग करते हैं। आज वहां का नागरिक अगर किसी डकैत को पकड़वा देता है तो सरकार की यह ड्यूटी होनी चाहिये कि जिसने पकड़वाया है उसकी रक्षा करे। 29 अगस्त की बात बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बद्री नामक एक मीणा व्यक्ति, जो कि सरपंच थे, ने जिस डाकू को पकड़वाया था उसने जेल से छूटने के बाद सबसे पहला हमला उस बद्री मीणा पर किया। राज्य सरकार को और पुलिस को इस प्रकार की सतर्कता रखनी चाहिये कि उनकी रक्षा हो सके। मुझे मालूम पड़ा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आई. जी. की एक मीटिंग हुयी। लेकिन वहां पर बात जो हुई वह यह हुई कि अब एक ही गिरोह बाकी रहा है और कोई भी गिरोह बाकी नहीं रहा है। पर इतने गिरोह धौलपुर, मथुरा और करौली में घूम रहे हैं कि लोग वहां से निकल नहीं सकते हैं, रात को 6 बजे बाद निकल नहीं सकते हैं। जो लोग व्या-पार करते हैं उनके ट्रक लेकर चले जाते हैं, उनको पांच-पांच हजार रुपया देना पड़ता है, और पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं कर पाती है। मैं सोचता हूं कि डकैतों की समस्या को रोकने के लिये जब तक कोई स्पष्ट योजना नहीं बनायेंगे, धौलपुर, बाड़ी और करौली तीनों क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन की एक एजे-न्सी नहीं होगी तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। वहां पर एक दूसरे पर टालता है और दूसरा थानेदार तीसरे पर टालता है। मैं समझता हूं कि इस बात को खास तौर से महत्व देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई की बाबत 132 करोड़ की योजना यहां पर रखी है। मैं आपसे यह

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

नहीं कहता हूं कि आप राजस्थान कैनाल के ऊपर पैसा मत दो, माही को पैसा मत दो और दूसरों को मत दो लेकिन राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहां सिंचाई के बहुत बड़े बांध बन सकते हैं। वहां पर इतना पानी है कि उसको रोकने की व्यवस्था हो जाये तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के काफी प्रमुख स्थानों का विकास हो सकता है, उनको पानी मिल सकता है।

करौली क्षेत्र के अन्दर पाचना बांध जिस प्रकार तेजी से बना वह आज सराहनीय है। इतने बड़े पैमाने पर बांध का निर्माण कार्य किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजना कहीं और बनाई जाये तो आगे आने वाले समय में उसका फायदा होगा। जिस प्रकार की योजना सरकार के विचाराधीन है, मैं चाहूंगा कि करौली के अन्दर बड़े पैमाने पर उसको अमली जामा पहनाने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था लेकिन समय का अभाव है इसलिये मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नगरपालिकायें राजस्थान में बनीं आज किस प्रकार की उनकी हालत है। उनका आर्थिक ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है कि वे कोई विकास के काम नहीं कर सकती हैं। या तो इन नगरपालिकाओं के लिये योजना मंत्री कोई अनुदान देने की बात करें या फिर इनको आत्मनिर्भर बनाने की सोचें जिससे कि विकास के कामों में कोई रुकावट न आये। मैं सोचता हूं कि सभी नगरपालिकाओं को स्वावलम्वी बनायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी ने यह प्रश्न उठाया था कि प्रधान के चुनाव पंचों के माध्यम से करवाये जायें सरपंचों के माध्यम से नहीं। अतः अब यह निर्णय लेना होगा राजस्थान सरकार को जिससे कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र करवाये जा सकें। मैं सोचता हूं कि सरकार इस संबंध में अपनी नीति शीघ्र घोषित करेगी।

मैं यह कहना चाहूंगा इस अवसर पर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अभी विरोधी दल के नेता ने शराब बंदी के पक्ष में बात कही है पर मैं उनके शासन के समय की बात सोचता हूं। उन्होंने जो अपनी नीति अपना रखी थी उसमें और आज उनके कहने में अन्तर लगा। उनकी नीति भी इस बात की तरफ थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमिट देकर उपयोगिता की दृष्टि से जितना रेवेन्यू कमाना चाहिये था वे कमा रहे थे। लेकिन आज इस बात का जिक्र किया कि विधान सभा के कांग्रेसियों की एक मीटिंग में कोई बात हुयी लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विधायक अपने क्षेत्रों का विकास चाहते हैं। उनके यहां औषधालय खुले, उनके यहां पानी आये, स्कूल खुले। इससे बेकार ही 16 करोड़ का घाटा हो जायेगा और 14 करोड़ शराबबंदी रखने के लिये लगायेंगे तो भी शराब खतम नहीं हो सकती है। फिर भी शराब बंदी करते हैं तो इससे राजस्थान का विकास नहीं हो सकता है। यह बात पार्टी मीटिंग में भी कही, सदन में भी स्वीकार करते हैं कि शराबबंदी से जो रेवेन्यू हमारा बर्बाद होता है उसे विकास के काम में लिया जाये तो निश्चित फायदा होगा। कुछ लोगों

(134)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

को बचाने के लिये, कुछ लोगों को रोजगार देने के लिये इसका उपयोग किया जायेगा तो इसका फायदा नहीं होगा। जो अपने परिवारों को ही शराब से नहीं रोक सकते हैं वह सारे राजस्थान में तो क्या शराब रोकेंगे। उनके कहने पर आप राजस्थान का विकास रोकना चाहते हैं तो यह बड़ा दुर्भाग्य होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सर्वोदयी लोग अपनी सुरक्षा के लिये यहां पर नहीं हैं। वे अपने पक्ष में बोलने के लिये यहां पर नहीं हैं इसलिये उनके नाम यहां पर नहीं लेने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय इन्होंने सर्वोदय का ठेका नहीं ले लिया है। राजबहादुर जी ने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं परन्तु अधिकांश आज प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर और शराबबंदी के नाम पर धन्धा कर रहे हैं। पैसे लेकर कुछ स्लोगन लिखकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आप उनकी पैरवी करना चाहते हैं लेकिन मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता हूं। आशा है आप अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह !

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरी पार्टी के मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा और जो आंकड़ों से भी साबित होता था कि यह घाटे का बजट है। आजकल यह आम बात हो गई है, एक परम्परा बन गई है कि सभी बजट घाटे के होते हैं। क्यों ? आज केन्द्रीय सरकार का बजट भी घाटे का होता है, उत्तर प्रदेश का बजट भी घाटे का होता है और राजस्थान और अन्य प्रदेशों के भी साधारणतया बजट घाटे के होते हैं। मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यह क्यों है ? यह आपकी और हमारी नीति की विफलता का परिचायक है। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी से और यहां उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है कि यह ऐसा होता क्यों है। यह एक अन्वेषण का विषय है। हमारी अर्थ नीति और हमारी खर्च करने की नीति में तालमेल क्यों नहीं होता ? जब तक यह तालमेल नहीं बनेगा तब तक इस देश, इस प्रदेश का कभी विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि हम सबको बैठ कर इस तरह का निर्णय लेना चाहिए और विचार-विमर्श करके इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें हमारा आपका सबका योगदान हो ताकि यह घाटे का बजट नहीं हो। इस तरह की नीति प्रतिपादित की जावे कि हम उसी बजट के अनुसार चलें और उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके जिससे हम, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, हम यह महसूस करें कि हमने अपना कर्तव्य

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

पूरा करा है। अगर हम यह नहीं कर पाते तो हम निकम्मे साबित होते हैं। इसके लिए हमको उत्तरदायित्व महसूस करना चाहिए और इसके लिए हमको यही चेष्टा करनी चाहिए कि घाटे का बजट नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के विकास के लिए जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा है उसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि जो सम्भावनायें बतायी हैं वे इससे पूरी होने वाली नहीं हैं। एक बात जरूर अच्छी कही कि राजस्थान की जनता के ऊपर कोई नया कर का बोझ नहीं लादा है। आज इस बढ़ती हुई महंगाई में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मानकर चलें कि किसी के ऊपर एक रुपये का बोझ भी बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी समस्या गरीब के लिए उपस्थित हो जाती है। इसके लिये मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने समझदारी का परिचय दिया है। पर मुझे आशंका है कि कहीं यह उनका वाक्जाल न हो और वे आने वाले समय में किसी अन्य तरीके से अप्रत्यक्ष कर रूप में या और किसी अन्य तरह से भारी कर भार न लाद दें। वरना यह जो घाटे की अर्थ व्यवस्था है इसको कैसे पूरा करेंगे। घाटे की अर्थव्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विकास की बात करते हैं तो मैं किसान वर्ग से सम्बन्धित हूं मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसान का विकास विद्युत् से जुड़ा हुआ है, राजस्थान का विकास इससे जुड़ा हुआ है। आज अगर किसान वर्ग समृद्ध होगा तो इस देश की समृद्धि बढ़ेगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने घोषणा की कि हम 30 हजार कुओं को बिजली देंगे लेकिन देंगे कहां से ? आपके पास बिजली नहीं है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे, किसी हालात में पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिजली ही नहीं है आपके पास, स्रोत नहीं है आपके पास। आप अपने प्रभाव को यूज में लेकर अपने आंकड़ों के अनुसार चलना चाहते हैं तो विरोधी-पक्ष के सदस्य के नाते यह आश्वासन देता हूं कि हम सहयोग देंगे। अगर आप इसको पूरा करने का वायदा करें तो। यह अगर हो सकता है तो इस तरह हो सकता है कि आर. ए. पी. पी. जो चल रहा है उसको युद्ध स्तर पर पूरा करवा कर अक्टूबर-नवम्बर तक पूरा करा दें ताकि हमारे प्रदेश के किसानों को बिजली मिल सके। आने वाली रबी की फसल का क्या बनने वाला है, किसानों के साथ क्या बीतने वाला है यह मैं ही जान सकता हूं या मेरे साथ आये किसान भाई ही जान सकते हैं क्योंकि जब तक आर.ए.पी.पी. की सैकिण्ड यूनिट चालू नहीं होगी तब तक बिजली नहीं मिल सकती है। इसके लिए आप युद्ध स्तर पर काम करें और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करायें और उसके साथ साथ इसके ट्रान्समिशन की भी व्यवस्था करें। जगह-जगह नये सब-ग्रिड स्टेशन खड़े करें जनवरी फरवरी में किसानों की खराब हालत हो सकती है क्योंकि बिजली तो आती है लेकिन कम आती है। बिजली कम आती है और मोटर चलती है तो जल जाती है और किसान जो एक भी पैसे का ऊपर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है उसको एक हजार का खर्चा

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

वहन करना पड़ता है और उन गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से है कि इस बिजली की व्यवस्था को किसी भी तरीके से सुधारें। इसमे जो अकर्मण्यता व्याप्त है उसको दूर करें। पिछली जनता पार्टी के राज में अगर किसी डिपार्टमेंट ने बढ़िया काम किया था तो इसी विभाग ने किया था। जो बिजली कर्मचारियों ने पिछली तीस सालों में मौज की थी वह जनता पार्टी ने आकर खतम कर दी थी। वे कहने लग गये थे कि अब तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसी परम्परा को कायम रखते हुए इस विद्युत विभाग की स्थिति को सुधारें और इसका उत्पादन बढ़ायें, इसका ट्रान्समिशन सही हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास के चरण का दूसरा आयाम सिंचाई व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान कैनाल और माही योजना जैसे सफेद हाथियों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा रखा है। किन्तु राजस्थान कैनाल की योजना अजगर की गति से चल रही है, इसका क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी जांच करने के लिए एक बोर्ड बिठाया जाय कि जो राजस्थान कैनाल निर्धारित समय में पूरी हो जानी चाहिए थी वह आज तक क्यों नहीं पूरी हुई। भूतपूर्व बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिहजी विकास चाहते थे, उन्होने गंगनहर को अल्प समय में पूरा किया लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के बाद सरकार राजस्थान कैनाल कुछ क्षेत्र में ही पूरी कर पाई है। भगवान जाने यह कब पूरी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई की दृष्टि से उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। हमारे क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू कैनाल योजना थी। जो हिस्सा हमको मिलने वाला था उसकी उपेक्षा माननीय हरिदेवजी जोशी ने पता नहीं किस कारण से की थी। उसके बारे में निवेदन है कि अगर आप हमारे क्षेत्र को सिंचित करना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, जिससे वहां के लोगों की आर्थिक सम्पन्नता बढ़े तो प्राथमिकता के तौर पर आपको उसको पूरा करना चाहिए। उसकी उपेक्षा क्यों हुई इसकी जांच की जानी चाहिए। किसानों की मांग है कि उनको पानी का साधन प्राप्त हो। सरकार की लापरवाही के कारण यदि वह मांग पूरी नहीं होती है तो उसका उत्तरदायित्व किस पर है? उसका उत्तरदायित्व आपका और हमारा है। अगर यह मांग आप पूरी नहीं कर सकते है तो हम उस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिराजें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : इसलिए आप जवाहरलाल नेहरू कैनाल योजना को पूरा करावें।

हमारे क्षेत्र की यह एक ज्वलंत समस्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

ओर माननीय पहाड़ियाजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान प्रदेश में "फूड फार वर्क" में सैकड़ों काम हुए। सभी माननीय सदस्य, जो यहां पर आये हैं, इसको महसूस करते हैं वह अपने हृदय पर हाथ धर कर कहें कि गांवों का विकास किस योजना के माध्यम से हुआ। आज गांव के आदमी यह समझते हैं कि जो भी विकास गांवों में हुआ जनता पार्टी के राज में हुआ, और इस शासन ने आने के बाद उन कामों को बन्द कर दिया। क्या कारण था? क्या थोड़े से पैसों के लिये बन्द किये? अगर वे काम 15-20 दिन और चालू रह जाते तो अधूरे काम पूरे हो सकते थे और आने वाले समय में उनका लाभ जनता को मिल सकता था। आज हालत यह है कि इस योजना के अधीन एक अस्पताल बनाया गया लेकिन उसकी छत अधूरी रह गई। अगर वह काम 15 दिन में हो जाता तो क्या हो जाता? लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण आप उन कामों को पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसकी उपलब्धि का श्रेय पिछली सरकार को जायगा। मेरा निवेदन है कि इन फूड फार वर्क के कार्यों को अविलम्ब रूप से चालू किया जाय नहीं तो आपको इसका नतीजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। पंचायतों के चुनाव आप कराने जा रहे हैं उसमें आपको मालूम पड़ जायेगा। उसमें आपका एक भी सरपंच नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : जो गांवों के विकास की योजना है उसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं तो किसान लोग कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करिये। स्थान ग्रहण करें। मजबूरी है।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : मैं अभी पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट हो गये हैं, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आपके दल ने इतना समय ले लिया, अब ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : दो मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें शिक्षा पर बहुत थोड़ा बजट रखा है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने शुरू में कहा था कि प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और मिडिल स्कूल खोलेंगे लेकिन उसके बाद शायद उनके कुछ विचार बने, उनको सद्बुद्धि आई और उन्होंने सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए भी कहा। मेरा निवेदन है उनको कुछ सद्बुद्धि और आये और वे कालेजों का प्रोविजन भी उसमें रखें। पिछले जनता शासन में 16 कालेज खोले थे। यह आप विचार कर लीजिए, कोई क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए, उच्च स्तर की शिक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनको खोलना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं खोलेंगे तो यह आपकी उपेक्षापूर्ण नीति होगी।

एक माननीय सदस्य : आप खोल देना।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आप अवसर दीजिए। हम खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहाड़ियाजी ने '80-81' का अनुमानित आय-व्ययक पत्रक इस सदन में प्रस्तुत किया है उसको बहुत ध्यान से सुना और पढ़ा है। इस बजट में कालेजों के लिये कोई प्रावधान नहीं होने की सूरत में मेरे दिल में जो दर्द था वह यथावत् है। इसलिए मैं ठन्डे दिल से अपने मानस को कुण्ठित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

सदन की अवमानना

सर्वश्री श्यामलाल बाहेती व अमर चन्द सिंघल द्वारा सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्यों के सामने एक प्रस्ताव आयेगा आज दो सज्जनों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली उसके बारे में। अगर यह दस मिनट में सम्पन्न हो जाता है तब तो ठीक है। इसको पहले ले लेते हैं।

"मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज दोपहर करीब 12.30 बजे दो व्यक्तियों ने, जो अपने नाम क्रमशः श्यामलाल बाहेती व अमरचन्द सिंघल बताते हैं, दर्शकदीर्घा से कुछ पर्चे फेंके और इस प्रकार के नारे लगाये–
"महंगाई भ्रष्टाचार आरक्षण समाप्त करो वरना कुर्सी छोड़ दो" "हिन्दू महासभा जिन्दाबाद"

उक्त व्यक्तियों को सुरक्षा प्रहरियों ने तुरन्त हिरासत में ले लिया। मैंने इन व्यक्तियों को अपने चैम्बर में बुलाकर जानकारी प्राप्त की। दोनों ही व्यक्तियों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने सदन में पर्चे फेंके और नारे लगाये। किन्तु उनमें से कोई भी अपने इस कार्य के लिये क्षमा याचना करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं यह प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं कि इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में सदन क्या कार्यवाही करना उचित समझता है। मुख्य सचेतक जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो दो व्यक्ति अपने आपको श्री अमर चन्द सिंघल एवं श्री श्यामलाल बाहेती कहते हैं, जिन्होंने आज दिन के 12:33 बजे दर्शक-दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके एवं नारे लगाये, जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया। उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि इन दोनों व्यक्तियों को सात-सात दिनों के लिये साधारण कैद की सजा दी जाय और इन्हें तुरन्त जेल भेजा जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है कि कोई व्यक्ति सदन की परम्परा को तोड़े, इस प्रकार की नारेबाजी या पर्चे फेंकने की हिम्मत करे मैं इसको किसी भी प्रकार से उचित नहीं समझता हूं। इसकी जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है। लेकिन मुख्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सचेतक जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि उनको सात-सात दिन की सजा दी जाय, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। इस आधार पर उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने गलती की है, किन्तु सदन को उदारता बरतनी चाहिये। उन्होंने जो पर्चे फेंके और नारे लगाये उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। पर्चे फेंके हैं, नारे लगाये हैं, यह एक अपराध है, उसका किसी प्रकार का डिफेंस नहीं है। लेकिन सदन यदि उदार प्रवृत्ति लेकर 7 दिन की सजा को एक दिन की सजा में बदल दे तो उचित होगा। मैं मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि जिनकी आदत होगी उन पर सात दिन की सजा का भी कोई असर नहीं होने वाला। अगर काम एक दिन से चल सकता है तो 7 दिन की सजा का प्रस्ताव निश्चित रूप से नहीं करें। इसलिए सात दिन को एक दिन में बदल दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हजारीलाल शर्मा : मेरा भी मानना है कि 7 दिन की सजा को एक दिन की सजा में बदल दिया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बात कही है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यदि दोनों व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लें ....

श्री अध्यक्ष : अपराध स्वीकार किया है। क्षमायाचना नहीं की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्षमायाचना अगर कर लेते तो एक दिन की सजा दी जाती। यदि उन्होंने क्षमायाचना नहीं की और वह अपनी बात पर अड़े रहे तो माफ नहीं करेंगे। इस सदन में परम्परा रही है कि जिन्होंने क्षमायाचना नहीं की उन्हें पहले भी इस तरह से सजा मिलती रही है। आपने यह फर्माया कि जिनकी आदत होगी इसी प्रकार करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह दोनों व्यक्ति पहली बार आये हैं। अगर इनको सजा मिलेगी तो दूसरों को भी इस तरह की हरकत करने का साहस नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह निर्णय करें कि जो अपराधी है वह भी अपनी बात कह सके।

श्री अध्यक्ष : आपकी ओर से अपराधी से मैंने जितने सवाल इससे सम्बन्धित थे सब पूछ लिये। उन्हें यह भी कह दिया कि यदि आप क्षमायाचना नहीं करेंगे तो उस स्थिति में जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन वह इस बात पर अड़े हैं कि हमारे सिद्धान्तों के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस भी तो इस बारे में निर्णय देगा। जब आपने सुना है तो आप निर्णय देते। जब सजा हाउस को देनी है तो हाउस उनको सुनना चाहेगा।

श्री भगवान दास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो दो अपराधी हैं जिन्होंने नारे लगाए उनके प्रवेश पत्र ऊपर दस्तखत किस पार्टी के माननीय सदस्य के हैं?

श्री अध्यक्ष : वह तो जिस पार्टी के हैं वह आपकी पार्टी ही है। जो कंटेम्प्ट सदन

(श्री अध्यक्ष)
के समक्ष हुआ, या जो आपके सामने हुआ, सदन के सामने हुआ उन्होंने अपना पक्ष रखा था वह मेरे सामने रखा था। क्षमा याचना के लिए कह सकते थे, लेकिन वह इससे इन्कार करते हैं। इसके बारे में विशेष विवाद नहीं है। यह सही है, वह क्षमा-याचना के लिए तैयार नहीं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह क्षमा-याचना के लिए तैयार नहीं हैं...

श्री चाव खां: माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों के बीच की बात को रख कर के तीन दिन की सजा दे दी जाये।

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : माननीय सचेतक महोदय जानते हैं कि विधान सभा में पहले भी इस प्रकार की घटना हुई। लेकिन पहले सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों मिल कर सदन के बाहर निर्णय करते थे कि किस प्रकार की सजा दी जाय ? सजा का रूप किस प्रकार का हो ? अगर ऐसा होता तो इतनी बात शायद पूछने की आवश्यकता न होती।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी जबाव दे दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह परम्परा थी इस हाउस की जब कि कांग्रेस का शासन था। जब इस जनता पार्टी का शासन आया और जब हम विरोधी दल में बैठे उस समय भी इस प्रकार की 3 घटनायें हुई थीं। उस समय एक को सजा दी गई थी उसमें हमें शामिल नहीं किया गया था। अब आप भाषण दे रहे हैं उस वक्त इस प्रकार की बात नहीं सोचा करते थे। तो मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर माफी मांग ली होती तो यह दिक्कत नहीं आती। वह माफी नहीं मांगते। वे कहते हैं कि हम अपने उसूलों पर अड़े रहेंगे। अगर आप उनको इस तरह फ्री करेंगे तो यह आप निश्चित मानें की वे अपने उसूलों से डिगेंगे नहीं रोजाना इस प्रकार की हरकतें करेंगे, सदन में बाधा डालेंगे, हम उनको माफ करते रहेंगे और एक एक घंटा इसी तरह खर्च करते रहेंगे। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यदि पहली बार ही उनको सजा मिल जाती है तो दूसरे लोग भी सोच विचार के इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि इस पर उसी प्रकार से सोचें। जब वह सत्ता पक्ष में थे तब सोचा करते थे उसी दृष्टि से सोचें।

श्री अध्यक्ष : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य काफी बड़े पंच हैं उन्हें कहने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड : विरोधी पक्ष के नेता और सदन की राय हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उससे हम सहमत हो जाते हैं और 4 दिन की सजा दे देते हैं।

श्री राजबहादुर : मैं निवेदन करूं कि जिन लोगों ने सदन की अवहेलना की है और निन्दा की है तो असल में उन अपराधियों को माफी की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए माफी नहीं मांगी है तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको सजा दी

(श्री राजबहादुर)

जाय लेकिन उनको एक दिन की सजा दी जाय या एक साल की, यह क्लीयर हो जायेगा कि आगे भी इस तरह की सजा दी जाएगी। इसलिए जो कामां के सदस्य ने कहा है उसे मान लेना चाहिए, 3 दिन की सजा देनी चाहिए। यह इसलिए कहा है कि इतनी लम्बी सजा दी नहीं जाती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 3 दिन तो रहने दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीन से अगर दो पर राजी हो जायें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मेरा ख्याल है कि उनको 3 दिन की सजा दी जाये।

श्री हीरालाल शर्मा : आज के दिन के साथ इस तरह से तीन दिन की सजा दी जाये। दो दिन और इस तरह तीन दिन हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आज के दिन के साथ तीन दिन की।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज का दिन माना जायेगा, या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आज का दिन माना जायेगा, इसके साथ तीन दिन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दोनों व्यक्तियों को सजा साधारण दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री श्याम लाल और अमरचन्द सिंघल को उन्होंने जो कुछ सदन में किया, उसके लिए तीन दिन के सिम्पल कारावास की सजा दी जाये।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरी बातें मानी गयी है उसके लिए मैं सारे सदन का अहसानमन्द हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसमें हां, और ना का प्रश्न नहीं है। इसमें आपकी तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिये कि दोनों पक्षों की तरफ से तीन दिन किया गया है। हां पक्ष की तरफ से नहीं है दोनों से है।

श्री अध्यक्ष : संकल्प को सदन के समक्ष निर्णय के लिए रखा था, सदन ने उसको स्वीकार कर लिया। सदन ने निर्णय दिया है मैंने नहीं दिया है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लगातार 5 दिनों से चलने वाली बजट पर बहस को हमने ध्यानपूर्वक सुना और विचार करने की भी कोशिश की श्रीमन्, लगभग 55 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया जो इस बात का द्योतक है कि बजट कितना दिलचस्प है। कई माननीय सदस्यों ने खास तौर से हमारे विपक्ष के सदस्यों ने और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

दिए है, उन सबको मैंने नोट किया है मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उनके अच्छे सुझाव आये हैं, उन पर हम राजनीति से ऊपर होकर विचार करेंगे। राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की भलाई के लिये खास तौर से राजस्थान की गरीब जनता के लिये जो अच्छे सुझाव होंगे उन पर शीघ्र निर्णय करके उनके क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमन्, मैं पिछले सत्र और इस सत्र में भी लगातार माननीय सदस्यों के विचार सुनता रहा, कई परम्पराओं की चर्चा सुनता रहा और कई सीख भी मुझे दी गई, शायद उचित भी है, कई माननीय सदस्य जो इस सदन में पहले आए हैं, तजुर्बेकार हैं, परम्परायें उन्होंने डालीं, मुझे सीख देना उनके लिये वाजिब है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ परम्परायें हैं हम उन परम्पराओं का भी पालन करते हैं लेकिन इसके साथ साथ यह भी निवेदन कर चुका हूं कि आज भी कुछ ऐसी परम्परायें हों जो समय के अनुकूल नहीं बैठती हों तो हमें उनमें परिवर्तन करने में संकोच नहीं करना चाहिये। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कायदे कानून की बात या परम्परा की बात विरोधी दल के नेता करते हैं वह हमेशा बाद में क्यों बोलना पंसद करते हैं। श्रीमन् मैं केवल संसद में सन् 1957 में चुन कर गया था, लोक सभा में रहा हूं और राज्य सभा में भी रहा हूं। परम्परा यह है, जहां तक मेरी जानकारी है, विरोधी पक्ष के नेता सबसे पहले वक्ता हुआ करते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति विरोधी पक्ष के नेता महोदय की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह हमें समय नहीं देना चाहते जिससे कि हम उनके आंकड़ों को वेरीफाई कर सकें, जो तथ्य उन्होंने हमारे सामने रखे हैं उनकी जानकारी कर सकें और उनका जवाब दे सकें।

मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बात की आलोचना उन्होंने मेरी की है और भी कई माननीय सदस्यों ने की है कि यह बजट रूटीन टाइप है, अफसरों के द्वारा जो आंकड़े दिए गये हैं वह छपवा कर दिये हैं। श्रीमन्, अगर मैं मुख्य मंत्री के रूप में अफसरों से कोई बातचीत करूं, आंकड़े पूछूं, तथ्यों की जानकारी करूं उसके बाद बजट पेश करूं तो मैं समझता हूं वाजिब ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आदत अभी छूटी नहीं, आपको कई दिन का समय चाहिए। मैं नहीं कहता कि सरकार की आप क्या सेवा करते होंगे लेकिन निश्चित रूप से आपका सैक्रेटेरियट होगा, आपके पास कोई न कोई कर्मचारी होगा, मैं जानता हूं, आपके पदाधिकारी होंगे, आप उन्हीं पर निर्भर करते हैं, आपकी पूरी तैयारी नहीं, दूसरे लोगों ने आपको तैयार करके भेजा है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता राज्य के . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं राज्य के मुख्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि उनके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती।

श्री राजबहादुर : डाइरेक्टली बात नहीं।

श्री दिनेशराय डांगी : आपने एजेन्ट्स को छोड़ रखा है इम्पार्टेंट पोस्ट्स पर।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : क्या शोभा देता है क्या शोभा नहीं देता है, वह जानते हैं उसको मैं यहां नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सरकारी कर्मचारियों के प्रति इतना अविश्वास करके चलेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने अविश्वास की बात कही ही नहीं। आपकी पार्टी के पदाधिकारियों की बात मैंने कही है मैंने सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कही है, जगह गुमराह करने की कोशिश न करें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने कहा श्रीमन्, आज भी आपकी आदत गई नहीं। हालांकि सरकारी कर्मचारी उनके पास नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी का सेक्रेटेरियट है उसके पदाधिकारी उनके पास में हैं, उन पर वह निर्भर करते हैं, वही बात मेरी लाजमी है क्योंकि आंकड़ों को जानना, तथ्यों को जानना मेरे लिए संभव नहीं।

यह बात भी कही गई कि बजट पेश करने में हमको देरी हुई, वोट-आन-अकाउन्ट दूसरी बार लिया गया यह पहली मर्तबा इस राज्य में हुआ है। अन्य राज्यों में भी लेखानुदान दूसरी बार लिया गया। हमें भी कई कठिनाइयां थीं जो पहले भी आपके सामने प्रस्तुत कीं इसलिए थोड़ी देरी जरूर हो गई। लेकिन विपक्ष के माननीय नेता याद करें जब वहां मुख्य मन्त्री बने थे, उन्होंने कितने दिनों में बजट पेश किया था और हमने कब पेश किया है। जब आप मुख्य मन्त्री थे तो आपने शायद बजट पेश किया सितम्बर 6 या 7 को। हमसे ज्यादा देरी हुई या आपसे देरी हुई यह प्रश्न आप पर छोड़ देता हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

श्रीमन्, कई बातें माननीय सदस्यों ने ऐसी कही हैं जिनका ताल्लुक राज्य के बजट से नहीं है। कई समस्याओं पर चर्चा की, वह राज्य सरकार की नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार की हैं। मैं उन मुद्दों को अभी नहीं ले रहा हूं। जब कभी और मौका आएगा उस पर चर्चा करूंगा, हो सकता है डिमांड्स के समय या और किसी मौके पर चर्चा करूं।

कुछ बातें ऐसी कही गईं जो हमारे राज्य के विकास से ताल्लुक रखने वाली नहीं हैं, बहुत सारी बातें राजनीति से प्रेरित हैं, मैं समझता था बजट पर बोलते समय जो माननीय सदस्य तजुर्बा रखते हैं, वह कोई बजट की बात कहेंगे लेकिन बजट की बात न कहकर वही पुरानी रट लगाई है कि दिशाहीन बजट है, लक्ष्य नहीं है। महंगाई की बात, कानून की बात के सम्बन्ध में मैं समझता था कि महंगाई की बात जरूर होनी चाहिये, कानून की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन बजट के सम्बन्ध में जैसे किस बात पर महंगाई का असर पड़ता है, रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई का क्या असर पड़ता है इस तरह की रिलेवेन्ट बातें होनी चाहिए लेकिन दूसरी बातों को उछालते रहते हैं। उन बातों को कर लेते तो सदन का समय बच जाता और माननीय सदस्य जो बिना बोले रह गए, को मौका मिल जाता।

श्रीमन्, कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ व्यक्तियों से या क्षेत्रों से या जिलों से ताल्लुक रखने वाली हैं। हो सकता है, राजस्थान के

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सम्बन्ध में योजनायें हों मैं उनको एक-एक करके नहीं ले रहा हूं क्योंकि अलग-अलग महकमों की मांगें डिस्कस होंगी उस समय चर्चा करना पसन्द करूंगा। इसलिये मैं सदन का समय इन बातों में नहीं लेना चाहता।

श्रीमन्, सदन के विपक्ष के नेता ने एक बात बहुत जोर की कही कि मैं कोरसपोंडेंस कोर्स की तरह इस सरकार को चलाता हूं। अगर आपको याद हो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी कहा गया था कि मैं दिल्ली बहुत जाता हूं। मैंने सोचा कि अगर दिल्ली न जायें तो काम चल जाए, खतों से काम चल जाए तो दिल्ली जाने की आवश्यकता क्या है। इसलिए दिल्ली जाना कम कर दिया। जब आवश्यक होता है या मीटिंग होती है या जब बुलाया जाता है तब दिल्ली जाता हूं वरना खतों से हमारा काम चल जाता है क्योंकि यह सरकार आपने ठीक फर्माया कि इंदिरा गांधी के पदचिन्हों पर चलती है। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता। आपकी जो सरकार थी उसमें मुख्य मंत्री कुछ कह रहा था, दूसरा मंत्री कुछ कह रहा था, यह सरकार उस तरह से काम नहीं करती है। एक नीति है, एक नेता है। इसलिए, श्रीमान्, बातचीत कर लेते हैं उससे हमारा काम हो जाए तो दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए लेकिन यहां भी विचारों में मतभेद है। उधर से कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि दिल्ली जाकर जल्दी काम कराना चाहिए। कुछ कहते हैं कि दिल्ली नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया कि ऐसे मौके पर कठिनाई नहीं आनी साथियों को चुनना है कि दिल्ली कब जाना चाहिए। आप ही विचार कर लें कि आपको कौनसे विचार प्रकट करने चाहिये और कौन से नहीं।

यहां पर एक बात कही गई कि हम प्रभावकारी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए, इस बात की चर्चा विरोधी पक्ष के नेता ने की।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण को शुरू करते ही कह दिया था कि हमें समय कम मिला है इसलिये हम पूरे साल भर के पूरे टार्गेट नहीं दे पाये हैं। पूरा समय नहीं मिल पाने के कारण इस तरह बजट पेश किया है। आपका स्वभाव किस ढंग से देखने का है वह आप जानें। अगर आप चाहें तो मैं बजट को पढ़ कर बता दूं। आपको बजट देखने से पता लगेगा कि हमने जो बजट बनाया है वह प्रेक्टिकल रूप से जैसा होना चाहिये, वैसा बनाया है। मैं, श्रीमन्, बातों के बढ़ाने में, बातों के जाल में, आंकड़ों के जाल में फंसाने की बात में विश्वास नहीं रखता हूं। श्रीमन्, जिस तरह विरोधी पक्ष के नेता आंकड़ों का जाल फैला कर सदन के सदस्यों को गुमराह करते हैं मैं उस तरह से सदन को गुमराह नहीं करना चाहता हूं। श्रीमन्

(व्यवधान)

श्रीमन्, यह किस तरह से आंकड़ों का जाल देकर सदन को गुमराह करते हैं वह मैं कभी मौका आने पर यहां पेश करूंगा और यहां चर्चा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आज ही बता दीजिये। आज ही पेश कर दें। हम तो यहां पर आठ बजे तक बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं, श्रीमन्, जब प्रोपर समय आयेगा तब प्रोपर बात कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे थे तो यह बीच बीच में उनको टोक रहे थे। यह कैसे चलेगा यह बीच में बोल रहे हैं। आपको इन्हें ताड़ना देनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपस में नहीं बोलें। आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, विपक्ष के नेता ने एक बात और कही। मैं समझता हूं कि इन्होंने शायद भाषण को पढ़े बिना ही यह बात कह डाली। विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा है कि मुख्य मंत्री जी ने यह बजट नहीं प्रगति का फरमान पेश किया है। श्रीमन्, मैंने अपने बजट भाषण में पेज 22 पर स्पष्ट लिखा है यह कर प्रस्ताव हैं। श्रीमन्, यह सारे प्रस्ताव जो कि सदन के सामने विचारार्थ लिये जायेंगे इन्हें हमें देखना है, और पारित करना है। तो मैं आशा करता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता समझ गये होंगे। मैं दुबारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सदन को गुमराह नहीं करना चाहता हूं जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता करते आये हैं। यहां मैं इतना जरूर कहूंगा कि वह चाहे बजट भाषण को पढ़ कर नहीं आये होंगे पर दूसरे माननीय सदस्य, जिनका मैं सम्मान करता हूं, तो सभी बजट भाषण को पढ़ कर आये होंगे। आपकी तरह बिना भाषण पढ़े नहीं आ गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, अब मैं व्यक्तिगत वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। मैं खास तौर से विपक्ष के नेता महोदय ने जो मुद्दे उठाये हैं उन्होंने, श्रीमन्, एक बात की ओर बहुत चिन्ता व्यक्त की है और जिसके लिये दूसरे माननीय सदस्यों ने भी काफी चिन्ता व्यक्त की है। खास तौर से विरोधी पक्ष के नेता ने यह कहा है कि यह बजट घाटे का है। श्रीमन्, यह सही है कि यह बजट घाटे का है, बजट में घाटा दिखाया गया है। श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि बजट घाटे का है। मैंने तो पहले ही इंगित कर दिया था। पर यहां पर मैं विरोधी पक्ष के नेता की जानकारी के लिये यह कहना चाहूंगा कि जब मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, तो

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
उस दिन राजस्थान सरकार के बजट में 37 करोड़ का घाटा था। श्रीमन्, मैं विपक्ष के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि यह घाटा किसका है ? शायद विरोधी नेता यह भूल गये कि यह जो घाटा हमें मिला, वह उनकी विरासत है और उनकी इस विरासत को हमें पूरा करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस दिन सरकार भंग हुई उस दिन का बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य अगर जानकारी ही चाहते हैं तो वह भी मेरे पास है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आपने सरकार छोड़ी उस दिन 10 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था। इसके साथ-साथ, श्रीमन्, 12 करोड़ रुपये का वेज एण्ड मीन्स के लिये भी एडवान्स लिया हुआ था। इस प्रकार कुल 22 करोड़ रुपये का घाटा था।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस दिन कांग्रेस शासन से मैंने शासन सम्भाला था, उस दिन 80 करोड़ रुपये का घाटा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : डूब मरो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप प्रूव कीजिये इस बात को।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें। कृपया शान्त रहें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, विपक्ष के नेता किस तरह से पकड़ में आते हैं, उसका उदाहरण मैं यहां आपको पेश करता हूं। श्रीमन्, जिस दिन कांग्रेस सरकार ने शासन छोड़ा था, उस दिन राजस्थान सरकार के पास साढ़े आठ करोड़ का मुनाफा था। साढ़े आठ करोड़ का मुनाफा छोड़ कर कांग्रेस सरकार गई थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, विरोधी पक्ष के नेता ने इस बात की चिन्ता बहुत अधिक की ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुनाफा किस बात का होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, विरोधी पक्ष के नेता ने इस बात की गहरी चिन्ता

147

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

व्यक्त की कि यह घाटा किस प्रकार पूरा होगा ? श्रीमन्, घाटे की पूर्ति किस प्रकार होगी ? मैंने पहले ही सदन में खुलासा कर दिया था कि जो अनावश्यक खर्चे हैं राज्य सरकार के उनमें कटौती की जावेगी, नोन टैक्स रेवेन्यू से आमदनी बढ़ा कर, तीसरे केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करके इस घाटे को पूरा किया जाने की कोशिश की जावेगी। श्रीमन्, शीघ्र ही प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होने वाली है, हम वहां पैसे लाने की कोशिश करेंगे। बाद में सदन में जो भी वहां से हमें मिलेगा वह बताऊंगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार घाटे की पूर्ति हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्लानिंग कमीशन कभी भी घाटे की पूर्ति नहीं करता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता खुद बैठे-बैठे बोलते हैं और दूसरों को कहते हैं, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, यहां पर उन्होंने अपनी योजना के आकार के बारे में चर्चा की और यह कहा कि हमारे समय में 275 करोड़ रुपये की योजना बनायी थी। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो योजना बनायी है, वह 348 करोड़ रुपये की है। इस प्रकार अगर आप देखें, तो आपको यह मालूम होगा कि हमने योजना खर्च में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मैं आशा करके चलता हूं योजना आयोग के समक्ष जब हम जायेंगे, तो हमें योजना खर्च में अधिक धनराशि मिलेगी। जो भी होगा योजना आयोग से उसकी मैं सदन में आकर किसी दिन चर्चा करूंगा।

श्रीमन्, विरोधी पक्ष के नेता ने यह भी यहां पर चिन्ता व्यक्त की कि चूंकि भारत सरकार ने सभी मुद्दों पर टैक्स लगा दिये थे, अतः बाद में ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा जिसमें कि राजस्थान सरकार टैक्स लगा सकती। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये व खास तौर से विरोधी पक्ष के नेता की जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगा कि जिस मुद्दे पर भारत सरकार टैक्स लगाती है, उस पर राज्य सरकार कभी टैक्स नहीं लगाती है। जिन मुद्दों पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है, उन मुद्दों पर भारत सरकार टैक्स नहीं लगाती है। इसलिये आपने जो कहा कि टैक्स लगाने का कोई मुद्दा नहीं होने के कारण टैक्स लगाने का आपने साहस नहीं दिखाया, वह गलत कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने टैक्स लगाने का नहीं कहा। मैंने तो नान टैक्स रेवेन्यू के बारे में कहा कि आपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं किया, यह दुर्भाग्य की बात थी कि उस समय आप यहां पर नहीं थे, और आपने कमरे में मेरी आवाज सुनी थी।

श्री दिनेश डांगी : आपने टैक्स लगाने का कहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह सही है कि जितने रिसोर्सेज हमको मोबिलाइज करने चाहिये थे उतने नहीं कर पाये। इसके कई कारण थे। श्रीमन्, हमारे यहां राज्य में सूखा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

पड़ा हुआ था, उसके कारण बहुत कठिनाई आ रही थी। सरकार के बदलते ही असामाजिक तत्वों ने सिर उठाया और काला बाजार चोर बाजारी करने वालों ने काफी गड़-बड़ियां कीं। हम इस बात की फिर भी कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें। मैं आशा करता हूं कि जो अच्छे सुझाव हमारे सामने आये हैं उन्हें देखा जायेगा और उनको पूरा करने के लिये जो और भी बातें हैं उन्हें देखेंगे। इसके अलावा जो भी लूपोल्स है, उनको चैक करना पड़ेगा। चोर बाजारी, जखीरा खोरी और मूल्यवृद्धि करने वालों के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे। हमने कुछ कदम भी उठाये हैं। मैं उनकी ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहता, मगर इतना कहना चाहूंगा कि करीब 4000 छापे हमारे आने के बाद मारे गये और काफी बड़ी मात्रा में वस्तुयें जब्त की गईं। कई हजार मुकदमें हमने बनाये हैं। मैं, श्रीमन्, आशा करके चलता हूं कि आज हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें हमें आपका सहयोग प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार का सहयोग प्राप्त होगा। मेरी आशा है कि जैसे-जैसे फुरसत मिलेगी हम जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर समितियां बनायेंगे, जिनसे जनजागरण से हमें ज्यादा सहयोग मिल सके, कानून का सहारा नहीं लेना पड़े और जनता के सहयोग से जमाखोरी और जखीरा खोरी को बन्द कर सकें। लेकिन, श्रीमन्, केवल जमाखोरी बन्द करने से और जखीरा खोरी बन्द करने से या कुछ लोगों को बन्द करने मात्र से मंहगाई नहीं मिटती। इसके लिए हमें और भी काम करने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर सैक्टर में, और उद्योग सैक्टर में बहुत आगे भागना है। मैं यह नहीं कहता कि उनके जमाने में कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना इन्डस्ट्रीज के मामले में आगे बढ़े? मैं इस बात का तो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यह सरकार जितना काम कर रही है, बीच में भी काफी काम करेंगे और धीरे-धीरे टर्म पूरा करेगी यह सरकार तब मालूम पड़ेगा कि कितना हमने किया और कितना काम आपने किया।

श्रीमन्, एक बहुत बड़े मुद्दे की चर्चा की गयी जिसमें हम सब की दिलचस्पी है, वह है राजस्थान की कई ऐसी समस्यायें जो कि हमेशा हमें तंग करती रहती हैं, खास तौर से अकाल हमारी स्थाई समस्या जैसा बन गया है, इसलिए हमको इसका स्थाई हल खोजना पड़ेगा। श्रीमन्, अकाल केवल अनावृष्टि से ही नहीं होता, वरन् अतिवृष्टि से भी हो जाता है। हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ आ जाती है, हमारी फसल चौपट हो जाती है, हमारे घर गिर जाते हैं और अकाल पड़ जाया करता है। आये साल और कभी-कभी दो-दो और तीन-तीन साल तक लगातार वर्षा की कमी के कारण भी अकाल पड़ जाया करता है। इसलिए, श्रीमन्, हमें ऐसी आशा है कि केन्द्रीय सरकार के सहयोग से इसका कुछ हल निकाल पायेंगे। श्रीमन्, हम नहीं कहते कि पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया, लेकिन जितना करना चाहिए था, उतना नहीं किया। कांग्रेस सरकार जितना इनको दे गयी थी, उस से राजस्थान नहर को आगे बढ़ाया जाता, माही योजना की समस्या को सुलझा पाते, गंगा यमुना के पानी की बात की जाती, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

होता। हम कोशिश करेंगे कि बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनायें, जिनसे हमको पानी मिल सकता है और दूसरी योजनायें, जिनसे भी हमको पानी मिल सकता है, राजस्थान के अन्दर जितना पानी है इसको रोकने की योजनायें बना सकें, जिससे हमारी सिंचाई की समस्या हल हो सके, पीने के पानी की समस्या भी हल हो सके और अकाल की समस्या हल हो सके।

श्रीमन्, मैं इस बात को जानता हूं कि जितनी व्यवस्था की गयी है बजट में वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को इतना निवेदन करना चाहूंगा कि समय बहुत थोड़ा है। इस समय में इतने काम नहीं हो सकते। जैसा मैंने कहा कि मैं टार्गेट पेश नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अगले साल आपके सामने हमें फिर आना है, तब जवाबदेही होगी, इसलिए कोई ऐसा कार्य कोई आंकड़े, जो कि हम पूरा नहीं कर सकें, आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि उनको पूरा करने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ सकती है। बहुत सारी लिस्टें हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, पुरानी लिस्ट हो गयी हैं, उनको देखना पड़ेगा, लेकिन आशा है कि जनता के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से, आपके और सरकार के सहयोग से हम अपना टार्गेट पूरा कर सकेंगे।

श्रीमन्, मैं जानता हूं हमने बहुत ही मनोवांछित याने एम्बीशश प्लान बनाया है। दस साल में हम पीने के पानी की समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन हम ऐसी आशा करके चलते हैं कि इस दशक के बजाय पांच सात साल का अर्सा तय किया है इस समस्या के समाधान हेतु। साधन हमारे सीमित हैं, लेकिन हमें इस बात की पूरी आशा है कि भारत सरकार के सहयोग से इस योजना को पूरा कर सकेंगे, लेकिन, श्रीमन्, मैं एक खुलासा करना चाहूंगा कि हम आजकल के तरीके अख्तियार करेंगे ताकि यहां पर पानी के टैंक बनें और डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वह काम में लायेंगे और साथ ही साथ जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको भी काम में लायेंगे। हमारे प्रान्त में आज बहुत समस्यायें हैं। हम जानते हैं कि इनका समाधान हम पांच साल में उस तरह से नहीं कर सकेंगे जिस तरह से आज किया जा रहा है। मैं श्रीमन्, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर सकता। प्लानिंग कमीशन के समाने हम जायेंगे। उनसे बात जब तक नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे आशा है, मैं अभी दिल्ली गया था, तो वहां एक मंत्री से मेरी बात हुई है, प्रधान मंत्री जी से बात हुई है, वह हमारी इसकी प्राथमिकता को मानते हैं। इसके लिए भारत सरकार की सहायता हम उपलब्ध करना चाहते हैं, वह करेंगे। मुझे सूचना देते हुए बहुत खुशी है कि जिन 24 हजार गांवों की समस्या की चर्चा करते हैं, उसके लिये सहायता देना उन्होंने मान लिया है और उन्होंने कहा है कि जो सहायता उनसे हो सकती है वह करेंगे।

श्रीमन्, इस बात की बहुत चिन्ता व्यक्त की गयी है कि सेन्ट्रल स्पोन्सोर्ड स्कीम बिल्कुल बन्द हो गयी। जैसे, श्रीमन्, हमने ही बन्द कर दी। माननीय सदस्यों को,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जानकारी होगी कि यह कट गयी थी या कन्वर्ट हो गयी थी लेकिन आज भी आपको मालूम है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत अनाज की चर्चा की है कि कितना अनाज इस साल आया और कितना अनाज पिछली साल आया और आदिवासी क्षेत्र जो हमारे पिछड़े हुए हैं उनमें कितने लोगों को रोजगार इस साल मिला और कितनों को उस साल में मिला। मैं इसके ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि कल ही विस्तृत चर्चा इस पर होने वाली है उस चर्चा के समय संबंधित मंत्री आपको सारी सूचना देंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने हमको विश्वास दिलाया है कि इसके तहत सहयोग दिया जायेगा और काम को नहीं रोका जायेगा। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां बरसात हो गयी है पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बरसात नहीं हुई है वहां कार्य जारी रखे जायेंगे। ऐसे इलाके जो कि आदिवासी इलाके हैं वहां योजनाओं को चालू रख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार से ज्यादा अनाज उपलब्ध हो सकेगा।...

श्रीमती गिरिजा पाठक : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले एक क्वेश्चन के जवाब में भी और विधान सभा में भी रेफरेन्स आया था कि कलेक्टर्स के पास आर्डर चले गये हैं कि नयी कोई योजना की स्वीकृति नहीं दी जाये। जो इनकम्प्लीट काम हैं आज तो उनकी भी स्वीकृति नहीं दी जा रही है फिर आप उनको जारी रखने की बात कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने शुरू में ही कह दिया कि जहां बरसात नहीं हुई है या ऐसे आदिवासी इलाके जहां रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां यह काम चालू रखे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सी योजनायें मिनिमम नीड वाले प्रोग्राम की स्कीम में बना रहे हैं। उनके द्वारा किया जायेगा। माननीय सदस्या को घबड़ाने की बात नहीं है। वे काम जरूर पूरे होंगे। थोड़ा समय अवश्य हो गया है।

श्रीमन्, राज्य सरकार को केन्द्र से मिलने वाली सहायता की चर्चा भी बहुत हुई। मैं नहीं चाहता कि सदन का ज्यादा समय लूं क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस के जमाने में गाडगिल फार्मूला के नाम से एक फार्मूला था जिसके तहत केन्द्र की सहायता राज्यों को मिलती थी। जनता पार्टी के समय में फार्मूला बदल दिया गया। दूसरा फार्मूला आया जिसके तहत राज्य सरकारों को और खास तौर से राजस्थान सरकार को भी क्योंकि यहां आबादी कम है सहायता मिली। इस फार्मूले के तहत लगभग 12 से 13 करोड़ का घाटा हुआ। मुख्य मंत्री जी, जो उस समय के हैं, एन० डी० सी० की मीटिंग में थे। उनकी आवाज को केन्द्रीय सरकार ने सुना ही नहीं सुनने की कोई बात ही नहीं थी क्योंकि वहां पर चर्चा तो घटकवाद के आधार पर हुआ करती थी और राज्य सरकारों के आधार पर नहीं होती थी। इसमें तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अब फिर केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि और कोई फार्मूला रहे हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यहां की आबादी थोड़ी है और

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

क्षेत्रफल ज्यादा है, इलाका बहुत बड़ा है और समस्याएं भी बहुत ज्यादा हैं इसलिए हमारी प्रार्थना रहेगी कि चाहे इसी फार्मूले को कायम रखें या पुराने वाले फार्मूले को रखें लेकिन हमको उसके तहत ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हमें पूरी आशा है कि भारत सरकार हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप गाडगिल फार्मूला के पक्ष में हैं?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं तो दोनों फार्मूलों के पक्ष में हूं जिससे भी राजस्थान को पैसा मिले और राजस्थान का हित हो।

श्रीमन्, बावजूद मेरे बजट भाषण में चर्चा करने के कि अन्त्योदय योजना महात्मा गांधी के सर्वोदय का एक अंग है, माननीय सदस्य घबरा जाते हैं और दूसरी बात की चर्चा कर जाते हैं। उन्होंने कुछ अच्छे काम किये उनको हम बन्द नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं अन्त्योदय योजना सर्वोदय का एक अंग है। प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा दिये गये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो हमारे काम चल रहे थे वह उसका एक अंग हो सकता है। आपने जोर दिया अन्त्योदय पर वह था क्या? केवल आइडेंटिफिकेशन अन्त्योदय वालों का हो जाया करता था। सर्वोदय में क्या है गरीब को, मजदूर को, किसान को, विद्यार्थी को, मध्यम वर्ग व्यापारी को लाभ मिले। श्रीमन्, सर्वोदय का अन्त्योदय एक अंग है। इन्होंने नया नाम दिया है। यह नया नाम भी नहीं है, इसको क्लेम कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ नहीं कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो क्लेम भी करें और जारी रखें, हम सहमत हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर्वोदय में शराबबन्दी भी रहेगी?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह मैंने आपके लिये छोड़ा हुआ है, मौका आयेगा तो सदन में चर्चा करेंगे। पूर्ण सदन की भावना क्या है? पूर्ण सदन की जैसी भावना होगी, वह ही हो जायेगा। मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है, इसका अन्दाजा अखबारों से पढ़ कर न लगायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिहार ने चालू कर दी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे कभी-कभी बड़ी हंसी भी आती है, बड़ा आश्चर्य होता है। मैं समझ रहा था जितने माननीय सदस्य यहां पर आये थे, मेरे जैसे सामान्य इन्सान हैं, यह बात ठीक है कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं कोई ज्ञान में बड़े हैं, कोई उम्र में बड़े हैं, कोई अन्तर्यामी हैं, हम क्या करने वाले हैं, हमारे मन में क्या है, हम क्या शुरू करना चाहते हैं, हम क्या फैसला देंगे वे अन्तर्यामी हैं, हमारी बात को जान लेते हैं। आप जान लीजियेगा, हमारे मन में केवल एक बात है वह है राजस्थान का विकास, गरीब जनता की भलाई, किसान का विकास मजदूरों का विकास। सबकी भलाई एक नई

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

योजना है, अनुसूचित जाति के लिये एक प्लान बना हुआ है। पहले भी ऐसा काम हुआ करता था लेकिन न तो पहले कोई प्लान था ना कभी बजट में इतनी राशि हुआ करती थी। श्रीमन्, आपको मालूम है, योजना के अलावा लगभग 5 करोड़ रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सेन्ट्रल कमीशन द्वारा यह और कहा गया है कि 5 करोड़ की सीमा है। अगर हम ज्यादा खर्च कर पायेंगे तो ज्यादा पैसा भी मिल सकता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। यह जानकारी इसलिये दे रहा हूं यह जानकारी प्राप्त हो गई है। मैं इसको योजना कमीशन में जाने से पहले घोषित कर सकता हूं। इसलिये जो धनराशि इंगित नहीं की है 5 करोड़ रुपया, ऐसा मान कर चलते हैं। कई बातों की चर्चा मैंने बजट भाषण में नहीं की खास तौर से अनुसूचित जाति के लोगों के लिये मकान बनाना आदि इसमें हम सब ले सकते हैं।

श्रीमन्, पिछले साल ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत भारत की योजना के अन्तर्गत 31 करोड़ 55 लाख का प्रावधान हमारा था। इसके अतिरिक्त इस साल केन्द्रीय सरकार से 3 करोड़ 27 लाख रुपये की और सहायता प्राप्त होगी। 80-81 में कुल मिलाकर 38 करोड़ 15 लाख करीब हो जायेगा। पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत ज्यादा है। इसलिये यह मानकर नहीं चलना चाहिये कि आदिवासियों के लिये, हरिजनों के विकास के लिये सरकार ज्यादा धन नहीं दे रही है। जितनी और देनी चाहिये और देंगे। क्योंकि ये ऐसे वर्ग हैं जो सदियों से दबे रहे। आज आवश्यकता इस बात की है कि इनके हक के लिये राजनीति से ऊपर उठकर हमको सोचना चाहिये। कोई पार्टी का सवाल नहीं होना चाहिये। जो भी आदिवासी हैं उन सब के लिये हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें, यह हमारी कोशिश होनी चाहिये।

श्रीमन्, कल एक बात जो और कही गई, मै जानता हूं कि श्री भैरोंसिह जी की आदत मजाक करने की है जानते हुये भी वे बात कहना पसन्द करते हैं, गम्भीर होने के साथ साथ वे हंस भी देते हैं। अगर हम उनका भाषण सुनें तो सिवाय गमगीन होने के और कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं उनका इस मामले में अनुसरण कर सकूं, आंकड़े गलत दे कर नहीं। उन्होंने इस बात को बहुत जोर से कहा कि जानवरों के अस्पताल के लिये ज्यादा खर्चा रखा है और इन्सानों के अस्पतालों पर कम खर्चा होगा। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्पेन्सरीज के लिये कई जगह से सहायता प्राप्त होने वाली है जिसका हमने जिक्र नहीं किया। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन्सानों पर कम और पशुओं पर ज्यादा खर्च करने का सवाल नहीं है। अब तक पशुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। जब तक पशुधन का विकास नहीं होगा, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। खास तौर से राजस्थान के अन्दर आवश्यकता है इस बात की कि इन्सानों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय पर साथ ही पशुधन का भी विकास कर सकें। पर जानवरों के लिये ज्यादा पैसा देने

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
की बात है तो जैसा मैंने निवेदन किया, कई सूत्रों से सहायता प्राप्त होने वाली है और उसके लिये समय बहुत थोड़ा रह गया है। इसलिये जानबूझ कर कम रखा है। आंकड़ों के जाल में न फंसाकर हम नहीं करना चाहते बल्कि जो बात हो सकती है, वही करना चाहतें हैं, जो बात नहीं हो सकती है उसके लिये प्रावधान नहीं रखा है।

काम के बदले अनाज की चर्चा बड़ी जोरों से हुई। मैं फिर आंकड़ों के जाल में आपको फंसाना नहीं चाहूंगा। कल ही इस पर चर्चा होने वाली है . . .

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य जहां बरसात नहीं हुई है वहां चल रहे हैं, यह आपका आदेश ?

(व्यवधान)

श्री दिनेशराय डांगी : यह कौन सी व्यवस्था के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : कौन से आदेश को माना जाये ? इसमें साफ लिखा है और पंचायत मंत्री जी कह रहे हैं वह मानें या आदेश मानें।

एक माननीय सदस्य : यह गलत सूचना . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगर गलत सूचना दी गयी है तो उसका भी माध्यम है आप उसके द्वारा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। भाषण में बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कल इसकी चर्चा होने वाली है। राजनैतिक आधार पर सरकार का कोई इरादा, जैसा उन्होंने किया था, किसी सरपंच को मोअत्तिल करने का नहीं है, लेकिन जिन सरपंचों ने जानबूझ कर गड़बड़ी की है हालांकि वे थोड़े हो सकते हैं लेकिन जरूर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, किसी सरपंच ने गड़बड़ी की है, उसको मुअत्तिल करने का हमारा इरादा नहीं है लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी . . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को जान बूझ कर . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : मैं मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कांग्रेस के सरपंचों ने जो घोटाले किए हैं, क्या उनको भी सजा मिलेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के सरपंचों ने भी घपले किये हैं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है कि जिन सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की गई है उनकी संख्या नगण्य है। हो सकता है 5 से 10 तक उनकी तादाद हो। आपको याद दिलाऊं तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कितनी बड़ी संख्या में सरपंचों को उन्होंने सस्पेन्ड किया था। हमने निवेदन किया हम राजनैतिक द्वेष के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि जो काम गरीबों के लिये हो रहा है और गांव की भलाई के लिये हो रहा है वह उसी भावना के साथ होना चाहिये। हम उसमें पूरी मदद करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच कोई भी हो, किसी भी दल का हो उनके मामले में निर्णय जल्दी होना चाहिये और दोषी को सजा मिलनी चाहिये ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर-आॅर्डर। माननीय सदस्य, आप अवहेलना कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आॅर्डर-प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, यहां तकावी लोन की भी चर्चा की गई। तकावी लोन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार ने आते ही उसको बन्द कर दिया। जो कॉआपरेटिव बेसिस पर शार्ट टर्म लोन बांट रही थी, श्रीमन्, 77-78 के अन्दर 57 करोड़ 32 लाख के ऋण बांटे थे और अब हमने जो व्यवस्था की है वह 92 करोड़ है। श्रीमन्, जब मैं सदन में हाजिर हुआ था उसके एक मिनट पहले ही भारत सरकार के कृषि मंत्री से मेरी टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने कहा है हमने उसमें दो करोड़ की और वृद्धि की है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि हमारा इरादा यह है कि जहां बीज की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है खाद की आवश्यकता हो और कई जगह फसलों में कीड़े नुकसान कर रहे हों वहां इस पैसे को बांटने के काम में लें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें यह बता दें बीज, खाद और दवाइयों के अतिरिक्त नकद में ऋण कितना बांटने की व्यवस्था है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमने यह पैसा कॉआपरेटिव को देना तय किया है। अब वे कैसे बांटेंगे, यह फैसला वे करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य। बाधा उपस्थित न करें।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अंकित न हो।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री सूरज पालसिंह : आपको कौनसी बीमारी होगई ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो पहले आपको लगी वही है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, यह भी बात कही गई कि हमने कई मदें छिपाये। खास तौर से विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तब कर्मचारियों को पैसा चुकाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह बात सही है, उन्होंने खुद ने इंगित कर दिया तो हो सकता है आगे जाकर कन्टीन्जेंसी फण्ड से या सप्लीमेंट्री डिमान्ड से खाना पूर्ति करनी पड़े। जितनी जानकारी है वही है उसको कबूल कर लेता हूं लेकिन ऐसा हुआ ही करता है। जो चीज हमारे सामने नहीं है वह नजरंदाज भी हो सकती है लेकिन जो चीज हमारे सामने है और आगे जैसे-जैसे आती जायगी, हम उसको करते जायेंगे।

श्रीमन्, राज्य सरकार से समाज के कुछ खास तत्वों को देखने वाली बात भी कही गई है। खास तौर से मैं एक सीथी, शायद नाथूसिंह जी ने महिलाओं के लिये विशेष रूप से चर्चा की। मैं समझता हूं जिस पार्टी से वे ताल्लुक रखते हैं, उसमें वे भारतीय संस्कृति के होमी हैं। खास तौर से महिलाओं के लिये उन्होंने कहा...

एक माननीय सदस्य : कुंवारे हैं वह तो।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कुंवारे हैं क्या ? अगर वे कुंवारे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य इस तरह की बातचीत न करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है इसलिये वे इस बात को पहचान नहीं सकते हैं लेकिन भैरोंसिंह जी, ठीक है उम्र छोटी हो सकती है भारतीय संस्कृति का जैसा आपने कहा है...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सिंदूर महिलाओं के कितना काम में आता है। यह तो शृंगार का साधन है...।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : केवल शृंगार का ही प्रतीक नहीं है यह सुहाग का भी प्रतीक है इसलिये ऐसा कहना ठीक नहीं है। यह बात नाथूसिंह जी के मुंह से तो ठीक लगती है क्योंकि अभी उनको इसके महत्व का पता नहीं है। उनकी दृष्टि में अभी इस बात की कीमत नहीं है। पर आपके मुंह से ठीक नहीं लगती है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सुहाग का प्रतीक है।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

(व्यवधान)

श्रीमन, एक बात और जोर-शोर से कही गई कि बाहर से उद्योगपतियों को आने का बढ़ावा दिया जाय और फाइनेन्स इन्स्टीट्यूशन्स से ज्यादा से ज्यादा पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट कराया जाय। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ यह हमारी पूरी कोशिश होगी कि राजस्थान में ऐसा वातावरण पैदा करें कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति बाहर से यहां आयें और फाइनेन्स इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट कराया जाय। मैं जानता हूं जो सुझाव विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने और माननीय सदस्यों ने दिया है वह ठीक हो सकता है लेकिन बिना राहत दिये कोई उद्योगपति नहीं आयेगा उनको राहत देनी होगी। अभी दिल्ली के अन्दर ट्रांसपोर्ट डवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग थी उसमें भी हमने इस बात की मांग की थी कि जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में और हिमाचल प्रदेश में ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है उसी प्रकार हमारे राजस्थान को भी एक डेजर्ट एरिया ट्रीट किया जाय और वह सुविधा हमें भी प्रदान की जाय ताकि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक खेद की बात है, श्रीमन्, जो वातावरण पिछली सरकार ने बिगाड़ दिया है उससे आज उद्योगपति यहां आने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा यहां आयें।

एक बात बहुत छोटी सी है लेकिन बार बार कही जाती है शंकाएं और आशंकाएं, जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है, वह भी प्रकट कर दी जाती हैं। ली लैण्ड के कारखाने के बारे में कहा गया, कहां पर लगेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं जनता पार्टी ने कारखाना लाने की जरूर कोशिश की होगी लेकिन श्रेय किसको मिल सकता है वह तो स्पष्ट है कि इस दल को ही मिल सकता है। वह तो हमारी पार्टी को ही मिल सकता है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलवर में ही लगा रहे हो न।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमारी तो मांग ही अलवर की थी इसीलिये हमने अलवर चुना है। सारी बातों को ध्यान में रखकर ही निर्णय किया गया है। अलवर जिले के सारे के सारे लोग मेरे पास आये थे। मैंने तो इस बात के लिए भी कहा था कि खेरथल में जाना चाहे वहां चले जायं, राजगढ़ में जाना चाहे वहां चले जायं, रामगढ़ में जाना चाहे वहां चले जायं, आस-पास के इलाकों में जाना चाहे वहां चले जायं। इसमें मेरी कोशिश यह रहेगी सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन एण्ड सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाई हाउस ही कोई बात तय हो। हम यह सावधानी भी बरतना चाहते हैं जिससे एक ही स्थान पर सारे के सारे उद्योग केन्द्रित न हो जायं। इसकी आगे चलकर बहुत सारी सब्सीडियरीज भी हो सकती है, वह जयपुर में भी लग सकता है, जोधपुर में लग सकती है, बीकानेर में भी और छबड़ा में भी लग सकती है। मैं सदन के सामने प्रस्ताव करना चाहूंगा, घोषणा करूंगा तो बुरा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मान जायेंगे, राज्य सरकार को छोटी सब्सीडियरीज को कुछ सहायता देनी पड़ेगी तो वह देकर भी काम करेंगे। राजस्थान सरकार उन सब्सीडियरीज के लिये अगर साधन भी जुटाना पड़ा तो वह भी जुटायेगी।

श्रीमन्, इन बातों के साथ इस बात की भी बहुत चर्चा की गई है····

श्री नाथूसिंह : एक जानकारी चाहूंगा, कई जिले ऐसे हैं, मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, जो पिछड़े हुए घोषित नहीं कर रखे हैं लेकिन जयपुर के लिए–

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। आप बहुत मन्थर गति से जा रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : जयपुर जिले के जो गांव हैं, जो रूरल एरिया हैं, उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं कर रहे हैं, उद्योगों को लगाने के बारे में रियायत नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्थर गति से भाषण दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्थर गति से इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे मुख्य सचेतक इतने असावधान हैं कि सदन की कार्यवाही केवल 6 बजे तक बढ़ायी गयी थी और अब साढ़े 6 बजे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से भाषण की समाप्ति तक के लिए समय बढ़ाया गया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 6 बजे से साढ़े 6 बजे के बीच में भाषण समाप्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अनुमति से मैंने बढ़ा दिया, इस पर तो विश्वास करते ही नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हम तो केवल मुख्य मंत्री जी के भाषण को रेगुलराइज कराना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सदस्य, यदि शान्ति रखें तो ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। एक बात की चर्चा करके मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा, बैंकों की शाखाएं राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा खुलें, इस बात का प्रयास हमने बराबर किया है, यह भी कहा गया कि वित्त मंत्रालय में जब मैं था और केन्द्रीय सरकार में जब मैं था तो उस समय मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, यह बात बिल्कुल निराधार है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय मैं वित्त मंत्रालय में था, उस समय दो नये और ग्रामीण बैंकों की मंजूरी दी। हम आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही, बल्कि मैं कह सकता हूं कि वर्ष के अन्दर ही कई शाखाएं उन बैंकों की भी खुलेंगी। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत दूसरे बैंक हैं, उनकी शाखाएं भी खोली जायेंगी। मैं आशा करके चल रहा हूं कि न केवल हम आल इण्डिया लेवल को प्राप्त करेंगे बल्कि उससे ज्यादा ही हम प्राप्त करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने एक प्रावधान किया कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो खास तौर से रेगिस्तान

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
के इलाके हैं और जो पिछड़े इलाके राजस्थान के अन्दर हैं, उनके लिए ज्यादा शाखायें खोलने का प्रावधान किया गया है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, श्रीमन्। और बहुत सारी बातें हैं जिनको मैंने नोट तो किया है, चूंकि राजनीति से प्रेरित हैं इसलिए सिवाय इसके कि भाषण देने के लिए भाषण दिया जाय, रोजमर्रा की जो बातें हैं यहां उनको दोहराया जाय, कुछ लॉ एण्ड ऑर्डर की चर्चा की जाय। मैं इतना ही कह सकता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजिशन राजस्थान के अन्दर पिछली सरकार के समय थी उससे बेहतर आज भी है, जो अपराध पहले होते थे, उन अपराधों में कमी हुई है। आज हमने इस बात की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन का, माल की सुरक्षा कर सकें। श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी कोशिश यह होगी कि राजस्थान का जीवन और माल सुरक्षित रह सके। बढ़ते हुए अपराध हैं तो मैंने खुद ने असन्तोष व्यक्त किया था। श्रीमन्, अगर माननीय सदस्यों को याद हो, मुझे संतोष नहीं है लेकिन हमारी इस बात की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जनजीवन की सुरक्षा हो सके। हम ठीक ढंग से हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक जीवन का विकास कर सकें, यह तभी सम्भव हो सकेगा जब सभी का सहयोग प्राप्त होगा। श्रीमन्, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमारे राज्य के अन्दर और हमारे राष्ट्र के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज जिस तरह का वातावरण है उस सब के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना पड़ेगा।

महंगाई बढ़ी है तो केवल राजस्थान अकेला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सारे देश को इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने आपसे निवेदन किया कि बढ़ते हुए मजदूर आन्दोलन हैं कुछ प्रशासनिक परेशानियां हो सकती हैं लेकिन कभी प्रान्त के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर आज इस देश के अन्दर झगड़े चल जाते हैं, वह हमारी व्यवस्था को अस्थिर कर डालते हैं, श्रीमन्। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब को राजनीति से ऊपर उठ कर न केवल राज्य की बल्कि सारे राष्ट्र की मदद करनी चाहिए। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों से उठ कर हम ऊपर देख सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ अच्छे सुझाव भी दिये हैं उन सब पर मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं। उन सब को मैंने नोट किया है, चाहे सिंचाई के सम्बन्ध में हों, चाहे बिजली के सम्बन्ध में हों, चाहे सड़क के सम्बन्ध में हों, चाहे शिक्षा के सम्बन्ध में हों, चाहे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हों, चाहे राजस्थान के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में हों, चाहे कृषि विकास

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

के सम्बन्ध में हों, सबको जानकारी प्राप्त करके जैसे जैसे काम होता चला जायेगा हम माननीय सदस्यों को जानकारी देते चले जायेंगे। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी कोशिश यह होगी कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम सब प्रकार से राजस्थान का विकास कर सकें, यही हमारी भावना है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 5 अगस्त के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 5 अगस्त, 1982 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

(160)

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट 'अ'

तारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूची

माही बांध में अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा हेतु भूमि मूल्यांकन की दरें

क्रम सं.	किस्म भूमि	मूल्यांकन प्रति बीघा
1.	भूरीवाड़ा 1, कालीवाड़ा 1, बैरंगीवाड़ा 1. बैरंगी-गांववाड़ा 1, कालीगांववाड़ा 1, भूरा गारावाड़ा 1, काली चौरस 1, बैरंगी चौरस 1, काली चौरस 2,	1000)
2.	भूरीवाड़ा 2, कालीवाड़ा 2, बैरंगीवाड़ा 2, बैरंगी-गांववाड़ा 2, काली गांववाड़ा 2, भूरी गांववाड़ा 2, काली चौरस 3, बैरंगी चौरस 2, भूरी चौरस 1	900)
3	भूरीवाड़ा 3, कालीवाड़ा 3, बैरंगीवाड़ा 3, बैरंगी-गंगावाड़ा 3, बैरंगी चौरस 3, भूरी चौरस 2, काली गांववाड़ा 3	800)
4.	भूरी चौरस 3,	600)

परिशिष्ट-अ-1

माही बांध एवं मुख्य नहर क्षेत्र में प्रभावित अवाप्त की जाने वाली भूमि के मुआवजा हेतु मूल्यांकन, जिला बांसवाड़ा

क्रम संख्या	नाम ग्राम	अड़ान प्रथम	अड़ान द्वितीय	अड़ान तृतीय	गोयरा व काली वेरंगी एवं भूरी गोयरा 1(ए) उच्चा 1 व साल गट्टा 1(ए) एवं अलीफ	साल काली वेरंगी भूरी गोयरा एवं साल गट्टा 2	गट्टा काली वेरंगी भूरी गोयरा एवं साल गट्टा 3	साधारण खरड़ी व हल्की गोयरा एवं काली वेरंगी भूरी हल्की मेरड़ी 1, 2, 3 एवं पनवा 1	तालाबी पेटा काश्त	पड़त काली वेरंगी, भूरी हल्की राकड़, वीड, कदीम, चरनोई एवं गैर मुमकिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	तहसील वांसवाड़ा के समस्त ग्राम	1400)	1300)	1200)	1000)	900)	800)	600)	1000)	250)

नोट-1. वांसवाड़ा नगरपालिका तथा पालिका की सीमा से 2 मील के अन्तर्गत आने वाली भूमि की क्षति पूर्ति तालिका में दी गई दरों से 10 प्रतिशत अधिक दी जानी चाहिये क्योंकि बांसवाड़ा नगर के आसपास भूमि के मूल्य अधिक हैं।

नोट-2. किसी भी माध्यम से जिस भूमि की सिंचाई होती हो उसे अड़ान माना जाना चाहिये।

नोट-3. जिस भूमि में दो फसलें होती हैं उसे साधारण श्रेणी में नहीं मानकर उच्चतर श्रेणी में माना जाना चाहिये।

परिशिष्ट 'ब'

STATEMENT SHOWING THE PLINTH AREA RATE OF DIFFERENT TYPE OF HOUSES AS PER APPROVED B. S. R. OF 1975.

S. No.	Type	General Specification of the Houses	Plinth area rate Per Sqm. in Rs.
1.	A	Kelu roofing resting over brick masonry in Mud mortar.	115.30
2.	B	Kelu Roofing resting over stone masonry in Mud mortar.	85.40
3.	C	Kelu roofing resting over Mud walls.	38.00
4.	D	Kelu roofing resting over wooden stick walls.	30.40
5.	E	Kelu roofing over wooden post.	24.00
6.	F	Kelu roofing resting over wooden post verandah type 'A' (with foundation).	24.10
7.	G	Kelu roofing resting over wooden posts verandah type 'B' (without foundation).	17.60

'परिशिष्ट-'स'

Schedule of rates for the compensation to be charged for the trees.

Measurement in girth (circumference) class in feet and price per tree in rupees:—

S. No.	Name of trees	0'×3' (0.2 to 0.9 M)	3' to 6' (0.9 to 1.8 M)	6' and above (1.80 M & above)
1.	Khajur	10.00	20.00	25.00
2.	Bad	5.00	15.00	25.00
3.	Khejra	5.00	15.00	25.00
4.	Pipal	5.00	15.00	25.00
5.	Hatri	2.00	5.00	10.00
6.	Haldu	15.00	20.00	25.00
7.	Karanj	10.00	15.00	20.00
8.	Kalam	10.00	20.00	30.00
9.	Salar	10.00	20.00	30.00
10.	Umri	2.00	10.00	20.00
11.	Baheda	10.00	30.00	40.00
12.	Billi (Bell)	5.00	10.00	15.00
13.	Gundi	2.00	5.00	10.00
14.	Semal	15.00	25.00	30.00
15.	Sagwan	10.00	30.00	40.00
16.	Mokha	5.00	10.00	15.00
17.	Mango	50.00	125.00	200.00
18.	Neem	15.00	25.00	40.00
19.	Tamun	10.00	20.00	30.00
20.	Babul	15.00	25.00	40.00
21.	Ber	2.00	5.00	10.00
22.	Imli	10.00	20.00	30.00
23.	Mahua	50.00	125.00	200.00
24.	Khakara	2.00	5.00	10.00
25.	Timru	10.00	20.00	20.00
26.	Others	1.00	2.00	5.00

Note :—Above rates increased by 10% as the produce shall fetch higher price being in the Vicinity of good town Banswara.

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

रामगढ़ बांध के पानी का उपयोग सिंचाई के स्थान पर पेय जल हेतु करने से उत्पन्न समस्या

305. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जमवा रामगढ़ तहसील में रियासती काल से निर्मित रामगढ़ बांध के पानी को खेतों की सिंचाई से हटाकर जयपुर शहर को पानी दिये जाने के एवज में छोटे एनीकट, ट्यूबवैल आदि अन्य कोई सिंचाई व्यवस्थायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो रामगढ़ तहसील-वासियों पर इस प्रकार हुए अन्याय को दूर करने का उपाय कब तक किया जावेगा ?

(2) क्या जमवा रामगढ़ तहसील के बरसाती पानी से होने वाले भूमि कटाव की ओर सरकार का ध्यान गया है जिससे कीमती कृषि योग्य भूमि हर वर्ष नष्ट होती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

परन्तु जमवा रामगढ़ से पीने के पानी की आवश्यकता के पूर्ण होने के पश्चात् यदि सम्भव होता है तो सिंचाई के लिये पानी दिया जाता है।

(2) जमवा रामगढ़ में भू-संरक्षण हेतु विगत वर्षों से कार्य करवाये जा रहे हैं। धनाभाव के कारण भू-संरक्षण कार्य बड़े पैमाने पर नहीं करवाये जा सकते, कृषकों के खेतों पर विगत वर्षों में करवाये गये भू-संरक्षण कार्यों का विवरण इस प्रकार से है :—

1967-68 में 315 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य
1968-69 में 38 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य
1969-70 में 33 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य
1970-71 में 200 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य
1971-72 में 48 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य
1972-73 में 230 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य
197 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य
1974-75 एवं
1975-76 में 1117 एकड़ में भू-संरक्षण कार्य

राजस्थान नहर को उपलब्ध पानी

306. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर को कितना क्यूसैक्स पानी प्रतिवर्ष मिलना चाहिये और पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितना कितना पानी वास्तव में मिला है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में इस कैनाल को जितना पानी मिलना चाहिये उतना नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने इसके लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। हरिके हैड वर्क्स का नियंत्रण, जहां से राजस्थान नहर निकलती है, पंजाब सरकार के अधीन है। राजस्थान सरकार केन्द्र से कई बार अनुरोध कर चुकी है कि हैड वर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन होना चाहिये लेकिन पूरे प्रयासों के बावजूद अभी सफलता नहीं मिली है।

राजस्थान नहर में पानी की मांग एवं प्राप्ति का वर्षवार ब्यौरा

(वर्ष 1975–76 से जून 1980 तक)

क्रमांक	विवरण	वर्ष 1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 जून 80 तक
1.	राजस्थान नहर का शेयर	32,42,191	44,77,063	40,21,592	67,24,925	41,84,908	8,90,570
2.	मांग (इन्डेन्ट)	22,36,400	23,53,600	21,89,500	23,73,900	26,71,980	6,08,560
3.	वास्तविक छोड़े गये पानी की मात्रा	21,54,875	22,56,767	20,07,556	21,74,100	21,32,322	4,56,155

नोट:--(1) वर्ष का समय अप्रेल से अगले मार्च तक का माना गया है।
(2) पानी के आंकड़े क्यूसेक डेज में है।

पाली में स्थापित डेयरी इकाई

307. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में स्वतंत्र रूप से एक डेयरी इकाई की स्थापना हो गई है ? यदि हां, तो स्थापना काल से औसतन प्रतिमाह कितना दुग्ध एकत्रित किया जा रहा है, तथा इससे पूर्व पाली केन्द्र में कितना दुग्ध इकट्ठा किया जाता था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने के लिये सोजत रोड पर एक अन्य दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना किया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

पाली जिले में स्थापन-काल से औसतन 2 लाख 5 हजार 930 लीटर दूध प्रति माह संकलित किया जा रहा है तथा इससे पूर्व 2 लाख 18 हजार 527 लीटर दूध प्रतिमाह संकलित किया जाता था।

(2) जी नहीं।

ग्राम पंचायत खाता खेड़ी के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों की जांच

308. श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खाता खेड़ी पंचायत समिति मनोहर थाना (झालावाड़) के सरपंच के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में कार्यों और गेहूं में घपले करने की शिकायत किये जाने पर जिलाधीश झालावाड़ ने जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ?

(2) क्या यह जांच पूर्ण हो गई है ? जांच का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत खाताखेड़ी पंचायत समिति मनोहर थाना जिला झालावाड़ के सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में गेहूं के घपले की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधीश झालावाड़ ने दिनांक 28-3-80 को श्री महावीर प्रसाद वैश्य, सहायक अभियन्ता (काम के बदले अनाज योजना) झालावाड़ को इस पंचायत द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराये गये समस्त निर्माण कार्यों के मूल्यांकन एवं जांच के आदेश दिये थे। यह जांच उपरोक्त अधिकारी द्वारा की गई।

(2) निर्माण कार्यों के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जांच अधिकारी (सहायक अभियन्ता काम के बदले अनाज योजना) को प्राथमिक जांच रिपोर्ट एवं लेखा सम्बन्धी जांच से जो तथ्य सामने आये हैं उनके अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गये कुल 37 निर्माण कार्यों का (जिसमें अपूर्ण

(सहायता मंत्री)

कार्य भी सम्मिलित हैं) सहायक अभियन्ता द्वारा जो मूल्यांकन किया गया उसकी राशि रुपये 1,04,309.91 बनती है। इसके विपरीत ग्राम पंचायत द्वारा इन निर्माण कार्यों में अब तक व्यय की गई राशि एवं वितरित किये गये गेहूं का मूल्य निम्न प्रकार है :–

1. नकद राशि रुपये	15,952.42
2. गेहूं जो अब तक मजदूरों को भुगतान किया जा चुका है	92,370.09
परिवहन व्यय रु.	5,493.88
कुल	1,13,816.39

इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा बकाया मस्टर रोल जिसको स्वीकार करने पर 73 क्विन्टल 64 किलो गेहूं और देना आवश्यक होगा। इस गेहूं का मूल्य तथा परिवहन व्यय की राशि कुल 10898.72 (गेहूँ रु. 10383.26 व परिवहन व्यय रु. 515.48) को सम्मिलित करने पर इन 37 कार्यों की कुल लागत रुपये 1,24,715.11 आवेगी जो सहायक अभियन्ता द्वारा उस समय प्रचलित बी. एस. आर. की दर से किये गये मूल्यांकन से रु. 20,405.20 अधिक होगी। इस प्रकार व्यय के आधिक्य का प्रतिशत 19.5 आता है। ग्राम पंचायत द्वारा पेश किए हुए मस्टर रोल की जांच की जा रही है।

शिव तालाब क्षेत्र सीकर में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण

309. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सीकर तहसील के शिव-तालाब क्षेत्र में भू-गर्भ जल का सर्वेक्षण भू-गर्भ जल विभाग द्वारा किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सर्वेक्षण से इस क्षेत्र में भू-गर्भ जल की बहुत बड़ी झील का पता चला है ? यदि हां, तो यह झील कितनी बड़ी है और इस पानी के उपयोग हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) जी हां, सीकर तहसील का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण भू-जल विभाग द्वारा वर्ष 1973-74 में किया गया है।

(2) उक्त सर्वेक्षण के आधार पर इस क्षेत्र में अतिरिक्त भू-जल की मात्रा पाई गई है जिसके उपयोग हेतु एक लघु सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। भू-गर्भ में भू-जल की झील जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अतः यह कितनी बड़ी है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं होता।

लूनियावास (सांगानेर) के मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करना

310. (खा. मं.) श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सांगानेर पंचायत समिति के ग्राम लूनियावास में सैकण्डरी स्कूल

(श्रीमती विद्या पाठक)
नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष वहां के मिडिल स्कूल को प्राथमिकता के आधार पर क्रमोन्नत करेगी ?

उत्तर

जी हां । राज्य सरकार स्थान विशेष की स्थिति, अन्य स्कूलों की दूरी, जन संख्या, भौगोलिक स्थिति एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष विद्यालय क्रमोन्नत करेगी ।

बाड़ी (धौलपुर) मुख्यालय पर सहायक जिलाधीश की नियुक्ति

311. श्री शिवसिंह (बाड़ी) :-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि गत सरकार ने सहायक जिलाधीश का पद बाड़ी के लिये स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो अब कब तक सहायक जिलाधीश की नियुक्ति बाड़ी मुख्यालय पर हो जावेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

गत सरकार ने सहायक जिलाधीश का पद बाड़ी के लिए स्वीकृत नहीं किया । जब पद ही स्वीकृत नहीं हुआ तो सहायक जिलाधीश की नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

रीजनल वेटेरिनरी बायोलोजिकल यूनिट द्वारा वैक्सीन उत्पादन की संभावना

312. श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा): श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पशुओं के लिए कई प्रकार की उपयुक्त वैक्सीन बनाई जाती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी व पिछले वर्ष इनकी मात्रा व बाजार की कीमत कितनी थी ?

(2) क्या सरकार का रीजनल वेटेरिनरी बायोलोजिकल यूनिट, जयपुर, पागल कुत्ते के काटने पर प्रयोग में आने वाली ऐन्टी-रेबिक वैक्सीन बनाता है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में वैक्सीन बनाने की कोई योजना है ?

(3) क्या उपरोक्त यूनिट मनुष्यों के काम में आने लायक वैक्सीन, जिसकी राज्य में भारी कमी रहती है, बनाने के लिए ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार सक्षम है ? यदि हां, तो इसके निर्माणार्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहयोग प्रदान करने के संबंध में क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । भविष्य में बनाने की योजना है ।

(3) जी नहीं ।

(169)

सूची

प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई द्वारा वर्ष 1979–80 में टीकों का उत्पादन विवरण

क्र.सं.	नाम टीका	उत्पादन वर्ष 79-80 (डोज)	दर	बाजार की अनुमानित कीमत
1.	पशु माता (Rinderpest)	52,22700	6 पैसे	313362.00
2.	गलघोटू (Haemorrhasic (Septicaemia)	25,93710	50 पैसे	1296855 00
3.	फड़सूजन (Black quarter)	13,95510	40 पैसे	558204.00
4.	भेड़ माता (Sheep Pox)	52,7530	40 पैसे	2110112.00
5.	फिड़किया (Entrotomaemia Sheep)	14,25860	40 पैसे	570344.00
6.	आर. डी. (एम) (R. D.)	27,44400	4 पैसे	109776.00
7.	आर. डी. (एफ) (R. D)	17,27500	4 पैसे	69100.00
8.	फाउलपोक्स (Fowl Pox)	10,87100	4 पैसे	43484.00
9.	फाउलस्पोइरो (Fowlspire)	11,8500	50 पैसे	9250.00
	योग..	1,68,42810		31,81387.00

निम्बाहेड़ा नगर में पीने के पानी की व्यवस्था

313. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निम्बाहेड़ा नगर में पीने के पानी की सुविधा हेतु पिछले पांच वर्ष में सरकार ने कितना व्यय किया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में किया गया व्यय अत्यल्प था ? क्या सरकार के पास भविष्य में इस समस्या के हल के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा नगर में पीने के पानी की सुविधा हेतु पिछले पांच वर्ष का व्यय निम्नानुसार है। संधारण व्यय इसके अतिरिक्त है।

वर्ष	व्यय
75–76	1.60 लाख
76–77	1.00 लाख
77–78	2.33 लाख
78–79	0.00 लाख
79–80	0.38 लाख
	योग 5.31 लाख

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(2) बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में किया गया खर्चा पर्याप्त है। भविष्य में निम्बाहेड़ा जलप्रदाय योजना के लिए 3.50 लाख रुपये की आगूमेन्टेशन योजना स्वीकृत की गयी है।

जैसलमेर के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

314. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जैसलमेर जिले में इस वर्ष के दौरान अब तक कितने ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था की गई है व कितने अन्य ग्रामों में चालू वर्ष में यह व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर

जैसलमेर जिले में इस वर्ष 1980-81 में तीन ग्रामों (फालेरी, सत्याया व डिग्गा) में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। इस वर्ष में निम्न गांवों में जल व्यवस्था करने का लक्ष्य है (1) टोटा (2) छायण (3) ताड़ना (4) पोहर दायम (5) काहला (6) मानपीया (7) बड़ा बाग (8) जठवाई (9) बांधा (10) हरया (11) मंडाई (12) जोगा (13) धवा (14) रूहड़ा (15) राम पुरिया उपरोक्त ग्रामों में क्रमांक 1 से 3 तक पाइप लाइनों द्वारा एवं 4 से 12 तक हैण्ड पम्प द्वारा जल उपलब्ध कराया जायेगा।

झुन्झुनूं जिले में गुढा से नीमका थाना सड़क का निर्माण

315. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा-मालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं में गुढ़ा से नीमकाथाना तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। यदि हां, तो सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त सड़क के निर्माणार्थ कितनी राशि की स्वीकृति हुई थी तथा अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।
प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाडनूं क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

316. श्री रामधन (लाडनूं): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

लाडनूं जिला नागौर के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितने ग्रामों के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है ?

उत्तर

तहसील लाडनूं जिला नागौर के 30 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 4 ग्राम इस समय विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित हैं जिनकी स्वीकृति मरु विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा चुकी है।

भगवतगढ़ बांध (सवाई माधोपुर) के डूब में आई भूमि का मुआवजा

317. श्री चुन्नीलाल जैलिया (खण्डार): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

ग्राम भगवतगढ़ तहसील सवाईमाधोपुर में स्थित भगवतगढ़ बांध का निर्माण किस सन् में किया गया था ? इस बांध में कितनी भूमि डूब में आई ? भूमि का मुआवजा काश्तकारों को अब तक दिया गया अथवा नहीं ? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इसका निर्माण सन् 1952 में हुआ था।

इस बांध में कुल 478 हैक्टेयर भूमि डूब में आई है।

जी नहीं।

मुआवजे का अवार्ड मई, 1978 में जारी किया गया था जिसमें कुछ कमियां पाई गई थीं, जिन्हें ठीक करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी सवाई माधोपुर को लिखा गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी/जिलाधीश का स्पष्टीकरण आने के पश्चात बजट उपलब्ध न होने के कारण अभी तक किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका है।

पाली जिले में स्वतन्त्र डेयरी की व्यवस्था

318. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(i) पाली जिले के किन-किन पंचायत समिति के गांवों व शहरों में डेयरी की व्यवस्था है व कहां पर दूध को ठंडा रखने की व्यवस्था है तथा कहां कहां पर प्रस्तावित है ?

(2) डेयरी के सम्बन्ध में अव्यवस्था की कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई ? उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या पाली जिले में स्वतन्त्र डेयरी के संचालन की व्यवस्था नहीं होने से दुग्ध उत्पादकों को भारी परेशानी हो रही है ?

उत्तर

(1) पाली जिले की निम्न पंचायत समिति के गांवों व शहरों में डेयरी की व्यवस्था है :—

1. पाली
2. बाली
3. जैतारण
4. खारची
5. रायपुर
6. सुमेरपुर
7. रानी
8. सोजत
9. रोहट

संकलित दूध को ठण्डा करने हेतु पाली में एक चिलिंग प्लाण्ट स्थापित किया गया है, व दूसरा फालना में स्थापित किया जा रहा है।

(2) फालना आइस फैक्ट्री के भुगतान के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन है।

(डेयरी विकास मंत्री)

(3) जी नहीं, पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा स्वतन्त्र रूप से डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

श्री गंगानगर की गुरुनानक एवं अन्य बस्तियों को सुनियोजित ढंग से बसाना

319. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शहर में गुरुनानक बस्ती एवं अन्य निचली बस्तियां वर्षा ऋतु में प्रति वर्ष पानी से भर जाती हैं जिसके फलस्वरूप लोगों को अपने मकान खाली कर दूसरी जगह बसाया जाता है, जिस पर काफी राशि व्यय की जाती है ?

(2) यदि हां, तो उक्त बस्ती वासियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना की रूप रेखा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बस्ती वासियों से भू-खण्ड आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र नगर परिषद् द्वारा लिए गये थे ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं ऐसे आवंटन के मामलों में देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) गुरु नानक बस्ती में पिछले पांच वर्षों में कोई पानी नहीं भरा है। परन्तु अन्य निचली बस्तियों के खड्डों में वर्षा के कारण पानी भर जाता है।

(2) नीचे बसी हुई बस्ती के लोगों को बसाने हेतु जवाहर नगर योजना के अन्तर्गत स्लम क्लीयरेंस योजना बनाई गई है। योजना की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां। परिषद् द्वारा 200 भू-खण्ड आवंटन कर दिये गये हैं। बकाया मामलों में 21-8-71 से पूर्व के कब्जे के सबूत मांगे गये हैं जो प्रार्थियों द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद पेश नहीं किये जा रहे हैं केवल 50 व्यक्तियों द्वारा सबूत पेश किये जिन्हें आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(योजना की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तिसाई (डग) के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों में आग से हुई क्षति का मुआवजा

320. श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डग विधान सभा क्षेत्र में तिसाई ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों में आग लगने से घर जल गये ? यदि हां, तो वे कौन-कौन लोग हैं ? जातिवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार की तरफ से अभी तक उनको क्या सहायता दी गई और आगे क्या विचार है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 12-5-80 को ग्राम तिसाई तहसील गंगधार के तीन

(सहायता मंत्री)।

व्यक्तियों के घर व सामान आग लगने से जल गये थे इनकी जातिवार नामजद सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अग्निपीड़ित श्री दूल्हा, श्री अम्बाराम व श्री देवा को क्रमशः 400 रु., 300 रु. व 300 रु. की नकद राशि अनुदान स्वरूप दी जा चुकी है। नियमानुसार अग्निपीड़ितों को जो सहायता दी जा सकती थी दी जा चुकी है।

ग्राम तिसाई तहसील गंगधार में दिनांक 12-5-80 को हुये अग्निकाण्ड में प्रभावित व्यक्तियों की जातिवार नामजद सूची :—

1. श्री दूल्हा आत्मज दरयाव जाति नट

2. श्री अम्बाराम आत्मज दरयाव जाति नट

3. श्री देवा आत्मज गैंदा जाति चमार

(174)

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 276 का विवरण) परिशिष्ट "क"

टेम्पल बोर्ड की जमीन पर बनी हुई श्रीनाथजी–टेम्पल बोर्ड को भेंट की गई, नाथद्वारा की धर्मशालाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

(1) बड़ी धर्मशाला (बोम्बे वाली धर्मशाला) :—इस धर्मशाला की भूमि 501 रुपये में सम्वत 1945 में भेंट लेकर श्री जमनादास लल्लूभाई निवासी बम्बई वाले को धर्मशाला बनाने हेतु दी गई थी। उक्त सम्बन्धित दस्तावेज में धर्मशाला में जितनी दुकानें बनेंगी, उसका किराया श्री नाथजी भण्डार में जमा कराने का इकरार था। शर्त के अनुसार किराया धर्मशाला वाले जमा नहीं करा रहे हैं। उक्त धर्मशाला श्री नाथजी को भेंट नहीं की गई है।

(2) मणीबाई वाली धर्मशाला (चतुर्भुज जीवनदास):—क्रम संख्या एक पर वर्णित बड़ी धर्मशाला के लिये दी गई भूमि में से खाली जमीन पर धर्मशाला बनाने की इजाजत श्री चतरभुज जीवनदास बम्बई वाले को सम्वत् 1981 में दी गई थी, यह धर्मशाला भी श्री नाथजी को भेंट नहीं की गई थी। धर्मशाला के हिस्से में दुकानें बनाई गई हैं जिनका किराया भी धर्मशाला वाले मन्दिर मण्डल में जमा नहीं करा रहे हैं।

(3) छोटी धर्मशाला:—यह धर्मशाला मन्दिर मण्डल की भूमि पर बनी हुई है और इसके ऊपर के कुछ भाग को छोड़कर शेष दो मंजिलों पर मन्दिर मण्डल का कब्जा है तथा मन्दिर मण्डल की व्यवस्था है। इस धर्मशाला के ऊपर की मंजिल का उतरी हिस्सा सेठ श्री मधुसूदन चिमनलाल पारीख निवासी अहमदाबाद वाले को धर्मशाला बनाने को सम्वत 2005 में दी गई थी। शर्त के अनुसार धर्मशाला की व्यवस्था श्री मधुसुदन चिमनलाल द्वारा की जानी थी। इकरार में धर्मशाला श्री नाथजी को भेंट करने का उल्लेख भी है। इस प्रकार भेंट एवं व्यवस्था दोनों शर्ते एक दूसरे के विपरीत है।

(4) चान्दा वाली धर्मशाला (कृष्ण कुण्ड) :—इस धर्मशाला को ठक्कर बस्ता गोवर्धन दास निवासी कोठड़ा चान्दा सीपी द्वारा बनवाकर श्रीनाथजी को सम्वत् 2001 में भेंट की। इस धर्मशाला पर मन्दिर मंडल का कब्जा नहीं है, और न ही व्यवस्था मन्दिर मण्डल की तरफ से है। धर्मशाला बनाने वाले वैष्णव के व्हीवदार ही धर्मशाला की व्यवस्था करते हैं।

(5) पोरबन्दर वाली धर्मशाला (असन्जीलालजी) :—यह धर्मशाला सम्वत् 2003 में श्रीनाथजी को श्री असन्जीलालजी पोरबन्दर निवासी द्वारा भेंट की गई थी। इसके बाद इस धर्मशाला की व्यवस्था तारीख 27-6-49 को श्री असन्जीलालजी का ही अधिकार है एवं उनके वंशजों को सुपुर्द की गई। तब से इस धर्मशाला पर असन्जीलालजी का ही अधिकार है और उनकी ही व्यवस्था है। इस धर्मशाला के हिस्से में चार दुकाने हैं जिनमें से तीन दुकानों का किराया श्रीनाथजी में जमा कराने की शर्त सन् 1949 में रखी गई थी, लेकिन तीन दुकानों का किराया सन् 1979 से ही

मन्दिर मण्डल द्वारा वसूल किया जा रहा है और इन तीन दुकानों पर हक मन्दिर मण्डल का है। एक दुकान इसमें से महाराज श्री को भेंट सन् 1949 में ही की गई थी। इस दुकान पर मन्दिर मण्डल का भी आधिपत्य नहीं है। और न ही कोई किराया मन्दिर मण्डल में जमा होता है।

(6) सेठ गिरधारीदास तेजभानदास वाली धर्मशाला :—इस धर्मशाला के लिये जमीन सम्वत् 2006 में दी गई थी। धर्मशाला में नीचे आठ दुकानें व ऊपर आठ कमरे हैं। एक दुकान महाराज श्री को भेंट की गई थी। शेष सात दुकानें एवं ऊपर के पांच कमरे कृष्ण भण्डार की व्यवस्था में दिये जाने का उल्लेख शर्तनामे में है। इसके अलावा ऊपर के दो कमरे सेठ गिरधारी दास के कब्जे में हैं तथा एक कमरा श्रीमती लखीमा के कब्जे में दिया गया था। श्रीमती लखीमा को दिये जाने वाले कमरे के साथ यह शर्त थी कि उनकी मृत्यु के बाद श्रीनाथ जी के भेंट माना जायगा। उक्त धर्मशाला की सात दुकानों पर शर्त के अनुसार मन्दिर मण्डल का कब्जा है। लेकिन ऊपर की मंजिल पर पांच कमरों पर मन्दिर मण्डल का कब्जा नहीं है। उक्त पांच कमरों पर भेंटकर्ता का कब्जा है।

इनके अलावा श्री नाथजी मन्दिर मंडल की जमीन पर निम्न धर्मशालाएं बनी हुई हैं जिन पर मन्दिर मण्डल का कब्जा है और व्यवस्था भी मन्दिर मण्डल द्वारा की जा रही है।

1. केशव भवन धर्मशाला (2)
2. नई सेठानी वाली धर्मशाला (राजमाताजी)
3. डायाभवन धर्मशाला
4. लक्ष्मीनिवास धर्मशाला
5. तेलीपुरा वाली धर्मशाला
6. देलवाड़ा वाली धर्मशाला
7. आसुभाई वाली धर्मशाला
8. बिहारीलाल धर्मशाला
9. देहली वाली धर्मशाला
10. सुन्दरविलास धर्मशाला

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची)

जन जाति उप योजना क्षेत्र में स्थित राजकीय कन्या छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	छात्रावास का स्थान	जिला
1.	राजकीय अनुसूचित जन जाति कन्या छात्रावास बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
2.	राजकीय अनुसूचित जन जाति कन्या छात्रावास गढ़ी	बांसवाड़ा
3.	राजकीय अनुसूचित जन जाति कन्या छात्रावास उदयपुर	उदयपुर
4.	राजकीय अनुसूचित जन जाति कन्या छात्रावास खैरवाड़ा	उदयपुर
5.	राजकीय अनुसूचित जन जाति कन्या छात्रावास प्रतापगढ़	चित्तौडगढ़
6.	राजकीय अनुसूचित जन जाति कन्या छात्रावास सागवाड़ा	डूंगरपुर

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 283 की सूची)

सूचि

क. सं.	नाम विद्यालय	जनजाति 6	7	8	9
1.	राज. उ.मा.वि. प्रतापगढ़	4	22	9	33
2.	राज. बालिका उ.मा.वि, प्रतापगढ़	–	–	–	1
3.	राज. उ.मा.वि. अरनोद	14	2	5	8
4.	राज. मा.वि. कुलथाना	5	4	6	6
5.	राज. मा.वि. दलोट	22	7	7	9
6.	राज. मा.वि. वमोदर	6	1	5	1
7.	राज. मा.वि. बोरी	4	1	1	–
8.	राज. मा.वि. धड़ा	1	1	1	1
9.	राज. उ.प्रा.वि. कोटड़ी	2	7	4	–
10.	राज. उ.प्रा.वि. चकुण्डा	9	6	1	–
11.	राज. उ.प्रा.वि. चूपना	5	7	–	
12.	राज. उ.प्रा.वि. जाजली	2	6	1	
13.	राज. उ.प्रा.वि नागदी	18	20	5	
14.	राज. उ.प्रा.वि. निनोर	2	2	1	
15.	राज. उ.प्रा.वि. बोडीसाखली	3	2	2	
16.	राज. उ.प्रा.वि. बोरदिया	–	–	1	
17.	राज. उ.प्रा.वि. साखथलीथाना	–	1	–	
18.	राज. उ.प्रा.वि. सालमगढ़	14	3	6	
19.	राज. उ.प्रा.वि. पा.ग. प्रतापगढ़	4	1	4	
20.	राज. उ.प्रा.वि. लो. ग. प्रतापगढ़	1	6	3	
21.	राज. उ.प्रा.वि. अमलावद	1	–	–	
22.	राज. उ.प्रा.वि. अचलेश्वर	–	–	1	
23.	राज. उ.प्रा.वि. कूणी	2	2	1	
24.	राज. भट्टारक यशकीर्ती प्रतापगढ़	2	–	–	

अतारांकित प्रश्न सं. 293/सा.मं.
प्रश्नकर्ता:--श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य विधान सभा।

सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	जनजाति 6	7	8	9
25.	राज. उ.प्रा.वि. खेरोट	6	3	6	
26.	राज. उ.प्रा.वि. गादोला	3	—	2	
27.	राज. उ.प्रा.वि. गन्धेर	8	3	3	
28.	राज. उ.प्रा.वि. जाखमबांध	—	—	—	
29.	राज. उ.प्रा.वि. झांखड़ी	1	1	1	
30.	राज. उ.प्रा.वि. देवगढ़	12	12	5	
31.	राज. उ.प्रा.वि. पानमोडी	1	—	1	
32.	राज. उ.प्रा.वि. पिल्लू	1	—	—	
33.	राज. उ.प्रा.वि. बमोदर	9	4	5	
34.	राज. उ.प्रा.वि. वरड़िया	—	1	—	
35.	राज. उ.प्रा.वि. बसाड	—	1	—	
36.	राज. उ.प्रा.वि. वारा खेरदा	3	2	2	
37.	राज. उ.प्रा.वि. बरमण्डल	1	1	1	
38.	राज. उ.प्रा.वि. सुहागपुरा	27	9	1	
39.	राज. उ.प्रा.वि. रठांजना	—	—	—	
40.	राज. उ.प्रा.वि. डावडा	—	—	—	
41.	राज. उ.प्रा.वि. प्रतापगढ़	—	1	—	
42.	राज. बा. उ.प्रा.वि. अरनोद	—	—	—	
	योग	193	139	91	59

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 285 का आदेश)
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक मु./आ/ता/संचा/79/2262 दिनांक 10-9-79

कार्यालय आदेश

प्रायः बार बार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि निगम द्वारा संचालित वाहनें निर्धारित बस स्टेण्डों पर नहीं ठहरती हैं तथा बस स्टेण्ड से आगे या पीछे सवारियां उतार कर चले जाते हैं। तथा वाहनें समयानुसार संचालित नहीं होती हैं। कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इससे जनता में निगम की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुचता है। इस संबंध में बार बार आदेश प्रसारित करने के बावजूद भी आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि वाहनों को निर्धारित बस स्टेण्ड पर रोकने, यात्रियों के साथ भद्र व्यवहार करने हेतु संबंधित कर्मचारियों को पाबंद किया जावे तथा अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही वाहनें निर्धारित समयानुसार संचालित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जावें। इस बाबत सहायक आगार प्रबंधक/स्थान प्रभारियों/निरीक्षण दलों को विशेष रूप से सतर्क रह कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त सख्त कार्यवाही करने हेतु पाबंद किया जावे।

ह०
संभाग प्रबंधक (संचालन)

680

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 287 की सूची)

परिशिष्ट "क"

जिला बाड़मेर

नाम पंचायत समिति		कार्यशील	डिफोल्टर
1.	सीवाना	9	9
2.	सिणदरी	24	13
3.	धोरीमना	32	27
4.	बालोतरा	23	13
5.	बायतु	23	14
6.	शिव	19	8
7.	बाड़मेर	26	23
8.	चौहटन	21	23
		177	130

परिशिष्ट "ख"

जांच व ऑडिट में चाहे गये घोटालों की पंचायत समितिवार सूचना

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ऑडिट से प्रकाश में आये मामलों की संख्या	जांच से प्रकाश में आये मामलों की संख्या
1.	सिणदरी	3	1
2.	सीवला	3	4
3.	शिव	—	2
4.	धोरीमना	5	2
5.	चौहटन	12	5
6.	बाड़मेर	9	—
7.	बालोतरा	4	—
8.	बायतु	4	—
		40	14

परिशिट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 291 की सुची).

Annexure (क)

Sl. No.	Name of road.	Camp.	Labour strength.	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Nagour Deh road	Harima.	58	
2.	Deu Tantwas Bhojas	Deo Tantwas.	42	
		Datina Bhojas.	Previously the labour were there but at presently due to rains there is no labour	
3.	Jorawarpura-Sankhwas	Jorawarpura.	—do—	
	Silgaon road.	Guda.	—do—	
4.	Nagour-Mundwa-Merta	Khajwana.	—do—	
5.	Nagour-Chuntisara-Ganthilasar-Untwalia.	Ganthilasar.	—do—	
		Chuntisara.	34	
6.	Guda Alai road.	Guda.	207	
		Alai.	Labour not coming now due to rains.	
7.	Bhadana-Jhadisara.	Jadhisara.	92	
		Jhetera.	97	
		Manjwas.	116	
8.	JodhiyasiChau Jhorda.	Jodhiyasi	Previously there were labour on this road but due to rains there is no labour.	
		Jhorda.	—do—	
		Chau.	31.	
		Khalsi	129	
9.	Panchala Birloka.	Birloka.	Labour went away after 30th. June due to heavy rains.	

1	2	3	4	5
10.	Panchla-Sidha Panchori	Panchori.	Gravel was excavated on quarry Panchori but due to good rains now there is no labour.	
11.	Kharnal-Basni via Barangaon	Kharnal.	Labour not available since sanction.	
12.	Role-Kuchera.	Role.	Labour did not turned up.	
13.	Chilo-Pipasar.		Quarries not a vailable for this road only Guda and Alai quarry comes for this road where gravel excavated for this road.	

Executive Engineer,
PWD(B&R), Nagour.

ANNEXURE–Kha

List of Relief Works started through P.W.D. Agency in Tehsil Nagaur alongwith date of payment

Name of work	Period of Muster Rolls	Date on which Muster Rolls sent to Tehsildar	Date of payment
1	2	3	4
1. Nagaur-Deh	11-12-79 to 15-12-79	19-2-80	25 & 26-2-80
	16-12-79 to 31-12-79	,,	,,
	1-1-80 to 15-1-80	,,	,,
	16-1-80 to 31-1-80	,,	,,
	1-2-80 to 15-2-80	28-2-80	14 to 17-3-80
	16-12-80 to 29-2-80	31-3-80	2-4-80
	1-3-80 to 15-3-80	,,	,,
	16-3-80 to 31-3-80	22-4-80	9 & 10-5-80
	1-4-80 to 15-4-80	6-5-80	10-5-80
	16-4-80 to 30-4-80	16-5-80	19-5-80
	1-5-80 to 15-5-80	29-5-80	17 & 18-6-80
	16-5-80 to 31-5-80	12-5-80	3-7-80
	1-6-80 to 15-6-80	27-6-80	14 & 15-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	24 & 25-7-80
	1-7-80 to 15-7-80	23-7-80	To be paid
2. Deu-Tan twas-Bhojas	7-12-79 to 15-12-79	19-2-80	25 & 26-2-80
	16-12-79 to 31-12-79	,,	,,
	1-1-80 to 15-1-80	,,	,,
	16-1-80 to 31-1-80	6-3-80	2-4-80
	1-2-80 to 15-2-80	6-3-80	,,
	16-2-80 to 29-2-80	31-3-80	5-4-80
	1-3-80 to 15-3-80	31-3-80	,,
	16-3-80 to 31-3-80	22-4-80	9 & 10-5-80
	1-4-80 to 15-4-80	5-5-80	,,
	16-4-80 to 30-4-80	14-5-80	9-7-80
	1-5-80 to 15-5-80	29-6-80	10-7-80

1	2	3	4
	16-5-80 to 31-5-80	19-6-80	10-7-80
	1-6-80 to 15-6-80	27-6-80	,,
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	26-7-80
	1-7-80 to 15-7-80	23-7-80	To be paid
3. Jorawarpura-Sankhwas	1-5-80 to 15-5-80	31-5-80	22-6-80
	16-5-80 to 31-5-80	12-6-80	,,
	1-6-80 to 15-6-80	26-6-80	26-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	,,
4. Nagaur-Mundwa-Merta Road	1-6-80 to 15-6-80	26-6-80	26-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	,,
5. Nagaur-Chuntisara-Ganthilasar-Untwalia	1-5-80 to 15-5-80	27-6-80	27-6-80
	16-5-80 to 31-5-80	12-6-80	24 & 25-6-80
	1-6-80 to 15-6-80	27-6-80	16 & 17-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	,,
6. Guda-Alai	16-5-80 to 31-5-80	19-6-80	24-6-80
	1-6-80 to 15-6-80	27-6-80	9 & 10-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	26-7-80
	1-7-80 to 15-7-80	23-7-80	To be paid
7. Bhadana-Jhadisara	1-5-80 to 15-5-80	17-6-80	24 & 25-6-80
	16-5-80 to 31-5-80	12-6-80	,,
	1-6-80 to 15-6-80	26-6-80	17 & 18-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	,,
	1-7-80 to 15-7-80	23-7-80	To be paid
8. Jodhiyasi-Chau-Jhorda	1-6-80 to 15-6-80	26-6-80	15 & 16-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	,,
	1-7-80 to 15-7-80	23-7-80	To be paid
9. Panchla-Birloka	1-5-80 to 15-5-80	31-6-80	24-6-80
	16-5-80 to 31-5-80	12-6-80	,,
	1-6-80 to 15-6-80	26-6-80	9-7-80

1	2	3	4
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	26-7-80
	1-7-80 to 15-7-80	23-7-80	To be paid
10. Panchla-Panchori	1-5-80 to 15-5-80	31-6-80	24-6-80
	16-5-80 to 31-5-80	12-6-80	,,
	1-6-80 to 15-6-80	26-6-80	9-7-80
	16-6-80 to 30-6-80	9-7-80	26-7-80 .

Collector, Nagaur

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 293 की सूची)

तहसील सांचौर की गोचर भूमि में बने घरों की सूची :–

क्र.सं.	नाम ग्राम	घरों की संख्या
1.	सांचौर	100
2.	भडवल	11
3.	सरवाना	8
4.	हेमागुड़ा	42
5.	बिजरोल	1
6.	तेतरोल	1
7.	सूथड़ी	1
8.	धांक	8
9.	डबाल	2
10.	हाडेचा	3
11.	नलधरा	1
12.	केरीया	8
13.	होथीगांव	4
14.	आकोली	1
15.	चीतलवाना	1
16.	रत्तौड़ा	1
17.	शिवपुरा	1
	कुल योग	194